त्रयोदश माला, खंड 23, अंक 18

सोमवार, 15 अप्रैल, 2002

25 चैत्र, 1924 (शक)

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

(खण्ड 23 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी. सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

उर्वशी वर्मा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय-सूची

त्रयोदश माला, खंड–23 नौवां, सत्र, 2002/1924 (शक)

अंक 18, सोमवार, 15 अप्रैल, 2002/25 चैत्र, 1924 (शक)

विषय			*कॉलम*
घाना के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	...		1
निधन संबंधी उल्लेख			1-3
प्रश्नों के लिखित उत्तर			
तारांकित प्रश्न संख्या	301 से 320		6-59
अतारांकित प्रश्न संख्या	3240 से 3469		60-448
सभा पटल पर रखे गए पत्र		...	449
कार्य मंत्रणा समिति			
चौतीसवां प्रतिवेदन			450
याचिका समिति			
पन्द्रहवां प्रतिवेदन			450
रेल संबंधी स्थायी समिति			
दसवां प्रतिवेदन	...		450
शेयर बाजार घोटाला और तत्संबंधी मामलों संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव ...			450-451
नियम 377 के अधीन मामले			451-460
(एक) झारखंड के सिंहभूम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराएं जाने की आवश्यकता			
श्री लक्ष्मण गिलुवा			451-452
(दो) रेवाड़ी–बीकानेर बारास्ता हिसार रेललाइन और रतनगढ़ डेगाना रेललाइन को बड़ी रेललाइन में बदले जाने की आवश्यकता			
श्री राम सिंह कस्वां			452
(तीन) उड़ीसा के लिए कोयले की रायल्टी दर में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता			
श्री अनन्त नायक			452
(चार) पंजाब और हरियाणा के बीच सतलुज यमुना लिंक नहर का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता			
श्री रतनलाल कटारिया			452-453

विषय *कॉलम*

(पांच) नवजीवन और ताप्ती एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का गुजरात के व्यारा रेलवे स्टेशन पर ठहराव बनाए जाने की आवश्यकता

श्री मान सिंह पटेल ... 453

(छह) मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री वीरेन्द्र कुमार 453-454

(सात) पश्चिमी बंगाल के मालदा जिले में चंचल सब डिवीजन मुख्यालय का चहुंमुखी विकास किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रियरंजन दासमुंशी 454

(आठ) अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को बैंकों से निर्बाध ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री इकबाल अहमद सरडगी 454-455

(नौ) बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में टी.वी. टावर स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री राजो सिंह 455

(दस) कर्नाटक के पदुबिद्री में एक विशेष आर्थिक जोन स्थापित किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार किए जाने की आवश्यकता

श्री विनय कुमार सोराके 455-456

(ग्यारह) ऋण राहत योजना का लाभ 1989 के भागलपुर दंगा प्रभावितों को दिए जाने की आवश्यकता

श्री सुबोध राय 456

(बारह) विशाखापत्तनम विमानपत्तन का अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के रूप में उन्नयन किए जाने की आवश्यकता

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति 457

(तेरह) नेपाल से आने वाली नदियों से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बार–बार आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए समुचित उपाय किए जाने की आवश्यकता

कुंवर अखिलेश सिंह 457

(चौदह) पूर्वी भारत के लिए विभिन्न समय जोन शुरू किए जाने की आवश्यकता

डॉ. नीतिश सेनगुप्ता 457-458

(पन्द्रह) महाराष्ट्र के शोलापुर जिले में पंढरपुर में विट्ठल रूक्मणी मंदिर स्थित होने के कारण उसे तीर्थ स्थल घोषित किए जाने और उसके विकास के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री रामदास आठवले 458

लोक सभा

सोमवार, 15 अप्रैल, 2002/ 25 चैत्र, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.01 पर बजे समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए]*

[अनुवाद]

घाना के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण सर्वप्रथम मुझे एक घोषणा करनी है।

मैं अपनी ओर से तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से भारत की यात्रा पर आए घाना की संसद के अध्यक्ष महामहिम श्री पीटर एला एडजेटी और घाना संसदीय शिष्टमंडल के अन्य सदस्यों का स्वागत करता हूं।

यह शिष्टमंडल शनिवार 13 अप्रैल, 2002 को भारत पहुंचा। वे इस समय विशेष प्रकोष्ठ में बैठे हैं। हम कामना करते हैं कि हमारे देश में उनका प्रवास सुखद और लाभप्रद हो। हम उनके माध्यम से घाना के राष्ट्रपति, संसद और वहां की मित्र जनता को अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं।

निधन संबंधी उल्लेख

पूर्वाह्न 11.02 बजे

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों मुझे सभा को अपने चार भूतपूर्व सहयोगियों सर्वश्री एल. बालारमण, के. नारायण राव, सुरेन्द्र झा सुमन, शंकर लाल शर्मा के निधन की दुखद सूचना देनी है।

श्री एल. बालारमण 1984 से 1991 तथा 1996–97 के दौरान आठवीं, नौंवी और ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने तमिलनाडु के वंडावासी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

एक सक्रिय संसदविद् श्री बालारमण विभिन्न संसदीय तथा परामर्शदात्री समितियों के सदस्य थे।

इससे पहले श्री बालारमण 1967 से 1971 तथा 1980 से 1984 तक तमिलनाडु विधान सभा तथा 1972 से 1978 तक तमिलनाडु विधान परिषद के सदस्य रहे थे। उन्होंने राज्य विधान मंडल में विभिन्न समितियों के सदस्य के रूप में भी कार्य किया।

पेशे से कृषक श्री बालारमण की कृषि, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज प्रणाली में विशेष रूचि थी। वह 1961 से 1965 और 1970–71 के दौरान पंचायत परिषद्, कनियमबादी, जिला उत्तरी अर्कोट, तमिलनाडु के चेयरमैन थे।

अनेक देशों की यात्रा कर चुके, श्री बालारमण ने 1986 में डेनमार्क में वर्ल्ड पीस कौंसिल कान्फ्रेंस में एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया।

एक प्रसिद्ध सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता श्री बालारमण ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए अथक कार्य किया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधाओं में सुधार के लिए विशेष रूचि ली।

श्री एल. बालारमण का निधन 70 वर्ष की आयु में तमिलनाडु के वैल्लोर में 26 जनवरी, 2002 को हुआ।

श्री के. नारायण राव 1967 से 1977 तक चौथी और पांचवीं लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने आंध्र प्रदेश के बोबिली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

व्यवसाय से वकील श्री राव राजनीति में आने से पहले विधि आयोग में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहे। उन्होंने इंडियन सोसायटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ, नई दिल्ली के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया।

एक सक्रिय संसदविद् श्री राव 1967–68 के दौरान लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के सभापति तथा 1967–77 के दौरान सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्य थे।

एक कुशल प्रशासक श्री राव आंध्र प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण के सदस्य थे।

श्री राव, जिनकी विधायी मामलों में विशेष रूचि थी, ने संवैधानिक विधि, अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के बारे में कई शोध पत्र प्रकाशित किए। वह 'डेलीगेटिड लेजिस्लेशन इन इंडिया' और 'डिसिप्लीनरी प्रोसिडिंग्स अगेंस्ट गवर्नमेंट सर्वेंट्स' के सह–लेखक थे। उन्होंने पंद्रहवें और सोलहवें संवैधानिक संविधान संशोधनों पर एक पैम्फलेट भी प्रकाशित किया तथा तेलुगु में कई लेख लिखे।

श्री के. नारायण राव का निधन 73 वर्ष की आयु में श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश में 3 मार्च, 2002 को हुआ।

श्री सुरेन्द्र झा सुमन 1977 से 1979 तक छठी लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने बिहार के दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

एक कुशल संसदविद् श्री सुमन 1977–78 के दौरान राजभाषा संबंधी समिति तथा 1978 के दौरान सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति के सदस्य थे।

इससे पहले श्री सुमन 1972 से 1975 तक बिहार विधान सभा के सदस्य थे। वह 10 वर्ष तक दरभंगा नगर पालिका के सदस्य भी रहे।

एक ख्यातिलब्ध साहित्यकार श्री सुमन पत्रकार, अध्यापक और लेखक थे। उन्होंने मैथिली में लगभग 40 पुस्तकें लिखी और उन्होंने मैथिली, संस्कृत और हिन्दी में विभिन्न प्रकाशनों तथा पुस्तकों का संपादन भी किया। उन्होंने अपने राज्य में विभिन्न साहित्यिक और शैक्षणिक संस्थानों के शासी निकायों में विभिन्न पदों पर कार्य किया। वर्ष 1971 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

श्री सुरेन्द्र झा सुमन का निधन 89 वर्ष की आयु में बिहार के दरभंगा में 5 मार्च, 2002 को हुआ।

श्री शंकर लाल शर्मा 1988–89 के दौरान आठवीं लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने राजस्थान के पाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पहले श्री शर्मा 1957 से 1962 तथा 1967 से 1980 तक राजस्थान विधान सभा के सदस्य थे और उन्होंने राजस्थान का रैयापुर, जैतरण और पाली विधान सभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया।

श्री शर्मा राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य भी रहे।

श्री शंकर लाल शर्मा का निधन 79 वर्ष की आयु में राजस्थान के पाली में 30 मार्च, 2002 को हुआ।

हम अपने इन सहयोगियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक संतप्त परिवारों को संवदेनाएं भेजने में मेरे साथ है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे)

....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न काल होगा। हम सर्वप्रथम प्रश्न काल प्रारंभ करेंगे। मैं आपकी बात 'शून्य काल' के दौरान सुनूंगा।

....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नायडू, हम प्रश्न काल के पश्चात् 'शून्य काल' के दौरान किसी भी मुददे पर चर्चा कर सकते हैं।

....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जब तक सभा में व्यवस्था न हो तब तक मैं आपकी बात कैसे सुन सकता हूं? इस परिस्थिति में मैं कोई निर्देश कैसे दे सकता हूं? मेरा कहना है कि हम लोग सर्वप्रथम प्रश्न काल की चर्चा करें। मैं प्रश्न काल के बाद आप में से प्रत्येक की सुनूंगा। मुझे 56 स्थगन प्रस्ताव और प्रश्न काल के निलंबन हेतु चार नोटिस प्राप्त हुए हैं। मैं आपसे सिर्फ यही अनुरोध कर रहा हूं कि अब हमें प्रश्न काल की चर्चा करने दें।

....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यहां चर्चा करने से किसी को रोका नहीं जा रहा है। बात यह है कि हमें सभा में व्यवस्था बनाए रखनी होगी। सभा में व्यवस्था कायम होने दें और सिर्फ तभी हम किसी मामले पर चर्चा कर सकते हैं।

....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया व्यवस्था बनाए रखें। क्या आप मुझे बोलने देंगे?

....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे 56 स्थगन प्रस्ताव और प्रश्न काल के निलंबन हेतु चार नोटिस प्राप्त हुए हैं।

....*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है। राष्ट्रहित में हमें इस विषय पर चर्चा करनी है। मेरा दल भी यही मांग कर रहा है कि चर्चा की जानी चाहिए क्योंकि यह देशहित में है.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यहां किसी भी व्यक्ति को किसी विषय पर चर्चा करने के लिए मना नहीं कर सकता। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि हम इस विषय पर 'शून्य काल' के दौरान चर्चा करेंगे। मैं आपकी बात सुनूंगा। किसी भी विषय को जिस पर निर्णय लिया

जाना है अथवा चर्चा की जानी है सिर्फ नियमों के अधीन ही लिया जाना चाहिए। नियम आपके द्वारा बनाए जाते हैं। अतएव, हम नियमों के अधीन ही किसी विषय पर चर्चा कर सकते हैं। मैं चर्चा करने के विरुद्ध नहीं हूं।

....*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : स्थगन प्रस्ताव पर आपको अनेक नोटिस प्राप्त हुए हैं। उनके महत्व के आधार पर उनकी प्राथमिकता सुनिश्चित करना आपके विवेकाधिकार में है....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडू, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा और इस विषय पर चर्चा होगी। इस विषय पर पहले भी चर्चा हो चुकी है। परन्तु यदि इस पर पुनः चर्चा की जानी है तो यह निश्चित ही किसी नियम के अधीन की जाएगी। मैं आपको सभा में बोलने का अवसर दूंगा। पहले मुझे इस बारे में समझाइए और तब मैं इस विषय पर चर्चा शुरू करने की अनुमति दूंगा।

....*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू : पहले भी हमने सभा में प्रश्न काल निलंबित करके अनेक विषयों पर चर्चा की है। हमें गुजरात के लोगों में विश्वास पैदा करना है। गुजरात में हिंसा अभी भी जारी है।.... *(व्यवधान)* पुलिस की गोली से अनेक लोग मारे जा चुके हैं।.... *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, स्थगन प्रस्ताव को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव के नोटिस दिए हैं। यह सदन की परम्परा रही है तथा नियमों के अनुसार भी इसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं स्थगन प्रस्ताव संबंधी आपकी बात प्रश्न काल के बाद सुनूंगा।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : उपाध्यक्ष महोदय, हमने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। ....*(व्यवधान)* इस तरह मे क्वश्चन ऑवर नहीं चल सकता। ....*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हमने प्रश्न काल के निलंबन के लिए भी नोटिस दिए हैं। महोदय, कृपया आप बताएं कि हमें इस मुद्दे को उठाने से क्यों वंचित किया जा रहा है।....*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू : महोदय, कृपया प्रश्न काल को निलंबित करें तथा इस मुददे पर हमें चर्चा करने दें।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, आज गुजरात जल रहा है, कल सारा देश जलेगा। ....*(व्यवधान)* हम यहां किसलिए बैठे हैं।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, यह किसी सदस्य विशेष द्वारा दिए गए नोटिस का प्रश्न नहीं है। 56 सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव के लिए नोटिस दिए हैं। इसलिए, स्थगन प्रस्ताव को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।....*(व्यवधान)* इस परिस्थिति में आप प्रश्न काल कैसे चला सकते हैं? अब प्रश्न काल की प्राथमिकता नहीं हैं....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, हम पूछना चाहते हैं कि उनको क्यों छोड़ दिया गया? ....*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.19 बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

....*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

विदेश स्थित पर्यटन संवर्धन कार्यालयों का बंद किया जाना

301. श्री सुरेश रामराव जाधव :

श्री चिंतामन वनगा :

क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विदेशों में कार्यरत भारतीय पर्यटन संवर्धन कार्यालयों का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उनमें से कुछ कार्यालयों को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या है;

(घ) इन कार्यालयों में काम कर रहे कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान उन देशों से कितने पर्यटक भारत आये; और

(च) सरकार द्वारा और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु क्या उपाय करने का प्रस्ताव है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) वर्तमान में विदेशों में कार्यरत भारतीय पर्यटन संवर्धन कार्यालयों का स्थान–वार ब्यौरा दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण–I के रूप में संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) महानिदेशक (पर्यटन) की अध्यक्षता में विदेश स्थित भारतीय पर्यटक कार्यालयों की पुनरीक्षा और पुनर्संरचना हेतु एक समिति गठित की गई थी। समिति ने विभिन्न क्षेत्रों/देशों से भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का विश्लेषण किया। समिति ने मास्को, ब्यूनस आइरस, मैड्रिड, तेल अवीव और स्टॉक होम के कार्यालयों को बंद करने की सिफारिश की क्योंकि इन कार्यालयों के कार्यक्षेत्र में आने वाले देशों से पर्यटक आगमन पर्याप्त नहीं है। समिति ने सिफारिश की कि इन देशों में विपणन और प्रचार कार्यकलाप वैकल्पिक एजेंसियों के माध्यम से किया जा सकता है। जिससे इन कार्यालयों के बंद होने के कारण विभाग के गैर योजना व्यय में कटौती की जा सकती है। सिफारिश पर विचार–विमर्श किया गया और स्वीकार कर ली गई।

(घ) मॉस्को, ब्यूनस आयरस, तेल अवीव, मैड्रिड और स्टॉक होम कार्यालय, जिन्हें बंद किए जाने का निर्णय लिया गया है, सहित सभी कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों की श्रेणी–वार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उन देशों से भारत भ्रमण के लिए आए पर्यटकों की संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-III में दर्शाया गया है।

(च) विदेशी पर्यटकों के आगमन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित मानदण्डों में निम्नलिखित शामिल हैं :

1. राष्ट्रीय प्राथमिकता कार्यकलाप के रूप में पर्यटन विकास की अवस्थिति तथा रख–रखाव करना।
2. पर्यटन गंतव्य के रूप में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा तथा रख–रखाव करना।
3. विश्व स्तरीय अवसरंचना के सृजन और नए परिपथों के एकीकृत विकास द्वारा उत्पाद सुधार पर जोर देना।
4. ग्रामीण और कृषि (एग्रो) पर्यटन पर विशेष बल दिया जाना।
5. इंटरनेट मार्किटिंग और नेट विज्ञापन अभियान।
6. "लुक इस्ट" नीति के लिए बाजार नीति के पुनर्भिमुखीकरण के एक भाग के रूप में वर्तमान अंतराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और राजनैतिक वातावरण के मद्देनजर दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया से पर्यटकों को आकर्षित करना।
7. वायुयानों की संख्या में वृद्धि को बढ़ाना।
8. वेबसाइट www.tourismofindia.com का पुनः अभिकल्पन और पुनः सज्जित करना।
9. शिष्टाचार के मुद्दों और नागरिक प्रशासन के मुद्दों और अच्छे संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर ध्यानाकर्षण।
10. भारत पर्यटन उद्योग और इसकी समृद्ध सांस्कृतिक व आध्यात्मिक हैरिटेज के बारे में उद्योग और उपभोक्ता में सामान्य जानकारी के सृजन हेतु संभाव्य पर्यटकों और यात्रा उद्योग के विभिन्न स्तरों के स्टाफ के लिए प्रोत्साहन, सेमिनार, फिल्म शो और कार्याशाला आयोजित करना।
11. एअर इंडिया सहित भारत आने वाली विभिन्न एयरलाइनों के साथ संयुक्त गंतव्य प्रोत्साहन का ओयोजन करना।
12. यात्रा मार्टों, यात्रा शो में प्रतिभागिता और भारत को एक सुरक्षित गंतव्य के रूप में दर्शाने वाले संदेश को सुदृढ़ करना।
13. विशिष्ट मार्केट आवश्यकताओं के लिए अनुकूल विज्ञापन और प्रचार अभियानों का गठन और कार्यान्वयन करना।
14. श्रृव्य दृश्य, टेलिविजन प्रस्तुति कार्यक्रम, पोस्टर, ब्रोशर, फोल्डर, इश्तहार आदि सहित गंतव्य फिल्मों और अन्य संवर्धनात्मक सामग्री का उत्पादन, और
15. विदेश स्थित भारतीय दूतावासों का पर्यटन सवंर्धन हेतु उपयोग।

विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि भारत आने पर पर्यटक शारीरिक बलवर्द्धन, मानसिक कायाकल्प, सांस्कृतिक समृद्धि और आध्यात्मिक उत्कर्ष प्राप्त करे और भारतमय होकर अपने देश लौटे।

विवरण-I

क्रम सं.	कार्यालय का नाम	देश
1.	सिडनी	आस्ट्रेलिया
2.	सिंगापुर	सिंगापुर
3.	फ्रेंकफर्ट	जर्मनी
4.	पेरिस	फ्रांस
5.	मास्को	रसिया
6.	एम्सटरडम	दि नीदरलैण्ड
7.	मिलान	इटली
8.	मैड्रिड	स्पेन
9.	स्टॉकहोम	स्वीडन
10.	तेल अवीव	इज़रायल
11.	न्यूयार्क	अमेरिका
12.	लॉस एंजेलिस	अमेरिका
13.	ब्यूनस आयरस	अर्जेन्टीना
14.	टोरोंटो	कनाडा
15.	दुबई	संयुक्त अरब अमीरात
16.	जोहन्सबर्ग	दक्षिण अफ्रीका
17.	टोक्यो	जापान
18.	लंदन	युनाइटिड किंगडम

विवरण-II

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	वर्ग			स्थानीय
		"क"	"ख"	"ग"	
1	2	3	4	5	6
1.	ब्यूनस आयरस	1	–	–	1
2.	तेल अवीव	–	1	–	1
3.	स्टॉकहोम	–	1	–	1
4.	मैड्रिड	1	1	–	1
5.	सिडनी	1	1	1	–
6.	सिंगापुर	1	1	–	2
7.	फ्रेंकफर्ट	1	2	–	2
8.	मास्को	1	–	–	1
9.	पेरिस	1	1	1	1
10.	एम्सटरडम	1	–	1	1
11.	मिलान	–	1	–	1
12.	लंदन	1	1	1	3
13.	न्यूयार्क	1	1	1	4
14.	लॉस एंजेलिस	1	1	–	3
15.	टोरोंटो	1	–	1	–
16.	दुबई	1	1	–	3
17.	जोहन्सबर्ग	1	–	–	1
18.	टोक्यो	1	1	–	2

विवरण-III

क्र.सं. कार्यालय का नाम	देश का नाम	1998–99	1999–2000	2000–01
1. ब्यूनस आयरस	अर्जेन्टीना	5464	3094	2906
2. स्टॉकहोम	स्वीडन	22738	14717	14446
3. तेल अवीव	इज़रायल	23417	25631	28774
4. मास्को	रसिया	34620	35988	24831
5. मैड्रिड	स्पेन	23688	26050	23073

[अनुवाद]

हिमालय क्षेत्र में पर्यावरण की सुरक्षा

***302. श्री निखिल कुमार चौधरी :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विशेषज्ञों के मतानुसार हिमालय क्षेत्र में पर्यावरण की सुरक्षा के अभाव में उत्तरी भारत में सूखे और बाढ़ की गंभीर समस्या उत्पन्न होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस स्थिति को सुधारने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर.बालू) : (क) सरकार को इस संबंध में किन्हीं विशेषज्ञों की रिपोर्ट की जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना

***303. श्री सुरेश चन्देल** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न भागों में, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मंडी और सोलन जिलों में जहाँ बे-मौसम की सब्जियाँ और टमाटर की फसल होती है, शीत भंडारों की सुविधाओं तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की कमी के कारण किसानों को अपने उत्पाद की लगात भी नहीं मिल रही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने की प्रारूप नीति को अंतिम रूप दे दिया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसे कब तक अंतिम रूप दे दिए जाने की संभावना है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त) : (क) से (घ) यह सच है कि फसलोत्तर बुनियादी सुविधाओं, प्रसंस्करण सुविधाओं और बाजार-पहुंच की कमी के कारण देश के कुछ भागों में कभी-कभी फसल क्षति होती है और पर्याप्त कीमत की वसूली नहीं हो पाती। लेकिन आम तौर पर बेमौसमी सब्जियों की कीमतें अन्य की अपेक्षा बाजार में बेहतर होती हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी विभिन्न स्कीमों के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, गैर सरकारी संगठनों, सहकारिताओं और निजी क्षेत्र के संगठनों को फसलोत्तर बुनियादी सुविधाओं और प्रसंस्करण सुविधाओं के सृजन के लिए सहायता देता है। दुर्गम क्षेत्रों, जिसमें हिमाचल प्रदेश शामिल है, को यह सहायता बढ़ी दरों पर दी जाती है। इसके अलावा, बैकवर्ड लिंकेज संबंधी अपनी स्कीम के जरिए मंत्रालय किसानों और प्रसंस्करणकर्ताओं के बीच आपसी हितकारी संबंध सुनिश्चित करता है। प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर, मंत्रालय ने राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति का मसौदा तैयार किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अनुकूल वातावरण तैयार करना, बुनियादी सुविधाओं का विकास, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की स्थापना आदि शामिल है। मामले की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया गया है जो अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति के प्रारूप पर विचार करेगा। अपनाई जाने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं को देखते हुए, नीति को अंतिम रूप देने में लगने वाली निश्चित समय-सीमा का उल्लेख करना कठिन है।

[अनुवाद]

राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन एजेंसी की स्थापना

***304. श्री प्रबोध पण्डा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी प्रकार की प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से निपटने हेतु एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी (डी.एम.ए.) की स्थापना की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस एजेंसी में किन विभागों को शामिल किया जाएगा;

(घ) क्या आपदा प्रबंधन के संबंध में सभी राज्य सरकारों को व्यापक दिशानिर्देश भेज दिए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन एजेंसी की स्थापना करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (च) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अभिकरण तथा समरूप राज्य स्तरीय अभिकरणों की स्थापना का प्रस्ताव इस उद्देश्य हेतु नोडल मंत्रालय, अर्थात् गृह मंत्रालय में अभी भी विचाराधीन है।

नागर विमानन सुरक्षा प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना

***305. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :**

श्री सी. श्रीनिवासन :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार उच्च तकनीकी (हाई-टेक) नागर विमानन सुरक्षा प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है और इसकी अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार उन अन्य देशों को भी इस अकादमी से संबद्ध करने का है, जो आतंकवादी गतिविधियों से त्रस्त हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (घ) नागर विमानन सुरक्षा केन्द्र की स्थापना करने संबंधी निर्णय ले लिया गया है, इसका उद्देश्य देश के भीतर शीर्ष विमानन सुरक्षा संस्था के बतौर कार्य करना, विमानन सुरक्षा में नवीन प्रक्रिया के लिए एक थिंक टैंक (Think Tank) निर्मित करना, प्रशिक्षण आवश्यकताओं के विश्लेषण के बाद तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए भी उपयुक्त प्रशिक्षण मोडयूल्य (Modules) विकसित करना है। अभी तक परियोजना तथा अनुमानित लागत संबंधी ब्यौरों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। यह केन्द्र विमानन सुरक्षा से संबंधित भावी आवश्यकता के क्षेत्रों में अन्य देशों के साथ सहयोग करेगा।

विमानन उद्योग

***306. श्री राम प्रसाद सिंह** : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमानन उद्योग वित्तीय रूप से अव्यवहार्य हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके लिए कौन–कौन से कारक उत्तरदायी हैं; और

(ग) विमानन उद्योग को बचाने और उसमें लगे लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (ग) यद्यपि यह सत्य है कि विश्व विमानन उद्योग वर्ष 2000 के उत्तरार्द्ध से विश्वव्यापी आर्थिक तंगी के मद्देनजर जोखिम पूर्ण स्थिति से गुजर रहा है। यह स्थिति सितम्बर, 2001 को अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले और इसके बाद की घटनाओं की वजह से और अधिक गंभीर हो गई, यह कहा नहीं जा सकता कि विमानन उद्योग वित्तीय रूप से अव्यवहार्य बन गया है। इससे विमान यात्रा की मांग में कमी आई है और तदनुसार बहुत सी एयरलाइनों ने अपने आपको वित्तीय रूप से मजबूत बनाए रखने की दृष्टि से भिन्न–भिन्न मार्गों/सेक्टरों पर अपनी लगाई हवाई क्षमताओं का समायोजन कर लिया है।

अंतरराष्ट्रीय विमान यात्रा संघ (आयटा) के अनुसार अंतरराष्ट्रीय अनुसूचित यात्री यातायात में गत वर्ष की तुलना में पूरे वर्ष 2001 के अनुसार लगभग 4 प्रतिशत तक की कमी आई। पहली बार, वर्ष 1991 से वर्ष–दर–वर्ष यात्री यातायात में कमी आई। भारत के मामले में भी, कुल यात्री यातायात में वर्ष 2000–2001 की तुलना में वर्ष 2001–2002 के दौरान 5.1 प्रतिशत तक कमी आई। तथापि, अमेरिकी और यूरोपीय कैरियरों की तुलना में भारतीय कैरियरों पर इस कमी से वित्तीय स्थिति पर इतना खराब प्रभाव नहीं पड़ा। वस्तुत:, कुछेक एयरलाइनें, जिनमें बैल्जियम की सबिना एयरलाइन, स्कैंडिनैवियन देशों की एस ए एस, स्विट्जरलैंड की स्विसएयर, कनाडा 3000 शामिल हैं, बंद हो गई है, जबकि भारत में ऐसा कोई मामला नहीं है और एअर–इंडिया द्वारा 6 वर्ष के अंतराल के बाद वर्ष 2001–2002 में मार्जिनल लाभ अर्जित किए जाने की संभावना है।

भारत सहित अधिकांश देशों ने *वार रिस्क* को कवर करने के संबंध में अपनी–अपनी एयरलाइनों को अस्थायी गारंटी प्रदान की है। विमानन सुरक्षा को भी सुदृढ़ कर दिया गया है ताकि यात्रियों के विश्वास में बहाली हो सके। भारत सरकार ने चरणबद्ध ढंग से विभिन्न हवाई अड्डों पर हवाई अड्डे की सुरक्षा के लिए एयरलाइनों में स्काई मार्शलों की तैनाती, सैकेंडरी लैडरप्वाइंट चैकिंग तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तैनाती, की शुरूआत कर दी है ताकि विमानन सुरक्षा और सुदृढ़ हो सके। एयरलाइनों ने भी अपने–अपने कारोबार में सुधार लाने की दृष्टि से विभिन्न–लागत कटौती संबंधी उपाय शुरू कर दिए हैं।

चल रही सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा

***307. श्री अनंत गुढे** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में राज्यों में चल रही सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्धारित लक्ष्यों और प्राप्त लक्ष्यों के संबंध में वर्ष–वार और परियोजना–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं में समय और लागत में परियोजना–वार कितनी वृद्धि हुई; और

(घ) इन परियोजनाओं में लागत वृद्धि को रोकने और समय पर उन्हें पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) से (घ) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और जल

निकास परियोजनाओं की आयोजना, वित्तपोषण, कार्यान्वयन, प्रचालन और रखरखाव राज्य सरकारों द्वारा उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। केन्द्र सरकार आबंटित संसाधनों के अत्यधिक बिखराव से बचने के लिए राज्य सरकारों से नई परियोजनाओं को शुरू करने से पहले निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा करने की आवश्यकता पर जोर देती रही है। राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन विकास योजना आयोग ने भी सितम्बर, 1999 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में दिए गए दिशानिर्देशों के आधार पर राज्य सरकारों द्वारा सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकता निर्धारित करने संबंधी जोरदार वकालत की है और यह सिफारिश की है कि ऐसी प्राथमिकता के आधार पर किसी परियोजना के लिए योजना निधियाँ जारी की जानी चाहिए। केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री ने राज्य की लंबित परियोजनाओं की ओर ध्यान दिलाते हुए तथा उन्हें शीघ्र पूरा करने के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को 18 जनवरी, 2000 को एक पत्र लिखा था। सचिव (जल संसाधन) ने भी पांचवी योजना से पूर्व शुरू की गई परियोजनाओं को पूरा करने के संबंध में राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को 4 मई, 2001 को पत्र लिखा था। योजना आयोग द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए गठित वृहद और मध्यम सिंचाई कार्यक्रम संबंधी कार्यकारी दल ने भी हाल ही में पांचवीं योजना से पहले शुरू की गई परियोजनाओं पर विशेष जोर देते हुए निर्माणाधीन परियोजनाओं को प्राथमिकता देने की वकालत की है।

कार्यकारी दल द्वारा की गई समीक्षा के अनुसार 171 वृहद सिंचाई परियोजनाओं को नौवीं योजना में लाया गया जिसमें से 25 परियोजनाओं के नौवीं योजना के दौरान पूरा होने की संभावना है। इन 171 परियोजनाओं को शुरू करने से संबंधित योजना, उनकी मूल लगात और नवीनतम अनुमानित लागत को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

नौवीं योजना के अंतर्गत लाई गई परियोजनाओं की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए केन्द्र सरकार ने ऐसी निर्माणाधीन सिंचाई/बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं जिनके निर्माण में पर्याप्त प्रगति हो चुकी है तथा जो राज्य सरकारों की संसाधन क्षमता से बाहर हैं तथा अन्य वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाएं जो निर्माण के अंतिम चरण में हैं तथा जिनसे अगले चार कृषि मौसमों में सिंचाई का लाभ प्राप्त किया जा सकता है, के त्वरित क्रियान्वयन के लिए वर्ष 1996–97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए आई बी पी) प्रारंभ किया गया है। वर्ष 1999–2000 के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष श्रेणी के राज्यों की नई और चल रही लघु सिंचाई स्कीमों को भी शामिल किया गया था। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत पांचवीं योजना से पहले की 16 परियोजनाओं को शामिल किया गया है। मार्च, 2002 तक 149 वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं तथा लगभग 2450 लघु सिंचाई स्कीमों के लिए 8480 करोड़ रूपये जारी किए गए हैं। राज्य सरकारों द्वारा सूचित किया गया है। कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत 20 वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है। फास्ट ट्रैक कार्यक्रम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में ऐसी 13 स्कीमों का पता लगाया गया है जिन्हें एक वर्ष (दो कार्यकारी मौसमों में) के अंदर पूरा कर दिया जायेगा तथा प्रथम किस्त के रूप में 473 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

केन्द्रीय जल आयोग परियोजनाओं के पूरा होने में आने वाली कठिनाईयों का पता लगाने तथा उनसे राज्य सरकार को अवगत कराने के लिए 111 वृहद परियोजनाओं की गहन मानीटरी कर रहा है। केन्द्र सरकार भी परियोजनाओं के इन उपलब्ध संसाधनों में वृद्धि करने के लिए विश्व बैंक, जापानीज बैंक फार इण्टरनेशनल कोआपरेशन (जे बी आई सी), यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ई ई सी) आदि जैसे विदेशी स्त्रोतों से वित्त व्यवस्था जुटाने में राज्यों को सहायता मुहैया कराता है।

विवरण

(लागत करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	किस योजना में शुरू हुई	मूल लागत	नवीनतम अनुमानित लगात
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश				
1.	नागार्जुनसागर	II	91.12	1025.00
2.	श्री रामसागर चरण–I (पोचम्पाद)	III	40.10	2425.00
3.	वम्सधारा चरण–I	IV	8.78	109.00

1	2	3	4	5
4.	पुलिवेन्दुला शाखा नहर	IV	2.98	110.14
5.	सोमसिला	V	17.28	467.00
6.	सिंगुर	V	29.76	180.00
7.	येलेरू जलाशय	VI	107.35	335.34
8.	श्रीसैलम दायां तट नहर	VI	220.22	1600.00
9.	श्रीसैलम बायां तट नहर	VI	अननुमोदित	1260.00
10.	तेलुगुगंगा	VI	अननुमोदित	2347.00
11.	जुराला (प्रियदर्शिनी)	VI	अननुमोदित	545.82
12.	वम्सधारा चरण–II (नेराडी बराज)	VI	अननुमोदित	749.83
	कुल			11154.13
असम				
13.	धनसिरी	V	15.83	224.80
14.	बोरदिकराई	V	3.56	48.03
15.	एकीकृत कल्लोंग	V	4.57	80.55
16.	चम्पामती	VI	15.32	80.00
	कुल			433.38
बिहार				
17.	पश्चिमी कोसी नहर	III	13.49	900.00
18.	बागमती जलाशय	V	5.78	154.73
19.	दुर्गावती जलाशय	V	13.88	177.76
20.	बरनार जलाशय	V	8.03	230.43
21.	बटेस्वरस्थान पम्प फेज–I	V	91.31	249.54
	बाणसागर	V	अननुमोदित	118.09
	(केवल यूनिट-I अनुमोदित)			
22.	ऊपरी कियुल जलाशय	V	80.7	109.93
23.	गंडक फेज–II	VII		578.27
24.	पूर्वी कोसी नहर फेज–II	VII	अननुमोदित	156.32
	कुल			2675.07

1	2	3	4	5
झारखंड				
25.	सिक्तियापर अजय बराज	V	115.74	206.89
26.	सुबर्णरेखा	V	अननुमोदित	1502.22
27.	औरंगा जलाशय	VII	125.40	699.36
28.	कोनार डाइवर्जन	V	अननुमोदित	373.00
29.	तिलैया डाइवर्जन	V	अननुमोदित	301.79
30.	उत्तर कोयल जलाशय	V	अननुमोदित	814.72
31.	पुनासी जलाशय	VII	अननुमोदित	185.82
	कुल			4083.80
गोवा				
32.	सलौली	IV	9.61	153.00
	तिल्लारी	V	141.22	525.59
	कुल			678.59
गुजरात				
33.	दमनगंगा	IV	24.40	272.78
34.	पानम	IV	10.66	106.79
35.	साबरमती	IV	17.59	123.57
	माही बजाजसागर (गुजरात हिस्सा लागत)	IV		
36.	करजन	V	37.20	280.98
37.	सुखी	V	23.11	121.36
38.	सिपु	1978-80 वा. यो.	18.80	102.44
39.	वतरक	1978-80 वा. यो.	43.71	63.77
40.	सरदार सरोवर (नर्मदा)	VI	6406.04	10156.27
41.	जंखारी	VI	18.70	90.00
	कुल			11317.96

1	2	3	4	5
हरियाणा				
42.	गुड़गांव नहर	III	2.88	65.00
43.	जवाहरलाल नेहरू लिफ्ट	V	40.00	245.75
44.	सतलज–यमुना संपर्क नहर	V	59.70	601.00
45.	लोहारू (द.)	IV	4.13	81.46
46.	रेवाड़ी चरण–II	III	अननुमोदित	. 39.60
	कुल			1032.81
हिमाचल प्रदेश				
47.	शाहनहर	VIII	143.32	143.32
	कुल			143.32
जम्मू व कश्मीर				
48.	रावी तावी सिंचाई नहर	V	29.84	151.18
	कुल			151.18
कर्नाटक				
49.	भद्रा	I	31.93	155.23
50.	तुंगभद्रा बांध एवं बायां तट नहर	I	33.41	319.09
51.	तुंगभद्रा उच्च स्तर नहर	II	2.57	79.48
52.	काबिनी	II		480.00
53.	मलप्रभा	III	19.91	703.71
54.	हरंगी	III	अननुमोदित	373.00
55.	हेमावती	1968-69 वा.यो.	अननुमोदित	2100.00
56.	ऊपरी कृष्णा चरण–I	IV	58.20	5435.90
57.	करंजा	V	98.00	340.00
58.	बेनीथोर	V	73.25	153.00
59.	हिप्पारगी बराज	V	418.77	524.21
	दूधगंगा	VI	अननुमोदित	110.00
60.	ऊपरी तुंगा	VIII	अननुमोदित	877.75

1	2	3	4	5
61.	वराही	VII	अननुमोदित	122.50
62.	यगाची	VIII	अननुमोदित	239.70
	कुल			12013.57
केरल				
63.	कन्हीरापुझा	III	3.65	100.00
64.	पझासी	III	4.42	137.00
65.	कल्लडा	III	13.28	698.00
66.	मुक्तुपुझा	V	48.08	455.00
67.	इदमलयार	VI	17.85	107.00
68.	चलियार (बेपोरपुझा)	VIII	अननुमोदित	645.00
69.	कुरियारकुट्टी (करापारा)	VIII	अननुमोदित	140.00
	कुल			2282.00
मध्य प्रदेश				
70.	कोलार	IV	139.14	195.00
71.	सिन्ध फेज–I	IV	4.95	58.43
	राजघाट	V		
	यूनिट–I	V	61.61	133.50
	यूनिट–II	V	309.21	523.41
72.	बाणसागर			
	यूनिट–I	V	91.31	936.00
	यूनिट–II	V	344.66	345.00
73.	बारगी (रानी अवंती बाई सागर)	V		
	यूनिट–I	V	566.34	759.00
	यूनिट–II	V		
74.	ऊपरी वेनगंगा	V	50.80	249.72
75.	बरियारपुर बायां तट नहर	V	18.40	204.73
76.	उर्मिल	V	6.41	22.01

1	2	3	4	5
77.	थनवर	78-80 वा.यो.	24.38	27.22
78.	माही	VI	61.52	192.85
	बावनथाडी यूनिट–I	VI	74.06	95.28
	यूनिट–II	VI	52.75	52.75
79.	मान	VI	44.10	96.13
80.	जोबत	VI	30.75	67.23
81.	इंदिरा सागर	VI	752.16	1574.00
82.	बारना	II	6.66	34.36
83.	भंडार नहर	II	2.04	27.79
84.	सिन्ध फेज–II	VI	510.94	607.67
85.	ओमकारेश्वर	VIII	350.00	755.00
86.	बारगी डाइवर्जन	VIII	1101.23	1554.50
87.	पेंज डाइवर्जन	VIII	91.60	184.04
88.	महान	VI	39.00	155.10
	कुल			8850.42
छत्तीसगढ़				
89.	महानदी जलाशय	IV	15.34	1223.45
90.	पैरी	IV	4.97	33.54
91.	जोंक (डाइवर्जन)	IV	4.13	48.99
92.	कोदार	V	2.94	48.83
93.	हसदेव बांगो	78-80 वा.यो.	115.30	858.31
	कुल			2213.12
महाराष्ट्र				
94.	खडकवासला	II	11.62	353.91
95.	कृष्णा	III	27.66	375.00
96.	भीमा	III	42.58	918.56
97.	कुकादी	1966-69 वा.यो.	17.90	1044.93

1	2	3	4	5
98.	ऊपरी गोदावरी	1966-69 वा.यो.	14.20	133.23
99.	वारना	IV	31.08	992.82
100.	ऊपरी तापी	IV	12.09	172.12
101	ऊपरी पेनगंगा	V	84.48	1050.00
102.	ऊपरी वर्धा	V	39.88	661.86
103.	दूधगंगा	V	204.68	757.28
104.	वाधुर	V	12.28	189.32
105.	ऊपरी प्रवरा	V	15.87	287.14
106.	चसकमन	V	22.48	329.27
107.	नन्दुर	V	अननुमोदित	284.26
	मधमेश्वर (ए)			
	मधमेश्वर (एन)		72.66	294.11
108.	भातसा	V	164.11	322.49
109.	जायकवाडी चरण–I	V	127.36	769.87
	चरण–II	V		
110.	सूर्य	1978-80 वा.यो.	19.35	175.14
111.	बावनथाडी	1978-80 वा.यो.	34.77	124.17
112.	इस्थापुरी (विष्णुपुरी)	1978-80 वा.यो.	78.93	196.60
113.	तिल्लारी	1978-80 वा.यो.	76.00	424.06
114.	लेन्दी	VI	अननुमोदित	204.50
115.	निचली थिरना प्रवाह	VI	37.65	129.67
	निचली थिरला लिफ्ट	VI	अननुमोदित	53.71
116.	घोसी खुर्द	VI	461.19	2091.00
	(स्वरगांव)			
117.	निचली वरधा	VI	39.88	540.14
118.	निचली वुन्ना	VI	87.55	261.33
119.	वान	VI	46.85	158.35

1	2	3	4	5
120.	अरूणावती	VI	66.48	148.71
121.	तुलतुली	VI	अननुमोदित	169.40
122.	कडवा	VI	27.00	48.96
123.	तालाम्बा	VI	289.09	286.24
124.	पुनाड	VI	29.92	115.62
125.	हुमान	VI	अननुमोदित	370.04
126.	नीरा देवघर	VIII	अननुमोदित	510.84
127.	बेम्बला	VIII	अननुमोदित	307.82
128.	भामा असखेडा	VIII	अननुमोदित	233.28
129.	उरमोदी	VI	18.85	361.19
130.	गुंजावानी	VIII	अननुमोदित	130.69
131.	जनाई शीरसाई एल आई एस	VIII	अननुमोदित	124.65
132.	खड़क/पुरना	VIII	अननुमोदित	177.65
133.	कृष्णा कोयना एल आई एस	VI	259.10	1083.00
134.	निचली दुधना	VIII	53.21	347.83
135.	निचली पेनगंगा	VIII	अननुमोदित	207.14
136.	सिना कोलेगांव	VIII	अननुमोदित	170.00
137.	सिना माधा एल आई एस	VIII	अननुमोदित	73.00
	कुल			1816.90
मणिपुर				
138.	थोबल	1978.80 वो.यो.	47.25	390.00
139.	खुगा	VI	15.00	150.29
	कुल			540.29
मेघालय		शून्य		
मिजोरम		शून्य		
नागालैंड		शून्य		

1	2	3	4	5
उड़ीसा				
140.	पोट्टेरू	IV	14.81	169.61
141.	रेंगोली			
	(क) बांध	IV	57.93	40.77
	(ख) सिंचाई	V	233.64	2148.50
142.	ऊपरी कोलाब			
	(क) बांध	V	7.58	48.81
	(ख) सिंचाई	V	16.47	270.00
143.	ऊपरी इन्द्रावती			
	(क) बांध	1978-80 वा.यो.	34.92	176.16
	(ख) सिंचाई	1978-80 वा.यो.	42.74	480.96
	सुबर्णरेखा	VII	1013.62	1270.50
144.	कानुपूर	VIII	268.65	330.89
	सिंचाई			
145.	महानदी	VII	39.93	131.00
	चित्रोत्पाला			
	कुल			5067.20
पंजाब				
	सतलज यमुना			
	संपर्क नहर			
	(क) संवाहक नहर	VI	176.00	601.25
	(ख) पंजाब क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान	VI	अननुमोदित	58.12
	कुल			659.37
राजस्थान				
146.	जखम	III	2.33	104.00
	गुडगांव नहर		2.88	35.40
147.	माही बजाज सागर	IV	31.36	799.04
148.	सोम कमला अम्बा	V	4.48	207.48

1	2	3	4	5
149.	इंदिरा गांधी नहर चरण–II	V	89.12	2267.44
	नर्मदा (सरदार सरोवर)	VI	467.53	1462.00
150.	बिसालपुर	VII	173.03	325.00
151.	सिधमुख नहर	1990-92 वा.यो.	143.59	309.00
	कुल			5809.36
सिक्किम		शून्य		
तमिलनाडु		शून्य		
त्रिपुरा		शून्य		
उत्तर प्रदेश				
152.	सारदा सहायक	III	64.84	1250.00
153.	लखवर व्यासी			
	(क) बांध (उत्तर प्रदेश हिस्सा)	V	140.97	578.40
	(ख) जल उपयोगिता	V	अननुमोदित	36.25
154.	मध्य गंगा नहर चरण–I	V	66.01	543.96
155.	सरजू नहर (घाघरा नहर बायां तट)	V	78.66	2610.00
156.	पूर्वी गंगा नहर	V	48.46	579.00
157.	राजघाट			
	(क) बांध	V	123.22	133.08
	(ख) नहर	V	126.43	179.24
158.	सोन पंप नहर	V	5.64	72.55

1	2	3	4	5
159.	कन्हर सिंचाई	V	अननुमोदित	240.00
160.	बेवर फीडर	V	27.91	59.90
161.	मौदाहा बांध	V	66.82	125.16
	बाणसागर			
	(क) बांध	V	91.31	234.00
	(ख) उत्तर प्रदेश में		169.52	268.00
	परिवहन प्रणाली			
	(ग) मध्य प्रदेश में		27.92	27.92
	परिवहन प्रणाली			
162.	चित्तौड़गढ़	V	34.06	36.70
	जलाशय			
163.	ज्ञानपुर पंप	V	110.51	159.88
	नहर			
164.	चम्बल लिफ्ट	VII	अननुमोदित	79.24
165.	हिण्डन कृषि	VII	15.33	39.24
	दोआब में			
	पेड्डी चैनल			
	प्रदान करना			
166.	टेहरी			
	(क) बांध	VII	197.92	711.14
	(सिंचाई हिस्सा)			
	(ख) जल		अननुमोदित	50.00
	उपयोगिता			
167.	जरौली पंप	90-91 वा.यो.	47.92	48.22
	नहर			
	कुल			8255.88

1	2	3	4	5
उत्तरांचल				
168.	जमरानी बांध	V	61.25	433.00
	कुल			433.00
पश्चिम बंगाल				
169.	दामोदर घाटी निगम की बराज एवं सिंचाई प्रणाली	I	अननुमोदित	60.00
170.	कंग्साबती	II	25.26	250.00
171.	तीस्ता बराज	V	69.72	1177.00
	सुबर्णरेखा	VIII	228.82	595.00
	कुल			2082.00
	कुल योग			97737.35

[हिन्दी]

वन ग्रामों का राजस्व ग्रामों में परिवर्तित किया जाना

*309. **श्री विजय कुमार खंडेलवाल** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) पिछले दस वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार को वन गांवों को राजस्व गांवो में बदलने के प्रस्ताव केवल उड़ीसा और अविभाजित मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया हैं।

(ग) उड़ीसा सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को केन्द्र सरकार द्वारा मांगी गई आवश्यक सूचना प्रस्तुत करने में उडीसा सरकार की असमर्थता के कारण अस्वीकृत कर दिया गया।

भारत सरकार ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रस्तावों के गहन विश्लेषणों के लिए एक अलग समिति गठित की है।

विवरण

सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	जिला	क्षेत्र (हैक्टेयर)
1.	उड़ीसा	सम्बलपुर	34.93
2.	उड़ीसा	सम्बलपुर	47.12
3.	उड़ीसा	सम्बलपुर	94.09
4.	मध्य प्रदेश	सरगूजा	755.79
5.	मध्य प्रदेश	गुना	477.59
6.	मध्य प्रदेश	छिंदवाडा	6092.7
7.	मध्य प्रदेश	रायगढ़	2593.5
8.	मध्य प्रदेश	बिलासपुर	2592.0
9.	मध्य प्रदेश	बालाघाट	5705.3
10.	मध्य प्रदेश	राजनंदगाँव	1198.7
11.	मध्य प्रदेश	दुर्ग	1349.6
12.	मध्य प्रदेश	मंदसौर	151.82

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

*309. **श्री राम टहल चौधरी :**

प्रो. दुर्गा भगत :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की है क्योंकि इस योजना से किसानों को लाभ के बजाय हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किन कमियों का पता लगा है;

(ग) क्या इन कमियों में से एक कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच व्याप्त भ्रष्टाचार है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त योजना में सुधार करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इन कमियों को दूर करते हुए किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) स्कीम की समीक्षा की जा रही है। स्कीम से लगभग 39 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं जिन्हें अब तक लगभग 1207 करोड़ रु. की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है। अतएव, स्कीम किसानों के लिए लाभकारी है।

(ख) कुछ राज्यों/सं.शा. प्रदेशों ने केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय देयताओं की भागीदारी, संग्रह निधि के रखरखाव, ग्राम पंचायत स्तर पर बीमा के यूनिट क्षेत्र में कमी करने के कारण अधिक संख्या में फसल कटाई प्रयोग (सी.सी.ई.) करने, बीमित राशि की अधिकतम सीमा की अनुपस्थिति, छोटे और सीमांत किसानों को दी जाने वाली प्रीमियम राजसहायता को चरणबद्ध करने, बारहमासी बागवानी फसलों इत्यादि को कवर न किए जाने आदि के संबंध में आपत्ति जाहिर की है।

(ग) जी, नहीं। राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (रा. कृ. बी. यो.) एक बहु-अभिकरण स्कीम है जिसमें क्रियान्वयन एजेंसी के अलावा वित्तीय संस्थान/बैंक तथा राज्य/सं.शा. सरकारों के विभिन्न विभाग सम्मिलित हैं। कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार की किसी घटना की कोई सूचना अभी तक किसी भी राज्य सरकार/सं. शा. क्षेत्र द्वारा नहीं दी गई है।

(घ) और (ङ) स्कीम की समीक्षा की जा रही है।

(च) राज्यों/कृषक समुदायों से प्राप्त सुझावों एवं प्रति पुष्टि (फीडबैक) के आधार पर रा.कृ.बी.यो. की समीक्षा की जा रही हैं ताकि वर्तमान स्कीम की कमियों को दूर किया जा सके।

[अनुवाद]

कोयले पर रायल्टी में संशोधन

*310. **श्री के. ई; कृष्णमूर्ति :**

डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी :

क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कोयले की रायल्टी में संशोधन करने के लिए नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) रायल्टी की नवीन दरों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(घ) कोयला वाले प्रत्येक राज्य की रायल्टी की बकाया धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) रायल्टी की राज्य-वार संशोधित दर क्या है; और

(च) बकाया राशि के भुगतान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी हां।

(ख), (ग) और (ङ) रायल्टी दरों के प्रस्तावित संशोधन के संबंध में सम्बद्ध मंत्रालयों/विभागों से परामर्श किया गया है। सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने के बाद रायल्टी की नई दरों को लागू किया जाएगा।

(घ) रायल्टी की बकाया राशि का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

राज्य	कंपनी	31.1.2002 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि करोड़ रुपए में
1	2	3
पश्चिम बंगाल	ई.सी.एल	शून्य
	बी. सी. सी. एल	शून्य
झारखंड	ई. सी. एल.	– 0.09
	बी. सी. सी. एल.	+ 54.34

1	2	3
उड़ीसा	एम.सी.एल	शून्य
महाराष्ट्र	डब्ल्यू. सी. एल.	+ 0.29
मध्य प्रदेश	डब्ल्यू. सी. एल.	– 0.42
	एस. ई. सी. एल.	शून्य
	एम. सी. एल.	शून्य
छत्तीसगढ़	एस. ई. सी. एल.	शून्य
उत्तर प्रदेश	एन. सी. एल	शून्य
असम	एन. ई. सी.	+ 1.20
आंध्र प्रदेश	एस. सी. सी. एल.	शून्य

(घ) 31.1.2002 की स्थिति के अनुसार बी. सी. सी. एल. की ओर 54.34 करोड़ रुपए की बकाया राशि का भुगतान झारखंड सरकार को वित्तीय वर्ष 2001–02 के समाप्त होने से पहले ही कर दिया गया था।

[हिन्दी]

जल संकट

*311. **श्री सुन्दर लाल तिवारी :**

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9.3.2002 के "राष्ट्रीय सहारा" में भविष्य में होने वाले जल संकट से संबंधित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने जल संकट पर काबू पाने के लिए कोई योजनाएं तैयार की हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना को कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) से (ग) जी, हां। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किए गए नवीनतम आकलन के अनुसार देश की नदी–प्रणालियों में औसत वार्षिक जल उपलब्धता 1869 बिलियन घन मीटर (बी. सी. एम.) आंकी गई है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति वार्षिक जल उपलब्धता 1820 घन मीटर है। तथापि, देश में वर्षा की स्थानिक भिन्नता तथा जनसंख्या घनत्व में विभिन्नता के कारण वर्तमान में विभिन्न बेसिनों में प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक जल उपलब्धता में बहुत असमानता पाई जाती है। जहां बंग्लादेश और म्यांमार में जाने वाले लघु नदी बेसिनों में 16,990 घन मीटर, ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिन में 13,636 घन मीटर जल उपलब्ध है वहीं साबरमती बेसिन में 298 घन मीटर तक जल उपलब्धता पाई जाती है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली असमान वर्षा से भी अस्थायी रूप से जल की कमी होती है।

जल के विभिन्न उपयोगों और उनके कुशल उपयोग के लिए जल की उपलब्धता बढ़ाने की दृष्टि से, स्कीमों की आयोजना, अन्वेषण, निष्पादन, कार्यान्वयन और वित्त पोषण राज्य सरकारों द्वारा उनके संसाधनों और उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। इन स्कीमों के पूरा होने का समय राज्य सरकारों द्वारा ऐसी स्कीमों को दी गई प्राथमिकता तथा इन स्कीमों के लिए उपलब्ध कराये गये संसाधनों पर निर्भर करता है। प्राकृतिक संसाधनों से जल का उपयोग करने तथा निर्माणाधीन स्कीमों को शीघ्र पूरा करके सिंचाई क्षमता का तेजी से सृजन करने में राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1996–97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए आई बी पी) शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने में राज्य सरकारों की सहायता के लिए उन्हें केन्द्रीय ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है ताकि उनसे शीघ्र लाभ प्राप्त हो सके। तदनुसार, वर्ष 2001–2002 के अंत तक ए. आई. बी. पी. के तहत राज्य सरकारों को लगभाग 8480 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता प्रदान की गई है। वर्ष 2002–2003 के लिए 2800 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रदान किया गया है। मार्च, 2002 के अंत तक ए. आई. बी. पी के तहत लगभग एक मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की गई है। सृजित क्षमता और उपयोग की गई क्षमता के बीच के अंतर को दूर करने के लिए राज्य सरकारों को कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत भी सहायता दी जा रही है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत 764.15 करोड़ रुपये व्यय किए गए और वर्ष 2002–2003 के लिए 202 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रदान किया गया। भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के त्वरित ग्राम जल आपूर्ति कार्यक्रम की क्षेत्र सुधार परियोजना के अंतर्गत जल विभाजक प्रबंधन कार्यक्रम, भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण और छत के वर्षा जल के संचयन के माध्यम से वर्षा जल संचयन को भी बढ़ावा दे रही है। इसके लिए राज्य सरकारों और अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों को तकनीकी और वित्तीय सहायता दी जाती है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने भी भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए

प्रायोगिक अध्ययन किए हैं। दीर्घकालीन उपाय के रूप में जल की भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने जल संसाधनों के विकास की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की है जिसमें जल को अधिशेष जल वाले बेसिनों से जल कमी वाले बेसिनों में स्थानान्तरित करने के लिए विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियों और हिमालयी नदियों को परस्पर जोड़ने की योजना है।

[अनुवाद]

एशियाई जल उद्योग सम्मेलन

***312. श्री नरेश पुगलिया :**

श्री सुबोध मोहिते :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली में हाल में चतुर्थ एशियाई जल अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एशियाई जल उद्योग की प्रदर्शनी आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है और उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) देश में जल संकट पर काबू पाने के लिए यदि कोई योजना तैयार की गयी है, तो उसका ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) से (ग) एशिया जल उद्योग संबंधी चौथा जल एशिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी 30 जनवरी से 1 फरवरी, 2002 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित की गई। यह सम्मेलन एवं प्रदर्शनी इन्टरएड लिमिटेड सम्मेलन और प्रदर्शनी, नई दिल्ली (निजी क्षेत्र का अभिकरण) द्वारा आयोजित की गई और यूनाइटेड स्टेटस एशिया एंड पैसेफिक सेंटर फार ट्रांसफर ऑफ टैक्नालोजी (एपीसीटीटी) सेंटर, यूनाइटेड स्टेट्स–एशिया इनवाइरेन्मेंट पार्टनरशिप, जल संसाधन मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारतीय पर्यावरणीय संघ, भारतीय जल कार्य संघ, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री (एसोचैम) आदि द्वारा सह–प्रायोजित की गई। जल संसाधन मंत्रालय ने वित्तीय सहायता के बिना इसे सह–प्रायोजित किया। इस सम्मेलन के दौरान 45 वक्ताओं ने तकनीकी वक्तव्य दिए और लगभग 3500 व्यवसायियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में अन्य बातों के साथ–साथ जल संसाधन प्रबंधन, औद्योगिक जल, गंदे जल का संसाधन तथा नियामक पहलुओं को शामिल किया गया। इस सम्मेलन के आयोजकों ने कोई सिफारिशें नहीं की हैं।

जल के विभिन्न उपयोगों और उनके कुशल उपयोग के लिए जल की उपलब्धता बढ़ाने की दृष्टि से, स्कीमों की आयोजना, अन्वेषण, निष्पादन, कार्यान्वयन और वित्त पोषण राज्य सरकारों द्वारा उनके संसाधनों और उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। इन स्कीमों के पूरा होने का समय राज्य सरकारों द्वारा ऐसी स्कीमों को दी गई प्राथमिकता तथा इन स्कीमों के लिए उपलब्ध कराये गये संसाधनों पर निर्भर करता है। प्राकृतिक संसाधनों से जल का उपयोग करने तथा निर्माणाधीन स्कीमों को शीघ्र पूरा करके सिंचाई क्षमता का तेजी से सृजन करने में राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1996–97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए आई बी पी) शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने में राज्य सरकारों की सहायता के लिए उन्हें केन्द्रीय ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है ताकि उनसे शीघ्र लाभ प्राप्त हो सके। तदनुसार, वर्ष 2001–2002 के अंत तक ए. आई. बी. पी. के तहत राज्य सरकारों को लगभग 8480 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता प्रदान की गई है। वर्ष 2002–2003 के लिए 2800 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रदान किया गया है। मार्च, 2002 के अंत तक ए. आई. बी. पी के तहत लगभग एक मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की गई है। सृजित क्षमता और उपयोग की गई क्षमता के बीच के अंतर को दूर करने के लिए राज्य सरकारों को कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत भी सहायता दी जा रही है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत 764.15 करोड़ रूपये व्यय किए गए और वर्ष 2002–2003 के लिए 202 करोड़ रूपये का परिव्यय प्रदान किया गया। भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के त्वरित ग्राम जल आपूर्ति कार्यक्रम की क्षेत्र सुधार परियोजना के अंतर्गत जल विभाजक प्रबंधन कार्यक्रम, भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण और छत के वर्षा जल के संचयन के माध्यम से वर्षा जल संचयन को भी बढ़ावा दे रही है। इसके लिए राज्य सरकारों और अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों को तकनीकी और वित्तीय सहायता दी जाती है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने भी भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए प्रायोगिक अध्ययन किए हैं। दीर्घकालीन उपाय के रूप में जल की भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने जल संसाधनों के विकास की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की है जिसमें जल को अधिशेष जल वाले बेसिनों से जल कमी वाले बेसिनों में स्थानान्तरित करने के लिए विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियों और हिमालयी नदियों को परस्पर जोड़ने की योजना है।

[हिन्दी]

दलालों द्वारा पर्यटकों का उत्पीड़न

*313. **श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह :**

श्री रामजीवन सिंह :

क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दलालों द्वारा विदेशी पर्यटकों को बहकाकर ऐसे होटलों में ले जाने की जानकारी है, जहां न केवल उन्हें लूटा और परेशान किया जाता है बल्कि होटल में उनका ठहरना सुनिश्चित करने और उनके आवागमन पर पाबंदी लगाने के लिए होटल प्रबंधन द्वारा उनके पासपोर्ट भी अपने पास जमा कर लिए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशी पर्यटकों के लिए पर्यटक पुलिस बनाने की परिकल्पना की गई थी; और

(ग) सरकार ने ऐसे तत्वों के हाथों विदेशी पर्यटकों का शोषण रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी हां। पर्यटकों को हो रही कठिनाइयों से संबंधित कुछ शिकायतें पर्यटन विभाग में प्राप्त हुई हैं।

(ख) और (ग) जी हां। पर्यटन विभाग ने सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को इस आशय का पत्र लिखा है कि विदेशी पर्यटकों को शोषण से बचाने के लिए कदम उठाएं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न अवसरों पर भी राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ, अन्य बातों के साथ–साथ, उपयुक्त विधान बनाने तथा विशेष पुलिस बल लगाने के मुद्दे पर भी विचार–विमर्श हुआ है ताकि पर्यटकों को सहायता तथा सुरक्षा उपलब्ध करायी जा सके। कुछ राज्यों ने यथा–गोवा, केरल, जम्मू और कश्मीर, हिमालय प्रदेश, महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश ने पर्यटक पुलिस बल गठित कर लिया है। विशेष पर्यटक पुलिस बल गठित करने का तात्पर्य शिष्टता तथा आतिथ्य की भावना से सेवा सुलभ कराना है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपने–अपने राज्यों मे विदेशी पर्यटकों के शोषण तथा पर्यटकों से जुड़े अन्य दुर्व्यवहारों को रोकने के लिए उचित विधान लागू करें तथा विशेष पर्यटक पुलिस बल लगाकर पर्यटकों में सुरक्षा एवं संरक्षा की भावना जागृत करें। पर्यटन विभाग में पर्यटकों से शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक शिकायत प्रकोष्ठ गठित किया गया है तथा शिकायतों के निदान के कार्य का नियमित प्रबोधन भी किया जा रहा है।

कोयला खानें

*314. **श्री रामजीलाल सुमन :**

डा. सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **कोयला और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खुली और भूमिगत खानों से कोयला निकाला जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक प्रकार की खानों से कुल कितनी मात्रा में कोयला निकाला गया;

(ग) देश में उक्त दोनों प्रकार की खानों में प्रत्येक की उत्पादकता दर और उत्पादन की औसत लागत क्या है;

(घ) मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार दोनों प्रकार की चालू खानों और बंद पड़ी खानों में से प्रत्येक में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश की बंद पड़ी खानों में खनन कार्य शुरू करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) देश में ओपनकास्ट (ओ.सी) तथा भूमिगत (यू.जी.) खानों से पिछले तीन वर्षों के दौरान निकाले गए कोयले की कुल प्रमात्रा निम्नानुसार है:–

(आंकड़े मिलियन टन में)

वर्ष	उत्पादन		
	ओ. सी	यू.जी.	जोड़
1999–2000	233.21	66.83	300.04
2000–2001	243.56	66.07	309.63
2001–2002 (अनंतिम)	257.77	64.84	322.61

(ग) वर्ष 2000–01 के लिए कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल) तथा सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि. (एस.सी.सी.एल.) में ओपनकास्ट तथा भूमिगत खानों का प्रति श्रमपाली (ओ.एम.एस) कच्चे कोयले की प्रति टन उत्पादन के तौर पर उत्पादकता तथा औसत लागत निम्नानुसार है:–

कंपनी	ओ.एम.एस. (टन)			उत्पादन लागत (रुपए प्रति टन)		
	ओ.सी.	यू.सी.	जोड़	ओ.सी.	यू.जी.	जोड़
सी.आई.एल.	5.92	0.63	2.30	377.96	1454.78	576.19
एस.सी.सी.एल.	5.94	0.79	1.50	542.00	1280.00	905.00

(घ) 31 मार्च 2002 (अनंतिम) की स्थिति के अनुसार प्रचालनरत ओपनकास्ट तथा प्रचालनरत भूमिगत खानों में तथा बंद पड़ी खानों में कोयला भंडार का ब्यौरा निम्नवत है:–

(आंकड़े मिलियन टन में)

कंपनी	प्रचालनरत ओ.सी.खानें	प्रचालनरत भूमिगत खानें	बंद पड़ी खानें
सी.आई.एल.	5679.14	5599.31	79.42
एस.सी.सी.एल.	600	2400	139.22

(ङ) और (च) बंद पड़ी खानों में खनन कार्य पुनः आरंभ करने का निर्णय संबंधित कांपनियों द्वारा समय–समय पर विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् लिया जाता है जिसमें खनन योग्य भंडार, उपयुक्त प्रौद्योगिकी की उपलब्धता, आर्थिक व्यवहार्यता, सुरक्षा आदि शामिल है।

[अनुवाद]

कृषि में आत्म-निर्भरता

*315. **श्री टी. एम. सेल्वागनपति** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा कृषि और कृषि आधारित उद्योगों में आत्म–निर्भरता प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए है;

(ख) क्या विकसित देशों में किसानों को एक बिलियन अमेरिकी डालर की राजसहायता दी गई थी परन्तु भारत में धनराशि की कमी के कारण ऐसा नहीं किया जा सका; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में कौन–से उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) सरकार विभिन्न स्कीमों और अन्य राजकोषीय और वित्तीय हस्तक्षेपों के क्रियान्वयन के जरिये कृषि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सतत् संयोजित प्रयास कर रही है। भारत ने कई कृषि मदों में आत्म–निर्भरता प्राप्त कर ली है। सरकार कृषि में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिए कृषि आधारित उद्योगों को भी प्रोत्साहित कर रही है।

(ख) और (ग) आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओ.ई.सी.डी) की रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक सहयोग और विकास संगठन वाले देशों में कृषि में सहयोग 1986–88 में 307 बिलियन अमेरिकी डालर से बढ़कर वर्ष 1999 में 361 बिलियन अमेरिकी डालर हो गया। इसे ध्यान में रखते हुए भारत ने कृषि पर विश्व व्यापार संगठन समझौते के अन्तर्गत चल रही अधिदेशाधीन वार्ताओं हेतु वार्ता प्रस्तावों में समर्थन के कुल सकल मापदंडों की गणना में उन सभी व्यापार विकृतिकारक स्वदेशी समर्थन उपायों को शामिल करने के लिए कहा है जिसमें न्यूनतम स्तर से ऊपर होने की स्थिति में निश्चित कटौती होगी। भारतीय किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने संवेदनशील वस्तुओं के आयातों की निगरानी के लिए उपयुक्त तंत्र की व्यवस्था की है तथा सरकार विश्व व्यापार संगठन के अनुकूल विभिन्न उपायों को बहाल करके स्वदेशी उत्पादकों को पर्याप्त संरक्षण देने के लिए वचनबद्ध है जिसमें बाध्यकारी टैरिफ के अधीन अनुप्रयुक्त टैरिफ का उपयुक्त अंशांकन, एंटी डंपिंग, काउन्टरवेलिंग शुल्क लगाना और कुछ विशिष्ट स्थितियों में सुरक्षा कार्रवाई शामिल है।

हीरे के भंडारों का मानचित्र तैयार करने के लिए सैटेलाइट से प्राप्त चित्रों का उपयोग

*316. **श्री के. येरमन्नायडू** : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हीरे के भंडारों का पता लगाने और उनका मानचित्र तैयार करने के लिए सैटेलाइट से प्राप्त चित्रों का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो किन–किन राज्यों में यह काम किया जा रहा है;

(ग) उन कंपनियों के नाम क्या हैं जो इस काम में लगी हुई हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान किए गए इस कार्य का क्या परिणाम निकला है?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) जी, हां। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में किम्बरलाइट/लेम्प्रोआइट पिंडों, जिनमें सामान्यता हीरा पाया जाता है, का पता लगाने के लिए संभावित क्षेत्रों की पहचान हेतु सहायक साधन के रूप में सैटेलाइट इमेजरी तथा हवाई फोटोग्राफी का उपयोग किया जा रहा है।

(ग) भारतीय खान ब्यूरो (आई. बी. एम.) से प्राप्त सूचना के अनुसार आंध्र प्रदेश में हीरे तथा अन्य मूल्यवान खनिजों के गवेषण के लिए सात कंपनियों को पूर्वेक्षण लाइसेंस/टोही परमिट प्रदान किए गए हैं। इन सात कंपनियों में से तीन कंपनियों नामतः नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एन एम डी सी), मै. डी–बियर्स तथा मै. जियो मैसूर सर्विसिस (इण्डिया) प्रा. लि. ने हीरों के लिए सैटेलाइट इमेजरी एण्ड रिमोट सेंसिंग का उपयोग करने का प्रस्ताव दिया है।

(घ) इन कंपनियों द्वारा किए गए पूर्वेक्षण के परिणाम अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने रिमोट सेंसिंग तथा हवाई भूभौतिकीय डाटा के एकीकरण तथा अनुवर्ती जमीनी मूल्यांकन के आधार पर आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले, कर्नाटक के गुलबर्ग एवं रायचूर जिले तथा उड़ीसा के बारगढ़ जिले में किम्बरलाइट/लेम्प्रोआइट पाइप्स एवं प्लग्स का पता लगाया है। ऐसे अध्ययनों के आधार पर कर्नाटक के टुमकुर जिले में स्ट्रीम सेडीमेंट्स से माइक्रो डायमण्ड्स की प्राप्ति की गई है।

[हिन्दी]

समर्थन मूल्य प्रणाली में संशोधन

*317. **श्री पदमसेन चौधरी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गरीबों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने और गेहूं तथा चावल के अतिरिक्त अन्य फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए वर्तमान समर्थन मूल्य प्रणाली में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है।

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) सरकार ने पहले से ही प्रयास शुरू कर दिये हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य स्कीम के अंतर्गत मूल्य नीति पर अपना ध्यान पुनः केन्द्रित किया है और तिलहन, दलहन और मोटे अनाजों में तुलनात्मक रूप से अधिक वृद्धि की है ताकि उनकी खेती और वृद्धि को प्रोत्साहन दिया जा सके। यह संलग्न विवरण पर दिए गए ब्यौरा में देखा जा सकता है। इन फसलों के अनुसंधान पर विशेष जोर भी दिया जा रहा है ताकि बढ़ी हुई उत्पादकता प्राप्त की जा सके जिससे प्रति यूनिट लागत में कमी आएगी।

विवरण

न्यूनतम समर्थन मूल्य
(फसल वर्ष के अनुसार)

(रुपये प्रति क्विंटल)

क्र.सं.	जिन्स	किस्त	2000–2001	2001–2002	# 2000–2001 की तुलना में 2001–2002 में वृद्धि
1	2	3	4	5	6
1.	धान	सामान्य	510	530	20(3.9)
		ग्रेड 'ए'	540	560	20(3.7)
2.	मोटे अनाज (ज्वार, बाजरा, रागी तथा मक्का)		445	485	40(9.0)
3.	गेंहू		610	620	10(1.6)
4.	जौ		500	500	–
5.	चना		1100	1200	100(9.1)
6.	अरहर		1200	1320	120(10.0)

1	2	3	4	5	6
7.	मूंग		1200	1320	120(10.0)
8.	उडद		1200	1320	120(10.0)
9.	मसूर		1200	1300	100(8.3)
10.	गन्ना @		59.50	62.05	2.55(4.3)
11.	कपास	एफ–414/एच/777/जे34	1625	1675	50(3.01
		एच–4	1825	1875	50(2.7)
12.	छिलके सहित मूंगफली		1220	1340	120(9.8)
13.	पटसन		785	810	25(3.2)
14.	तोरिया/सरसों		1200	1300	100(8.3)
15.	सूरजमुखी के बीज		1170	1185	15(1.3)
16.	सोयाबीन	काली	775	795	20(2.6)
		पीली	865	885	20(2.3)
17.	कुसुम		1200	1300	100(8.3)
18.	तम्बाकू		26.00	27.00	1(3.8)
	(बी.एफ.सी.)	काली मृदा (एफ2ग्रेड)	28.00	29.00	1(3.6)
	(रु./प्रति किग्रा.)	हल्की मृदा (एल2 ग्रेड)			
19.	खोपरा	मिलिंग	3250	3300	50(1.5)
	(कलैंडर वर्ष)	बाल	3500	3550	50(1.4)
20.	तिल		1300	1400	100(7.7)
21.	रामतिल		1025	1100	75(7.3)

@ न्यूनतम सांविधिक मूल्य 8.5 प्रतिशत की मूल वसूली से सम्बद्ध है तथा यह इस स्तर से वसूली में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत वृद्धि के लिए अनुपातिक प्रीमियम सहित है।

कोष्ठकों में दिए गए आकड़े प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हैं।

[अनुवाद]

कृषि वैज्ञानिकों को रोजगार

***318. श्री भर्तृहरि महताब** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के कृषि विश्वविद्यालयों से प्रतिवर्ष उत्तीर्ण होने वाले कृषि वैज्ञानिकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन्हें प्रतिवर्ष रोजगार देने हेतु भारत में पर्याप्त सरकारी संस्थान नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा कौन–से उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) प्रत्येक वर्ष लगभग 10,000 व्यक्ति स्नातक की, 5,500 व्यक्ति स्नातकोत्तर की तथा 1500 व्यक्ति

डाक्टरेट की उपाधि पाते हैं। इनमें से कुछेक कैरियर के रूप में वैज्ञानिक का पद अपनाते हैं।

(ख) और (ग) जी हां, भारत में इस प्रकार की उपाधियां प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों के प्रतिवर्ष सरकारी संस्थाओं में खपाने के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं। उन सरकारी संस्थाओं के नाम नीचे दिए गए हैं जहां इन्हें खपाने की संभावनाएं हैं :–

(i) शिक्षण एवं अनुसंधान– राज्य कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के समतुल्य विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसंधान संस्थान।

(ii) विज्ञान, कृषि, पशुपालन, बागवानी, मत्स्यपालन, वानिकी, जैव प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, रासायनिक, सिंचाई, रक्षा सेवाओं आदि के सरकारी विभाग।

(iii) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग–खाद्य प्रसंस्करण, कृषि प्रसंस्करण, डेरी, उर्वरकों, कृषि–रसायन आदि।

(vi) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, बीमा कम्पनियां आदि।

रोजगार के अवसरों में और वृद्धि करने के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग ने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि प्रसार प्रबंधन संस्थान और लघु कृषक कृषि व्यवसाय "कन्सोर्टियम" के समर्थन से एग्री–क्लीनिक्स तथा एग्री–व्यवसाय केन्द्रों का एक जाल बिछाने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की एक स्कीम की शुरूआत की है। स्कीम का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

एग्री–क्लिनिक्स और कृषि व्यवसाय केन्द्रों की स्थापना हेतु स्कीम

1. **उद्देश्य**

- सरकारी प्रसार प्रणाली से संबंधित प्रयासों में वृद्धि करना।
- जरूरतमंद किसानों के लिए निवेश की पूर्ति और सेवाओं के पूरक स्रोतों को उपलब्ध कराना।
- कृषि क्षेत्र के नये उभरते क्षेत्रों में कृषि स्नातकों के लिए लाभकारी रोजगार मुहैया कराना।

2. **एग्री-क्लिनिक्स और कृषि-व्यवसाय केन्द्र क्या हैं?**

एग्री–क्लिनिक्स वे हैं, जो फसल क्रियाओं, प्रौद्योगिकी प्रसार, कीट–व्याधियों से फसल की सुरक्षा, बाजार प्रवणता तथा बाजारों में विभिन्न फसलों हेतु मूल्य निर्धारण तथा पशु स्वास्थ्य आदि के लिए भी नैदानिक सेवाओं पर किसानों को विशेषज्ञ सेवाएं और परामर्श देते हैं जिससे फसलों/पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि होगी।

कृषि व्यवसाय केन्द्र वे हैं, जो निवेश की आपूर्ति करते हैं, किराये पर खेती के उपकरण तथा अन्य सेवाएं मुहैया कराते हैं।

3. **इसके लिए कौन पात्र है?**

यह स्कीम कृषि स्नातकों/बागवानी, पशु चिकित्सा विज्ञान, पशुपालन, वानिकी, डेरी, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन तथा अन्य सम्बद्ध गतिविधियों जैसे कृषि से सम्बद्ध विषयों में स्नातकों के लिए है।

4. **इसमें परियोजना की कौन सी गतिविधियां शामिल की जा सकती हैं?**

- मृदा एवं जल की गुणवत्ता तथा निवेशों की जांच करने वाली प्रयोगशालाएं (आण्विक अवशोषण स्पेक्ट्रो फोटोमीटरों के साथ)।
- कीट निगरानी, निदान एवं नियंत्रण सेवाएं।
- कृषि उपकरण तथा मशीनरी सहित सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (छिड़काव तथा ड्रिप) का रखरखाव, मरम्मत तथा 'कस्टम हायरिंग'।
- कृषि सेवा केन्द्र सहित उपर्युक्त दर्शाए गए तीन क्रियाकलापों (सामूहिक गतिविधियां)।
- बीज प्रसंस्करण एकक।
- पादप ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला और कठोरीकरण (हार्डनिंग) एकक द्वारा सूक्ष्म–प्रसारण।
- केंचुआ पालन एकक को स्थापित करना, जैव–उर्वरकों का उत्पादन, जैव–कीटनाशी, जैव–नियंत्रण एजेंट।
- मधुवाटिका (मधुमक्खी पालन) एवं शहद तथा मधुमक्खी पालन संबंधी उत्पादों की प्रसंस्करण यूनिट।
- कृषि बीमा योजना के लिए सरलीकरण एवं एजेंसी।
- जलजीव पालन के लिए मछली/लम्बी शिशु मछली की हैचरी तथा उत्पादन।
- पशुधन स्वास्थ्य आवरण का प्रावधान, पशु औषधालय एवं सेवाओं सहित प्रशीतन वीर्य बैंक तथा तरलीय नाइट्रोजन आपूर्ति स्थापित करना।

- कृषि संबंधी विभिन्न पोर्टल्स तक पहुंचने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी किओस्क स्थापित करना।
- आहार प्रसंस्करण एवं परीक्षण एकक।
- मूल्यवर्धन केन्द्र।
- फार्म स्तर से आगे शीत श्रृंखला (कोल्ड–चैन) सुविधाओं को स्थापित करना।
- छंटाई, ग्रेडिंग, मानकीकरण, भंडारण तथा पैकेजिंग के लिए फसल कटाई के बाद के प्रबंध केन्द्र।
- धात्विक/गैर–धात्विक भंडारण ढांचा (सामुहिक गतिविधियां) स्थापित करना।
- प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों के लिए खुदरा विपणन व्यवस्था।
- फार्म निवेशों और उपजों का ग्रामीण विपणन डीलरशिप स्नातकों द्वारा चयनित किसी अन्य किफायती जीवनक्षम कार्यकलाप के साथ उपरोक्त जीवनक्षम कार्यकलापों में से दो या अधिक का कोई ऐसा समावेशन जो बैंक को स्वीकार्य हो।

5. योजना की प्रमुख विशिष्टताएं

(क) परियोजना की लागत तथा कवरेज :

इस परियोजना को कृषि स्नातक या तो व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त/दल के आधार पर प्रारंभ कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से शुरू करने पर परियोजना की लागत की बाहरी सीमा 10 लाख रुपये तथा दल के रूप में लेने पर 50 लाख रुपये होगी। सामान्य रूप से दल ऐसे 5 व्यक्तियों का हो सकता है जो या तो प्रबन्धन स्नातक हो अथवा उन्हें व्यापार प्रबंध विकास एवं प्रबंधन में अनुभव हो।

(ख) सीमांत राशि (भुगतान की गई राशि) :

(i) रुपये 10,000/– तक कोई अंतर नहीं

(ii) रुपये 10,000/ से ऊपर परियोजना की लागत का 15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक

(ग) ब्याज की दर :

वित्तीय बैंक द्वारा अन्ततः (अल्टिमेट) लाभार्थी से ली जाने वाली ब्याज की दर का विवरण नीचे दिया गया है:

ऋण का आकार	अंततः लाभार्थी से ली जाने वाली ब्याज की दर		
	वाणिज्यिक बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सहकारी बैंक
रुपये 25,000 तक	बैंक के अधिकतम प्रारम्भिक ऋण दर (पी एल आर) के अध्ययधीन बैंक द्वारा यथानिर्धारित	बैंक द्वारा यथा–निर्धारित	12 प्रतिशत की न्यूनतम दर के अध्ययधीन एस सी बी द्वारा यथा–निर्धारित
25,000 रू. से अधिक तथा 2 लाख रू. तक	–वही–	–वही–	–वही–
2 लाख रू. से अधिक	बैंक द्वारा यथा निर्धारित	–वही–	–वही–
(घ) सुरक्षा :			
जहां चल परिसम्पत्तियां सृजित का जाती हैं	25,000 रु. तक	परिसम्पत्तियों को बंधक रखना	
	25,000 रु. से अधिक	परिसम्पत्तियों को बंधक रखना तथा भूमि *को बंधक रखना या तीसरी पार्टी की गारंटी	
जहां चल परिसम्पत्तियां सृजित नहीं की जाती हैं	रु 10,000 से अधिक	भूमि को बंधक रखना।*	

* बैंक के विवेकानुसार भूमि को बंधक रखना।

जहां भूमि पर 'चार्ज' के सृजन में वास्तविक कठिनाईयां हों, तो वहां पर आवश्यकतानुसार बैंक तीसरी पार्टी की गारंटी ले सकते हैं या इसी तरह की ऐसी किसी अन्य प्रतिभूति ले सकते हैं, जिसे वे उपयुक्त समझें।

(ङ) पुनः भुगतान :

कार्य पर निर्भर करते हुए ऋण की अवधि 5 से 10 वर्ष के बीच में अलग-अलग होगी। पुनः भुगतान अवधि में अधिकतम दो वर्ष की छूट (अलग-अलग योजना के अनुसार वित्त-पोषण करने वाले बैंक द्वारा तय किया जाना है) दी जा सकती है।

(च) कर्जदारों का चयन :

यदि आवश्यक हो तो राज्य कृषि विश्वविद्यालय/एल वी एल/ राज्य सरकार का कृषि विभाग आदि के साथ परामर्श करते हुए बैंकों द्वारा अपने-अपने प्रचालन क्षेत्र में कर्जदारों का चयन तथा परियोजनाओं की अवस्थिति तय की जाए।

6. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा पुनर्वित्त प्रदान करने की शर्तें :

(क) पुनर्वित्त की विधि :

स्वतः पुनर्वित्त सुविधा के अधीन तथा ऐसी स्कीमों के लिए दिया जाएगा जिनके बारे में परियोजना परिव्यय तथा पुनर्वित्त की राशि को ध्यान में रखते हुए पूर्वानुमोदन हो रखा हो। स्वतः पुनर्वित्त की सुविधा का लाभ उठाने के लिए परियोजना लागत की बाहरी सीमा 25 लाख रुपये होगी बशर्ते पुनर्वित्त का लाभ उठाने के लिए सीमा 15 लाख रुपये हो। पूर्व स्वीकृति के लिए 25 लाख रुपये के परिव्यय से अधिक की परियोजनाएं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को प्रस्तुत की जानी अपेक्षित हैं।

(ख) पुनर्वित्त की मात्रा :

बैंक ऋण का शत प्रतिशत

(ग) पुनर्वित्त पर ब्याज की दर :

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णयों के अनुसार। पुनर्वित्त पर लागू ब्याज की मौजूदा दरें निम्नलिखित हैं:-

सीमा	सी बी	आर आर बी	एस सी बी/एस सी ए आर डी बी
रू. 25,000 तक	7.5 प्रतिशत	7.5 प्रतिशत	7.0 प्रतिशत
रू. 25,000 से अधिक	8.5 प्रतिशत	8.5 प्रतिशत	8.5 प्रतिशत

(घ) राष्ट्रीय कृषि एवं राष्ट्रीय विकास बैंक के "साफ्ट लोन असिस्टेंस फंड" से सीमान्त राशि सहायता :

जहां बैंक इस बात से सन्तुष्ट है कि कर्जदार धन की आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ हैं वहां बैंक द्वारा निर्धारित सीमा तक अधिकतम 50 प्रतिशत राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा दिया जा सकता है ताकि यदि कर्जदारों द्वारा किए जाने वाले अंशदान में कोई कमी हुई हो तो उसे पूरा किया जा सके। बैंकों को इस तरह की सहायता/ऋण बिना ब्याज के होंगे लेकिन बैंक कर्जदार से 3 प्रतिशत की वार्षिक दर से सेवा प्रभार वसूल कर सकते हैं।

(ङ) पात्रता के मानदण्ड :

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के मुताबिक बैंकों द्वारा पुनर्वित्त 'ड्रा' करने की पात्रता निर्धारित की जाएगी।

7. सामान्य

परियोजना के लिए ऋण देने, योजनाबद्ध पुनर्वित्त उपलब्ध कराने के संबंध में आमतौर पर लागू होने वाली सभी अन्य शर्तें और बैंक प्रक्रियाएं और ऋण देने के मानदण्ड भी एग्रीक्लिनिकों और एग्री-बिजनेस के केन्द्रों को पुनर्वित्त के लिए भी आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगी।

पौधों की नयी किस्मों को संरक्षण

***319. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :**

श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पौधों की पारंपरिक रूप से यू.पी.ओ.वी. के नाम से जाने जानी वाली नयी किस्मों के संरक्षण के लिए जेनेवा आधारित अन्तर्राष्ट्रीय संघ में शामिल होने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने पहले ही यू.पी.ओ.वी.,1978 को स्वीकार कर लिया था;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई विधेयक भी पारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप भारत को होने वाले संभावित लाभों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) यूपोव 1978 कन्वेंशन में शामिल होने से संबंधित प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है।

(ग) पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 का उपयोग यूपोव कन्वेंशन में शामिल होने के साधन के रूप में किया जा सकता है।

(घ) यूपोव कन्वेंशन में शामिल होने से भारत को होने वाले कुछ फायदे इस प्रकार हैः–

- इससे नई पौध किस्मों के विकास संबंधी अनुसंधान में अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा जिससे किसानों को गुणवत्ता बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
- इससे पौध प्रजनन अधिकारों को परस्पर मान्यता देने के संबंध में हमारे देश को अन्य अनेक देशों से द्विपक्षीय समझौते करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।
- इससे भारतीय पौध प्रजनकों को न्यूनतम औपचारिकताओं तथा प्रशासनिक एवं कार्यसंपादन लागत सहित, कन्वेंशन में शामिल सभी देशों में संरक्षण प्राप्त होगा।

[हिन्दी]

भारत पर्यटन विकास निगम को घाटा

***320. श्री लक्ष्मण गिलुवा** : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों के कारण सरकार को लाखों रुपये का घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त राशि की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) निगम की कार्यवाही को सुचारू बनाने और भविष्य में भ्रष्ट आचरण को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जैव अपवहन प्रणाली

3240. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 जनवरी, 2002 के दि टाइम्स आफ इंडिया में नेक्स्ट फाइव ईयर प्लान टू फोकस ऑन बायो ड्रेनेज शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उप भू–तल अपवहन प्रणाली के लिए कोई योजना बनाने पर विचार कर रही है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(घ) क्या इस प्रणाली से सिंचाई के लिए मुख्य खतरा बने जल जमाव और खारेपन से बचने में सहायता मिलने की संभावना है, और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यनीति तैयार की गई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जल संसाधन मंत्रालय ने राज्य सरकारों को 'सिंचाई कमानों में जल भराव और लवणता प्रभावित क्षेत्रों के सुधार और प्रबंधन' संबंधी नियमावली परिचालित कर दिए हैं। राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया गया है कि वे केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सीएडी) के तहत आने वाली परियोजनाओं सहित सिंचाई परियोजनाओं में जल भराव वाले क्षेत्रों का पता लगाएं तथा मैन्युअल में दिए गए सुझाव तथा समस्याग्रस्त क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार उनके सुधार संबंधी उपायों अथवा उप–सतही जल निकास प्रणाली सहित संयुक्त उपायों संबंधी परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

(घ) जी, हां।

(ङ) ऐसे मामलों में जहां भूजल का स्तर ऊँचा है और भूजल की गुणवत्ता अच्छी/खराब है, वहां सतही जल निकास प्रणाली के साथ उप–सतही जल निकास प्रणाली अपनाने संबंधी दृष्टिकोण की सिफारिश की गई है। जैव–जल निकास प्रणाली में संयत्र के जैव–ऊर्जा का उपयोग करते हुए उत्सर्जन के माध्यम से अधिक मृदा जल को हटाया जाता है और इस प्रणाली का उपयोग प्रायः अर्द्ध रेगिस्तानी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में किया जाता है। जल संसाधन मंत्रालय ने जैव–जल निकास संबंधी अनुसंधान और

विकास गतिविधियों के संवर्धन और समन्वय के लिए एक कार्यकारी दल का भी गठन किया है।

[हिन्दी]

बिहार में समुदाय आधारित जल संसाधन परियोजनाएं

3241. श्री राजो सिंह : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार को स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के तहत कोई समुदाय आधारित जल संसाधन विकास पारियोजना अनुमोदनार्थ भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) से (ग) केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल, 1999 से स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस मंत्रालय में स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना में शामिल करने के लिए विचारार्थ **बिहार सरकार** से कोई भी सामुदायिक आधारित जल संसाधन परियोजना प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

बौद्ध तीर्थ स्थलों का रख रखाव

3242. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और देश के अन्य भागों में बौद्ध तीर्थ स्थलों और स्मारकों के रख रखाव हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक केन्द्र में कितने कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं और उनके पदनाम क्या हैं; और

(ग) तीर्थ यात्रियों को सूचना और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए कब तक उचित प्रबंध किए जाएंगे ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) बिहार, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में स्थित बौद्ध स्मारकों सहित देश के केन्द्रीय संरक्षित बौद्ध स्मारकों का संरक्षण एवं रखरखाव एक सतत् प्रक्रिया है। इसके अलावा, अलग-अलग स्मारकों की विशेष मरम्मतों को भी जब कभी अभिनिर्धारित किया जाता है, उन्हें किया जाता है।

(ख) बिहार, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में स्थित बौद्ध स्मारकों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की संख्या तथा उनके पदनाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) विशेष जरूरतों एवं कुल मिलाकर संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर संरक्षित स्मारकों में पर्यटक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

क्रम सं.	बौद्ध स्मारक का नाम	पदनाम	कर्मचारियों की संख्या
1	2	3	4
	बिहार		
1.	उत्खनित स्थल, नालंदा जिला–नालंदा	संरक्षण सहायक	01
		केयरटेकर	01
		अवर श्रेणी लिपिक	02
		स्मारक परिचर	19
2.	उत्खनित स्थल, वैशाली, जिला–हाजीपुर	संरक्षण सहायक	01
		फोरमैन	01
		राजगीर	01
		स्मारक परिचर	18

1	2	3	4
3.	उत्खनित स्थल, विक्रमशिला, जिला–अन्तिचाक	केयरटेकर	01
		स्मारक परिचर	15
	मध्य प्रदेश		
4.	बौद्ध गुफाएं, वाघ, जिला–धार	वरि. संरक्षण सहायक	01
		स्मारक परिचर	09
5.	बौद्ध गुफाएं, धमनार, जिला–मंदसौर	स्मारक परिचर	03
6.	बौद्ध स्मारक, साँची जिला–रायसेन	वरि. संरक्षण सहायक	01
7.	बौद्ध स्तूप, सोनारी, जिला–रायसेन	स्मारक परिचर	01
8.	बौद्ध स्तूप, मुरेलखुर्द, जिला–रायसेन	स्मारक परिचर	01
9.	बौद्ध स्तूप एवं अवशेष, अंधेर, जिला–रायसेन	स्मारक परिचर	01
10.	स्तूप तथ अन्य अवशेष, सतधारा, जिला–रायसेन	स्मारक परिचर	04
11	मठों एवं ब्राही अभिलेखों वाले शैलाश्रय एवं स्तूप, बारहाट, जिला–रीवा	स्मारक परिचर	01
12	बौद्ध अवशेष, भरहुत, जिला–सतना	स्मारक परिचर	01
13.	बौद्ध स्तूप एवं मठ परिसर, पांगुआरारिया, जिला– सीहोर	स्मारक परिचर	03
14.	चित्रित शैलाश्रय एवं बौद्ध स्तूप, तालपुर, जिला– सीहोर	स्मारक परिचर	01
15.	प्राचीन टीला (वैश्य टेकरी) ,उंडासा, जिला– उज्जैन	संरक्षण सहायक, उज्जैन द्वारा निगरानी की जाती है	कोई नहीं
16.	बौद्ध स्तूप, ग्यारसपुर, जिला– विदिशा	केयरटेकर	01
		स्मारक परिचर	01
17.	अशोक शिलालेख, गुजारा, जिला– दतिया	स्मारक परिचर	01
	उत्तर प्रदेश		
18.	बौद्ध स्थल, स्त्रावस्ती जिला– स्रावस्तीनगर	केयर टेकर	01
		स्मारक परिचर	06
		स्मारक परिचर	04
19.	उत्खनित स्थल, पिपरवा जिला– सिद्धार्थनगर	स्मारक परिचर	03
20.	बौद्ध स्मारक, सारनाथ, जिला– वाराणसी	संरक्षण सहायक	01
		राजगीर	01
		स्मारक परिचर	28
21.	बौद्ध स्मारक, कुशीनगर जिला– कुशीनगर	स्मारक परिचर	11

सिंचाई परियोजनाओं हेतु सहायता

3243. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के किसानों को तेलुगु–गंगा, गलेरू–नागरी, चित्रावती और वेलीगलु नामक लंबे समय से लंबित परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने कम आबंटन करके किसानों को असहाय स्थिति में छोड़ दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बजट आबंटन में भारी कमी की गई है;

(ग) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के लिए पर्याप्त बजट आबंटित न करने के क्या कारण है; और

(घ) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) से (ग) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी परियोजना सहित सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, अन्वेषण, वित्तपोषण, निष्पादन, प्रचालन एवं रखरखाव राज्य सरकारों द्वारा उनकी अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है।

(घ) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि तेलुगू – गंगा परियोजना के 6 वर्षों की अवधि के अंदर पूरा होने की संभावना है, गलेरू–नागरी परियोजना अनुमोदन प्राप्त करने के 8 वर्षों की अवधि में पूरी होगी, चित्रावती संतुलन जलाशय को वर्ष 2004–05 में पूरा करने का कार्यक्रम है तथा वेलीगल्ली परियोजना को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (जेबीआईसी) के लिए जापानी बैंक को वित्तीय सहायता हेतु प्रस्तुत किया गया है।

शैलैक अनुसंधान संस्थान

3244. श्री महबूब जहेदी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय शैलैक अनुसंधान संस्थान पुरूलिया पश्चिम बंगाल में एक केन्द्र खोलने की योजना बना रहा है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने एम आई एस योजना के तहत लाख के उत्पादन को शामिल करने के लिए केन्द्र सरकार के साथ विचार–विमर्श शुरू किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, रांची का एक केन्द्र पश्चिम बंगाल राज्य के पुरूलिया जिले के बलरामपुर नामक स्थान में स्थित था तथापि अब इस केन्द्र को मौजा–गमरपुरी, पी.एस. काशीपुर, पुरूलिया जिले में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है जहां इसके लिए आवश्यकतानुसार भूमि उपलब्ध कराई जा रही है।

(ख) जी, हां।

(ग) जिला भूमि एवं भूमि सुधार अधिकारी, पुरूलिया ने संस्थान के हक में भूमि आबंटित करने के लिए ब्लाक भूमि एवं भूमि सुधार अधिकारी, पुरूलिया से पहले ही सूचना मांगी हुई है।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व

3245. श्री राजैया मल्याला : क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन में अन्वेषकों के कुल स्वीकृत पद कितने है;

(ख) 2 जुलाई, 1997 की स्थिति के अनुसार इन पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और सामान्य श्रेणी के कितने व्यक्ति कार्यरत है और ऐसे पदों पर इनका प्रतिशत कितना है, जैसाकि डी.ओ.पी.टी. के दिनांक 2 जुलाई 1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96 – स्था. (आरक्षण) के पैरा 5 के तहत दिए गए अनुदेशों के तहत अभिनिश्चित किया गया है;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन में अन्वेषकों के पदों पर उनके लिए आरक्षित स्तर क्रमशः 15 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत और 27 प्रतिशत तक नहीं पहुंचा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) वर्ष 1997, 1998, 1999, 2000 और 2001 के दौरान कितनी नई रिक्तियां हुई और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा ऐसी कितने रिक्तियां/पद वर्ष–वार भरे गए ?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन में क्षेत्र अन्वेषकों के स्वीकृत पदों की कुल संख्या 1482 है।

(ख) 2 जुलाई, 1997 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य श्रेणी से

संबंधित क्षेत्र अन्वेषकों की संख्या निम्नानुसार है :

अनु.जाति	अनु. जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य श्रेणी	कुल
177	53	67	736	1033
(17.1%)	(5.1%)	(6.5%)	(71.3%)	(100%)

(ग) और (घ) यद्यपि अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व 15 प्रतिशत से भी अधिक है, अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व मुख्यतया उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण निर्धारित स्तर से कम है और अन्य पिछड़ा वर्गों के मामले में कमी इस तथ्य के कारण है कि आरक्षण मात्र 7 अगस्त 1990 से प्रारंभ हुआ था।

(ङ) चूंकि अन्वेषक के पद की भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाती है, अतः 373 रिक्तियां (जो 1977 और 1988 में हुई) और 161 रिक्तियां (जो 1999 और 2000 में हुई) थीं, को क्रमशः 1998 और 2000 के दौरान आयोग को सूचित किया गया था। 1998 के दौरान सूचित 373 रिक्तियों में से कर्मचारी चयन आयोग ने 253 उम्मीदवारों की अनुशंसा की, उनमें से 212 व्यक्तियों ने कार्य भार ग्रहण किया है। श्रेणीवार वितरण निम्नानुसार है:

अनु.जाति	अनु. जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य श्रेणी	कुल
19	21	42	130	212

वर्ष 2000 के दौरान सूचित रिक्तियों के लिए कर्मचारी चयन आयोग ने अभी तक किसी नाम की अनुशंसा नहीं की है ।

[हिन्दी]

समुद्री जीवों का खतरा

3246. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ प्रमुख कम्पनियों, तेल शोधक कारखानों और उद्योगों ने जनवरी 1997 से आज तक गुजरात के जामनगर जिले में नेशनल मेरीन पार्क की भूमि, वन्य भूमि, सी आर जैड भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी कम्पनियों, तेल शोधक कारखानों और उद्योगों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रत्येक अतिक्रमणकारी कम्पनी, कारखाना और उद्योग के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है किए जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ङ) केन्द्र सरकार ने जामनगर जिले में लगे तेल शोधन कारखानों और उद्योगों को, जिनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लि., इस्सर आयल लि., इण्डियन आयल कारपोरेशन, भारत ओमान रिफाइनरी लि., गुजरात स्टेट फर्टीलाइज़र कारपोरेशन शामिल है, पाइपलाइन बिछाने, जेट्टी, पहुँच सड़क और सम्बद्ध सुविधाओं के प्रयोजनों के प्रस्तावों को वन संरक्षण अधिनियम, 1980, तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना 1991 और पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 1994 के प्रावधानों के अन्तर्गत मंजूरी प्रदान की है।

चूंकि भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत वन भूमि पर अवैध कब्जों के बारे में राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई की जानी है इसलिए गुजरात सरकार से सूचना मांगी गई है और उसकी प्रतीक्षा है ।

[अनुवाद]

ई पी एफ संगठनों में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियां

3247. श्री अधीर चौधरी : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ई पी एफ संगठनों में अधिकारियों की तैनाती और स्थानांतरण हेतु क्या मापदंड निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि समूह ग श्रेणी के कर्मचारियों के कर्मचारी की अचानक मृत्यु के मामलों में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियों को भी छह माह से अधिक समय तक रोक कर रखा जाता है;

(ग) यदि हां, तो छह माह से अधिक समय से ऐसे कितने मामले लंबित है/रोक कर रखे गए हैं और इसके क्या कारण है;

(घ) सरकार का ऐसे अत्याधिक विलम्ब के लिए लिप्त पाए गए/उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई करने का विचार है; और

(ङ) प्रतीक्षारत आश्रितों को कब तक अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त किए जाने की संभावना हैं ?

श्रम मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पूरे भारत में समूह 'क' अधिकारियों के स्थानांतरण और

तैनाती के लिए एक नीति तैयार की है। स्थानांतरण नीति में मुख्यतः कार्यकाल, स्थानांतरण की भौगोलिक अवधि, पति–पत्नी के मामले पर विशेष ध्यान, अधिवर्षिता के नजदीक पहुंचे अधिकारियों के मामले पर विशेष ध्यान तथा कार्यात्मक क्षेत्रों में चक्रानुक्रम के मानदंडों को ध्यान में रखा जाता है।

(ख) और (ग) समूह 'ग' कर्मचारियों के संबंध में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का छह माह से अधिक का कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कपास की फसलों के लिए ठेके पर खेती

3248. श्री ए. ब्रहानैया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में दक्षिणी राज्यों में वस्त्र उद्योग के लिए कपास की फसलों के 'ठेके पर कृषि' शुरू करने की योजनाओं को अन्तिम रूप दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

3249. श्री विष्णुदेव साय : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रायगढ़ जिले में इस समय खनन हेतु कुल कितनी भूमि कोयला कंपनियों के कब्जे में हैं;

(ख) उक्त जिले में साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड में गैर–सरकारी क्षेत्र में कोयला खनन संबंधी कार्यकलाप शुरू करने के लिए गैर–सरकारी पट्टाधारियों को आबंटित भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ग) 28 फरवरी, 2002 की स्थिति के अनुसार गैर–सरकारी पट्टाधारियों के कब्जे में वास्तविक रूप से कितनी भूमि है;

(घ) इस सर्वेक्षण में निर्धारित नियम और शर्तें क्या है;

(ङ) निजी भू–स्वामियों से कितनी भूमि अर्जित की गई और इसके क्या कारण हैं; और

(च) उन भू–स्वामियों के नाम क्या हैं और निर्धारित शर्तों के अनुपालन संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) रायगढ़ जिले में एस.ई.सी.एल. द्वारा सरफेस राइट्स हेतु अधिग्रहीत भूमि 85.726 हैक्टेयर है।

(ख) और (ग) जिन्दल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड ने अपने लोहा और इस्पात संयंत्रों में कैप्टिव उपभोग के लिए कोयले के खनन हेतु रायगढ़ जिले में 705.556 हैक्टेयर क्षेत्र पर पट्टा प्राप्त कर लिया है। यह क्षेत्र, जिस पर मैसर्स जिन्दल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड ने कोयले के खनन के लिए यह पट्टा प्राप्त कर रखा है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के पट्टाधारी क्षेत्र के बाहर है।

(घ) निजी पट्टाधारकों को इस क्षेत्र पर इस शर्त के अध्यधीन कोयले के खनन की अनुमति दी गई है कि कैप्टिव खान से निकाले गए कोयले का उपयोग निजी पट्टा धारकों द्वारा लोहा और इस्पात के उत्पादन के लिए उनके अन्य प्रयोग संयंत्र में ही किया जाएगा।

(ङ) और (च) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 और खनिज रियायत नियम, 1960 के अधीन खनन पट्टे के आवेदक को, राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा मंजूर करने से पूर्व खनन पट्टे के लिए प्रस्तावित क्षेत्र के भीतर आने वाले निजी भूस्वामियों की सहमति प्राप्त करनी आवश्यक होती है। इस प्रकार यह क्षेत्र पट्टाधारक द्वारा स्वयं अधिग्रहीत किए जाते हैं और इसलिए ये ब्यौरे निजी पट्टाधारक के पास है। निजी पट्टाधारी निजी भूस्वामी को खनन प्रयोजन के लिए उसकी भूमि का उपयोग करने के लिए मुआवजे का भुगतान करता है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र पशुधन विकास

3250. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 फरवरी 2001 को पशु और भैंस प्रजनन हेतु महाराष्ट्र पशुधन विकास के नाम से राज्य कार्यान्वयन एजेंसी बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर विचार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अपेक्षित धनराशि प्रदान कर दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार ने "राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। केन्द्रीय प्रायोजित योजना राज्य सरकार द्वारा योजना के क्रियान्वयन के लिए केवल नामित राज्य क्रियान्वयन एजेंसी को अनुदान जारी करने के लिए निर्देश देती है। चूंकि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अब तक राज्य क्रियान्वयन एजेंसी का गठन नहीं किया है, अतः राज्य को राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना के तहत अनुदान जारी नहीं किया जा सका।

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत योजनाएं

3251. श्री एम.के. सुब्बा : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996–97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत पूर्वोत्तर राज्यों में सिंचाई हेतु कितनी योजनाएं शुरू की गई है;

(ख) उक्त योजनाओं के तहत कितनी अतिरिक्त सिंचाई क्षमता पैदा की गई है; और

(ग) केन्द्र और राज्य सरकारों का ऋण और अनुदानों के रूप में कितनी हिस्सेदारी है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) से (ग) वर्ष 1996–97 से पूर्वोत्तर राज्यों की 17 वृहद/मध्यम तथा 2241 लघु सिंचाई स्कीमों को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया है तथा मार्च 2002 तक इन स्कीमों के लिए 301.18 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इन परियोजनाओं से 57.1 हजार हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की गई है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय ऋण सहायता 3:1 के अनुपात (केन्द्र : राज्य) में ऋण के रूप में दी जाती है।

विमानपत्तन नीति

3252. डा. मन्दा जगन्नाथ : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमानपत्तन नीति का प्रारूप तैयार कर लिया गया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण अवसंरचना विकसित करने के लिए अधिकतम कितनी विदेशी इक्विटी की अनुमति है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) और (ख) सरकार ने पहले ही दिसम्बर, 1997 में हवाई अड्डे की ढांचागत संरचना संबंधी नीति लागू कर दी थी। उक्त नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :–

(1) अन्तरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (ICAO) के मानकों को ध्यान में रखते हुए, हवाई अड्डों का अन्तरराष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय केन्द्र के स्तर पर आधुनिकीकरण तथा उन्नयन किया जाएगा।

(2) स्वामित्व तथा प्रबंधन में पूर्ण लचीलापन के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा।

(3) जो ढांचागत संरचना परियोजना में शामिल हैं उन्हें वित्तीय प्रोत्साहन दिए जायेंगे ।

(4) भारत विमानपत्तन प्राधिकरण, अन्तरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (ICAO) के मानकों के अनुसार हवाई ट्रैफिक सेवाएं प्रदान करेगा ।

(5) नया सी एन एस/ए टी एम प्रणाली (संचार नेवीगेशन निगरानी/हवाई ट्रैफिक प्रबंधन) अन्तरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (ICAO) की क्षेत्रीय योजना के अनुसार लागू की जाएगी।

(6) हवाई यातायात की गति/रफ्तार पर बल (Essence) देने वाली, विश्व श्रेणी की स्थल तथा कार्गो सुविधाएं प्रदान की जायेंगी। यात्री तथा कार्गो के दोहरे समय में कमी आएगी।

(7) हवाई अड्डों पर उपलब्ध संसाधनों के दोहन के आशावादी परिणामों द्वारा गैर विमानन राजस्व के अंश को बढ़ाने पर बल दिया जाएगा।

(8) हवाई अड्डा सुरक्षा की प्रभावकारिता में सुधार लाने के लिए आधुनिक तकनीक द्वारा मशीनीकरण पर अधिक बल दिया जाना चाहिए।

(9) हवाई अड्डे की ढांचागत संरचना के लिए निजी निवेश को बढ़ाने तथा आकर्षित करने में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच अधिक सहयोग रहेगा ।

(10) ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को केवल तब अनुमति प्राप्त होगी जब मौजूदा हवाई अड्डा ट्रैफिक की प्रक्षेपित आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा अथवा पर्याप्त व्यवहार्यता के साथ ट्रैफिक का एक नया केन्द्रीय बिन्दु उत्पन्न होता है।

(ग) हवाई अड्डे के संरचनागत कार्य में 74 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी भागीदारी बिना किसी अनुमोदन के की जाएगी तथा 100 प्रतिशत तक के लिए विशेष अनुमति लेनी होगी ।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा सर्वेक्षण

3253. श्री अनन्त नायक : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा देश के कुल कोयला भंडारों का मूल्यांकन करने के लिए अंतिम सर्वेक्षण किस तारीख को किया गया था;

(ख) सर्वेक्षण के अनुसार विभिन्न कोयला खानों वाले राज्यों में लगभग कितने क्षेत्र में कोयले के भंडार है; और

(ग) उन राज्यों में विशेषकर उड़ीसा में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा इन स्त्रोतों का दोहन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा देश में 1.1.2002 को आंकलित राज्यवार तथा श्रेणीवार कुल कोयला निक्षेप निम्नवत हैं:–

(मिलियन टन में)

राज्य	गहराई (मी.)	प्रमाणित	सूचित	अनुमानित	कुल
1	2	3	4	5	6
पश्चिम बंगाल (रानीगंज, बारजोरा, वीरभूम तथा दार्जिलिंग कोलफील्डस)	0–1200	11099.48	11162.82	4156.95	26419.25
बिहार (राजमहल कोलफील्ड)	0–300	0.00	0.00	160.00	160.00
झारखंड (रानीगंज, झरिया, पूर्व बोकारो, पश्चिम बोकारो, रामगढ़, उत्तर करनपुरा, दक्षिण करनपुरा, औरंगा, हुतार, डाल्टेनगंज, देवगढ़ तथा राजमहल कोलफील्डस)	0–1200	35234.60	28986.64	6281.57	70502.81
मध्य प्रदेश (जोहिला, उमरिया, पंचकनहन, पाथाखेडा, गुरगुंडा, मोहपानी सोहागपुर तथा सिंगरौली कोलफील्डस)	0–1200	6857.20	7865.71	3233.87	17956.78
छत्तीसगढ़ (सोहागपुर, सोनहाट, झिलमिली, चिरिमिरा, बिसरामपुर, लाखनपुर पंचबहिनि, हसडो–अरंड, सेन्दूरगढ़, कोरबा, मंडरायगढ़ तथा तातापानी रामकोला कोलफील्डस)	0–600	7626.72	23639.69	4108.49	35374.90
उत्तर प्रदेश (सिंगरौली कोलफील्डस)	0–300	765.98	295.82	0.00	1061.80

1	2	3	4	5	6
महाराष्ट्र	0–1200	4494.92	2049.77	1536.00	8080.69
(वर्धा घाटी, काम्पटी, उमरेर माकरधोकडा, बंदेर, नंद तथा बोखरा कोलफील्डस)					
उड़ीसा					
(इब नदी तथा तलचर कोलफील्डस)	0–1200	13079.82	29809.10	15123.30	58012.22
आंध्र प्रदेश					
(गोदावरी कोलफील्डस)	0–1200	7729.13	5459.26	2447.70	15636.09
असम	0–600	279.30	26.83	34.01	340.14
(सिंगरिमारी, माकुम, दिलिजेयपोर तथा मिकिर हिल्स कोलफील्डस)					
अरुणाचल प्रदेश	0–300	31.23	40.11	18.89	90.23
(नामचिक कोलफील्डस)					
मेघालय	0–300	117.83	40.89	300.71	459.43
(पश्चिम डरंगगिरि, बालफकराम पेन्डेनगुरू, सिजु, लेंगरिन, मॉवलोंग शैला, खासी हिल्स, बेपुंग तथा जयंती हिल्स कोलफील्डस)					
नागालैंड	0–300	3.43	1.35	15.16	19.94
(बोरजान, झांजी–डिसाई, टैन संग एंड टिरू घाटी कोलफील्डस					
कुल योग	0–1200	87319.69	109377.99	37416.65	234114.28

(ग) संभावी खंडों में कोयला भंडारों के गवेषण का कार्यकम विस्तृत गवेषण द्वारा निक्षेपों को प्रमाणित श्रेणी में अंतरित किए जाने के बाद किया जाता है। उसके बाद भूवैज्ञानिक रिपोर्ट तथा व्यवहार्य खान परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाती है।

उड़ीसा राज्य में 1.1.2000 से 1.1.2001 की अवधि के दौरान पता लगाए गए अतिरिक्त कोयला निक्षेपों के विदोहन का कार्यक्रम अभी तैयार किया जाना है।

राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण की स्थापना

3254. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण की स्थापना करने के लिए प्रतिवर्ष व्यवस्था करती रही है किन्तु अब तक ऐसा करने में सफल नहीं हो पाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने और कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग) सरकार राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम, 1995 के तहत राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण का गठन कर रही है। अधिनियम में

व्यक्ति, सम्पत्ति और पर्यावरण को हुए नुकसान तथा इससे जुड़े मामलों या घटनाओं के संबंध में राहत प्रदान करने और क्षतिपूर्ति के उद्देश्य से किसी परिसंकटमय पदार्थ के हस्तालन के समय होने वाली दुर्घटना से होने वाली हानि और इस प्रकार की दुर्घटनाओं से उत्पन्न मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए पूर्ण उत्तरदायिता का प्रावधान है। न्यायाधिकरण के गठन में मुख्य कठिनाई न्यायाधिकरण की अध्यक्षता के लिए उपयुक्त व्यक्ति की उपलब्धता का होना रही है। मंत्रालय प्रति वर्ष बजटीय आबंटन करता रहा है। चूंकि न्यायाधिकरण का गठन नहीं हुआ है अतः बजटीय प्रावधानों का उपयोग नहीं किया जा सका।

अनुकम्पा के आधार पर नौकरियां

3255. श्री अमर राय प्रधान : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत सभी विभागों के अधिकारियों के नाम और पद नाम क्या हैं जिनका देहान्त सेवा काल के दौरान पिछले पांच वर्षों में हुआ है उनका प्रतिवर्ष और चालू वर्ष के दौरान आज तक कार्यालय–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन अधिकारियों के नाम क्या हैं जिनके पात्र आश्रितों को अभी तक अनुकम्पा के आधार पर उपयुक्त नौकरियां दी गई हैं;

(ग) उन अधिकारियों के नाम क्या हैं जिनके पात्र आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर उपयुक्त नौकरियां दी गई है; और

(घ) दिवंगत अधिकारियों के ऐसे पात्र आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर कब तक नौकरियां दिए जाने की संभावना हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जिन अधिकारियों का देहान्त सेवाकाल के दौरान पिछले पांच वर्षों में और चालू वर्ष में आज तक हुआ है। उनके नाम, पदनाम, व कार्यालय–वार ब्यौरा इस प्रकार है।

विशिष्ट मंत्रालय में

1. डॉ. एस मुदगल, सलाहकार
2. डॉ. एस सी वर्मा, संयुक्त निदेशक (वैज्ञानिक)
3. श्री महेश चन्द शर्मा, दफ्तरी
4. श्री आनन्द कुमार, चपरासी
5. श्री जगदीश चन्दर, दफ्तरी
6. श्री भीमी राम, उ. श्रे. लि.
7. श्री फतेह सिंह, स्टाफ कार ड्राईवर
8. श्री विष्णुवीर, आशुलिपिक ग्रेड–सी
9. श्री अवतार सिंह, स्टाफ कार ड्राईवर

राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय

1. श्रीमती सुषमा रानी, उ. श्रे. लि.

(ख) निम्न अधिकारियों के पात्र आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर उपयुक्त नौकरियां दी गई है :

1. श्री महेश चन्द्र शर्मा, दफ्तरी
2. श्री आनन्द कुमार, चपरासी
3. श्री जगदीश चन्दर, दफ्तरी
4. श्री भीमी राम, उ. श्रे. लि.
5. श्री फतेह सिंह, स्टाफ कार ड्राईवर

(ग) और (घ) श्री अवतार सिंह और श्रीमती सुष्मा रानी के मामलों में उनके आश्रित पात्रों से अनुकम्पा नियुक्ति के लिए अभी तक कोई निवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। डा. एस. सी. मुदगल और डा. एस सी वर्मा के मामलों में उनके आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति उपलब्ध कराना संभव नहीं हो सका। जहां तक श्री विष्णु वीर का संबंध है, अनुकम्पा नियुक्ति के लिए उनकी पत्नी का निवेदन मंत्रालय में सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

कर्नाटक को विश्व बैंक से सहायता

3256. श्री इकबाल अहमद सरडगी :

श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :

श्री शशि कुमार :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए विश्व बैंक से दो सौ मिलियन अमेरिकी डालर की वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक के विशेषज्ञों ने आगे बातचीत के लिए राज्य का दौरा किया हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अन्तिम समझौता हो गया है;

(घ) यदि हां, तो उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन पर इस सहायता से कृषि क्षेत्र में कार्यान्वित किए जाने पर विचार किया जा रहा है; और

(ङ) यह योजना कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ङ) विश्व बैंक ने कोलार, टुमकुर, चित्रदुर्ग, हावेरी तथा धारवाड़ जिलों में पनधाराओं के विकास हेतु कर्नाटक के लिए एक परियोजना स्वीकृत की है जिसका उद्देश्य 2001–02 से पाँच वर्षों की अवधि में एक मिलियन एकड़ क्षेत्र को कवर करना है। परियोजना की कुल लागत 690.2700 करोड़ रुपये है; जिसमें से, विश्व बैंक का शेयर 552.2160 करोड़ रुपये (80 प्रतिशत) होगा। इस आशय के एक करार पर 26.7.2001 को हस्ताक्षर किए गए तथा परियोजना चालू हो गई है ।

योजनाओं के कार्यान्वयन में धीमापन

3257. श्री रामजी मांझी : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय अवास्तविक बजटीय प्रस्ताव तैयार करता रहा है और योजनाओं/कार्यकलापों को लागू करने में धीमापन दर्शाता रहा है जैसाकि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2000 (सिविल) की रिपोर्ट–1 में बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1996–97 में 6 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 1998–99 में 26 प्रतिशत कर राजस्व खंड के तहत धनराशि को खर्च न किए जाने के क्या कारण है;

(ग) अनुमानित योजनाओं/कार्यकलापों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या दोषपूर्ण बजट तैयार करने के लिए अधिकारियों पर जवाबदेही निर्धारित करने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) वर्ष 1998–99 के दौरान योजना एवं योजना भिन्न भाग का बजट आबंटन 819.59 करोड़ रुपए से कम करके संशोधित अनुमानों में 572.60 करोड़ रुपए कर दिया गया था। व्यय 606.19 करोड़ रुपए का हुआ और इस प्रकार संशोधित अनुमानों का पूरी तरह से उपयोग कर लिया गया था।

(ख) से (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते ।

कृषि वस्तुओं का मूल्य

3258. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि वस्तुओं के मूल्य गिर रहे है जबकि कृषि उत्पादन, की लागत दिन–प्रतिदिन बढ़ रही है;

(ख) क्या सरकार द्वारा आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंध उठाने के बाद सस्ती कृषि वस्तुएं भी देश में प्रवेश कर रही है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस रूझान पर नियंत्रण करने के लिए क्या उठाए गए है/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या कृषि परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कृषि संबंधी योजना परिव्यय बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव देश में लंबित है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) कृषि फसलों की उत्पादन लागत खेती की लागत तथा उत्पादकता पर निर्भर होती है। तदनुसार, यदि उत्पादकता में वृद्धि की दर खेती की लागत से अधिक हो, तो ऐसी फसलों की उत्पादन लागत में वास्तव में गिरावट आ सकती है। इसके विपरीत, उत्पादन लागत बढ सकती है। इस प्रकार कुछ वर्षों की अवधि में उत्पादन लागत में उतार–चढ़ाव का प्रतिमान दृष्टिगोचर होता है।

(ख) और (ग) सरकार ने संवेदनशील वस्तुओं के आयात के लिए एक तंत्र बनाया है और विश्व व्यापार समझौते के अन्तर्गत किए गए विभिन्न उपायों के माध्यम से घरेलू उत्पादकों को पर्याप्त संरक्षण प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है। इन उपायों में बंधित स्तरों के भीतर अनुप्रयुक्त टैरिफों का समुचित अंशाकन, कुछ विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में एन्टी डम्पिंग एवं सममूल्य शुल्क लगाना एवं सुरक्षात्मक कार्रवाई करना शामिल है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

उपयोगिता प्रमाण पत्र

3259. श्री रघुनाथ झा : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने 2002 की अपनी रिपोर्ट सं. 5 में यह प्रकाशित किया है कि 659.09 करोड़ रुपये के अनुदान के लिए 5432 उपयोगिता प्रमाणपत्रों में से 451.51 करोड़

रुपए की राशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र का 68.51 प्रतिशत तीन वर्षों से भी अधिक समय से उनके मंत्रालय पर बकाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन उपयोगिता प्रमाण–पत्रों को और अधिक विलम्ब के बिना प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए है;

(घ) क्या उपयोगिता प्रमाणपत्र की प्राप्ति को सुनिश्चित न करने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित करने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ङ) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2002 की रिपोर्ट संख्या 5 में वर्ष 1981–82 से वर्ष 1998–99 तक की अवधि के बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की संख्या शामिल है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय अपने मौजूदा स्वरूप में वर्ष 1985 में गठित किया गया था और इससे पहले वन और वनजीव कृषि मंत्रालय के भाग थे। बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों के बारे में राज्य/स्वायत्त निकायों/गैर सरकारी संगठनों सहित अनुदानग्राही संस्थानों के साथ मिलान की कार्रवाई की गई है और इन्हीं के आधार पर बकाया राशियों को निपटाया जा रहा है। चूंकि प्रक्रियात्मक पहलुओं के कारण उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत नहीं किया जा सका इसलिए किसी की जिम्मेदारी निर्धारित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में यात्री निवास

3260. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में यात्री निवास के निर्माण हेतु जम्मू और कश्मीर समेत विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(ग) इन राज्यों में किन–किन स्थानों पर यात्री निवासों का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) राज्य सरकारों के परामर्श से प्राथमिकता प्रदत्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर वर्ष 2000–2001 तथा 2001–2002 के दौरान स्वीकृत यात्री निवासों की संख्या और राज्य–वार अवमुक्त की गई राशि संलग्न विवरण में दर्शायी गयी है। देश के विभिन्न स्थानों में यात्री निवासों की चल रही परियोजनाओं के लिए वर्ष 2001–2002 के दौरान 647.93 लाख रुपयों की राशि भी अवमुक्त की गई है, जिसमें से जम्मू कश्मीर राज्य के गुलमर्ग में बाबा रेशी में यात्रिका के निर्माण के लिए 15.00 लाख रुपए अवमुक्त किए गए हैं।

(ग) पर्यटन विभाग, भारत सरकार राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को प्रत्येक वर्ष उनके परामर्श से, यात्री निवासों के निर्माण सहित विभिन्न अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

विवरण

वर्ष 2000–2001 एवं 2001–2002 के दौरान स्वीकृत यात्री निवास परियोजनाओं की संख्या दर्शाते हुए विवरण

(लाख रुपयों में)

क्रम सं.	राज्य परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4
	2000-2001		
1. कर्नाटक	1. मंगासुली बेलगाम जिले में यात्री निवास	56.00	44.80
	2 हजरत फकीर शाह वली दरगाह में यात्री निवास	56.00	16.80
	3. दत्तात्रेय पीठ में यात्री निवास	56.00	44.80
	4. बिलिगिरी, रंगना बेट्टा में यात्री निवास	56.00	16.80
	5. मलाई मंदिर में यात्री निवास	56.00	16.80

1	2	3	4
2. महाराष्ट्र	नान्देड में यात्री निवास	50.00	15.00
3. उड़ीसा	हिन्दुला पीठ में यात्री निवास	25.03	7.50
4 पंजाब	जालन्धर स्थित यात्री निवास का उन्नयन	20.00	4.03
5. तमिलनाडु	यल्लौर जिले येलागिरि में यात्री निवास का निर्माण	30.00	9.00
	2001-2002		
1. अरुणाचल प्रदेश	रोंइग में यात्री निवास	56.00	0.10

[अनुवाद]

श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

3261. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में सभी श्रेणियों के श्रमिकों के कल्याणार्थ बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनसे कितने श्रमिक लाभान्वित हुये हैं?

श्रम मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

रांची विमानपत्तन का आधुनिकीकरण

3262. श्री लक्ष्मण गिलुवा :

प्रो. दुखा भगत :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार रांची विमानपत्तन को आधुनिक बनाने और उन्नयन करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या रांची को अन्य महानगरों से जोड़ने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) रांची में स्थित मौजूदा हवाई अड्डा अपने वहां से मौजूदा यातायात को हैंडल करने के लिए उपयुक्त है। तथापि, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इसके आनगोइंग अपग्रेडेशन/आधुनिकीकरण के अंश के रूप में, नगर की ओर एक माडर्न कनोपी की व्यवस्था की है और उसने लगभग एक करोड़ रुपए की लागत से कार पार्क एरिया का विस्तार किया है। इसके अतिरिक्त, 10वीं योजना अवधि के दौरान 500 यात्रियों की आवाजाही के लिए टर्मिनल भवन का विस्तार करने का भी प्रस्ताव है। इस कार्य के लिए वार्षिक योजना 2002-03 में एक करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है।

(ख) से (घ) एयरलाइनें मार्ग संवितरण मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर अपनी-अपनी प्रचालन सेवाओं की योजना बनाती हैं। इंडियन एयरलाइंस/एलाइंस एयर रांची को पटना, दिल्ली, मुम्बई, लखनऊ तथा कोलकाता के साथ हवाई मार्ग से जोड़ रही हैं।

[अनुवाद]

संगठित और असंगठित क्षेत्र में बेरोजगारी

3263. श्री जे.एस. बराड़ : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 2001 की स्थिति के अनुसार संगठित और असंगठित क्षेत्र में राज्य-वार कितने कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल कामगार हैं; और

(ख) 1 जनवरी, 2002 की स्थिति के अनुसार ऐसे कितने कामगार बेरोजगार हैं और 31 दिसम्बर, 2002 तक कितने कामगारों को रोजगार दिए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा 1999-2000 के दौरान किए गए सर्वेक्षण के अनुसार देश में 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के क्रमशः लगभग 1.6

प्रतिशत, 0.5 प्रतिशत, 6.9 प्रतिशत तथा 2.8 प्रतिशत ग्रामीण पुरूष, ग्रामीण महिला, शहरी पुरुष एवं शहरी महिला जनसंख्या ने 10वीं स्तर तथा उससे अधिक शिक्षा पूर्ण करके औपचारिक प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल अर्जित कर लिया था। राज्य–वार ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा 1999–2000 के दौरान किए गए सर्वेक्षण के अनुसार जनवरी, 2000 को देश में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या सामान्य प्रमुख एवं गौण स्थिति दृष्टिकोण के अनुसार बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या लगभग 90 लाख थी। 1994–2000 के दौरान रोजगार अवसरों की औसत वृद्धि दर प्रति वर्ष लगभग 0.98 प्रतिशत थी। 2002 के दौरान यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 1994–2000 के समान रहती है, तो 2002 के दौरान रोजगार अवसरों में भी पिछले वर्षों के समान ही वृद्धि होगी।

[हिन्दी]

पट्टा लाइसेंस के लंबित मामले

3264. श्री कैलाश मेघवाल : क्या **कोयला और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष के दौरान सरकार के पास राजस्थान राज्य से संबंधित सर्वेक्षण पट्टा लाइसेंसों, प्राथमिक और हितीयक खनिजों के विवाद की अपील/संशोधन और अन्य लंबित मुकदमों की खनिज–वार और विषय–वार संख्या कितनी है;

(ख) ये मामले किस तारीख से लंबित पड़े हैं; और

(ग) इनका निपटान कब तक कर लिए जाने की संभावना है?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) टोही परमिट, पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टे देने हेतु केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन हेतु राजस्थान सरकार से प्राप्त 10 मामले लंबित हैं। इनमें से 5 मामले वर्ष 2001 की दूसरी छमाही में प्राप्त हुए तथा पांच मामले वर्ष 2002 की पहली तिमाही में प्राप्त हुए। इसके साथ, पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान सरकार के निर्णय के विरुद्ध दायर पुनरीक्षण आवेदन के 59 मामले केन्द्रीय अधिकरण (खान) में लंबित हैं।

[अनुवाद]

जैव संवर्धित फसलें

3265. श्री सईदुज्जमा : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नवदनय ने नई दिल्ली (21 जनवरी, 2002) और देहरादून में जैव संवर्धित फसलों पर एक पैनल परिचर्चा आयोजित की थी जिसमें अग्रणी भारतीय वैज्ञानिकों के साथ–साथ मैक्सिको, जर्मनी और इथोपिया के तीन अग्रणी वैज्ञानिकों और कार्यकर्त्ताओं ने भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस संबंध में कई सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी सम्पूर्ण ब्यौरा क्या है और इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है/प्रस्तावित है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) जी नहीं। इस विषय पर कार्य कर रहे भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों को नवदनय द्वारा आयोजित पैनल विचार–विमर्श के संबंध में कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अलवर में संगमरमर खान परियोजना को मंजूरी

3266. डा. जसवंतसिंह यादव : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास अलवर (अरावली की पहाड़ियों) में संगमरमर खान परियोजनाओं के बहुत से प्रस्ताव 1992 से पर्यावरणीय मंजूरी के लिये लंबित पड़े है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार इन प्रस्तावों को शीर्ष मंजूरी देने के लिये क्या कदम उठा रही है?

पर्यावरण ओर वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग) जी नहीं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने दिनांक 29 नवंबर, 1999 की अधिसूचना एस ओ 1189 (अ) के अनुसार 7 मई, 1992 की अरावली अधिसूचना के उपबंधों के अन्तर्गत पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता वाले प्रस्तावों पर निर्णय लेने की शक्तियां संबंधित राज्य सरकारों को दे दी है।

[हिन्दी]

देश के कलाकारों को सहायता

3267. श्री रामदास रूपला गावीत : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या मापदंड निर्धारित किये हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां। संस्कृति विभाग ऐसी अनेक स्कीमें चला रहा है जिनके तहत स्वदेशी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इनमें से कुछ स्कीमों के नाम इस प्रकार हैं :

(1) जनजातीय/लोक कला एवं संस्कृति का संवर्धन एवं प्रसार।

(2) विशिष्ट प्रदर्शनकारी कला परियोजनाओं हेतु व्यावसायिक समूहों तथा व्यक्तियों को वित्तीय सहायता।

(3) संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत युवा कार्यकर्ताओं को छात्रवृत्ति।

(4) प्रदर्शनकारी, साहित्यिक तथा प्लास्टिक कलाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट कलाकारों को वरिष्ठ/कनिष्ठ फेलोशिप प्रदान करना।

(5) नए क्षेत्रों में उत्कृष्ट कलाकारों को वरिष्ठ/कनिष्ठ फेलोशिप प्रदान करना।

(6) साहित्य, कला तथा जीवन के अन्य क्षेत्रों के ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों जो विपन्न परिस्थितियों में रह रहे हों और उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता।

(ख) इन स्कीमों के ब्यौरे विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए हैं, जो संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

[अनुवाद]

शमशाबाद हवाई अड्डे के विस्थापितों का पुनर्वास

3268. डा. एन वेंकटस्वामी :

श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मानवाधिकार मंच आवास और काश्तकारी अधिकार अभियान की ओर से आंध्र प्रदेश के शमशाबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्थापितों के पुनर्वास की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी जानकारी प्राप्त हुई थी कि सरकार की ओर से समुचित पुनर्वास और मुआवजा पैकेज न मिलने की स्थिति में गांव गलवागुड़ा के लगभग 200 प्रभावित व्यक्तियों ने आत्महत्या करने की धमकी दी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनकी मांग पर विचार किया है; और

(घ) उस पुनर्वास पैकेज का ब्यौरा क्या है जिसकी योजना बनाई जा रही है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, मानवाधिकार मंच और आवास एवं काश्तकारी अभियान अधिकार मंच ने उन लोगों के पुनर्वास की मांग नहीं की है जो आंध्र प्रदेश में शमशाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना की वजह से विस्थापित हो गए थे। साथ ही, ऐसी भी कोई रिपोर्ट नहीं हैं जो, गांव गनवागुड़ा के किसी व्यक्ति द्वारा इस बात को लेकर कि यदि सरकार उनका उपयुक्त पुनर्वास करने तथा उचित प्रतिपूर्ति पैकेज देने में असफल रही तो वह आत्महत्या कर लेगा, की धमकी दी हो।

(ग) और (घ) रंगा रेड्डी जिले के गनवागुड़ा, चिन्ना गोलापल्ली तथा अनंतरेड्डी गुडा के 422 परिवारों का पुनर्वास किया जा रहा है। राज्य सरकार ने हुडा की खाली भूमि पर प्रत्येक विस्थापित परिवार के आवास के लिए 250 वर्ग गज भू–खंड मुहैया कराने पर विचार किया है। प्रभावित परिवारों को भूमि अधिग्रहण अधिनियम के उपबंध के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा और विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार द्वारा पुनर्वास पैकेज अनुमोदित किया गया है और इसके लिए 6 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

आन्ध्र प्रदेश में मत्स्य पत्तन

3269. श्री राम मोहन गाड्डे :

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार आन्ध्र प्रदेश सरकार की और से राज्य के कृष्णा जिले में मछलीपटनम मत्स्य पत्तन के निर्माण हेतु 640 लाख रुपए मंजूर करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसकी मंजूरी प्रदान कर दी गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) मछलीपत्तनम में मत्स्यन बंदरगाह के विकास के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार के मूल प्रस्ताव को 470.88 लाख रुपए की कुल लागत के साथ मार्च 1996 में भारत सरकार ने मंजूरी दे दी थी। इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 235.44 लाख रुपए की सम्पूर्ण 50 प्रतिशत केन्द्रीय हिस्से की राशि राज्य सरकार को जारी की जा चुकी है। भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसार इस परियोजना को हर हालत में मार्च के अंत से पहले पूरा हो जाना चाहिए था किन्तु राज्य सरकार ने इसकी बजाए 640 लाख रुपए की राशि के संशोधित लागत अनुमान प्रस्तुत किए थे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) संशोधित लागत अनुमान की जांच करने पर यह देखा गया है कि भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना अतिरिक्त सुविधाओं को शामिल करने के अलावा राज्य सरकार ने कुछ सरंचनाओं में मूल रूप से अनुमोदित डिजाइन में संशोधन किया है। कुछ पूर्व अनुमोदित मदों पर संशोधित लागत अनुमान में विचार नहीं किया गया है। केन्द्रीय प्रायोजित योजना के प्रावधान के अनुसार, जिसके तहत मूल प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, स्वीकृत परियोजना की मूल्य वृद्धि की केवल दो परिस्थितियों के तहत ही अनुमति दी जाती है अर्थात (1) प्राकृतिक आपदाओं जैसे चक्रवात आदि के कारण अधिक समय का लगना, (2) न्यायालय में ठेकेदारी कार्यों पर विवाद। इसलिए मूल्य वृद्धि के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा मंजूरी प्रदान नहीं की गई है।

आंध्र प्रदेश में भूमि की उपजाऊ क्षमता में गिरावट

3270. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में अधिक निवेश और अधिक उत्पादन वाली फसलों की गहन खेती के कारण भूमि की उपजाऊ क्षमता में भारी गिरावट आई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला–वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, उच्च आदानों और उच्च उपज देने वाली किस्मों के साथ गहन फसलन के कारण मृदा उर्वरता में थोड़ी कमी आई है। वर्ष 1996–97 से 2000–01 तक एन.पी.के. के उर्वरकता सूचकांक का जिला–वार तुलनात्मक ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

आंध्र प्रदेश में वर्ष 1996–97 से 2000–2001 तक एन.पी.के. के उर्वरकता सूचकांक का तुलनात्मक विवरण।

क्र.सं.	जिला	नाइट्रोजन					फास्फोरस					पोटेशियम				
		1996–97	1997–98	1998–99	1999–00	2000–01	1996–97	1997–98	1998–99	1999–00	2000–01	1996–97	1997–98	1998–99	1999–00	2000–01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	श्रीकाकुलम	1.26	1.26	1.93	1.75	1.96	1.52	1.62	1.45	1.41	1.49	–	–	2.14	1.97	1.99
2.	विजयानगरम	1.59	1.54	1.44	1.54	1.55	1.60	1.38	1.31	1.43	1.60	2.30	–	2.27	2.18	2.14
3.	विशाखापत्तनम	1.93	1.65	1.32	1.22	1.57	1.25	1.32	1.28	1.63	1.79	2.20	2.20	2.20	2.31	2.46
4.	पूर्वी गोदावरी	1.86	1.96	2.03	1.78	1.45	1.56	1.62	1.57	1.62	1.70	2.90	–	2.75	2.96	1.70
5.	पश्चिम गोदावरी	1.63	1.87	1.73	2.56	1.46	1.76	1.68	1.55	1.40	1.40	2.80	2.46	2.73	2.94	2.56
6.	कृष्णा	1.27	1.51	1.50	1.48	1.60	1.83	1.56	1.59	2.20	1.54	2.70	–	2.61	2.58	2.51
7.	गुन्टूर	1.27	1.29	1.23	1.27	1.51	1.04	1.09	1.37	1.49	1.66	2.90	2.95	2.96	2.61	2.83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.	प्रकाशम	1.03	1.14	1.19	1.33	1.31	1.06	1.08	1.22	1.42	1.39	2.90	2.97	2.86	2.59	2.55
9.	नेलौर	1.33	1.24	1.35	1.41	1.72	1.06	1.18	1.25	1.53	1.54	2.30	2.27	2.34	2.60	2.34
10.	चित्तूर	1.09	1.04	1.01	1.01	1.14	1.32	1.27	1.38	1.30	1.38	2.30	2.19	2.20	2.26	2.17
11.	कुडप्पा	1.79	1.21	1.18	1.25	1.24	1.04	1.03	1.04	1.12	1.22	2.80	2.92	2.81	2.73	2.85
12.	कुरनूल	1.55	1.24	1.02	1.16	1.29	1.08	–	1.13	1.18	1.35	2.70	2.52	2.57	2.67	2.87
13.	अनतपुर	1.25	1.23	1.27	1.19	1.59	1.22	1.27	1.48	2.02	1.30	2.80	2.85	2.79	2.71	2.69
14.	महबूबनगर	1.41	1.29	1.32	1.82	1.60	1.41	1.56	1.43	1.74	1.37	2.60	–	2.32	2.24	2.49
15.	नालगौंडा	2.13	2.14	2.02	1.90	1.45	1.83	2.24	1.90	2.25	1.68	2.30	1.68	2.53	2.44	2.42
16.	खम्माम	1.73	1.49	1.68	1.75	1.56	1.74	1.63	1.60	1.52	1.51	2.55	2.45	2.33	2.31	2.48
17.	वारंगल	1.38	1.11	1.14	1.27	1.24	1.89	1.97	2.02	1.84	1.98	2.30	2.22	1.94	2.22	2.66
18.	करीमनगर	1.76	1.73	1.38	1.38	1.93	2.29	2.26	2.04	2.14	1.55	2.60	2.80	2.69	2.33	2.06
19.	आदिलाबाद	1.49	1.38	1.30	1.81	1.58	1.05	1.13	1.06	1.08	1.15	2.90	–	1.89	2.87	2.76
20.	निजामाबाद	1.05	1.83	1.02	1.02	1.03	1.11	1.11	1.04	1.19	1.55	1.60	2.60	2.71	2.22	2.12
21.	मेडक	1.54	1.51	1.56	2.32	1.72	1.48	1.04	1.04	1.06	1.36	2.60	2.77	2.73	2.69	2.70
22.	रंगा रेड्डी	1.26	1.32	1.34	1.35	1.98	1.61	1.90	2.18	1.99	1.75	2.32	2.68	2.59	2.57	2.27

नोट : उर्वरकता सूचकांक रेटिंग 0 से 1.66 – कम, 1.67 से 2.33 – मध्यम, > 2.33 – उच्च।

ओलिव रिडली टरटल्स को खतरा

3271. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिनांक 6 मार्च, 2002 के "द इकॉनामिक टाइम्स" में प्रकाशित समाचार के अनुसार तेल कंपनियों के कारण ओलिव रिडली टरटल्स को खतरा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने संबंधित तेल कम्पनियों को कोई सुझाव दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में किए गए समझौते या लिए गए निर्णय क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, हाँ। (ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अनुसंधान कार्य में व्यापक परिवर्तन

3272. श्री बी. के. पार्थसारथी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विश्व व्यापार संगठन के निदेशों को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान कार्य में व्यापक परिवर्तन का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी हां। कृषि अनुसंधान से संबंधित विश्व व्यापार संगठन के आदेशों पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में विचार–विमर्श किया जा रहा है तथा परिषद के कागजात नामतः "परिदृश्य 2020" में इन्हें रिकार्ड किया गया है।

(ख) विश्व व्यापार संगठन की स्थापना से कृषि से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्रान्तिकारी परिवर्तन आए हैं। परिषद ने इस तथ्य को माना है कि विश्वभर में कृषि परिदृश्य में विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के अनुसार परिवर्तन आ रहे हैं तथा इस बात पर बल दिया है कि अनुसंधान प्राथमिकता के क्षेत्र में विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों को ध्यान में रखा जाए। "परिदृश्य 2020" में भी इस तथ्य का समावेश किया गया है कि उत्पादन के क्षेत्र में अधिक कारगरता विश्वव्यापी बाजार में देश की सफलता की कुंजी है। भारतीय कृषि की प्रतियोगिता को बनाए रखने और इसमें सुधार लाने में लागत प्रभावी उत्पादन प्रौद्योगिकियों का विकास तथा प्रसार महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। इसके अतिरिक्त, अनुसंधान प्राथमिकता निर्धारण में बाजार संबंधी व्यापक जानकारी के विकास और इसके उपयोग पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उत्पाद की गुणवत्ता तथा स्वरूप पर अनुसंधान को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। गुणवत्ता की जांच के लिए संदर्भ प्रयोगशालाओं की स्थापना पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से पर्यावरण मित्र पैकेजिंग तथा परिवहन को प्राथकिता दी जाएगी। शुल्क के अतिरिक्त अन्य अवरोधों को दूर करने से संबंधित तरीके निकालने पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए। विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में भा.कृ.अ.प. के कागजात "परिदृश्य 2020" में इन क्षेत्रों पर बल दिया है तथा भा.कृ.अ.प. के सभी संबंधित संस्थानों, राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों तथा परियोजना निदेशालयों से उनकी अनुसंधान रणनीतियों में उपरोक्त उद्देश्यों को शामिल करने का आग्रह किया गया है।

[हिन्दी]

पशु बाड़ा योजना (कैटल शैड स्कीम)

3273. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित दयोदया कैटल ब्रीडिंग एंड एनवायरनमेंट सैन्टर के लिए कोई पशुबाड़ा योजना मंजूर की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को मंजूरी दिए जाने के बाद से कितना अनुदान दिया गया है या दिए जाने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित दयोदया कैटल ब्रीडिंग एंडन एनवायरनमेंट सेन्टर ने पशुओं की देखभाल के लिए आश्रय घर के प्रावधान के लिए इस प्रभाग की स्कीम के अन्तर्गत सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। तथापि, आवेदक से निर्धारित दस्तावेजों के अभाव के कारण प्रस्ताव अपने वर्तमान स्वरूप में अपूर्ण हैं।

[अनुवाद]

राज्यों पर सरकार की बकाया राशि

3274. श्री जी. एस. बसवराज : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत वर्ष 1999 से विभिन्न कृषि वस्तुओं की खरीद के कारण राज्यों पर सरकार की बकाया देयताएं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को कर्नाटक सरकार की तत्संबंधी देयताओं का निपटान करना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) मण्डी हस्तक्षेप योजना के कार्यान्वयन में हुए घाटे का केन्द्रीय सरकार का अंश खाते के अन्तिम निपटाने के बाद संबंधित राज्य सरकार को निर्गत कर दिया गया है।

(ख) और (ग) प्याज और आलू की खरीद के लिए मण्डी हस्तक्षेप योजना 1996–97 और 1997–98 में कार्यान्वित की गई थी। राज्य द्वारा नामित एजेंसी बागवानी उत्पादक सहकारी विपणन एवं प्रसंस्करण समिति लिमिटेड ने खाते का ब्यौरा प्रस्तुत किया था, जो मण्डी हस्तक्षेप योजना की स्वीकृत शर्तों के अनुसार नहीं था। कर्नाटक सरकार से मण्डी हस्तक्षेप योजना की स्वीकृत शर्तों के अनुसरण में आलू और प्याज से संबंधित खातों का संशोधित ब्यौरा प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। खाते के अन्तिम निपटान के उपरान्त घाटे का केन्द्रीय सरकार का अंश संबंधित एजेंसियों को निर्गत कर दिया जाएगा। कर्नाटक में 2000 तथा 2001 मौसम के दौरान आयल पाम की खरीद के लिए भी मण्डी हस्तक्षेप योजना कार्यान्वित की गई थी। मण्डी हस्तक्षेप योजना की स्वीकृति शर्तों के अनुसरण में 2000 मौसम से संबंधित खातों का ब्यौरा प्राप्त हो गया है और घाटे का केन्द्रीय सरकार का अंश भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के माध्यम से कर्नाटक सरकार को निर्गत कर दिया गया है। 2001 मौसम से संबंधित खाते अभी निपटान हेतु कर्नाटक सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं।

नई कोयला खानों में नए कोयला भंडार

3275. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या **कोयला और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा हाल ही में पता लगाई गई नई कोयला खानों में समाविष्ट कोयला भंडारों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा इस कोयले का निजी कंपनियों या सरकारी एजेंसियों के माध्यम से उत्खनन किए जाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) ने सूचित किया है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में दो नए संभावित कोयला धारी क्षेत्रों की पहचान की गई है।

(1) डोमरा क्षेत्र, बर्द्धमान जिला : यह क्षेत्र रानीगंज कोलफील्ड के सुदूर पूर्व विस्तार को निर्देशित करता है। 917.77 मिलियन टन के कुल भंडार की पुष्टि की गई है।

(2) बीरभूम कोलफील्ड, बीरभूम जिला : इस कोलफील्ड में 3795.45 मिलियन टन के भंडार की पहले ही पुष्टि की गई है। पचमी क्षेत्र में कोलफील्ड के दक्षिण – मध्य भाग में 156 मी. की अधिकतम रिकार्ड वाली मोटाई सहित 118 मी. के साथ कोयले वाला सुपर थिक सीम जोन रिकार्ड किया गया है। अतिरिक्त संसाधन मुहैया कराने के लिए इस कोलफील्ड के दूसरे क्षेत्रों में अन्वेषणात्मक कार्यकलाप किए जा रहे हैं।

दोनों क्षेत्रों में कोयला 150–300 मीटर की गहराई पर, हार्ड बेसाल्टिक चट्टानों तथा अन्य तलछटों के कवर में प्राप्त होता है। भंडारों का ब्यौरा निम्नानुसार दिया गया है : –

	गहराई		जोड़	
डोमरा क्षेत्र में भंडार	0–300 मी.	300–600 मी.	600–1200 मी.	0–1200 मी.
		345.04 मिलियन टन	572.73 मिलियन टन	917.77 मिलियन टन
बीरभूम कोलफील्ड में भंडार	378.02 मिलियन टन	2595.89 मिलियन टन	821.54 मिलियन टन	3795.45 मिलियन टन

हाल के वर्षों में ट्रांस दामोदर क्षेत्र में अन्वेषण के अलावा, रानीगंज कोलफील्ड के दक्षिण–पूर्वी सीमा प्रान्त में उथली गहराई पर कोयले का होना प्रमाणित हुआ है। अभी तक इस क्षेत्र में 170 मिलियन टन भंडार की पुष्टि की गई है जिनमें से 70 प्रतिशत से अधिक कोयला सतह से 300 मी. की गहराई के भीतर है। क्षेत्र की पूर्ण संभाव्यता की पुष्टि करने के लिए अन्वेषणात्मक कार्यकलाप प्रगति पर हैं।

(ख) बीरभूम कोलफील्ड में दो ब्लाकों नामतः दिवानगंज और दिओचा–पचमी की जिनका भूगर्भीय भंडार 38 मिलियन टन तथा 2025 मिलियन टन है, कैप्टिव माइनिंग के लिए पहचान की गई है। अभी तक इन ब्लाकों के लिए प्राइवेट पार्टियों द्वारा मांग नहीं की गई है। सी.आई.एल. ने बीरभूम में किसी भी ब्लॉक को भविष्य में खनन के लिए नहीं रखा है।

हवाई अड्डों पर प्रयोक्ता शुल्क

3276. श्री टी. गोविन्दन : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर यात्रियों से अब भी "प्रयोक्ता शुल्क" वसूल किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में यात्रियों या किन्हीं संगठनों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इन पर क्या कार्रवाई की है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) और (ख) कालीकट हवाई अड्डे (जो भा.वि.प्रा का है) तथा कोचीन अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे लि. (जो संयुक्त क्षेत्र में है) पर प्रयोक्ता शुल्क वसूला जा रहा है। कालीकट हवाई अड्डे पर अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों से विमान में चढ़ते समय 375/– रु. की दर से प्रयोक्ता विकास अतिरिक्त शुल्क (यूडीएएफ) वसूला जा रहा है। कोचीन अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लि. शिशुओं को छोड़कर विमान में चढने वाले प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय यात्री से 500/– रु. की दर से सेवा शुल्क चार्ज कर रहा है।

(ग) और (घ) कालीकट हवाई अड्डे से यूडीएएफ को हटाने के संबंध में समय–समय पर अभ्यावेदन पत्र प्राप्त होते रहे हैं।

यूडीएएफ को तब तक हटाना व्यवहार्य नहीं होगा जब तक हुडकों से कालीकट हवाई अड्डा विकास हेतु लिए गए ऋण की पूर्णतः चुकौती नहीं हो जाती।

सी.आर. जैड दिशानिदेशों के अंतर्गत लंबित परियोजनाएं

3277. श्री एन.टी. षणमुगम : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास सी.आर. जैड दिशानिदेशों के अंतर्गत बड़ी संख्या में परियोजनाएं मंजूरी के लिए लंबित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार और परियोजना–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को तमिलनाडु की ओर से सी.आर. जैड दिशानिदेशों के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी प्रदान करने संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रत्येक लंबित परियोजना को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) पूरी सूचना प्राप्त करने के लिए तटीय विनियमन क्षेत्र मंजूरी के लिए विभिन्न तटीय राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की इक्कीस परियोजनाएं लंबित हैं। यह परियोजनाएं पोर्ट/जैट्टी, समुद्र लिंक, सड़क, मण्डारण और पाइपलाइन, गोल्फ कोर्स और बीच रिसार्टों के निर्माण से संबंधित है। राज्यवार ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है :–

अण्डमान एवं निकोबार	2
गोवा	2
गुजरात	2
कर्नाटक	4
केरल	2
लक्षद्वीप द्वीपसमूह	4
महाराष्ट्र	3
तमिलनाडु	1
पश्चिम बंगाल	1

(ग) और (घ) तमिलनाडु सरकार से हाल ही में लंबित परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी प्रदान करने के बारे में कोई विशेष अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) इन परियोजनाओं पर निर्णय लेने से पूर्व अपेक्षित सूचना प्राप्त करने और उनकी जांच करने की आवश्यकता होगी।

नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन

3278. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या **कोयला और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एन. एल.सी.) के माध्यम से विभिन्न शीर्षों/उत्पादनों के तहत कितनी आय अर्जित की है; और

(ख) गत तीन वर्ष के दौरान एन.एल.सी. लिमिटेड और केन्द्र सरकार ने प्रतिवर्ष तमिलनाडु को कितनी रायल्टी का भुगतान किया और राज्य सरकार को अन्य कौन–कौन से लाभ दिए?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) पिछले तीन वर्षों के लिए नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के माध्यम से संघ सरकार द्वारा अर्जित आय निम्नानुसार है :–

(लाख रु. में)

विवरण	1998 –99	1999 –2000	2000 –2001
सरकारी ऋण पर ब्याज	3185	1557	766
लाभांश	0	*8444	**11821
बिक्री कर (केन्द्रीय)	109	86	83
उत्पादन शुल्क	108	84	63
सीमा शुल्क	8124	6591	7098
निगमित कर	40080	40577	36389
लाभांश कर	0	988	1844
सम्पत्ति कर	0	1	1
के.एफ.डब्ल्यू ऋण के लिए गारंटी शुल्क	83	441	567
जोड़	51689	58769	58632

* वर्ष 1998-99 के लिए घोषित लाभांश से संबंधित।

** वर्ष 1999-2000 के लिए घोषित लाभांश से संबंधित।

(ख) रायल्टी के रूप में भुगतान की गई राशि के वर्ष-वार विवरण तथा तमिलनाडु राज्य सरकार को दिए गए अन्य लाभ निम्नानुसार हैं :-

(लाख रु. में)

विवरण	1998-99	1999-2000	2000-2001
लिग्नाइट पर रायल्टी	452	435	*25455
बिक्री कर (राज्य)	620	391	552
विद्युत उपभोग कर	502	572	423

*रायल्टी के लिए अग्रिम के रूप में भुगतान किए गए 25,000 लाख रुपए शामिल है।

पेस्टनाशियों में मिलावट

3279. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीटनाशकों/पेस्टनाशियों में मिलावट के मामले बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और प्रभाव क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं। गुणवत्ता नियंत्रण हेतु लिए गए नमूनों और उनके विश्लेषण से घटिया नमूनों की प्रतिशतता में वर्ष 1998-99 से 2000-01 के दौरान कमी की प्रवृत्ति देखी गई है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

एअर इंडिया के अधिकारियों की लंदन यात्रा

3280. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 2001 में एअर इंडिया की उड़ान द्वारा दो अफगान नागरिकों को बिना पासपोर्ट या अन्य दस्तावेजों के लंदन की यात्रा करने की घटना की जाँच की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अधिकारिक जांच दल ब्रिटेन भेजा गया था;

(घ) यदि हाँ, तो इस दल में कौन-कौन से अधिकारी थे और उनकी यात्रा पर कितना व्यय हुआ;

(ङ) क्या जांच दल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(च) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार ने इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) से (छ) जी, हां। 28.10.2001 को मुंबई-दिल्ली-लंदन सैक्टर पर प्रचालित एअर इंडिया की उड़ान एआई-111 में चोरी छुपे यात्रा करने वाले (स्टोवावेज) यात्रियों की घटना की जांच करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी जिसमें मंत्रिमंडल सचिवालय के श्री वाई. हरिशंकर, सचिव (सुरक्षा), नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के श्री बी. ऐवल्ली, सुरक्षा आयुक्त, नागर विमानन मंत्रालय के श्री अनुराग गोयल, संयुक्त सचिव तथा आसूचना ब्यूरो के श्री के.एस. बेंस, संयुक्त निदेशक आदि के सदस्य शामिल थे ऊपर लिखित टीम मामले की और जाँच करने के लिए 7 से 9 जनवरी, 2002 को लंदन (यू.के.) गए। टीम की यात्रा पर व्यय की जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी। समिति ने अपनी रिपोर्ट 12.04.2002 को प्रस्तुत कर दी है जिसकी जांच की जा रही है।

गुजरात में हड़प्पा संस्कृति की खोज

3281. श्री शंकर सिंह वाघेला : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के धौलावीरा स्थान पर प्राचीन हड़प्पा संस्कृति के एक शहर की खोज की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार धौलावीरा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक संग्रहालय बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितना वित्तीय आबंटन किया गया है; और

(ङ) इस परियोजना का काम कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

पर्यटन ओर संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) जी, हाँ। धौलावीरा, जिला कच्छ, गुजरात में उत्खनन कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1990 से रूक-रूक कर किए जा रहे हैं। उत्खननों से परम्परागत हड़प्पाकालीन योजना, जल प्रबंधन, अभिलेखों,

मुहरों, मुद्रांकणों, बांटों और मृद–भाण्डों का पता चला है जो ईसा पूर्व तीसरी सहस्राब्दि के आरंभ से लेकर लगभग 1500 ई.पू. के अंत तक की समयावधि की क्रमागत सांस्कृतिक प्रावस्थाओं के लक्षणों को दर्शाते हैं।

(ग) से (ङ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का धौलावीरा में एक संग्रहालय बनाने का विचार है। तथापि, इस बारे में अभिकल्प, स्थान, वित्तीय व्यवस्था, इत्यादि के सम्बन्ध में अब तक कोई विस्तृत कार्य नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

ऐतिहासिक स्थलों/स्मारकों की सुरक्षा के लिए एक अलग बल

3282. श्री नागमणि : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल ही में संसद पर हुए हमले की घटना को देखते हुए सरकार का विचार ऐतिहासिक स्थलों और स्मारकों की सुरक्षा के लिए एक अलग बल गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) सरकार के विचाराधीन कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है।

केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के नियमित पहरा तथा निगरानी के लिए, स्मारक परिचरों की व्यवस्था की गई है चुनिंदा स्मारकों एवं स्थल संग्रहालयों में पुलिस तथा प्राइवेट सुरक्षा भी तैनात की गई है।

जैविक-उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहन

3283. श्री रतन लाल कटारिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक उर्वरकों के उपयोग से कृषि उत्पादकता में वृद्धि होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) जैवी–उर्वरकों को रासायनिक उर्वरकों का संपूरक माना जाता है न कि प्रतिस्थापी। जैव–उर्वरक पौध पोषक तत्वों का अपेक्षाकृत सस्ता स्रोत है, जो पर्यावरण के अनुकूल भी होते हैं। अभिभावी प्रतिकूल तापमान और मृदा स्थितियों की वजह से सूक्ष्म सप्राण अवयवी होने के कारण जैव–उर्वरकों का बड़े स्तर पर प्रयोग करने में कुछ परिसीमाएं होती हैं, अतः स्थिति विशेष के आधार पर इनका प्रयोग करने के लिए बढ़ावा दिया जाता है।

सरकार रासायनिक उर्वरकों, जैव खादों और जैव–उर्वरकों के माध्यम से पौध पोषक तत्वों के समेकित प्रयोग का प्रचार–प्रसार करती है। पोषक तत्वों के इस प्रकार के संयोजन से मृदा और फसल उत्पादकता की अधिक सततता सुनिश्चित होती है।

उर्वरकों की कमी

3284. श्रीमती जस कौर मीणा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में पोटाश की कमी के कारण भूमि की उर्वरता में गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भूमि की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए किसानों को पोटाश उर्वरक उपलब्ध कराए जा सकते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, नहीं। देश में खाद्यान्न उत्पादन लगातार बढ़ने से यह प्रदर्शित होता है कि सामान्यतः भूमि की उर्वरता में कोई कमी नहीं आई है। वर्ष 1999–2000 के दौरान 208.81 मि. टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ, जिसके वर्ष 2001–02 के दौरान लगभग 211 मि. टन होने की आशा है। कई राज्यों में सूखे जैसी स्थिति के कारण वर्ष 2000–01 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन कम होकर 196 मि. टन रह गया।

तथापि, देश के कुछ क्षेत्रों में उर्वरकों के अपर्याप्त और असंतुलित उपयोग के कारण मृदा की स्थिति और उत्पादकता के गिरने के उदाहरण सामने आये हैं। मृदाओं के विश्लेषण के आधार पर यह देखा गया है कि हमारी कुछ मृदाओं में फसल को प्राप्त होने वाले पोटेशियम की कम आपूर्ति हो रही है और इसके उपयोग की सिफारिश की जाती है।

(ग) और (घ) पोटाशयुक्त उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए सरकार सभी उर्वरकों को मूल्य समर्थन देती है।

[अनुवाद]

स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता

3285. डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्वैच्छिक संगठनों और संस्थाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें गत तीन वर्ष के दौरान पांडुलिपियों के संग्रहण और संरक्षण और पांडुलिपि पुस्तकालयों के रख–रखाव के लिए अनुदान उपलब्ध कराया गया है;

(ख) इन संगठनों और संस्थाओं में से प्रत्येक को कितनी राशि दी गई है; और

(ग) उन स्वैच्छिक संगठनों और पुस्तकालयों का ब्यौरा क्या है जिन्हें उक्त अवधि के दौरान भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की और से तकनीकी और वैज्ञानिक सेवाएं प्रदान की गई थी ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा पांडुलिपियों तथा दुर्लभ पुस्तकों के संरक्षण हेतु चलाई जा रही वित्तीय सहायता की स्कीम के तहत गत तीन वर्षों के दौरान संरक्षण, तालिकाकरण, प्रकाशन, माइक्रोफिल्मिंग, स्टील रैकों/अलमारियों की खरीद आदि के लिए 121 संस्थाओं/स्वैच्छिक संगठनों को 97.51 लाख रु. का अनुदान दिया गया है।

(ख) इन संगठनों तथा संस्थाओं में से प्रत्येक को प्रदान की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया हैं

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा निम्नलिखित स्वैच्छिक संगठनों तथा पुस्तकालयों को तकनीकी तथा वैज्ञानिक सेवाएं प्रदान की गई :–

1999-2000

(1) विश्वेरानंद विश्व बंधु संस्कृति एवं भारत विद्या अध्ययन संस्थान विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़।

(2) मेहरजी राणा पुस्तकालय, नवसारी, गुजरात।

(3) प्रो. अनीसुर रहमान, स्थानापन्न रजिस्ट्रार, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली।

2000-2001

(1) नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं स्कूल नई दिल्ली।

(2) श्री राकेश शर्मा, भारतीय राष्ट्रीय विधि संस्थान, विश्वविद्यालय, नगरभारी पोस्ट, बेंगलूर।

(3) पुस्तकालयाध्यक्ष, गोखले राजनीति शास्त्र तथा अर्थ–शास्त्र संस्थान पुणे।

(4) श्री वेंकेटश्वर, एस एल एन संगठन, ज्योति नगर, आंध्र प्रदेश।

(5) निदेशक, खुदा बख्श ओरियंटल सार्वजनिक पुस्तकालय, पटना।

2001-02

(1) लेफ्टिनेंट जनरल (सेवा निवृत्त) ए.एम. सेठना, मेहरजी राणा पुस्तकालय, नवसारी, गुजरात।

(2) वृंदावन अनुसंधान संस्थान, वृंदावन, उत्तर प्रदेश।

(3) निदेशक, सेंट स्टीफन अस्पताल।

(4) जवाहर लाल नेहरू स्मारक निधि, इलाहाबाद।

विवरण

गत तीन वर्षों अर्थात् 1999–2000, 2000–2001 तथा 2001–2002 के दौरान वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले संगठनों/निजी व्यक्तियों के ब्यौरे

क्र.सं.	संस्थान/निजी व्यक्तियों के नाम	राशि
1	2	3
1999-2000		
1.	कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, बिहार	25,000 रु.
2.	जामिया हमदर्द सेन्ट्रल लाइब्रेरी, नई दिल्ली	1,80,000 रु.
3.	अब्रोल पांडुलिपि पुस्तकालय, जम्मू (तवी)	45,000 रु.
4.	ग्रामीण रूरल डेवलेपमेंट एंड ट्रेनिंग सोसाइटी, कर्नाटक	27,500 रु.

1	2	3
5.	विश्वकर्मा ऐजूकेशन ट्रस्ट, केरल	10,000 रु.
6.	नंद–नंदन शोध समिति, मध्य प्रदेश	10,000 रु.
7.	बोम्बे नैचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, मुम्बई	1,83,000 रु.
8.	केदारनाथ गवेषणा प्रतिष्ठान, उड़ीसा	50,000 रु.
9.	जैन विश्व भारती, राजस्थान	2,00,000 रु.
10.	प्रताप शोध प्रतिष्ठान, राजस्थान	79,000 रु.
11.	बांसबोरिया सार्वजनिक पुस्तकालय, पश्चिम बंगाल	90,000 रु.
12.	असम साहित्य सभा, असम	1,00,000 रु.
13.	महेश्वर प्रसाद सिंह पुस्तकालय, बिहार	10,000 रु.
14.	गांधी स्मारक संग्रहालय, गुजरात	50,000 रु.
15.	टुंग्री गोंपा कल्चरल एंड वेल्फेयर सोसाइटी, जम्मू एवं कश्मीर	25,000 रु.
16.	फंकार कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जम्मू एवं कश्मीर	1,00,000 रु.
17.	मुक्तव दारू अल फिकिर, जम्मू एवं कश्मीर	40,000 रु.
18.	हकीम कलेक्शन कश्मीर	15,000 रु.
19.	रंगडम गोंपा संग्रहालय तथा कल्चरल वेल्फेयर सोसाइटी, लेह	80,000 रु.
20.	बश्वेश्वर आर्ट्स कॉलेज, कर्नाटक	25,000 रु.
21.	ग्राम विकास सोसाइटी, अचरलाहल्ली, कर्नाटक	35,000 रु.
22.	ध्वनि कर्नाटक	20,000 रु.
23.	महाकवि केशव अध्यापन अवाम, मध्य प्रदेश	50,000 रु.
24.	आई वी के राजवाड़े संशोधन मंडल, महाराष्ट्र	40,000 रु.
25.	श्री रणजीत नांगथंग सगोलबंद, मणिपुर	50,000 रु.
26.	जी तोम्बी देव शर्मा हैडमास्टर, मणिपुर	75,000 रु.
27.	आइजोल थियोलॉजिकल कॉलेज, मिजोरम	65,000 रु.
28.	सामाजिक जागरूकता सांस्कृतिक संघ, उड़ीसा	40,000 रु.
29.	महिला उन्नयन, उड़ीसा	20,000 रु.
30.	स्वैच्छिक ग्रामीण विकास संस्थान, उड़ीसा	30,000 रु.
31.	भाई गुरूदास पुस्तकालय, पंजाब	60,000 रु.

1	2	3
32.	पेण्डू साहित सभा, पंजाब	35,000 रु.
33.	श्री हिन्दी साहित्य समिति, राजस्थान	50,000 रु.
34.	मित्र मंडली तरूण समाज समिति, राजस्थान	35,000 रु.
35.	इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज, तमिलनाडु	60,000 रु.
36.	बुंदेलखंड संग्रहालय समिति, उत्तर प्रदेश	30,000 रु.
37.	पंडित गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज इन रूरल डेवलपमेंट, लखनऊ	50,000 रु.
38.	बेली साधारण ग्रंथागार, पश्चिम बंगाल	40,000 रु.
39.	स्मरणीय विचार संग्रह, पश्चिम बंगाल	1,00,000 रु.
40.	नेशनल काउंसिल ऑफ एजूकेशन, पश्चिम बंगाल	1,00,000 रु.
41.	विधान चंद्रा ग्रंथागार, पश्चिम बंगाल	50,,000 रु.
42.	उस्मानिया विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश	70,000 रु.
43.	वी वेंकटा राव इंस्टीट्यूट ऑफ माइको स्टडीज एंड रिसर्च (आई एम एस ए आर), असम	50,000 रु.
44.	अनुनडोरम बरूआ इंस्टीट्यूट ऑफ लैग्वेज, आर्ट एंड कल्चर, असम	55,000 रु.
45.	नटरंग प्रतिष्ठान, दिल्ली	20,000 रु.
46.	दि फर्स्ट दस्तूर मेहरजी राणा पुस्तकालय, गुजरात	2,00,000 रु.
47.	जम्मू एंड कश्मीर इस्लामिक रिसर्च सेंटर, कश्मीर	70,000 रु.
48.	बी.आर. पाटिल एजूकेशन सोसायटी, कर्नाटक	20,000 रु.
49.	जपनद अकादमी, र्नाटक	1,15,000 रु.
50.	श्री रेणुका संघ, कर्नाटक	20,000 रु.
51.	वसावी डेवलपमेंट ट्रस्ट (आर), कर्नाटक	25,000 रु.
52.	नवोदय एजूकेशनल एंड हेल्थ रूरल डेवलपमेंट, कर्नाटक	30,000 रु.
53.	माधव राव सप्रे स्मृति, मध्य प्रदेश	70,000 रु.
54.	श्री टोंगब्राम गौरामा सिंह, मणिपुर	30,000 रु.
55.	राधा माधव संस्कृत महाविद्यालय (कॉलेज), मणिपुर	10,000 रु.
56.	राजस्थानी शोध संस्थान, राजस्थान	60,000 रु.
57.	सेंट जेवियर कॉलेज (स्वायत्त), तमिलनाडु	40,000 रु.
58.	फोक आर्ट्स एंड कल्चर रिसर्च सेंटर, तमिलनाडु	40,000 रु.

1	2	3
59.	वृंदाबन रिसर्च इंस्टीट्यूट, उत्तर प्रदेश	50,000 रु.
60.	शुद्रक, पश्चिम बंगाल	50,000 रु.
2000-2001		
1.	नेचुरलिस्ट्स सोसायटी, आंध्र प्रदेश	75,000 रु.
2.	अबुल कलाम आजाद ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, आंध्र प्रदेश	50,000 रु.
3.	सुंदरय्या ग्रंथालय संस्था, आंध्र प्रदेश	1,30,000 रु.
4.	पी. सुब्रमण्यम गुप्ता, आंध्र प्रदेश (व्यक्तिगत)	30,000 रु.
5.	के.एस.जया राजू, आंध्र प्रदेश (व्यक्तिगत)	1,00,000 रु.
6.	सी.पी ब्राउन मेमोरियल ट्रस्ट, आंध्र प्रदेश	80,000 रु.
7.	सदाऊ ओसाम ग्राम्या पुथीभारल संथा, असम	1,00,000 रु.
8.	श्री जे. एस. ओबेराय, नई दिल्ली (व्यक्तिगत)	75,000 रु.
9.	भाईवीर सिंह साहित्य सदन, नई दिल्ली	1,00,000 रु.
10.	नटरंग प्रतिष्ठान, दिल्ली	50,000 रु.
11.	गांधी स्मारक संग्रहालय, अहमदाबाद	1,00,000 रु.
12.	भारतीय तत्वाज्ञाना मंदिर, गुजरात	50,000 रु.
13.	शुन नन्नेरी/गोन्पा कल्चर एवं वेलफेयर सोसायटी, जम्मू और कश्मीर	60,000 रु.
14.	कोरजोक गोन्पा कल्चरल एंड वेल्फेयर सोसायटी कोरजोक, जम्मू और कश्मीर	50,000 रु.
15.	भगवान बुद्धा फर्स्ट ग्रेड आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, बेंगलूर	1,05,000 रु.
16.	ध्वनि इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट, कर्नाटक	1,85,000 रु.
17.	बुद्धा फर्स्ट ग्रेड आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज महादेश्वरा एक्सटेंशन, कर्नाटक	1,00,000 रु.
18.	सेंट्रल रिसर्च लाईब्रेरी ऑफ लिंगायत स्टडीज, कर्नाटक	1,50,000 रु.
19.	सालुंगफाम कला मेमोरियल मैन्यूस्क्रिप्ट लाइब्रेरी, मणिपुर	2,00,000 रु.
20.	श्री अरवाम लांगोल, मणिपुर (व्यक्तिगत)	40,000 रु.
21.	डॉ. लाल्तलुआंगिलियाना खियांगते एल.टी.एल. लाइब्रेरी एंड आर्काइव्स, मिजोरम (व्यक्तिगत)	50,000 रु.
22.	इंटीग्रेटेड सोशल डेवलपमेंट ऑरगेनाइजेशन (इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी), नागालैण्ड	1,00,000 रु.
23.	अरूण इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल अफेयर्स (ए आई आर ए), उड़ीसा	1,00,000 रु.
24.	लिट्रेसी होम, उड़ीसा	2,00,000 रु.

1	2	3
25.	रूरल एजूकेशनल ऐनवयारनमेंट डेवलपमेंट सोयासटी (आर ई ई डी एस), उड़ीसा	1,00,000 रु.
26.	बंगाल ब्रताचारी सोसायटी, कलकत्ता	50,000 रु.
27.	हरीपदा साहित्य मंदिर, पश्चिम बंगाल	1,50,000 रु.
28.	तालताला पब्लिक लाइब्रेरी, पश्चिम बंगाल	45,000 रु.
29.	जराग्राम माखन लाल, पश्चिम बंगाल	1,40,000 रु.
30.	प्रेसीडेंसी कॉलेस लाइब्रेरी, कलकत्ता	2,00,000 रु.
31.	गुरुसादय दत्त फोक आर्ट सोसायटी, पश्चिम बंगाल	50,000 रु.
32.	दि फ्रेंड्स क्लब, पश्चिम बंगाल	1,75,000 रु.
33.	कलकत्ता मैथमैटिकल सोसायटी, पश्चिम बंगाल	2,00,000 रु.
2001-2002		
1.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, आंध्र प्रदेश	75,000 रु.
2.	कल्चरल म्यूजियम, कालियाबोर कॉलेज, असम	26,000 रु.
3.	हजरत शाह पीर मोहम्मद शाह दरगाह, गुजरात	1,00,000 रु.
4.	दि फर्स्ट दस्तूर मेहरजी राणा लाइब्रेरी, गुजरात	1,26,000 रु.
5.	इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज इन बुद्धिस्ट फिलॉसफी एंड ट्राइबल कल्चरल सोसायटी, हिमाचल प्रदेश	1,00,000 रु.
6.	प्रो. पुष्प स्मारक ट्रस्ट, जम्मू और कश्मीर	60,000 रु.
7.	पंडित कृष्ण दत्त ज्योतषी, जम्मू और कश्मीर (व्यक्तिगत)	25,000 रु.
8.	जम्मू और कश्मीर रूरल वेलफेयर खादी इंस्टीट्यूशन, जम्मू और कश्मीर	35,000 रु.
9.	जम्मू और कश्मीर इस्लामिक रिसर्च सेंटर, कश्मीर	40,000 रु.
10.	श्रुताकावेली एजूकेशन ट्रस्ट (आर), कर्नाटक	50,000 रु.
11.	श्री नटनागर शोध संस्था, मध्य प्रदेश	1,00,000 रु.
12.	केदानाथ गवेषणा प्रतिष्ठान, उड़ीसा	51,000 रु.
13.	कृष्णमूर्ति फाउंडेशन इंडिया, तमिलनाडु	50,000 रु.
14.	अमीर-उद-दौला पब्लिक लाइब्रेरी, उत्तर प्रदेश	50,000 रु.
15.	वृंदावन रिसर्च इंस्टीट्यूट, उत्तर प्रदेश	1,00,000 रु.
16.	नेताजी इंस्टीट्यूट फॉर एशियन स्टडीज, कोलकाता	1,00,000 रु.
17.	बिजान-पंचानन संग्रहशाला एंड गवेषणन केन्द्र विद्यासागरपुर, पश्चिम बंगाल	50,000 रु.

1	2	3
18.	लाल भाई दलपत भाई इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी, अहमदाबाद	2,00,000 रु.
19.	हकीम कलेक्शंस, कश्मीर (व्यक्तिगत)	1,00,000 रु.
20.	रोहित खजूरिया, जम्मू और कश्मीर (व्यक्तिगत)	30,000 रु.
21.	ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कर्नाटक	2,85,000 रु.
22.	पल्ली संस्कृति कला परिषद्, उड़ीसा	50,000 रु.
23.	कृपा सिंधु हाई स्कूल कटक	75,000 रु.
24.	केदारनाथ गवेषण प्रतिष्ठान, उड़ीसा	35,000 रु.
25.	चिल्का भूतपूर्व–सैनिक ऐसोसिएशन, पुरी	40,000 रु.
26.	उड़ीसा साहित्य अकादमी (भारत सरकार का स्वायत्त निकाय), भुवनेश्वर	1,50,000 रु.
27.	प्राची यूथ सोशल ऑरगेनाइजेशन (पी वाई एस ओ), पुरी	7,500 रु.
28.	इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, नई दिल्ली	8,20,000 रु.

सिबसागर, असम में ऐतिहासिक स्मारक

3286. श्री पवन सिंह घाटोवार : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि सिबसागर, असम में अहोम राजाओं की राजधानी के पुराने ऐतिहासिक स्मारक बहुत जर्जर और उपेक्षित स्थिति में हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार के लिए और उन्हें एक राष्ट्रीय विरासत के स्थल के रूप में घोषित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) शिवसागर में अहोम राजाओं की राजधानी के सम्बन्धित प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक ये हैं :–

(1) चार मैदान समूह, चरईदेव

(2) अहोम के राजा का महल, गारगांव

(3) कारंगघर, जयसागर

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल अवशेष अधिनियम, 1958 के अधीन इन्हें केन्द्रीय संरक्षित स्मारक पहले ही घोषित किया जा चुका है।

ये स्मारक भली भांति संरक्षित हैं। इन स्मारकों का अनुरक्षण तथा संरक्षण एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

कच्छ संग्रहालय बंद किया जाना

3287. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात स्थित कच्छ संग्रहालय को भूकंप के पश्चात पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इसके पुनर्निर्माण के लिए कोई कदम उठाये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) कच्छ संग्रहालय गुजरात सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है और इस प्रकार इस मामले का संबंध मुख्यतः गुजरात सरकार से है। राज्य–सरकार के अनुसार नेशनल सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटीरियल, रोड एंड बिल्डिंग विभाग तथा राज्य पुरातत्व विभाग के परामर्श से विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से संग्रहालय का पुनः निर्माण करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

वायु प्रदूषण संबंधी अध्ययन

3288. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रायोजित वायु प्रदूषण अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए इस अध्ययन के आधार पर कोई कदम उठाये हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में वायु प्रदूषण नियन्त्रित करने के लिए ये कदम पर्याप्त हैं;

(ङ) यदि हां, तो किस सीमा तक; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार कौन-कौन से अन्य कदम उठाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) जी, हां। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण श्वसन रूग्णता के बारे में जानपदिक रोग विज्ञान संबंधी अध्ययन करने हेतु एक अध्ययन प्रायोजित किया है। यह अध्ययन बल्लभ भाई पटेल चैस्ट संस्थान, दिल्ली द्वारा किया गया जिससे यह पता चला कि कम प्रदूषित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की तुलना में अधिक प्रदूषित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में श्वसन रोग अधिक होते हैं।

(ग) देश में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

(1) प्रदूषण उपशमन हेतु एक व्यापक नीति तैयार की गई है जिसके अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रक और निवारक पहलुओं पर बल दिया गया है।

(2) मानव स्वास्थ्य प्रदूषण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए तथा उपशामक उपाय सुझाने के लिए देश के विभिन्न भागों में पर्यावरणीय जानपदिक रोग विज्ञान संबंधी अध्ययन प्रारंभ किए गए हैं।

(3) प्रदूषण नियंत्रण हेतु पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत उद्योगों के लिए बहिस्राव और उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं।

(4) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत सड़क पर चल रहे वाहनों के लिए उत्सर्जन मानक और नए वाहनों के लिए व्यापक उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं। दिल्ली सहित राज्य सरकारों के परिवहन विभागों द्वारा प्रवृत्त किया जाता है।

(5) पूरे देश में 1.2.2000 से सीसा रहित पेट्रोल और पूरे देश में 1.1.2000 से अधिकतम 0.25 प्रतिशत सल्फरयुक्त ईंधन की आपूर्ति की जा रही है। प्रमुख नगरों में अति निम्न सल्फरयुक्त (0.05 प्रतिशत) ईंधन (पेट्रोल और डीजल) की शुरूआत भी की गई है।

(6) सी.एन.जी. वाहनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए दिल्ली में कई खुदरा दुकानों के माध्यम से मोटर कारों के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी एन जी) की आपूर्ति की जाती है।

(7) पेट्रोल में बैंजीन सांद्रण को कम किया गया है।

(8) देश भर में 295 परिवेशी वायु गुणता मानीटरी केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया हैं

(9) अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की 17 श्रेणियों से प्रदूषण नियंत्रण हेतु कदम उठाए गए हैं।

(10) उद्योगों से यह अपेक्षा भी की गई है कि वे अपने संयंत्रों को प्रारंभ करने से पहले आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाएं।

(11) उद्योगों से अपेक्षा की जाती है कि वे वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत निजी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से स्वीकृति प्राप्त कर लें।

(घ) से (च) वायु प्रदूषण हेतु किए गए उपायों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और देश में वायु गुणता में सुधार लाने हेतु कार्रवाई की जाती है।

खाद्य पदार्थों की खपत व्यय संबंधी आंकड़े

3289. श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि खाद्य पदार्थों के खपत व्यय संबंधी आंकड़ों में सामान्य स्थिति में 4.0 प्रतिशत की कमी आई है और वर्ष 2000-2001 के दौरान मुद्रास्फीति समायोजित दर की स्थिति में 2.7 प्रतिशत की कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान खपत स्तरों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए कौन–कौन से कारक उत्तरदायी हैं; और

(घ) वस्तुवार उन व्यय आंकड़ों का ब्यौरा क्या है जिनमें गिरावट दर्ज की गई है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) राष्ट्रीय आय के त्वरित अनुमानों और 31 जनवरी, 2002 को केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा जारी सम्बद्ध समाहारों के अनुसार वर्ष 2000–01 के दौरान खाद्य संबंधी निजी अंतिम उपभोग व्यय (पी.एफ.सी.ई.) के अनुमानों में सांकेतिक तौर पर 1.4 प्रतिशत की और वास्तविक तौर पर (1993–94 के मूल्य) 2.7 की कमी दर्ज की गई है।

(ख) राष्ट्रीय लेखों में निजी अंतिम उपभोग व्यय के अनुमान सामग्री प्रवाह दृष्टिकोण के द्वारा संकलित किए जाते हैं जिसको राज्य स्तर पर खुली राज्य सीमाओं के कारण अपनाया जाना सम्भव नहीं है। इसलिए, राज्य–वार निजी अंतिम उपभोग व्यय के अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(ग) खाद्य समूह संबंधी निजी अंतिम उपयोग व्यय के अनुमानों में कमी मुख्यतया इस अवधि के दौरान (i) अनाज उप–समूह में चावल, गेहूँ, ज्वार, मक्का, बाजरा और चना; दाल उप–समूह में अरहर, मूँग, उड़द और मसूर; आलू और दुग्ध उत्पादों के उत्पादन में गिरावट और (ii) चावल, ज्वार, अरहर, मसूर, खाद्य तेलों और आलू के मूल्यों में गिरावट के कारण आई है।

(घ) मदों संबंधी निजी अंतिम उपभोग व्यय के अनुमान जिन्होंने वर्ष 2000–01 के दौरान कमी दर्ज की, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

उन मदों से संबंधित निजी अंतिम उपभोग व्यय जिन्होंने 2000–01 में गिरावट दर्ज की

(करोड़ रु.)

	मद	प्रचलित मूल्यों पर		1993–94 के मूल्यों पर	
		1999–2000	2000–01	1999–2000	2000–01
	1	2	3	4	5
1	**अनाज और रोटी**	**168463**	**142252**	**89242**	**76728**
1.1	चावल	91365	80683	50082	44319
1.2	गेहूँ	50064	38711	24990	18697
1.3	ज्वार	7658	5025	3084	2566
1.4	बाजरा	3926	3864	2041	2300
1.5	मक्का	7629	7019	4492	1688
1.6	जौ	1203	1074	768	784
1.7	चना होल	375	281	268	164
1.8	अन्य अनाज	6243	5595	3517	3210
2	**दालें**	**19033**	**15316**	**11680**	**8776**
2.1	अरहर	4682	3193	2612	2174
2.2	मूँग	2225	1991	1166	1006

	1	2	3	4	5
	2.3 उड़द	2769	2886	1286	1145
	2.4 मसूर	1668	1392	888	759
	2.5 चना उत्पाद	5255	3815	4592	2764
	2.6 अन्य दालें	2434	2039	1136	928
3	**तेल और तिलहन**	**31313**	**29289**	**27063**	**27662**
	3.1 वनस्पति	5343	5217	4965	5418
	3.2 सरसों तेल	8423	7713	6807	6741
	3.3 नारियल तेल	3079	2627	2442	2465
	3.4 अलसी तेल	111	73	87	68
	3.5 आयातित तल	5132	2829	4949	3438
	3.6 अन्य खाद्य तेल और तिलहन	9225	10830	7813	9532
4	**आलू और अन्य कन्द**	**10339**	**9602**	**8093**	**7532**
5	**दुग्ध और दुग्ध उत्पाद**	**105468**	**108775**	**71456**	**66651**
6	**अन्य खाद्य**	**247062**	**268526**	**149794**	**160175**
	कुल खाद्य	**581678**	**573760**	**357328**	**347524**

परियोजनाओं की तिमाही कार्यनिष्पादन पुनरीक्षा

3290. श्री एन. जनार्दन रेड्डी : क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार सरकार द्वारा अनुमोदित विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं की तिमाही कार्य निष्पादन पुनरीक्षा आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या बड़ी संख्या में अनुमोदित परियोजनाएं और योजनाएं लागत में वृद्धि की समस्या का सामना कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) निर्धारित समय के भीतर और बिना किसी लागत–वृद्धि के इन परियोजनाओं को पूरा करने में उक्त तिमाही पुनरीक्षा से किस सीमा तक सहायता मिलेगी?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) केंद्रीय क्षेत्र परियोजनाओं की तिमाही आधार पर समीक्षा संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा पहले से ही की जा रही है। इसके अतिरिक्त, हाल ही में योजना आयोग ने तिमाही निष्पादन समीक्षा प्रारंभ की है।

(ख) और (ग) 31 दिसंबर, 2001 की स्थिति के अनुसार, 458 परियोजनाओं में से 208 परियोजनाओं में अद्यतन अनुमोदित लागत की तुलना में 70.3 प्रतिशत की लागत वृद्धि की सूचना मिली है। लागत वृद्धि के कारणों में शामिल हैं :

1. मुद्रा विनिमय एवं अन्य सांविधिक शुल्कों की दरों में परिवर्तन;
2. परियोजना से प्रभावित लोगों के लिए पर्यावरणीय संरक्षण एवं पुनर्वास उपायों की उच्च लागत;
3. भूमि अधिग्रहण की उच्च लागत;
4. परियोजना कार्यस्थल में परिवर्तन;

5. मूल परियोजना लागत का कम अनुमान लगाया जाना;

6. कतिपय टर्नकी पैकजों तथा उपस्करों के लिए टर्नकी पैकेजों तथा उपस्करों के लिए ठेकेदारों द्वारा ऊंची बोली,

7. सामान्य स्फीति।

(घ) इससे सरकार, अवरोध अभिज्ञात करने में सक्षम होती है तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाली समस्याओं के समाधान में उसे मदद मिलती है। की गई प्रगति की, प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा परियोजना प्राधिकारियों के साथ गहन जटिल समीक्षा तथा भूमि अधिग्रहण और परियोजना स्थल पर अधिसंरचनात्मक सुविधाओं के प्रावधान के लिए राज्य सरकारों के साथ अनुवर्तन राज्यों को परियोजनाएं पूर्ण करने हेतु विलंब तथा लागत वृद्धि को कम करने में सक्षम बनाता है। योजना आयोग द्वारा अतिरिक्त समीक्षा निधियों की उपलब्धता पर केंद्रित होगी।

चीन के साथ सीधी उड़ान सेवा

3291. डा. एस. वेणुगोपाल : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन के साथ कोई सीधी उड़ान सेवा उपलब्ध नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक सीधी यात्री उड़ान आरंभ करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) और (ख) चीन की निर्दिष्ट एयरलाइन, चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस ने 28 मार्च, 2002 से बीजिंग तथा शंघाई, प्रत्येक शहर से दिल्ली तक सप्ताह में दो बार हवाई सेवाएं आरंभ की हैं।

कपास उत्पादकों द्वारा आत्महत्या

3292. श्री ए. वेंकटेश नायक :

श्री भर्तृहरि महताब :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात समेत विभिन्न राज्यों के कपास उत्पादकों को अपनी फसल की लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है और बड़ी संख्या में किसानों द्वारा आत्महत्या की खबरें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के लिए राज्य–वार ऐसे कितने मामले दर्ज किए गए हैं, और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) गुजरात सहित किसी भी राज्य सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान किसानों द्वारा अपनी फसलों का लाभकारी मूल्य न मिल पाने के कारण आत्महत्या किए जाने की कोई सूचना नहीं दी हैं।

बटेर का शिकार

3293. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि बटेर, जो कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियमन, 1972 की अनुसूची चार के अंतर्गत एक संरक्षित प्रजाति है, की चन्द्रपुर (महाराष्ट्र) में कई स्थानों में न केवल बिक्री की जा रही है बल्कि क्षेत्र में खुलेआम कई रेस्तांराओं में परोसा भी जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस मामले में जांच यदि कोई कराई गई है, के क्या नतीजे निकले; और

(घ) सरकार द्वारा इस पक्षी की जंगली प्रजाति का संकट प्रजाति के धोखे में शिकार किए जाने से बचाने के लिए क्या नए कदम उठाये गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग) चन्द्रपुर, महाराष्ट्र में रेस्तराओं में बटेर परोसे जाने संबंधी शिकायतों के संबंध में मुख्य वन्यजीव संरक्षक, महाराष्ट्र से एक रिपोर्ट मांगी गई थी। रिपोर्ट से पता चलता है कि रेस्तराओं में कोई जंगली बटेर नहीं परोसी जा रही। रेस्तराओं में केवल वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम के तहत लाइसेंस प्रदान किए गए एक प्रजनन फार्म में बन्दी स्थिति में पाली हुई जापानी बटेर परोसी जाती हैं।

(घ) बटेर की अवैध शिकार के प्रति सुरक्षा हेतु की गई प्रस्तावित कार्रवाई में निम्नलिखित शामिल हैं :–

1. बाजारों, रेस्तराओं और पक्षियों के व्यापार की संभावना वाले अन्य स्थानों पर कड़ी नजर और सतर्कता।

2. परम्परागत शिकारियों और अन्य अवैध शिकारियों पर कड़ी नजर।

3. सुरक्षा संबंधी तथा अन्य फील्ड स्टाफ को जापानी बटेर और जंगली बटेर में भेद के बारे में शिक्षित करना।

4. जापानी बटेरों के लिए लाइसेंस प्रदान किए फार्मों पर नजर रखना।

जैविक खेती पर उपकर

3294. श्री के.पी. सिंह देव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जैविक खेती पर उपकर लगाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

बड़ी अवसंरचना परियोजनाएं

3295. डा. साहिब सिंह वर्मा : क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कई बड़ी अवसंरचना परियोजनाएं लंबित पड़ी है और इन परियोजनाओं को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केंद्रीय सरकार का विचार गैर–सरकारी और संयुक्त उद्यम क्षेत्रों को शामिल करके 100 करोड़ रुपये से भी अधिक लागत वाली इन बड़ी परियोजनाओं को आरंभ करने के लिए 'अवसंरचना विकास निगम' गठित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में इनमें से 100 करोड़ रुपये से भी अधिक लागत वाली ऐसी प्रत्येक परियोजना का नाम क्या है तथा विभिन्न प्राधिकरणों, संगठनों और विभागों के नाम क्या हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) 31 दिसंबर, 2001 तक सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रबोधन पर प्रत्येक 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक की लागत वाली 206 मेगा और बड़ी परियोजनाओं में से, 70 परियोजनाओं में 1–168 महीनों की समय वृद्धि हुई है। विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित समय वृद्धि वाली परियोजनाओं का ब्यौरा, उत्तर के साथ संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्तमान में, ऐसी मेगा परियोजनाओं के लिए अवसंरचना निगम का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण

परियोजनाओं (100 करोड़ से अधिक लागत वाली) में उनकी मूल अनुसूची की तुलना में समय/लागत – वृद्धि

क्र.सं.	क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	कुल लागत (करोड़ रु)			लागत वृद्धि वाली परियोजनाएं				समय वृद्धि वाली परियोजनाएं			
			मूल लागत	प्रत्याशित लागत	वृद्धि का प्रतिशत	संख्या	मूल लागत	प्रत्याशित लागत	वृद्धि का प्रति.	संख्या	मूल लागत	प्रत्याशित लागत	स्तर (माह)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	परमाणु ऊर्जा	3	7785.1	11098	42.6	1	3447.1	6760	96.1	0	0	0	0–0
2.	कोयला	12	7972.5	8616.5	8.3	5	2533.9	3635	43.5	8	5356.2	6256.4	16–168
3.	उर्वरक	1	350	509.4	45.5	1	350.0	509.4	45.5	1	350	509.4	17–17
4.	खान	2	3726.6	3726.6	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3726.6	3726.6	6–9
5.	इस्पात	1	430.5	450	4.5	1	430.5	450	4.5	1	430.5	450	35–35
6.	पैट्रोलियम	33	33891.7	33364.1	–1.6	2	2300.0	2485	0.8	4	2493.3	2399.7	1–52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.	विद्युत	29	34819.2	51617.2	48.2	12	20807.3	37605	80.7	13	12048	28338.2	5–157
8.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2	140.9	691.8	390.9	2	140.9	691.8	390.9	2	140.9	691.8	48–72
9.	रेलवे	98	24967.6	36040.7	44.3	71	16965.6	28124	65.8	26	7538.2	11639.9	9–132
10.	भूतल परिवहन	21	34767.4	37228.7	7.1	14	2896.1	5402	86.5	10	1796.6	3738.9	4–132
11.	दूरसंचार	1	231	231	0.0	0	0.0	0	0.0	1	231	231	3–3
12.	शहरी विकास	3	5047.3	8451.9	67.5	3	5047.3	8452	67.5	2	4958.9	8260	6–47
	कुल	206	154129.8	192025.9	24.6	112	54917.7	94114	71.4	70	39070	66242	

फसल मूल्य नीति

3296. श्री मोहन रावले : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कतिपय फसलों की लगातार कमी और कतिपय अन्य फसलों के आवश्यकता से अधिक उत्पादन से बचने के लिए फसल मूल्य नीति का फिर से निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) सरकार ने इस संबंध में पहले ही कुछ उपाय किए हैं और मोटे अनाज, दलहन एवं तिलहन के न्यूनतम समर्थन मूल्य धान और गेहूँ की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक रखे गये हैं। विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

न्यूनतम समर्थन मूल्य
(फसल वर्ष के अनुसार)

(रूपये प्रति क्विंटल)

क्र.सं.	जिन्स	किस्त	2000–2001	2001–2002	#2000–2001 की तुलना में 2001–2002 में वृद्धि
1	2	3	4	5	6
1.	धान	सामान्य	510	530	20(3.9)
		ग्रेड 'ए'	540	560	20(3.7)
2.	मोटे अनाज (ज्वार, बाजरा, रागी तथा मक्का)		445	485	40(9.0)
3.	गेंहू		610	620	10(1.6)
4.	जौ		500	500	–
5.	चना		1100	1200	100(9.1)
6.	अरहर		1200	1320	120(10.0)
7.	मूंग		1200	1320	120(10.0)

1	2	3	4	5	6
8.	उड़द		1200	1320	120(10.0)
9.	मसूर		1200	1300	100(8.3)
10.	गन्ना @		59.50	62.05	2.55(4.3)
11.	कपास	एफ–414/एच/777/जे34	1625	1675	50(3.01
		एच–4	1825	1875	50(2.7)
12.	छिलके सहित मूंगफली		1220	1340	120(9.8)
13.	पटसन		785	810	25(3.2)
14.	रेपसीड/सरसों		1200	1300	100(8.3)
15.	सूरजमुखी के बीज		1170	1185	15(1.3)
16.	सोयाबीन	काली	775	795	20(2.6)
		पीली	865	885	20(2.3)
17.	कुसुम		1200	1300	100(8.3)
18.	तम्बाकू		26.00	27.00	1(3.8)
	(बीएफसी)	काली मृदा (एफ2ग्रेड)	28.00	29.00	1(3.6)
	(रु./प्रति किग्रा.)	हल्की मृदा (एल2 ग्रेड)			
19.	खोपरा	मिलिंग	3250	3300	50(1.5)
	(कलैंडर वर्ष)	बॉल	3500	3550	50(1.4)
20.	तिल		1300	1400	100(7.7)
21.	रामतिल		1025	1100	75(7.3)

@ न्यूनतम सांविधिक मूल्य 8.5 प्रतिशत की मूल वसूली से सम्बद्ध है तथा यह इस स्तर से वसूली में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत वृद्धि के लिए अनुपातिक प्रीमियम सहित है।
# कोष्ठकों में दिए गए आकड़े प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हैं।

झींगा मछली पालन केन्द्र में रोग

3297. श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम.पी.ई.डी.ए.) के अधिकारियों को जून 2001 के बाद केरल में झींगा मछली पालन केन्द्रों में रोग फैलने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी जानकारी कब मिली, रोग की प्रकृति और रोग के कारण क्या हैं, प्रत्येक जिले में कौन–कौन से क्षेत्र प्रभावित हुए हैं और कितने मछुआरों के मछली पालन केन्द्र प्रभावित हुए;

(ग) इसे नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गये;

(घ) आज की तिथि तक इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि खर्च की गयी; और

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान, राज्य–वार कितनी मात्रा में झींगा मछली का निर्यात किया गया और इससे राज्यवार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (घ) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) के अनुसार जून, 2001 के बाद केरल की प्रॉन हैचरियों में कोई बीमारी फैलने की सूचना नहीं मिली है। तथापि, उन्हें जनवरी, 2002 के दौरान राज्य के प्रॉन/झींगा फार्मों में रोग के फैलने की जानकारी है। दिसम्बर, 2001 के अंत में छुटपुट घटनाओं के रूप में परम्परागत झींगा फार्मों में रोग के मौजूदा होने की सूचना मिली थी। तथापि सफेद धब्बा वायरस संक्रमण, जो 1995 से विभिन्न समुद्री राज्यों के झींगा फार्मों में वैसे ही प्रकोप का कारण रह चुका है, के कारण जनवरी, 2002 के उत्तरार्ध में तेजी से प्रकोप फैला है। एमपीईडीए के अनुसार प्रकोप का प्रमुख कारण संक्रमण और बीमारी को फैलने से रोकने के लिए जरूरी मूल प्रबंधन उपायों को अपनाने में किसानों का असफल होना है। अन्य महत्वपूर्ण कारक जल गुणवत्ता, मृदा की स्थिति, प्लैकटोन ब्लूम्स, मौसम की स्थिति आदि है।

रोग द्वारा प्रभावित क्षेत्र का ब्यौरा नीचे दिया गया है। तथापि, प्रभावित किसानों की संख्या का कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है।

जिला	रोग द्वारा प्रभावित क्षेत्र (हैक्टेयर)
1	2
कोल्लम	14.500
अल्पपुझा	192.600
अरनाकुलम	6543.790
थ्रिसुर	176.500
कोझिकोडे	22.850
कन्नूर	547.760
केसरगोड	2.000
कुल	7500.000

एमपीईडीए द्वारा रोग के नियंत्रण के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनमें शामिल हैं किसानों को आवश्यक दिशानिर्देश देने के लिए तकनीकी स्टाफ द्वारा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने आदि के लिए रोकथाम और नियंत्रण के लिए अपनाए जाने वाले प्रबंधन उपायों पर चालू मछली पालन मौसम के दौरान किसानों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना। एमपीईडीए ने (1) परीक्षण के बाद रोग मुक्त बीजों के भंडारण के लिए किसानों को सहायता देने हेतु प्रति हैचरी 5 लाख रुपए की दर से पी सी आर प्रयोगशाला (2) 5 हैक्टेयर जल फैलाव क्षेत्र की एक इकाई के लिए 1.5 लाख रुपए की दर से झींगा फार्मों में बहिस्राव उपचार प्रणाली की स्थापना हेतु झींगा हैचरियों को राजसहायता भी विस्तारित की है। प्रति लाभार्थी को अधिकतम 6 लाख रुपए की राशि दी जाएगी।

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रॉन के निर्यात का राज्य ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(मात्रा टन में, निर्यात का मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)

राज्य		2000–2001	1999–2000	1998–99
1		2	3	4
गुजरात	मात्रा	2881	2807	4951
	अमरीकी डालर	12.27	11.27	19.34
महाराष्ट्र	मात्रा	10728	11074	13650
	अमरीकी डालर	62.56	58.76	67.54
कर्नाटक	मात्रा	213	14	5
	अमरीकी डालर	1.07	0.4	0.16
गोवा	मात्रा	36	90	175
	अमरीकी डालर	0.25	0.71	0.79
केरल	मात्रा	28299	35710	25550
	अमरीकी डालर	130.9	163.98	114.99

1		2	3	4
तमिलनाडु	मात्रा	39383	29176	29219
	अमरीकी डालर	454.63	300.28	291.19
आन्ध्र प्रदेश	मात्रा	18708	19679	19196
	अमरीकी डालर	206.07	202038	206.41
उड़ीसा	मात्रा	***	***	***
	अमरीकी डालर	***	***	***
पश्चिम बंगाल	मात्रा	11626	11725	9738
	अमरीकी डालर	117.25	109.35	99.8
कुल	मात्रा	111874	110275	102484
	अमरीकी डालर	985.00	847.13	800.22

प्याज का निर्यात

3298. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्याज के निर्यात पर कुछ प्रतिबंध लगा दिये हैं;

(ख) क्या सरकार ने प्याज की कुछ विशेष किस्मों के निर्यात की अनुमति भी दी है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2000–2001 के दौरान किये गये ऐसे निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आंध्र प्रदेश मार्कफैड (एम.ए.आर.के.एफ.ई.डी.) कृष्णापुरम को एक विशेष किस्म की प्याज का निर्यात करने की अनुमति दी गयी थी; और

(ङ) यदि हां, तो उसके द्वारा कुल कितना निर्यात किया गया और उक्त अवधि के दौरान इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) नई आयात–निर्यात नीति 2002–2007 के अनुसार, प्याज का निर्यात समय–समय पर निर्मुक्त कोटा तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी किए गए सार्वजनिक नोटिसों/अधिसूचनाओं के जरिए सूचित की गई शर्तों के अंतर्गत राज्य व्यापार उद्यमों (एस. टी.इ.) के माध्यम से अनुज्ञेय है।

(ख) बंगलौर रोज और कृष्णापुरम सहित प्याज की सभी किस्मों का निर्यात, भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन विशिष्ट एस.टी.इ. के माध्यम से अनुज्ञेय है।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य देखभाल योजना

3299. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए कोई स्वास्थ्य देखभाल योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसी ही योजना तैयार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) सरकार के सामाजिक विकास कार्यक्रमों में लोगों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार पर विशेष ध्यान दिया गया हैं और कृषि श्रमिकों एवं उनके परिवार समेत हर वर्ग के लोगों के लिए मलेरिया, कुष्ठ, तपेदिक, एचआईवी/एड्स, अंधता, कैंसर आदि से संबंधित विभिन्न रोग नियंत्रक कार्यक्रम प्रचालन में हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस वर्ग के श्रमिकों के लिए कोई विशिष्ट योजना शुरू किए जाने का प्रस्ताव नहीं है।

पश्चिम बंगाल में जूट उत्पादन

3300. श्री अकबर अली खांदोकर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में जूट/मेस्टा की कृषि वाला कुल कितना क्षेत्र है;

(ख) सरकार ने उक्त अवधि के दौरान जूट और मेस्टा के अनुसंधान, आदान और विकास कार्य के लिए कुल कितनी धनराशि की सहायता प्रदान की; और

(ग) सरकार द्वारा जूट/मेस्टा की खेती करने वाले किसानों को पर्याप्त लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) वर्ष 1998–99, 1999–2000 और 2000–2001 के दौरान पश्चिम बंगाल में जूट तथा मेस्टा की खेती के अधीन क्षेत्र क्रमशः 622.0 हजार हेक्टेअर, 622.8 हजार हेक्टेअर तथा 623.9 हजार हेक्टेअर था।

(ख) रेशे की उत्पादकता तथा गुणवत्ता में वृद्धि हेतु पश्चिम बंगाल सहित जूट/मेस्ता उत्पादक राज्यों में 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के साथ विशेष जूट विकास कार्यक्रम 1987–88 से क्रियान्वित किया जा रहा था। 4 अक्टूबर, 2000 से विशेष जूट विकास कार्यक्रम की स्कीम को वृहत् प्रबंधन स्कीम के अधीन मिला दिया गया है, जो राज्यों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में लचीलापन प्रदान करता है। विशेष जूट विकास कार्यक्रम के अधीन वर्ष 1999–2000 तथा 2000–01 (4 अक्टूबर, 2000 तक) के दौरान पश्चिम बंगाल को प्रदत्त वित्तीय सहायता क्रमशः 55.00 लाख रुपये तथा 35.00 लाख रुपये थी।

वर्ष 1999–2000 से 2001–02 के दौरान जूट तथा सम्बद्ध रेशे पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, बैरकपुर तथा केन्द्रीय जूट एवं संबद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर को प्रदत्त सहायता की राशि नीचे दी गई है :–

(लाख रुपये में)

परियोजना/संस्था	1999–2000	2000–01	2001–02
जूट तथा सम्बद्ध रेशे पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, बैरकपुर	15.61	43.46	42.07
केन्द्रीय जूट एवं सम्बद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर	100.00	208.35	200.00

(ग) किसानों के हितों के संरक्षण हेतु सरकार प्रतिवर्ष कच्चे जूट की विभिन्न किस्मों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। अगर मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य को छूते हैं, सरकार भारतीय जूट आयुक्त को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से जूट की खरीद द्वारा मूल्य समर्थन अभियान शुरू करने के लिए प्राधिकृत करती है।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा समुद्री सर्वेक्षण

3301. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा देश में विशेषकर पूर्वी तट में कराए गए समुद्री सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समुद्र तल उत्खनन के संबंध में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की क्षमता का उन्नयन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने समुद्र तल (सी बेड) के भूवैज्ञानिक, भूभौतिकीय और भू–आकृति विज्ञान संबंधी मानचित्र तैयार करने, समुद्र तल के निर्जीव संसाधनों के संभावित क्षेत्रों की पहचान, भारी खनिज प्लेसर भंडारों के मूल्यांकन तथा बन्दरगाहों, पोताश्रयों, अपतटीय ढांचे, इत्यादि के विकास हेतु भूतकनीकी अन्वेषणों की दृष्टि से प्रादेशिक समुद्र सहित अन्य आर्थिक क्षेत्र (ई.ई. जैड) के भीतर–भीतर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और अण्डमान समुद्र में समुद्र तल सर्वेक्षण किए हैं। भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के भीतर लगभग 95 प्रतिशत समुद्र तल का टोही पैमाने पर सर्वेक्षण किया जा चुका है और चूना मिट्टी (लाइम मड) के अंचलों, फॉस्फेट सम्पन्न तलछट, माइक्रो मैंगनीज नोडयूल्स, कल्केरियस तलछट तथा हाइड्रोकार्बन्स की मौजूदगी का पता चला है।

विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा पूर्वी तट में किए गए मुख्य अपतटीय सर्वेक्षण कार्य निम्नानुसार हैं:–

* बंगाल की खाड़ी में 85° पूर्व रिज के दबे हुए उत्तरी भाग के विन्यास तथा स्पेशियल एल्टिट्यूड का अध्ययन करने हेतु समुद्र तल सर्वेक्षण।

* पश्चिम बंगाल के साथ–साथ गंगा डेल्टा में तथा उड़ीसा, आंध्र एवं तमिलनाडु के तटों पर प्रादेशिक जल सीमांतर्गत सीबेड का मानचित्रण।

* उपग्रह दूर संवेदी डाटा का उपयोग करके सुन्दरबन डेल्टेइक/एस्टयूरीन पर्यावरण में तटरेखा परिर्वतनों तथा अपतटीय बार माइग्रेशन का पता लगाना।

* आंध्र तट के प्रादेशिक जल सीमांतर्गत प्लेसर युक्त बालू के मूल्यांकन हेतु सीबेड सर्वेक्षण।

* उड़ीसा के प्रादेशिक जल में प्लेसर खनिज अन्वेषण।

* आंध्र प्रदेश में निजामपटनम, मछलीपटनम, भीमुमपटनम और उड़ीसा में गंजम, सोनापुरपेला में भूतकनीकी अन्वेषण।

* जी.एस.आई.–सी.पी.टी. समझौते के तहत् कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट हेतु हल्दिया के आसपास सर्वेक्षण।

(ख) इन सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप निम्न का चित्रण (डिलिनिएशन) हुआ :–

* उड़ीसा तथा आंध्र के तटों पर इल्मेनाइट, रूटाइल, जिरकॉन, सिल्लीमेनाइट, मोनाजाइट तथा गारनेट युक्त भारी खनिज बालू,

* आंध्र प्रदेश तट पर 100–200 मीटर की गहराई वाले पानी में उच्च ग्रेड लाइम मड निक्षेप,

* आंध्र और तमिलनाडु तटों पर 60–200 मीटर की गहराई वाले पानी में ऊलाइट्स, कल्केरियस सैंड्स,

* अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पश्चिम में 1000 मीटर की गहराई वाले पानी में कल्केरियस तलछट,

* चैन्नई तट पर फॉस्फेटिक सामग्री के संकेत, और

* बैरन द्वीप के पश्चिम में सबमरीन रिज का पता लगा।

(ग) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कोई खनन क्रियाकलाप नहीं करता है। सरकार का प्रस्ताव समुद्री सर्वेक्षण और विदोहन हेतु भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की क्षमताओं का उन्नयन करने का है।

(घ) अपतटीय क्षेत्रों में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की सर्वेक्षण एवं गवेषण संबंधी क्षमताओं का उन्नयन करने के लिए इसके पुराने अनुसंधान पोत नामतः 1958 का आर.वी. समुद्रमंथन का प्रतिस्थापन एक नए ब्लू वाटर अनुसंधान पोत से करने का प्रस्ताव है और यह नया पोत ऑनबोर्ड अत्याधुनिक नेवीगेशन, सर्वेक्षण और वैज्ञानिक उपकरणों से ससुज्जित है।

नेयवेली लिग्नाइट निगम

3302. डा. सी. कृष्णन :

श्री वैको :

क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेयवेली लिग्नाइट निगम (एन.एल.सी.) द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली प्रत्येक परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त परियोजनाओं को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है;

(ग) नेयवेली लिग्नाइट निगम (एन.एल.सी.) की खनन और विद्युत उत्पादन क्षमता फिलहाल कितनी है;

(घ) क्या उक्त क्षमता के विस्तार का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) एन.एल.सी. की निम्नलिखित परियोजनाओं को नेयवेली, तमिलनाडु में प्रत्येक के सामने निर्दिष्ट ब्यौरे के अनुसार क्रियान्वित किया जा रहा है :–

परियोजना	क्षमता	परियोजना की प्रत्याशित पूर्णता समय
खान–1 विस्तार (6.5 मि.ट. प्रतिवर्ष से 10.5 मि.ट. प्रतिवर्ष)	4 मिलियन टन प्रति वर्ष	अप्रैल, 2003
खान–1ए	3 मिलियन टन प्रतिवर्ष	मार्च, 2003
टीपीएस–1 विस्तार (600 मे.वा. से 1020 मे.वा.)	420 मे.वा. (2 X210 मे.वा.)	जून, 2003

(ग) एन.एल.सी. की विद्यमान खनन तथा विद्युत उत्पादन क्षमता निम्नानुसार है : –

खनन : प्रतिवर्ष 17 मिलियन टन लिग्नाइट

विद्युत उत्पादन : 2070 मे.वा.

(घ) और (ङ) जी, हां। चालू परियोजनाओं के क्रियान्वित होने पर एन.एल.सी. की खनन और विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़कर प्रतिवर्ष क्रमशः लिग्नाइट 24 मिलियन टन और विद्युत 2490 मे.वा. हो जाएगी।

एन.एल.सी. ने खान–II (10.5 मि.ट. प्रतिवर्ष से 15 मि.ट. प्रतिवर्ष) और टीपीएस–II की क्षमता में 500 मे.वा. की एक अतिरिक्त यूनिट जोड़कर, विस्तार करने की योजना बनाई है, जिसके लिए एन.एल.सी. में व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की है। प्रस्तावों पर एक अन्तर्मन्त्रालयी समूह द्वारा विचार किया गया है। तथापि परियोजना को हाथ में लेने का कार्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने तथा अन्य सांविधिक स्वीकृतियों पर निर्भर करता है।

इसके अतिरिक्त, एन.एल.सी. की निम्नलिखित परियोजनाओं को हाथ में लेने की योजना है :–

(क) नेयवेली में लिग्नाइट खान–III (8 मि.ट. प्रतिवर्ष)।

(ख) नेयवेली में ताप विद्युत गृह–III (1000 मे.वा.)।

(ग) राजस्थान में लिग्नाइट खान (2 मि.ट. प्रतिवर्ष) और ताप विद्युत गृह (250 मे.वा.)।

(घ) संयुक्त उद्यम के अंतर्गत चेन्नई में परिष्करणशाला अपशिष्ट से ताप विद्युत गृह (500 मे.वा.)।

एअर इंडिया की सेवाओं का विस्तार

3303. श्री एन.टी. चणमुगम : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यात्रियों की भारी भीड़ से निपटने के लिए एअर इंडिया की उड़ानों का विस्तार यूरोपीय देशों तक करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कंफर्म एअर टिकटों के न होने के कारण यात्रियों को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इंतजार करना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) एअर इंडिया का 3 मई, 2002 से मुम्बई से वाया दिल्ली लंदन के लिए साप्ताहिक हवाई सेवाएं शुरू करने का शेड्यूल है।

(ग) और (घ) यात्रियों की ऑफ–लोडिंग से बचने के लिए, सरकार ने दिसम्बर, 2001 से अप्रैल, 2002 तक विदेशी एयरलाइनों द्वारा एक्सट्रा–सेक्शन उड़ानों के प्रचालन की अनुमति देने हेतु एक विशेष छूट दे दी है।

प्रारूप बीज अधिनियम में संशोधन

3304. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को प्रारूप बीज अधिनियम, 2000 में संशोधन करने के लिए राज्य सरकारों से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों द्वारा सुझाए गए संशोधनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और कब तक अन्तिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पांडिचेरी, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल की सरकारों ने लाईसेंसिग, पंजीकरण, प्रत्यायन, स्व–प्रमाणन, गुणवत्ता आश्वासन, प्रवर्तन आदि के संबंध में मसौदा बीज अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है।

(ग) राज्य सरकारों के अधिकांश सुझावों को मसौदा बीज अधिनियम में शामिल कर लिया गया है।

दीघा में मैरिन एक्वेरियम और अनुसंधान केन्द्र

3305. श्री अरूण कुमार : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने वर्ष 2002 की रिपोर्ट संख्या 5 में (वैज्ञानिक विभाग) ने मैरिन एक्वेरियम और अनुसंधान केन्द्र दीघा को आरंभ न किये जाने का उल्लेख किया है जिसे छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग ने स्वीकृति प्रदान की थी और जून, 1990 तक इस पर 233.08 लाख रुपये खर्च किये जा चुके थे;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस केन्द्र को स्थापित न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकारी धन के अपव्यय और आरंभ न हो पाने वाली ऐसी परियोजनाओं की योजना बनाने की जांच कराने का दोषी अधिकारियों को दंड देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त केन्द्र को कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी हां।

(ख) मैरीन एक्वेरियम और अनुसंधान केन्द्र, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, दीघा में एक अनुसंधान विंग और एक एक्वेरियम है। इस केन्द्र का अनुसंधान विंग 1991 से कार्य कर रहा है जबकि एक्वेरियम को अब स्थानीय मछलियों से शुरू कर दिया गया है।

(ग) न्यायालयों में मुकदमेबाजी और जलीय प्रजातियों की खरीद और इनके अनुकूलन में लगे समय के कारण एक्वेरियम को शुरू करने में विलंब हुआ है।

(घ) देश के अन्य क्षेत्रों से जलीय प्रजातियों की खरीद और उन्हें अनुकूलित करने के बाद ही यह एक्वेरियम पूरी तरह से कार्य करने लगेगा।

केरल को बाढ़ राहत निधि

3306. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष, बाढ़ प्रभावित राज्यों को कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) क्या केरल सरकार को बाढ़ राहत निधि प्रदान करने के मामले में पर्याप्त क्षतिपूर्ति नहीं की जाती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को आबंटित निधियां

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	बाढ़ प्रभावित राज्य	1999–2000		2000–01		2001–02		2002–03	
		आ.रा.को.	रा.आ.रा.को.	आ.रा.को.	रा.आ.आ.को.	आ.रा.को.	रा.आ.आ.को.	आ.रा.को.	रा.आ.आ.को.
1.	आंध्र प्रदेश	107.69	–	148.54	–	155.97	30.44	163.77	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.10	–	9.02	2.00	9.47	–	9.94	–
3.	बिहार	33.79	38.18	50.22	29.67	52.73	–	55.37	–
4.	छत्तीसगढ़	–	–	20.60	–	21.63	23.94	22.72	–
5	हिमाचल प्रदेश	33.37	–	32.61	8.29	34.24	42.50	35.96	–
6.	कर्नाटक	36.29	17.09*	55.93	–	58.72	–	61.66	–
7.	मध्य प्रदेश	44.29	38.86*	46.98	–	49.32	–	51.78	–
8.	उड़ीसा	42.50	828.15**	82.10	–	86.21	100.00	90.52	–
9.	पश्चिम बंगाल	44.50	29.52	75.83	103.25	79.62	–	83.60	–

आ.रा.को. – आपदा राहत कोष, रा.आ.रा.को. – राष्ट्रीय आपदा राहत कोष, रा.आ.आ.को. – राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष

* बाढ़/सूखा के लिए

** बाढ़/चक्रवातों के लिए।

ईएसआई अस्पतालों/औषधालयों का कार्य-निष्पादन

3307. श्री कोडीकुन्नील सुरेश :

श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ईएसआई अस्पतालों/औषधालयों का कार्य निष्पादन और कार्यकरण की स्थितियों/सेवाओं की हाल में पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में इन अस्पतालों/औषधालयों द्वारा प्रदत्त सेवाओं में सुधार के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने हेतु तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने 1998 में श्री एस. आर. सत्यम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट 14.01.1999 को प्रस्तुत कर दी थी। समिति की अधिकांश सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कर ली हैं और उन पर क्रियान्वयन कार्रवाई विभिन्न चरणों में है।

बीमित व्यक्तियों को चिकित्सा देखरेख के लिए अधिकतम सीमा बढ़ाकर 600/– रु. प्रतिवर्ष करने, बीमित व्यक्तियों को परिचय–पत्र जारी करने, कर्मचारी राज्य बीमा मानकों के अनुसार चिकित्सा योजना के लिए पदों का सृजन करने, अन्य संस्थानों को रेफर करने के मामले न्यूनतम करने के लिए इन–हाउस क्षमताओं को बढ़ाने और दवाइयों की खरीद से संबंधित सिफारिशों जैसी समिति की संस्तुतियां स्वीकार कर ली गई हैं।

इसके अलावा, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के चिकित्सा अधिकारियों की सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं में इनके समकक्ष अधिकारियों के साथ सभी रूपों में समानता और कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों/औषधालयों द्वारा उपलब्ध करायी जा रही कार्यदशाओं/सेवाओं में सुधार लाए जाने जैसी सिफारिशों और अन्य विधिक सिफारिशों का अनुमोदन कर दिया गया हैं।

(ग) और (घ) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 1998–99, 1999–2000 और 2000–2001 के दौरान क.रा.बी. अस्पतालों/औषधालयों को आधुनिक बनाने के लिए कार्रवाई योजनाएं तैयार की हैं और इन कार्रवाई योजना के तहत 45.61 करोड़ रुपये मूल्य के उपकरण के लिए मंजूरी प्रदान की गई है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने पूर्णतः सैकेन्डरी इलाज मुहैया कराने के लिए प्रत्येक राज्य में एक आदर्श अस्पताल की स्थापना करने, उच्च विशेषज्ञता वाले इलाज के लिए निधियों का तेजी से अन्तरण करने हेतु प्रत्येक राज्य में एक चक्रीय निधि की स्थापना करने और एसटीडी क्लिनिकों, ब्लड बैंकों आदि की स्थापना करके क.रा.बी. लाभ–भोगियों के लिए एच आई वी/एड्स के नियंत्रण हेतु परियोजना चलाने जैसी चिकित्सा सेवाओं में सुधार के लिए अनेक अन्य उपाय किए हैं।

कृषि विकास दर

3308. श्री वाई.वी. राव : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद ने 5.7 प्रतिशत के सरकारी अनुमान की तुलना में चालू वित्त वर्ष के दौरान मात्र 3.8 प्रतिशत कृषि विकास दर को अस्वीकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) इन दोनों अनुमानों में मूलभूत अन्तर का ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 2002–2003 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद् (एन.सी..ए.इ.आर.) ने फरवरी, 2002 की अपनी मासिक समीक्षा में 5.7 प्रतिशत के अधिकारिक अनुमान की तुलना में वर्ष 2001–02 के लिए 3.8 प्रतिशत की कृषि विकास दर प्रक्षेपित की थी। एन.सी.ए.इ.आर. का प्रक्षेपण, पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के संबंध में मौसम की परिस्थितियों के बारे में विशेष गणितीय मॉडलों और मान्यताओं का प्रयोग करके किए गए कृषि उत्पादन के उनके अनुमानों पर आधारित है। हालांकि, एन.सी.ए.ई.आर. द्वारा लिए गए मानदण्ड तथा मान्यताएं अपर्याप्त और अनुपयुक्त हैं। एन.सी.ए.इ.आर. ने वर्ष 2001–02 के लिए खाद्यान्नों का उत्पादन 198 से 204 मिलियन टन तथा तिलहन उत्पादन 18.8 से 19.8 मिलियन टन की रेंज में मुख्यतः इस मान्यता पर प्रक्षेपित किया था कि इस वर्ष समग्र मानूसन की वर्षा 92 प्रतिशत की दीर्घावधिक औसत (एल.पी.ए.) पर कम थी। एन.सी.ए.इ.आर. की रिपोर्ट में इस तथ्य की उपेक्षा की गई थी कि यद्यपि इस वर्ष मानसून पिछले वर्ष के समान था, फिर भी स्थानिक एवं अस्थायी वितरण इस वर्ष अनुकूल रहा। इसके अलावा, मानसून के बाद तथा सर्दी के मौसम में वर्षा फसलों के लिए भी

अनुकूल थी, जिस तथ्य को एन.सी.ए.इ.आर. द्वारा ध्यान में नहीं रखा गया। तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, 4 और 5 अप्रैल, 2002 को आयोजित खरीफ अभियान के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन में राज्य सरकारों के साथ किए गए विचार–विमर्श के आधार पर, वर्ष 2001–02 के दौरान देश 211.17 मिलियन टन खाद्यान्न तथा 21. 16 मिलियन टन तिलहन का रिकार्ड उत्पादन प्राप्त करने की स्थिति में है।

(घ) योजना आयोग के सुझाव के अनुसार वर्ष 2002–03 के लिए उत्पादन लक्ष्य निम्नलिखित है :

खाद्यान्न	220 मिलियन टन
तिलहन	27 मिलियन टन
गन्ना	320 मिलियन टन
कपास	170 कि. ग्राम की प्रत्येक गांठ के हिसाब से 15 मिलियन गांठें
पटसन एवं मेस्ता	180 कि. ग्राम की प्रत्येक गांठ के हिसाब से 12 मिलियन गांठें

कर्नाटक में ट्रैक्टरों के लिये राजसहायता

3309. श्री एच.जी. रामुलू : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कर्नाटक में किसानों को छोटे ट्रैक्टरों की आपूर्ति के लिये शत–प्रतिशत राज सहायता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2001–2002 के दौरान कर्नाटक सरकार को राजसहायता की कितनी राशि जारी की गई; और

(ग) राज्य में विशेषकर कोप्पल लोक सभा संसदीय क्षेत्र में उक्त राजसहायता से कितने छोटे ट्रैक्टरों की आपूर्ति की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) जी, नहीं। हालांकि, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कृषि का वृहत प्रबंधन–कार्य–योजनाओं के जरिए राज्य प्रयासों का सहयोग/ समर्थन के अंतर्गत 30 पी.टी.ओ. अश्वशक्ति तक के ट्रैक्टरों को खरीदने के लिए किसानों को 30 प्रतिशत की दर से अधिकतम 30000/– रुपये तक की राजसहायता उपलब्ध है। स्कीम के तहत वर्ष 2001–2002 के लिए ट्रैक्टरों पर राजसहायता देने के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा आबंटित परिव्यय 15.00 लाख रुपये था। राज्य सरकार ने वर्ष 2001–2002 के दौरान 50 ट्रैक्टरों की आपूर्ति की थी। इसमें से कोप्पल लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए तीन ट्रैक्टरों की आपूर्ति की गई है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में धान की खरीद

3310. श्री नामदेव हरबाजी दिवाये : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2000–2001 में समर्थन मूल्य पर धान की खरीद के लिए महाराष्ट्र सरकार को बकाया राशि का भुगतान कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) समर्थन मूल्य पर धान की खरीद के अन्तर्गत राजसहायता प्रदान कराने हेतु क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखदेव नारायण यादव): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

बी.सी.सी.एल. खानों में पानी की मात्रा

3311. श्री वसुदेव आचार्य : क्या कोयला और खान मंत्री बी. सी.सी.एल. खानों में पानी की मात्रा के बारे में 21.8.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4261 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की खानों में उपलब्ध पानी की मात्रा कितनी है;

(ख) बी.सी.सी.एल. कामगारों हेतु कितने पानी की जरूरत है;

(ग) अक्तूबर, 2001 के अनुसार प्रतिदिन कितने पानी की आपूर्ति की गई;

(घ) क्या बी.सी.सी.एल. के क्षेत्र–III में धर्मबंद कोयला खान के पानी से वहां के लोगों को पानी की आपूर्ति की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) भारत कोकिंग कोल लि. (बी.सी.सी.एल.) में उपलब्ध पानी की मात्रा निम्नवत है :–

क्षेत्र	पानी की मात्रा (मिलियन गैलन)
बरोरा ए.आर.–1	2760
डब्ल्यू.जे. क्षेत्र–2	992
गोविंदपुर क्षेत्र–3	1318
कटरास क्षेत्र–4	1027
सिजुआ क्षेत्र–5	2304
कुसुन्डा क्षेत्र–6	2132
पी.बी. क्षेत्र–7	1224
बस्ताकोला क्षेत्र–9	1314
लोडना क्षेत्र–10	1873
ई.जे. क्षेत्र–11	679
जोड़	15623

(ख) बी.सी.सी.एल. के कामगारों का प्रतिदिन 19.3 मिलियन गैलन (एम.जी.डी.) पानी की आवश्यकता है।

(ग) अक्तूबर 2001 की स्थिति के अनुसार बी.सी.सी.एल. के कामगारों को प्रतिदिन 18.5 मिलियन गैलन पानी की आपूर्ति की गई थी।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

भ्रष्टाचार के मामले

3312. डा. बलिराम : क्या **कोयला और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न कोयला क्षेत्रों में जानकारी में आये भ्रष्टाचार के मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या निकला; और

(घ) उस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों (1999–2000, 2000–2001 तथा 2001–2002 (दिसम्बर, तक) के दौरान कोल इंडिया लि. तथा इसकी सहायक कंपनियों में जांच के लिए अनियमितताओं के 728 मामले हाथ में लिए गए थे। 214 मामलों में विभागीय जांच पूरी कर ली गई। इनमें से 122 अधिकारियों को बड़ा दण्ड तथा 133 अधिकारियों को हल्का दण्ड दिया गया। इसके अतिरिक्त, सी.बी.आई. की विभिन्न शाखाओं ने, जहां भी अनियमितता के मामले उनकी जानकारी में आए, आर. सी. मामले दर्ज किए।

स्वीकृत परियोजनायें

3313. श्री नवल किशोर राय :

डा. सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001–2002 के दौरान फरवरी 2002 तक राज्यवार और क्षेत्रवार सरकारी और निजी क्षेत्र की स्वीकृत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त परियोजनाओं में से प्रत्येक पर कुल कितनी धनराशि व्यय हुई; और

(ग) स्वीकृति मिलने के बाद अधूरी छोड़ दी गई परियोजनाओं के नाम क्या हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, 20 करोड़ रुपए एवं उससे अधिक लागत वाली केवल केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं का प्रबोधन करता है। स्वीकृत परियोजनाएं तथा वर्ष के दौरान प्रत्येक परियोजना पर किये गये व्यय का राज्य–वार एवं क्षेत्र–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) 1.3.2001 की स्थिति के अनुसार विगत पांच वर्षों में नए क्षेत्र को अंतरण, अव्यवहार्यता, नई तकनीक/विकल्पों के साथ प्रतिस्थापन के कारण 31 परियोजनाएं बंद की गई तथा 33 परियोजनाएं निधियों की कमी एवं अन्य समस्यों के कारण ठप्प की गईं। इन परियोजनाओं का ब्यौरा संसद के पटल पर रखी गई मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुबंध 12 एवं 11 से लिया जा सकता है।

विवरण

ईकाई : (लागत/व्यय : करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	परियोजना क्षमता (जिला) (राज्य)	सरकारी अनुमोदन की तिथि मूल (संशो.)	मूल (संशो.)	चालू होने की तिथि प्रत्याशित (अं.रिपो.)	कुल (मूल का प्रतिशत)	समय वृद्धि (माह) अंतिम तिमाही में अति.)	कुल (संशो. का प्रतिशत)	अनुमोदित मूल (संशो.)	लागत प्रत्याशि (संशोधित)	मूल पर प्रति लागत	व्यय 3/2001 तक वृद्धि	2001-2000 व अनु.	वार्षिक व्यय तिमाही तक	संचयी व्यय	वास्तविक प्रगति %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
राज्य : आंध्र प्रदेश																
क्षेत्र : कोयला																
एससीसीएल																
1 वीके–7 सतत खनन		0.4	2001/8	2004/3	2004/3	0	0	0	49.51	49.51	0	0.54	–	0.06	0.6	–
खम्माम एमटीवाई						0		0			0		–			
आंध्र प्रदेश																
2 खाईरागुरा		0.72	2001/9	2005/3	2005/3	0	0	0	47.46	47.46	0		–24.4	–	–	–
ओ.सी						0		0			0		1.5			
आदिलाबाद																
आंध्र प्रदेश																
क्षेत्र : विद्युत																
एनटीपीसी																
3 रामागुडम एमडब्ल्यू			2001/8	2005/8	2005/8	0	0	0	1781	1781	0	0.65	95.5	129	130	–
एसटीपीपी एसटी–111500						0		0			0		159			
आंध्र प्रदेश																
क्षेत्र : रेलवे																
जीसी																
4 कटिहार–जोगबानी			2001/9	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	100397.8	298	–	–	1	–	–	
(एन.एफ.एफ.आर)										298	–					
आंध्र प्रदेश																
राज्य : असम																
क्षेत्र : पेट्रोलियम																
5 आईओआर एमएमटी			2001/9	2007/3	2007/3	0	0	0	345.1	345.1	0	–	–	–	–	–
लकवालखामनी		6.17				0		0			0	–				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	आईओआर एमएमटी		2001/9	2007/3	2007/3	0	0	0	390.09	390.09	0	–	–	–	–	–
	गेलकी	3.94				0		0			0		–			
	असम															
7	आईओआर–रूद्रसागर	एमएमटी	2001/9	2006/3	2006/3	0	0		113.9	113.9	0	–	–	–	–	–
	रूद्रसागर	1.38				0		0			0					
	असम															
राज्य : बिहार																
क्षेत्र : विद्युत																
पी. ग्रिड																
8	टीआर सिस्टम	केवी	2001/8	2004/2	2004/2	0	0	0	162.88	162.88	0	–	–	–	–	–
	स्ट्रेंग्थनिंग	220				0		0			0		–			
	बिहार	सीकेएम														
	बिहार	410														
राज्य : गुजरात																
क्षेत्र : पेट्रोलियम																
आईओसीएल																
9	लाईनियर अलकाईल लेकटीपीए		2001/5	2004/3	2004/3	0	0	0	1248	1248	0	38.63	49	30.34	69	11.5
	बेनलेनी	18.5				0		0			0		85.5			
	बड़ोदरा															
	गुजरात															
10	एयूजी कोआलीविरामगम पीएल		2001/8	2003/7	2003/7	0	0	0	119.01	119.01	0	0.05	25	0.38	0.43	19
	सिदापुर					0	0	0			0	–				
	गुजरात															
11	एयूजी विरानगम		2001/5	2003/3	2003/3	0	0	0	329.05	329.05	0	–	8	5.61	5.61	17.4
	कोआली एसएम					0		0			0	–				
	गुजरात															
ओएनजीसीएल																
12	आईओआर स्कीम	एमएमटी	2001/8	2005/3	2005/3	0	0	0	71.92	71.92	0	15.3	5	1.07	16.4	–
	सोभासन	1.308				0		0			0	–				
	गुजरात															
क्षेत्र : भूतल परिवहन		खेल														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
पत्तन																
काडला पोर्ट ट्रस्ट																
	13 दीप. एप्रो. एस		2001/5	उ.न.	2003/11	उ.न.	0	उ.न.	20	20	0	6.8	4	10.8	17.6	–
	ओगल चेनल			उ.न.		उ.न.		उ.न.			0	–				
	गुजरात															
	14 दीप स्वीडन		2001/5	2004/3	2004/3	0	0	0	40	40	0	11.4	14	16.64	28	–
	आफ सोनल सी एच					0		0			0	–				
	कांडला															
	गुजरात															
राज्य : कर्नाटक																
क्षेत्र : परमाणु ऊर्जा																
एन.सी.पी.																
	15 काएगा 3 एवं 4		2001/5	2009/10	2009/10	0	0	0	4213	4213	0	–	–	–	–	–
	इकाई					0		0			0		–			
	कानपुर															
	कर्नाटक															
क्षेत्र : पेट्रोलियम																
एचपीसीएल																
16 एमकेटीजे खंड हुकअप66500 के			2001/9	2003/5	2003/5	0		0	0	76.24	76.24	0	17.75	10	2.15	19.9	–
	बी लोरे एमबीपीएल					0		0			0	–				
	हसाना															
	कर्नाटक															
राज्य : मध्य प्रदेश																
क्षेत्र : कोयला																
एसईसीएल																
	17 झिलमिल यूजी	0.3	2001/12	2003/3	2003/3	0	0	0	28.85	28.85	0	16.67	–	0.27	16.9	–
	आर.सी.ई. एमटीवाई					0		0			0		–			
	मध्य प्रदेश															
डब्ल्यू सी एल																
	18 टांडसी यूजी	0.59	2001/7	2004/3	2004/3	0	0	0	69.06		69.06	0	–	–	–	–
	एक्सपेंशन एमटीवाई					0		0			0		–			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	मध्य प्रदेश															
राज्य : महाराष्ट्र																
	19 धुरवासा ओसी	0.55	2001/08	2006/03	2006/03	0	0	0	62.74	62.74	0	1.44	–	0.6	2.04	–
	वर्धा एमटीवाई					0		0			0		–			
	महाराष्ट्र															
	20 कालगांव ओसी	0.4	2001/08	2006/03	2006/03	0	0	0	74.97	74.97	0	–	–	–	–	–
	महाराष्ट्र एमटीवाई					0		0			0		–			
	21 गौरी–दीप	0.4	2001/11	2010/03	2010/03	0	0	0	86.21	86.21	0	–	1.21	–	–	–
	ओसी एमटीवाई							0			0					
	बल्लारपुर															
	महाराष्ट्र															
क्षेत्र : रेलवे																
एस एंड टी																
22	आर.ई.पी.एल लीवर–बी	एमटीएनएस		2001/05	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	35.76	35.76	12	–	0.5	0.1	0.1	–
	रूट–ओ.पी.एस	19				उ.न.		उ.न.			12	–				
	मुंबई															
	महाराष्ट्र															
23	आर.ई.पी.एल लीवर ए	एमटीएनएस		2001/5	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	27.98	30.95	11	0.11	0.5	0.02	0.13
	रूट–ओ.पी.एस.	16				उ.न.		उ.न.				11	–			
	मुंबई															
	महाराष्ट्र															
राज्य : पंजाब																
क्षेत्र : शहरी विकास		पेमेंट														
सीपीडब्ल्यूडी																
24	सीओएनएसटी–एसएसएस		2001/7	2003/3	2003/3	0	0	0	21.53	21.53	0	–	–	0.03	0.03	5
	नीरे					0		0			0		–			
	जालंधर															
	पंजाब															
राज्य : तमिलनाडु																
क्षेत्र : रेलवे																
जीसी																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	25 ताहानजबूर		2001/10	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	287.42	223	–	22	–	2	0.03	0.03
	विलूपुरम					उ.न.		उ.न.			–	22	–			
	(एसआर)															
	तमिलनाडु															
राज्य : उत्तर प्रदेश																
क्षेत्र : पेट्रोलियम																
आईओसी																
	26 मैसर्स क्वालिटी		**2001/8**	**2004/8**	**2004/8**	**0**	**0**	**0**	**557**	**557**	**0**	**0.08**	**70**	**5.27**	**5.35**	**2.8**
	अपग्रेडेशन					**0**		**0**			**0**		**5.29**			
	मथुरा															
	उत्तर प्रदेश															
	27 एडीडीएल डीजल		**2001/8**	**2004/9**	**2004/9**	**0**	**0**	**0**	**926**	**926**	**0**	**0.45**	**80**	**11.88**	**12.3**	**2.8**
	हाइड्रो फैक्टी					**0**		**0**			**0**		**16.6**			
	मथुरा															
	उत्तर प्रदेश															
क्षेत्र : विद्युत																
एन.टी.पी.सी.																
	28 रिहांद एसटीपीपी एमडब्ल्यू		2001/5	2006/5	2006/5	0	0	0	3384.8	3384.8	0	2.08	163	239.7	242	–
	एसटी 2		1000			0		0			0		296			
	उत्तर प्रदेश															

पाद टिप्पणी : उ.न. – उपलब्ध नहीं।

डेयरी विकास परियोजना के लिए वित्तीय सहायता

3314. श्री महेश्वर सिंह : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान पर्वतीय और पिछडे क्षेत्रों में श्वेत क्रान्ति ओर समेकित डेयरी विकास परियोजना के अंतर्गत तीव्र दुग्ध प्रशीतन संयंत्र, डेयरी संयंत्र और वातानुकूलित वाहनों हेतु राज्यों को दी गई सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय द्वारा गत दो वर्षों के दौरान आधारभूत सुविधा विकास के अंतर्गत शीत भंडार गृहों, वातानुकूलित परिवहन प्रणाली और प्रसंस्करित दुग्ध उत्पादों के लिए बिक्री केन्द्र की स्थापना हेतु कुछ राज्यों को वित्तीय सहायता दी गई है और वह वित्तीय सहायता कितनी थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) आपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो सामान्यतया श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है, 1996 में समाप्त हो गया था।

कृषि मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग गैर ऑपरेशन फ्लड, पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों में "समेकित डेयरी विकास परियोजना" (आईडीडीपी) नामक केन्द्रीय प्रायोजित प्लान योजना चला रहा है। योजना के तहत इन्सर्टेंट कूलिंग उपकरण, डेयरी संयंत्रों और रेफ्रीजरेटेड वाहनों आदि को सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष

1999–2000 के दौरान योजना के तहत किसी भी नई परियोजना को मंजूरी नहीं दी गई है। 1999–2000 और 2000–01 के दौरान मंजूर की गई परियोजनाओं के बारे में अपेक्षित सूचना विवरण में संलग्न है।

विवरण

1999–2000 और 2000–01 के दौरान गैर ऑपरेशन फ्लड, पर्वतीय ओर पिछड़े क्षेत्रों में समेकित डेयरी विकास परियोजना (आई डीडीपी) नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत डेयरी संयंत्र, प्रशीतन संयंत्र ओर रेफ्रिजरेटेड मिल्क वैन की स्थापना हेतु वित्तीय प्रावधान

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	अनुमोदन का वर्ष	के लिए वित्तीय प्रावधान			
			परियोजना का कुल परिव्यय	डेयरी संयंत्र	प्रशीतन केन्द्र/ बल्क कूलैन्ट	रेफ्रिजरेटेड वैन
1.	आंध्र प्रदेश	2000–01	934.28	शून्य	320.00	शून्य
2.	बिहार (नालंदा)	2000–01	447.73	85.75	180.00	शून्य
3.	मेघालय	2000–01	472.52	313.61	शून्य	शून्य
4.	उड़ीसा	2000–01	784.53	219.25	65.30	28.00
5.	सिक्किम	2000–01	368.16	72.23	43.30	शून्य
6.	उत्तर प्रदेश	2000–01	758.44	14.00	300.00	शून्य

विदेशों के साथ सांस्कृतिक संबंध

3315. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को मधुर बनाने के लिए सरकार द्वारा कोई योजना/नीति तैयार की गई है/तैयार किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कुल कितने अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित किये गये?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) संस्कृति विभाग सांस्कृतिक संपर्कों के नवीकरण तथा सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से तथा विदेशों में भारत की सांस्कृतिक छवि को प्रस्तुत करने की दृष्टि से अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय सांस्कृतिक सहयोग की सक्रिय नीति का अनुसरण कर रहा है। इन उद्देश्यों को द्विपक्षीय सांस्कृतिक करारों तथा सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।

इस समय 112 सांस्कृतिक करार तथा 78 सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम विद्यमान हैं।

(ग) 1999–2000 : शून्य

2000-01 :

1. "भारत में तुर्कमेन संस्कृति के दिन" (अगस्त, 2000)
2. "अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव" (अक्तूबर 2000)
3. "अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव" (दिसम्बर, 2000)
4. "भारत में जर्मन महोत्सव" (अक्तूबर, 2000–मार्च, 2001)

2001-02 :

1. "मध्य एशिया से नृत्य तथा संगीत" (सितंबर, 2001)
2. "कलाईडस्कोप" (अक्तूबर, 2001)

अहमदाबाद हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें

3316. श्री सवशीभाई मकवाना : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो अहमदाबाद से कितनी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित की जा रही हैं; और

(ग) अगले छह महीनों में अहमदाबाद से न्यूयार्क और अहमदाबाद से लंदन के बीच कितनी उड़ानें शुरू किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) जी, हां।

(ख) अहमदाबाद हवाई अड्डे से प्रति सप्ताह 87 घरेलू तथा 18 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रचालित होती हैं।

(ग) अहमदाबाद हवाई अड्डे से अगले 6 महीनों के दौरान न्यूयार्क और लंदन के लिए सीधी हवाई प्रचालन सेवा संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, एअर इंडिया अहमदाबाद में ही सभी फरंटियर औपचारिकताएं पूरी करके अमेरिका/यू.के. के लिए हवाई संपर्क स्थापित करने की दृष्टि से अहमदाबाद से दिल्ली तथा मुंबई के लिए उड़ानें प्रचालित कर रही है।

केले की खेती

3317. कुंवर अखिलेश सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी हेक्टेयर भूमि में केले की खेती की जा रही है;

(ख) क्या देश से केले का निर्यात किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो किन देशों को केले का निर्यात किया जाता है और प्रत्येक देश से वार्षिक तौर पर कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है;

(घ) क्या देश में केले की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार के पास कोई ठोस कार्य योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) वर्ष 1999–2000 के दौरान केले की खेती के तहत कुल क्षेत्र 4.91 लाख हैक्टेयर था।

(ख) और (ग) वर्ष 2000–01 के दौरान जिन देशों को केले का निर्यात किया गया, उनके नाम तथा निर्यात का मूल्य संलग्न विवरण पर दिया गया हैं

(घ) और (ङ) सरकार कृषि में वृहत् प्रबंधन संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम – कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्य के प्रयासों का अनुपूरक/सम्पूरण के अधीन केला सहित फलों के विकास के लिए सहायता मुहैया करा रही है। इस स्कीम के अधीन राज्य सरकारें अपने कार्यकलापों की प्राथमिकता तय कर सकती हैं और कार्य योजनाओं के लिए आवश्यकतानुसार निधियां आबंटित कर सकती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, असम और महाराष्ट्र राज्यों में कार्यान्वित किए जाने के लिए 2,31,000 अमरीकी डालर के परिव्यय से खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ.ए.ओ.) की सहायता से 18 माह की अवधि के लिए अगस्त, 2001 के दौरान " छोटे स्तर के उत्पादकों हेतु केला उत्पादन सुधार" संबंधी एक परियोजना शुरू की गई है।

विवरण

उन देशों की सूची जिन्हें वर्ष 2000–2001 के दौरान केला का निर्यात किया गया था और उसका मूल्य

देश	निर्यात का मूल्य (रुपये)
1	2
बेल्जियम	114222
बहरीन	9407114
कनाडा	80656
फ्रांस	202770
जर्मनी	1438370
ब्रिटेन	32566
कुवैत	13599014
श्रीलंका	6321
मालदीव	3531214
मलेशिया	1025090
नीदरलैण्ड	13062528
नीदरलैण्ड एंटी	318305
नेपाल	436421
ओमान	12667299
कोरिया लोकतांत्रिक गणराज्य	193876

1	2
कतर	10005816
रूस	343583
सउदी अरब	26521562
सिंगापुर	628308
स्वीट्जरलैण्ड	45911
संयुक्त अरब अमीरात	85059995
संयुक्त राष्ट्र अमरीका	1244047
अन्य देश	65408
कुल उत्पाद	180030446

नदियों की सफाई

3318. श्री थावर चन्द गेहलोत :

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रदूषित हो चुकी नदियों के राज्यवार नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा प्रत्येक प्रदूषित नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु कोई कार्य योजना बनाई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक नदी की सफाई हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और अब तक कितनी धनराशि व्यय हुई है;

(घ) प्रदूषित नदियों को कब तक प्रदूषण मुक्त कर दिये जाने की संभावना है;

(ङ) क्या उक्त योजना के अन्तर्गत सभी नदियों की सफाई के लिए घरेलू मल–जल और पानी का शोधन किया जा रहा है अथवा नदियों में गिरने वाले उद्योगों के प्रदूषित जल का शोधन भी इसमें शामिल किया जायेगा;

(च) यदि हां, तो उक्त कार्य किन स्थानों पर किया जा रहा है; और

(छ) यदि नहीं, तो मध्य प्रदेश की नागदा चंबल नदी को किस तरीके से संरक्षित किया जायेगा?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (घ) 16 राज्यों में फैले 27 नदियों के प्रदूषित भागों के किनारे स्थित 152 नगरों में प्रदूषण निवारण कार्य शुरू करने के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन आर सी पी) की एक स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अन्तर्गत कार्यों की वर्तमान अनुमोदित लागत 3329 करोड़ रुपए है। नदी प्रदूषण निवारण के संबंध में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना का प्रभाव स्कीमों के अन्तर्गत सभी कार्यों के 2005 तक पूरा होने के पश्चात ही दिखाई देगा। रिलीज राशियों तथा किए गए व्यय सहित नदियों की राज्य–वार सूची विवरण में दी गई है।

(ङ) से (छ) नदियों में अशोधित बहिस्रावों को बहने से रोकने के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अन्तर्गत 152 नगरों में घरेलू मलजल का शोधन किया जा रहा है जैसाकि विवरण में उल्लेख किया गया है। औद्योगिक प्रदूषण का समाधान देश के वर्तमान पर्यावरणीय कानूनों के तहत किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की चम्बल नदी के प्रदूषण निवारण के लिए नागदा नगर को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया है ताकि विभिन्न प्रदूषण निवारण कार्य कराए जा सकें जो ये हैं : (i) अल्प लागत शौचालय (ii) अवरोधन एवं दिशापरिवर्तन (iii) मलजल शोधन संयंत्र (iv) उन्नत काष्ठ शवदाहगृह (v) वनीकरण एवं (vi) जन–भागीदारी।

विवरण

क्र.सं	राज्य	नगर	नदी	रिलीज राशि मार्च–02	व्यय जनवरी 2002 तक
1	2	3	4	5	6
क. राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना			**2005 (पूरा करने की निर्धारित तारीख)**		
I.	**आंध्रप्रदेश**				
1.		भद्राचलम	गोदावरी		94.33
2.		मनचरियल	गोदावरी		73.27

1	2	3	4	5	6
3.		राजमुंद्री	गोदावरी		618.57
4.		रामागुण्डम	गोदावरी		72.93
	उप योग			1372.20	859.10
II.	झारखण्ड				
5.		घाटशिला	सुर्वणरेखा		16.68
6.		जमशेदपुर	सुर्वणरेखा		28.19
7.		रांची	सुर्वणरेखा		36.11
	उप–योग			245.98	80.98
III.	गुजरात				
8.		अहमदाबाद	सावरमती		3931.39
	उप–योग			4537.86	3931.39
IV.	कर्नाटक				
9.		भद्रावती	भद्रा		125.37
10.		के.आर.नगर	कोवरी		62.00
11.		कोलेगल	कावेरी		11.00
12.		नंजागुढ़	कावेरी		113.67
13.		श्री रंगापट्टनम	कावेरी		80.33
14.		शिमोगा	तुंग		59.17
15.		देवेनगेरे	तुंगभद्रा		257.21
16.		हरिहारा	तुंगभद्रा		108.91
	उप–योग			1039.37	817.66
V.	मध्य प्रदेश				
17.		भोपाल	बेतवा		117.32
18.		माण्डीद्वीप	बेतवा		35.72
19.		विदिशा	बेतवा		272.69
20.		नागदा	चम्बल		229.68
21.		इन्दौर	खान		391.90

1	2	3	4	5	6
22.		उज्जैन	क्षिप्रा		822.76
23.		जबलपुर	नर्मदा		89.13
24.		बुरहानुपर	ताप्ती		134.84
25.		छपरा	वैनगंगा		31.68
26.		केओलारी	वैनगंगा		32.11
27.		सिवनी	वैनगंगा		24.25
	उप–योग			2810.10	2182.08
VI.	**महाराष्ट्र**				
28.		नांदेड़	गोदावरी		504.54
29.		नासिक	गोदावरी		300.18
30.		कराड	कृष्णा		0
31.		सांगली	कृष्णा		0
32.		त्रिबकेश्वर	गोदावरी		
	उप–योग			3221.88	804.72
VII	**उड़ीसा**				
33.		चान्दवली	ब्राह्मणी		0
34.		धर्मशाला	ब्राह्मणी		0
35.		तलछट	ब्राह्मणी		0
36.		कटक	महानदी		36.76
	उप–योग			391.93	36.76
VIII	**पंजाब**				
37.		जालंधर	सतलज		1845.29
38.		लुधियाना	सतलज		5907.71
39.		फगवाड़ा	सतलज		524.28
40.		फिल्लौर	सतलज		114.25
41.		सुल्तानपुर लोदी	सतलज		65.65
42.		कपूरथला	सतलज		280.03
	उप योग			5034.64	8737.21

1	2	3	4	5	6
IX	**राजस्थान**				
43.		केशोरायपटटा	चम्बल		0
44.		कोटा	चम्बल		0
	उप योग			68.17	0.00
X	**तमिलनाडु**				
45.		भवानी	कावेरी		67.71
46.		इरोर	कावेरी		525.63
47.		कुमारपलायम	कावेरी		253.31
48.		पलीपलायम	कावेरी		63.35
49.		त्रिची	कावेरी		341.35
50.		चेन्नई	अदयार, कोयम		4286.3
51.		मदुरई	वैगई		0.00
52.		तंजावूर	वन्नार		0.00
53.		तिरूचिरापल्ली	कावेरी		0.00
54.		मायलादुथरई	कावेरी		0.00
55.		कुम्बाकोणम	कावेरी		0.00
56.		करूर	कावेरी		0.00
57.		तिरूनेलवेली	ताम्रबर्नी		0.00
	उप–योग			11232.72	5537.65
	कुल (राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना)			29954.55	22987.55
ख.	**गंगा कार्य योजना चरण।।**				
	यमुना कार्य योजना				
XI	**दिल्ली**				
58.		दिल्ली	यमुना		1613.4
	उप–योग			1144.41	1613.4
XII	**हरियाणा**				
59.		छिछरौली	यमुना		35.86

1	2	3	4	5	6
60.		फरीदाबाद	यमुना		6472.23
61.		घरौदा	यमुना		74.56
62.		गोहाना	यमुना		268.2
63.		गुड़गाँव	यमुना		1806.95
64.		इन्द्री	यमुना		101.61
65.		करनाल	यमुना		2443.86
66.		पलवल	यमुना		1001.52
67.		पानीपत	यमुना		4207.8
68.		रदौर	यमुना		50.98
69.		सोनीपत	यमुना		2193.99
70.		यमुनानगर	यमुना		2397.52
	उप–योग			14897.40	21055.08
XIII	**उत्तर प्रदेश**				
71.		आगरा	यमुना		7269.82
72.		इटावा	यमुना		624.09
73.		गाजियाबाद	यमुना		8694.41
74.		मथुरा	यमुना		1764.12
75.		मुजफ्फरनगर	यमुना		1215.35
76.		नोएडा	यमुना		2692.42
77.		सहारनपुर	यमुना		2161.62
78.		वृन्दावन	यमुना		517.61
	उप–योग			20683.50	24939.44
	कुल (यमुना कार्य योजना)			36725.31	47607.92
I.	**यमुना कार्य योजना (विस्तारित चरण)**				
	दिल्ली				
		दिल्ली	यमुना		5346.67
	उप–योग			7240.22	5346.67

1	2	3	4	5	6
	हरियाणा				
		फरीदाबाद	यमुना		420.43
		गुड़गांव	यमुना		383.11
		करनाल	यमुना		287.74
		पानीपत	यमुना		93
		सोनीपत	यमुना		41.02
		यमुनानगर	यमुना		337.26
	उप–योग			2300.00	1562.56
	उत्तर प्रदेश				
		आगरा	यमुना		308.04
		इटावा	यमुना		3.72
		गाजियाबाद	यमुना		232.58
		मथुरा	यमुना		423.83
		मुजफ्फरनगर	यमुना		64.86
		नोएडा	यमुना		56.28
		सहारनपुर	यमुना		176.07
		वृन्दावन	यमुना		177.76
	उप–योग			2344.91	1443.14
	कुल (यमुना कार्य योजना)			11885.13	8352.37
	कुल (यमुना कार्य योजना + यमुना कार्य योजना (विस्तरित क्षेत्र)			48610.44	55960.29
II)	**गोमती कार्य योजना**				
	उत्तर प्रदेश				
79.		जौनपुर	गोमती		392.78
80.		लखनऊ	गोमती		1032.79
81.		सुल्तानपुर	गोमती		428.76
	उप योग				1854.33
	कुल (गोमती कार्य योजना)			1996.72	1854.33

1	2	3	4	5	6
III)	**दामोदर कार्य योजना**				
	झारखण्ड				
82.		बोकारा–कांगली	दामोदर		0.00
83.		छिकुंडा	दामोदर		0.00
84.		दुग्धा	दोमोदर		0.00
85.		झरिया	दामोदर		0.00
86.		रामगढ़	दामोदर		0.00
87.		सिन्दरी	दामोदर		0.00
88.		सुदामाडीह	दामोदर		0.00
89.		टेलुमोछू	दामोदर		0.00
	उप–योग			199.43	0.00
XIV	**पश्चिम बंगाल**				
90.		अंडाल	दामोदर		0.00
91.		आसनसोल	दामोदर		0.00
92.		दुर्गापुर	दामोदर		0.00
93.		रानीगंज	दामोदर		0.00
	उप योग			10.74	0.00
	कुल (दामोदर कार्य योजना)			210.17	0.00
IV)	**गंगा कार्य योजना चरण-II (Mainsteam)**				
XV	**बिहार**				
94.		आरा	गंगा		27.96
95.		बरहिया	गंगा		10.5
96.		बाढ़	गंगा		7.12
97.		भागलपुर	गंगा		
98.		बक्सर	गंगा		5.43
99.		छपरा	गंगा		0.00
100.		फतुवा	गंगा		0.00
101.		मुंगेर	गंगा		17.69

1	2	3	4	5	6
102.		पटना	गंगा		47.79
103.		साहेवगंज	गंगा		9.85
104.		सुल्तानगंज	गंगा		15.92
	उप योग			249.22	142.26
XVI	**उत्तरांचल**				
105.			गंगा		231.45
	उप योग				231.45
	उत्तर प्रदेश				
106.		इलाहाबाद	गंगा		548.14
107.		फरूखाबाद	गंगा		1.41
108.		गढ़मुकतेश्वर	गंगा		29.82
109.		गाजीपुर	गंगा		50.4
110.		कानपुर	गंगा		3134.55
111.		मिर्जापुर	गंगा		18.52
112.		मुगलसराय	गंगा		24.87
113.		सैदपुर	गंगा		1.81
114.		वाराणसी	गंगा		111.02
	उप योग			5411.06	3920.54
	पश्चिम बंगाल				
115.		बद्रेश्वर और चम्पदनी	गंगा		0
116.		वैद्यावती	गंगा		0
117.		वांसबेरीया	गंगा		0
118.		बैरकपुर	गंगा		0
119.		बज–बज	गंगा		10.98
120.		सरकुलर कैनाल	गंगा		69.98
121.		रिश्रा	गंगा		0
122.		टौली नाला	गंगा		616.55
	उप योग			3045.63	697.51
	कुल (एमएस)			8705.91	4991.76

1	2	3	4	5	6
V)	**गंगा कार्य योजना फेज-II (उच्चतम न्यायालय शहर)**				
	बिहार				
123.		हाजीपुर	गंगा		0
124.		कहलगाँव	गंगा		0
125.		माकामा	गंगा		0
	उप योग				0.00
	उत्तर प्रदेश				
126.		अनूपशहर	गंगा		59.37
127.		बिजनौर	गंगा		39.02
128.		चुनार	गंगा		15.33
	उप योग				113.72
	उत्तरांचल				
129.		बद्रीनाथ	गंगा		10.51
130.		देव प्रयाग	गंगा		21.15
131.		गोपेश्वर	गंगा		8.24
132.		जोशीमठ	गंगा		6.1
133.		कर्ण प्रयाग	गंगा		5.13
134.		रानीपुर	गंगा		29.23
135.		रूद्र प्रयाग	गंगा		12.5
136.		श्रीनगर	गंगा		56.28
137.		उत्तरकाशी	गंगा		64.53
	उप योग				213.67
	पश्चिम बंगाल				
138.		चकदह	गंगा		0.00
139.		धुलिया	गंगा		0.00
140.		डायमण्ड हार्वर	गंगा		0.00
141.		गरूलिया	गंगा		0.00

1	2	3	4	5	6
142.		गोशपुर, हलिशार	गंगा		11.48
143.		जांगीपुर	गंगा		0.00
144.		जीगंज अजीमगंज	गंगा		0.00
145.		कटवा	गंगा		0.00
146.		खरदा (विस्तार)	गंगा		0.00
147.		कानागढ़	गंगा		0.00
148.		महेशतला	गंगा		19.91
149.		मुर्सीदाबाद	गंगा		0.00
150.		नईहाटी	गंगा		0.00
151.		उत्तर बैरकपुर	गंगा		0.00
152.		उत्तरपारा कोटरंग	गंगा		0.00
	उप योग				31.39
	कुल (एस/सी)				358.78
	कुल (जीएपी फेज–II)			59523.24	63165.16
	कुल योग			89478.09	86152.71

* सुप्रीम कोर्ट शहरों को जारी की गई राशि शामिल है।

[अनुवाद]

विदेशी पर्यटकों की संख्या में गिरावट

3319. श्री सुरेश कुरूप :

श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :

क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष के दौरान पर्यटन उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष उससे पिछले वर्ष की तुलना में कितने पर्यटक भारत आए;

(ग) क्या 13 दिसम्बर, 2001 को संसद पर हुए हमले और गुजरात दंगों के बाद विदेशी पर्यटकों की संख्या में काफी गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो इन कारकों से पर्यटन उद्योग पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ा है;

(ङ) क्या सरकार का विचार वर्ष 2002–2003 के दौरान हताश टूरऑपरेटरों को कुछ और रियायतें देने का है ताकि पिछले वर्ष के पर्यटकों के अंतराल को पूरा किया जा सके; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी हां।

(ख) भारत में विदेशी पर्यटक आगमन, वर्ष 2000 के दौरान 2649378 की तुलना में वर्ष 2001 के दौरान अनुमानित 2537282 रहा।

(ग) और (घ) जनवरी, फरवरी और मार्च 2002 के दौरान पिछले वर्ष के इन्हीं महीनों की तुलना में पूरे विश्व में सामान्य आर्थिक मंदी, यू.एस.ए. में विश्व व्यापार केन्द्र पर हुए आतंकवादी हमले और उसके बाद की घटनाओं के कारण मुख्य रूप से पर्यटक आगमन में कमी आई।

(ङ) और (च) पर्यटन विभाग की यात्रा प्रचालकों और यात्रा अभिकर्ताओं को नकद प्रोत्साहन देने की कोई योजना नहीं है।

तिलहनों की खेती

3320. श्री मानसिंह पटेल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिलहनों की खेती में काफी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार/उत्पादनवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार तिलहन उत्पादन के क्षेत्र में भारी निवेश के लिए सभी जरूरी सुविधायें और अन्य रियायतें देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) वर्ष 1999–2000 के दौरान तिलहन की खेती तथा उत्पादन की तुलना में वर्ष 2000–2001 के दौरान तिलहन की खेती तथा उत्पादन में गिरावट आई है। तिलहन की खेती तथा उत्पादन में आई कमी बुआई के समय मौसम की असामान्य परिस्थितियों एवं तिलहन उत्पादक कुछ प्रमुख राज्यों में तिलहन की फसलों पर कुछ कीटों तथा रोगों के प्रकोप के कारण आई है।

(ख) वर्ष 1999–2000 तथा 2000–01 के दौरान तिलहन की खेती तथा कुल उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा विवरण के रुप में संलग्न है।

(ग) और (घ) देश में तिलहन उत्पादन में वृद्धि करने के लिए 408 चुनिन्दा जिलों को कवर करते हुए 28 राज्यों में केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, किसानों को तिलहन की खेती बड़े पैमाने पर करने को प्रोत्साहित करने के लिए राजसहायता के माध्यम से विभिन्न प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

विवरण

वर्ष 1999–2000 तथा 2000–2001 के दौरान तिलहन की खेती के अंतर्गत कुल क्षेत्र तथा राज्यवार उत्पादन

क्षेत्र: '000 हेक्टेअर
उत्पादन: '000 मी. टन

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	1999–2000		2000–2001	
	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	2566.2	1375.2	2675.6	2390.4
अरुणाचल प्रदेश	25.5	25.7	24.8	24.2
असम	322.1	147.9	310.4	160.0
बिहार	216.1	156.6	171.0	141.5
झारखण्ड	–	–	50.1	34.3
गोवा	1.3	2.3	1.8	3.0
गुजरात	2799.4	1733.3	2695.0	1696.8
हरियाणा	463.0	607.0	453.5	625.8
हिमाचल प्रदेश	19.4	10.2	18.9	10.5
जम्मू तथा कश्मीर	75.9	53.4	70.4	49.7
कर्नाटक	1982.4	1192.5	2197.8	1372.4
केरल	9.5	5.8	8.8	5.7
मध्य प्रदेश	5916.2	5811.3	5612.5	4145.3
छत्तीसगढ़	–	–	275.5	88.4
महाराष्ट्र	2739.6	2668.6	2523.3	2087.1
मणिपुर	2.6	1.2	2.3	1.7
मेघालय	9.3	6.2	8.7	5.8
मिजोरम	7.2	7.2	7.2	5.4
नागालैण्ड	43.0	43.3	36.3	34.6
उड़ीसा	342.5	160.8	277.3	117.8
पंजाब	104.7	111.7	87.4	88.9

1	2	3	4	5
राजस्थान	3635.4	3405.8	2645.7	2032.1
सिक्किम	10.0	7.6	10.0	7.3
तमिलनाडु	998.8	1481.5	1056.0	1584.2
त्रिपुरा	6.2	4.2	6.3	4.6
उत्तर प्रदेश	1479.4	1286.7	1395.4	1095.5
उत्तरांचल	–	–	22.0	14.5
पश्चिम बंगाल	502.9	406.2	599.6	570.2
दादरा एवं नगर हवेली	0.1	0.1	0.1	0.1
पांडिचेरी	1.0	2.6	1.3	2.2
दिल्ली	2.7	0.6	4.8	0.7
कुल भारत	24282.4	20715.5	23249.8	18400.1

बाढ़ नियंत्रण के लिये योजना

3321. श्री रामदास आठवले : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण के लिये कोई योजना तैयार की है या तैयार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, आज की तिथि तक सरकार द्वारा राज्यों को दी गई वित्तीय और तकनीकी सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अब तक राज्यवार कितनी उपलब्धि हासिल की गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) से (घ) बाढ़ प्रबंधन राज्य का विषय होने के कारण बाढ़ नियंत्रण स्कीमों की आयोजना, वित्त पोषण, कार्यान्वयन और प्रचालन की जिम्मेदारी मुख्यतः संबंधित राज्य सरकारों की है। केन्द्र सरकार द्वारा दी गई सहायता तकनीकी, प्रेरणात्मक और प्रोत्साहनात्मक स्वरूप की होती है। बाढ़ उप क्षेत्र में विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों के लिए कोई केन्द्रीय स्कीम नहीं है। तथापि, बाढ़ क्षेत्र की कुछ स्कीमों से आदिवासी क्षेत्रों को भी लाभ होता है।

केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1972 में गठित गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ने गंगा बेसिन की सभी 23 नदी प्रणालियों के लिए बाढ़ प्रबंधन की व्यापक योजनाएं तैयार की है। इसी प्रकार, वर्ष 1982 में गठित ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों की मास्टर योजनाएं तैयार की हैं। ये रिपोर्टें/मास्टर योजनाएं उनमें की गई सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेजी गई हैं। इन योजनाओं में अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों उपायों का सुझाव दिया गया है।

भारत सरकार ने देश में बाढ़ की समस्या का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ समितियां गठित की हैं। वर्ष 1976 में गठित राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने इस समस्या की विस्तार से जांच की है और वर्ष 1980 में अपनी रिपोर्ट दी है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की सिफारिशें जो देश में बाढ़ प्रबंधन नीति का ढांचा हैं, सभी राज्य सरकारों को कार्यान्वयन के लिए भेजी गई हैं। बाढ़ से संबंधित स्थान/क्षेत्र विशेष की समस्याओं की जांच करने के लिए समय-समय पर विशेषज्ञ समितियां/कार्य बल गठित किए गये जिनकी सिफरिशें कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भी भेजी गई थी। केन्द्र सरकार ने वृहद अंतर्राज्यीय नदियों पर 159 बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्रों की स्थापना भी की है जो विभिन्न राज्यों में बाढ़ की हानि को कम करने के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की समय पर अग्रिम चेतावनी देते हैं।

योजना आयोग प्रत्येक वार्षिक योजना के दौरान राज्य में योजना कार्यों के लिए निधियां आबंटित करता है। गत तीन वित्त वर्षों अर्थात 1999-2000 से 2001-02 के दौरान राज्यों के लिए बाढ़ नियंत्रण उप क्षेत्र के तहत परिव्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। अनुदान अथवा केन्द्रीय ऋण सहायता का ब्यौरा भी विवरण-I में दिखाया गया है। वर्ष 1999-2000 से 2001-02 के दौरान जारी आपदा राहत निधि (सी आर एफ) के केन्द्र के हिस्से का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

वर्ष 1999-2000 से 2001-02 के दौरान राज्यों को भारी वर्षा/बाढ़, सूखा और भूकंप के लिए एन एफ सी आर/एन सी सी एफ से दी गई सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। राष्ट्रीय आपदा राहत निधि (एन एफ सी आर) राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि (एन सी सी एफ) से दी गई सहायता सी आर एफ के केन्द्र के हिस्से के अलावा है।

तटबंधों, जल निकास चैनलों के निर्माण सुरक्षित किए गए नगरों/गांवों तथा ऊंचा उठाये गये/सुरक्षित किए गांवों के रूप में बाढ़ नियंत्रण उप क्षेत्र में राज्यवार प्रगति का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

विवरण–I

वर्ष 1999–2000 से 2001–2002 के दौरान बाढ़ नियंत्रण उप क्षेत्र के तहत राज्यवार परिव्यय एवं केन्द्रीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1999–2000		2000–2001		2001–02	
		राज्य योजना परिव्यय	केन्द्रीय सहायता	राज्य योजना परिव्यय	केन्द्रीय सहायता	राज्य योजना परिव्यय*	केन्द्रीय सहायता
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	42.00	..	63.00		22.15	
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.25	7.85**	3.50	10.00**	12.00	30.00**
							3.00***
3.	असम	27.57	15.00 (सी	3.40	शून्य	14.35	39.00**
			एल ए)		0.48@		10.00***
			5.00**				0.26@
4.	बिहार	110.00	5.18	103.00	13.522	110.00	19.80
5.	गोवा	0.85		1.20		1.00	
6.	गुजरात	5.00		5.30		5.00	
7.	हरियाणा	20.00		20.00		26.00	
8.	हिमाचल प्रदेश	8.12		7.90		13.00	
9.	केरल	24.00		22.50		23.00	
10.	महाराष्ट्र	0.99		0.70		1.00	
11.	मेघालय	3.00		3.00		3.00	
12.	मिजोरम	0.00		0.00	0.00		
13.	उड़ीसा	12.63		2.00		23.37	
14.	पंजाब	105.39	1.50@	142.00	1.50@	130.00	1.50@
15.	राजस्थान	3.35		1.90		11.00	
16.	सिक्किम	0.02		1.30		10.71	
17.	तमिलनाडु	17.77	..	22.10	..	18.00	..

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	उत्तर प्रदेश	23.53	0.46	51.20	5.75	30.00	6.89
19.	पश्चिम बंगाल	165.30	0.77@	130.90	6.50	112.20	11.38
					1.02@		1.19@
20.	चण्डीगढ़	0.00		0.00		0.00	
21.	दिल्ली	20.00		21.30		23.00	
22.	लक्षदीप	3.05		3.10		3.00	
23.	पांडिचेरी	4.00		4.00		3.60	
24.	उत्तरांचल	..	..	..	1.00	..	..

* अनंतिम

** नॉन लाप्सेबल संसाधनों का केन्द्रीय पूल–योजना आयोग द्वारा जारी।

*** अतिरिक्त केन्द्रीय योजना सहायता–योजना आयोग द्वारा जारी।

@ पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्र में आपाती बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए विशेष ऋण सहायता।

विवरण-II

वर्ष 1999–2000 से 2001–2002 के दौरान राज्यवार जारी आपदा राहत निधि (सी आर एफ) के केन्द्रीय हिस्से को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	1999–2000	2000–2001	2001–2002
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	107.69	148.54	196.91
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.10	9.02	9.47
3.	असम	43.37	76.12	79.92
4.	बिहार	33.79	50.22	26.37
5.	छत्तीसगढ़		20.60	21.63
6.	गोवा	0.93	0.47	
7.	गुजरात	121.05	131.14	117.01
8.	हरियाणा	21.73	60.98	64.03
9.	हिमाचल प्रदेश	23.37	32.61	34.24
10.	जम्मू और कश्मीर	17.09	26.18	
11.	झारखण्ड		42.52	

1	2	3	4	5
12.	कर्नाटक	36.29	55.93	58.72
13.	केरल	48.04	17.34	86.04
14.	मध्य प्रदेश	44.29	46.98	49.32
15.	महाराष्ट्र	44.36	117.90	123.80
16.	मणिपुर	1.61	1.56	
17.	मेघालय	2.42	2.95	1.55
18.	मिजोरम	1.10	1.12	
19.	नागालैंड	1.47	0.53	2.48
20.	उड़ीसा	42.50	103.65	64.66
21.	पंजाब	46.96	92.04	48.32
22.	राजस्थान	155.25	196.00	122.26
23.	सिक्किम	4.08	2.95	4.95
24.	तमिलनाडु	51.47	76.98	80.83
25.	त्रिपुरा	3.90	1.41	
26.	उत्तरांचल		7.10	29.93
27.	उत्तर प्रदेश	108.50	32.08	135.21
28.	पश्चिम बंगाल	44.50	75.83	39.81
	कुल	1011.86	1430.75	1397.45

विवरण-III

भारी वर्षा/बाढ़, सूखा एवं भूकम्प के संदर्भ में आपदा राहत के लिए एन.एफ.सी.आर./एन.सी.सी.एफ. से वर्ष 1999–2000 से 2001–2002 के दौरान दी गई सहायता का राज्यवार विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1999–2000	2000–2001	2001–02
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	75.36		30.44
2.	अरुणाचल प्रदेश		2.00	
3.	असम			
4.	बिहार	38.18	29.67	..

1	2	3	4	5
5.	छत्तीसगढ़		40.00	
6.	गोवा			42.88
7.	गुजरात	54.58	585.00**	994.37**
8.	हरियाणा			
9.	हिमाचल प्रदेश		8.29	61.48
10.	जम्मू व कश्मीर	73.42		23.20
11.	झारखण्ड			
12.	कर्नाटक	17.09		
13.	केरल			
14.	मध्य प्रदेश	38.86	35.00	22.72
15.	महाराष्ट्र			
16.	मणिपुर	4.93		
17.	मेघालय		1.00	
18.	मिजोरम	6.00		
19.	नागालैंड			
20.	उड़ीसा	828.15*	35.00	114.62
21.	पंजाब			
22.	राजस्थान	102.93	85.00	78.97
23.	सिक्किम			
24.	तमिलनाडु			
25.	त्रिपुरा	5.34		
26.	उत्तरांचल			
27.	उत्तर प्रदेश			
28.	पश्चिम बंगाल	29.52	103.25	..

*बाढ़/चक्रवात के लिए

**सूखा एवं भूकम्प के लिए

विवरण-VI

बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत वास्तविक कार्यों की प्रगति को दर्शाने वाला राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	तटबंध की लंबाई	जल निकास चैनल की लंबाई (कि.मी.)	प्रेक्षित शहर/गांव (संख्या)	उठाए/सुरक्षित गांव (संख्या)	लाभान्वित क्षेत्र मिलियन हैक्टे.
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	2100	13569	68	21	0.5400
2.	अरुणाचल प्रदेश	2				
3.	असम	4454	851	660		1.6357
4.	बिहार	3454	365	47		2.9490
5.	छत्तीसगढ़	मध्य प्रदेश सहित				
6.	दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)	83	453			0.0780
7.	गोवा	10	12	4	6	0.0001
8.	गुजरात	104.12	271	805	30	0.4827
9.	हरियाणा	1144	4385	448	98	2.000
10.	हिमाचल प्रदेश	58	11			0.0097
11.	जम्मू व कश्मीर	230	14	12	5	0.2173
12.	झारखण्ड	बिहार सहित				
13.	कर्नाटक					0.0008
14.	केरल	116.70	29	4	6	0.0555
15.	मध्य प्रदेश	26		37		0.0040
16.	महाराष्ट्र	26		26		0.0010
17.	मणिपुर	360	126	1	1	0.1300
18.	मेघालय	112		8	2	0.0011
19.	मिजोरम	1	1			
20.	नागालैंड					
21.	उड़ीसा	6515	131	14	29	0.4800

1	2	3	4	5	6	7
22.	पंजाब	1370	6622	3		3.1900
23.	राजस्थान	145	197	25		0.0816
24.	सिक्किम	7	12	6		0.0020
25.	तमिलनाडु	87	19	46	4	0.1220
26.	त्रिपुरा	133.30	94	11		0.025
27.	उत्तर प्रदेश	2681	3593	64	4511	1.5990
28.	उत्तरांचल	उत्तर प्रदेश सहित				
29.	पश्चिम बंगाल	10350	7129	48		2.2005
30.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	..				
31.	चण्डीगढ़					
32.	दादरा व नगर हवेली					
33.	दमन व दीव					
34.	लक्षद्वीप					
35.	पांडिचेरी	61	20	..	..	0.0040

दिल्ली दुग्ध योजना

3322. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में दिल्ली में दिल्ली दुग्ध योजना की कितनी शाखायें चल रही हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार राजधानी में दिल्ली दुग्ध योजना की नई शाखायें खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो इनके कब तक खोले जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) दिल्ली में दिल्ली दुग्ध योजना के इस समय 1562 दुग्ध बूथ कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। दिल्ली दुग्ध योजना का नए स्थानों पर उपभोक्ताओं की मांग तथा बूथ और अन्य सुविधाओं के निर्माण हेतु स्थान की उपलब्धता के आधार पर नए बूथों को खोलने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

बिहार में खनिज भंडारों के खनन हेतु सर्वेक्षण

3323. श्री ब्रह्मानंद मंडल : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में विशेषकर इसके पर्वतीय क्षेत्रों में खनिज भंडारों के खनन हेतु कोई सर्वेक्षण कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) बिहार के उन जिलों के नाम क्या है; जहाँ खनिज भंडारों की खोज हेतु सर्वेक्षण कराया गया है/कराए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) जी, हाँ। कोयला और खान मंत्रालय के खान विभाग के तहत एक अधीनस्थ कार्यालय भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण खनिज पूर्वानुमान

(प्रोग्नोस्टीकेशन) हेतु बिहार के छोटानागपुर, नवादा, कोडरमा, मुंगेर, जमुई तथा बांका जिलों के भागों में भूरासायनिक मानचित्रण कार्यक्रम के तहत सर्वेक्षण कार्य कर रहा है।

(ग) स्वर्ण तथा आधार धातुओं के लिए जमुई, बांका तथा भागलपुर जिलों में, दुर्लभ धातुओं के लिए नवादा जिले में तथा आयामी पत्थर ग्रेनाइट हेतु भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई जहानाबाद, गया, नवादा तथा नालंदा जिलों में सर्वेक्षण किए गए हैं।

[अनुवाद]

विमान ईंधन की चोरी

3324. श्री के. एच. मुनियप्पा : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायु यातायात नियंत्रक अधिकारियों और निजी विमान कंपनियों के बीच मिलीभगत के कारण इंडियन एयरलाइन्स को हवाई–ईंधन से करोड़ों रुपये का घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार की जानकारी में ऐसी कोई शिकायत आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है: और

(घ) सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है और ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) ऐसे कई अवसर आए हैं जब आने वाली उडानों को रोका गया तथा प्रस्थान करने वाली उड़ानों को लम्बी समयावधि के लिए होल्डिंग प्वाइंट पर इंतजार करवाया गया अथवा हवाई यातायात नियन्त्रण (ए.टी.सी.) ने इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों को वांछित उड़ान स्तर आबंटित नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरुप अतिरिक्त ईंधन की खपत हुई।

(ख) से (घ) हाल ही में ऐसे तीन उदाहरणों का ब्यौरा सरकार के ध्यान में आया था जिनकी जांच पड़ताल की गई थी उनका ब्यौरा निम्नलिखित है:–

(i) 7 जनवरी, 2002 के एशियन ऐज के प्रैस क्लिपिंग के माध्यम से एक शिकायत मिली कि "इंडियन एयरलाइन की हानि ए.टी.सी. का लाभ" इसमें यह आरोप लगाया गया था कि अहमदाबाद स्थित हवाई यातायात नियंत्रक (ए.टी.सी.) निजी एयरलाइनों के पायलटों के साथ सांठ गांठ बनाये रखते हैं तथा इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों को ऊपर आकाश में ही रोके रखता है इस मामले की जाच की गई तथा पाया कि शिकायत निराधार थी।

अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अत्याधुनिक एम.एस.एस. आर. राडार लगा हुआ है। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर ट्रैफिक डैन्सिटी बहुत कम है तथा एप्रोच कंट्रोल और एरिया कंट्रोल दोनों में राडार सेवाएं सभी विमानों में लगाये गये हैं। अहमदाबाद ए.टी.सी. द्वारा हवाई यातायात के सुरक्षित, क्रमिक तथा त्वरित फ्लो को बनाए रखा जाता है तथापि इस संबंध में किसी भी एयरलाइंस से कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ii) दूसरी शिकायत इंडियन एयरलाइन्स से प्राप्त हुई थी, कि जिसमें बताया गया था कि 3 जनवरी, 2002 को इन्दिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इंडियन एयरलाइन्स की उड़ान आई.सी. 401 के स्थान पर सहारा एयरलाइन्स की उड़ान को प्राथमिकता दी गई थी।

सहारा एयरलाइन्स की टैक्सी का मार्ग इंडियन एयरलाइन्स की उड़ान आई.सी. 401 की तुलना में अपेक्षाकृत छोटा था। सहारा एयरलाइन्स की उड़ान को पहले ही प्रस्थान करने की अनुमति दे दी गई क्योंकि इसे इंडियन एयरलाइन्स की उड़ान की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरना था। न्यूनतम विलंब से अधिकतम विमानों को उड़ान भरवाने के लिए ऐसा किया गया।

(iii) इंडियन एयरलाइन्स ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा.वि.प्रा.) के ध्यान में लाया कि दूसरी उड़ान के प्रस्थान को समायोजित करने के लिए दिल्ली विमान यातायात नियंत्रक (ए.टी.सी.) ने दिनांक 4/01/2002 को अपनी उड़ान आई.सी–813 को रोके रखने को कहा इस मामले की जांच की गई। वस्तुस्थिति यह है कि इस घटना में एअर इंडिया की उड़ान 316 शामिल थी। चूंकि एअर इंडिया की उड़ान 316 ने उच्चतर स्तर पर उड़ान भरनी थी, एअर इंडिया को इंडियन एयरलाइन्स की उड़ान आई. सी–813 से पहले प्रस्थान करने की अनुमति दी गई और दोनों उड़ानें एक ही मार्ग पर प्रचालित होनी थी।

राष्ट्रीय सूखा नीति

3325. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी :

श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कई जिलों में/जोनों को सूखाप्रवण क्षेत्र के रूप में श्रेणीबद्ध पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सूखे की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये सूखाप्रवण जिलों हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है:

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सूखे की स्थिति का सामना करने हेतु राष्ट्रीय सूखा नीति तैयार करने की जरूरत है;

(च) यदि हां, तो इस पर क्या कदम उठाये गये हैं, और

(छ) सूखे के बाद राहत उपायों के मुकाबले सूखे के खतरों को कम करने हेतु मृदा और जल वायु संबंध स्थितियों के संबंध में क्या अध्ययन कराये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। भूमि संसाधन विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत कवरेज का राज्यवार ब्यौरा विवरण के रुप में संलग्न है।

(ग) और (घ) भूमि संसाधन विभाग द्वारा अभिज्ञात क्षेत्रों में कार्यान्वित सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के उद्देश्य निम्नवत हैं:–

(i) फसलों तथा पशुधन पर सूखे के दुष्प्रभाव को कम करना;

(ii) परिस्थितिक असन्तुलन को दूर करने को प्रोत्साहन देना;

(iii) ग्रामीण समुदाय के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना; और

(iv) ग्रामीण समुदाय के संसाधन विहीन एवं कमजोर तबकों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार करना।

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम का कार्यान्वयन उक्त विभाग द्वारा पनधारा आधार पर 1995–96 से किया जा रहा है।

(ङ) और (च) इसके अलावा प्रत्येक 5 वर्ष बाद नियुक्त किए जाने वाले वित्त आयोगों की सिफारिशों के अनुसरण में राज्यों को सूखे सहित प्राकृतिक आपदाएं आने पर वित्तीय सहायता प्रदान दी जाती है।

(छ) भूमि संसाधन विभाग ने सूचित किया है कि सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत मृदा तथा जलवायु परिस्थितियों के बारे में कोई अनुसंधान अध्ययन नहीं कराया गया है।

विवरण

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत कवरेज

क्र.सं.	राज्य	जिलों की संख्या	प्रखण्डों की संख्या	क्षेत्र वर्ग कि. मीटर में
1.	आन्ध्र प्रदेश	11	94	99218
2.	बिहार	6	30	9533
3.	छत्तीसगढ़	8	29	21801
4.	गुजरात	14	67	43938
5.	हिमाचल प्रदेश	3	10	3319
6.	जम्मू तथा कश्मीर	2	22	14705
7.	झारखंड	14	100	34843
8.	कर्नाटक	15	81	84332
9.	मध्य प्रदेश	23	105	89101
10.	महाराष्ट्र	25	148	194473
11.	उड़ीसा	8	47	26178
12.	राजस्थान	11	32	31969
13.	तमिलनाडु	17	80	29416
14.	उत्तर प्रदेश	15	60	35698
15.	उत्तरांचल	7	30	15796
16.	पश्चिम बंगाल	4	36	1594
	योग :	183	971	745914

सब्जियों का उत्पादन

3326. श्री आर. एल. जालप्पा :

श्री गंता श्रीनिवास राव :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में सब्जियों का राज्यवार कितना उत्पादन हुआ और कितनी वृद्धि दर दर्ज की गई;

(ख) देश में अन्य विकसित और विकासशील देशों के मुकाबले सब्जियों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है;

(ग) देश में भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण प्रतिवर्ष अनुमानत कितने मूल्य की सब्जी और फल खराब हो जाते हैं; और

(घ) देश में विशेषकर कर्नाटक में शीतभंडार गृहों की संख्या और क्षमता बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ताकि जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं का भंडारण समय बढ़ाया जा सके?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) वर्ष 1998–99 तथा 1999–2000 के दौरान देश में सब्जियों का कुल उत्पादन क्रमशः 87536.0 हजार मीटरी तथा 90830.7 हजार मी. टन था। सब्जियों का राज्यवार उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में विनिर्दिष्ट है। देश में सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि की औसत दर 20.45 प्रतिशत (1998–99) तथा 3.76 प्रतिशत (1999–2000) रही है।

(ख) वर्ष 2001 दौरान भारत में सब्जियों की औसत प्रति व्यक्ति उपलब्धता 63.87 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष थी। विश्व की "औसत" 119.95 कि.ग्रा. प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष थी। विभिन्न देशों में सब्जियों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में देखा जा सकता है।

(ग) कटाई–पश्चात् प्रबंधन पर योजना आयोग की 10वीं योजना के उप–समूह की रिपोर्ट के अनुसार, परिवहन और भण्डारण सहित कटाई पश्चात अपर्याप्त अनुयादी सुविधाओं के कारण कटाई के बाद की व्यवस्था के विभिन्न चरणों में होने वाला उपव्यय 8-37 प्रतिशत की रेंज में है।

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार 23.59 लाख मीटरी टन की अतिरिक्त भण्डारण क्षमता के सृजन के लिए वर्ष 1999-2000 तथा 2001-2002 के दौरान राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा 509 शीतागारों को सहायता दी गई है। कर्नाटक में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने 63209 मीटरी टन की अतिरिक्त क्षमता का सृजन करते हुए 15 शीतागारों को सहायता दी है।

विवरण-I

सब्जियों का राज्य–वार उत्पादन

राज्य/संघ शासित प्रदेश	उत्पादन (000' मीटरी टन में)	
	1998–99	1999–2000
1	2	3
आंध्र प्रदेश	3541.2	2839.1
अरुणाचल प्रदेश	80.9	80.9
असम	2834.8	3089.4
बिहार (झारखड सहित)	9418.4	9548.8
दिल्ली	651.9	652.0
गोवा	70.0	70.0
गुजरात	3255.0	2647.0
हरियाणा	1850.0	2094.5
हिमाचल प्रदेश	606.4	660.9
जम्मू तथा कश्मीर	606.9	584.4
कर्नाटक	4944.9	6796.9
केरल	2857.2	2857.1
मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	3276.2	3632.0
महाराष्ट्र	4479.5	4828.6
मणिपुर	45.0	60.8
मेघालय	308.7	252.9
मिजोरम	62.4	56.3
नागालैण्ड	313.3	235.7
उड़ीसा	100087.1	9096.0
पंजाब	1906.3	2285.0
राजस्थान	396.1	472.6
सिक्किम	42.2	43.0

1	2	3
तमिलनाडु	5704.8	5660.3
त्रिपुरा	232.8	232.8
उत्तर प्रदेश (पर्वतीय)	840.7	733.2
उत्तरांचल		
उत्तर प्रदेश (मैदानी)	12680.6	13842.4
पश्चिम बंगाल	16367.4	17413.8
अण्डमान एव निकोबार	15.8	15.8
चण्डीगढ़	11.5	1.2
दादरा व नगर हवेली	13.5	13.5
दमन व द्वीव	1.0	1.1
लक्षद्वीप		0.2
पांडिचेरी	33.5	32.6
अखिल भारत	87536.0	90830.7

विवरण-II

वर्ष 2001 के दौरान भारत तथा अन्य देशों में सब्जियों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता

सब्जियां	प्रति व्यक्ति उपलब्धता कि.ग्रा/व्यक्ति/वर्ष
1	2
विश्व	111.95
चीन	224.89
भारत	63.87
संयुक्त राज्य अमेरिका	133.10
टर्की	331.48
इटली	265.93
मिश्र	207.98
जापान	99.63
रूसी महासंघ	86.15
कोरिया गणराज्य	280.08
स्पेन	300.64
ईरान इस्लामिक गणराज्य	152.99
मैक्सिको	94.40
फ्रांस	131.76
नाइजीरिया	68.35
ब्राजील	41.42
इन्डोनेशिया	31.75
उक्रेन	125.28
पोलैण्ड	140.65

पर्यटन उद्योग संबंधी मांग-सूची

3327. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने पर्यटन उद्योग में आई गिरावट से निपटने के लिये वित्त मंत्रालय को कोई मांग–सूची सौपी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वित्त मंत्रालय की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) पर्यटन मंत्रालय ने यात्रा एवं व्यवसाय उद्योग के परामर्श से, पर्यटक आगमनों में गिरावट का सामना करने के लिए, पर्यटन उद्योग को कुछ प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया था।

(ख) और (ग) पर्यटन विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों में से वित्त मंत्री ने केन्द्र सरकार के 2002–2003 के बजट में अन्य बातों के साथ–साथ पर्यटन उद्योग के लिए निम्नलिखित लाभों की घोषणा की :–

* इस बात को मान्यता देना कि, रोजगार से वृद्धि विदेशी मुद्रा के सृजन तथा घरेलू पर्यटन के माध्यम से वृहत राष्ट्रीय एकता के संवर्धन के लाभों को देखते हुए पर्यटन एक प्राथमिक क्षेत्र हे।

* योजनागत परिव्यय में 50% की वृद्धि करना।

* वर्ष 2002–2003 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तरों तक के विकास हेतु 6 पर्यटन परिपथों की पहचान करना।

* इन परिपथों में अवसंरचना विकास हेतु जनता एवं निजी क्षेत्रों दोनों से संसाधन जुटाने के लिए एसपीवीज को अनुमति दी जाएगी।

* पर्यटन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के रूप में हम्पी के विश्व हैरिटेज स्थल का विकास।

* ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजनाओं के लिए नए प्रोत्साहन।

* पूर्वोत्तर से और वापिसी के लिए हवाई यात्रा पर वायु यात्रा कर की छूट।

* पहले से दी गई सेवा कर छूट को एक और वर्ष के लिए बढ़ाना : कार्यक्रमों तथा बैंक्वटों के मामलों में, जहां समस्त बिल केटरिंग सेवाओं के लिए हो, कोई सेवा कर चार्ज नहीं किया जाएगा।

* अब से होटलों पर व्यय कर केवल कमरा प्रभारों पर लागू होगा : पहले व्यय कर कमरा प्रभारों तथा अन्य सेवाओं पर चार्ज किया जाता था। अब से इसे केवल कमरा प्रभारों पर ही लगाया जाएगा।

* व्यय कर लगाने के लिए न्यूनतम सीमा को 2000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए करना।

* 80 एच एच सी तथा 80 एच एच डी के बीच असमानताओं को हटा दिया गया है। (धारा 80 एच एच सी के अधीन छूट कुल विदेशी मुद्रा अर्जन के 100% के लिए है। लेकिन होटलों के लिए धारा 80 एच एच डी के के अंतर्गत यह 50% थी और शेष 50% की छूट थी, बशर्ते इसे एक रिजर्व में रखा जाये और विशिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाये। अब यह असमानता हटा दी गई है। 80 एच एच सी के अंतर्गत ईकाईओं की तुलना में होटल उद्योग के लिए लाभों को फेज आउट करना ठीक नहीं था।

* धारा 80 1बी के अधीन समागम केन्द्र स्थापित करने वाली ईकाईओं द्वारा अर्जित लाभों के 50% की कटौती की 5 वर्षों के लिए अनुमति होगी।

* आयातित मदिरा पर सीमाशुल्क 210% से घटा कर 182% तक घटा दिया गया है।

* धारा 194 एच के अंतर्गत स्रोत पर कर 10% से 5% तक घटा दिया गया है इससे होटलों तथा यात्रा एवं टूअर प्रचालकों को लाभ होगा)।

* निजी क्षेत्र को प्रेरित करके दिल्ली, मुम्बई, चैन्नई तथा कोलकाता स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को विश्व स्तर तक उन्नयन करने का निर्णय

निम्नलिखित रियायतें मांगी गई थी और उन पर सहमति नहीं हुई :–

(क) व्यय कर पर पूरी छूट।

(ख) छुट्टी यात्रा रियायत की पुनः शुरूआत।

(ग) स्वदेशी यात्रा को बढ़ाने के लिए यात्रा से संबंधित व्यय का संवर्धन।

(घ) विमानन टर्बाइन ईंधन पर सीमा शुल्क और विक्रय कर में कटौती।

(ङ) क्षेत्र के लिए "अवसंरचना" स्तर।

[हिन्दी]

पर्यटकों को सुविधायें

3328. डा. अशोक पटेल : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आधार संरचना और अन्य सुविधाओं के अभाव के कारण देश में पर्यटन का विकास विफल हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पर्यटकों के मार्ग में आ रही रूकावटों को समाप्त करने हेतु कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) देश में पर्यटन के विकास एवं संवर्धन में, अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सृजन की एक मुख्य भूमिका है। पर्यटन विभाग, भारत सरकार की राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को, प्रत्येक वर्ष उनके परामर्श से, अवसंरचना के विकास एवं पर्यटन के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना है।

पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने विदेशी एवं घरेलू पर्यटकों को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित लघु अवधि एवं दीर्घावधि योजनाएं तैयार की हैं :–

(1) पर्यटन विकास कार्य को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता कार्यकलाप के रूप में प्रतिष्ठित तथा अनुरक्षित करना,

(2) एक पर्यटक गंतव्य स्थल के रूप में भारत की स्पर्धात्मकता में वृद्धि करना तथा इसे बनाए रखना,

(3) नए पर्यटन बाजार की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए भारत के वर्तमान पर्यटन उत्पादों में सुधार तथा इनका विस्तार करना,

(4) विश्व स्तर की अवसंरचना का सृजन,

(5) सतत् एवं प्रभावी मार्केट योजनाओं और कार्यक्रमों का विकास करना,

(6) ग्रामीण और लघु क्षेत्र पर्यटन के विकास पर विशेष बल देना तथा

(7) सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों तथा शिष्टाचार और नागरिक प्रशासन से संबंधित मुद्दों और बेहतर शासन की ओर ध्यान देना।

[अनुवाद]

बंगलौर में भारत दर्शन पार्क

3329. श्री कोलूर बसवनागौड़ : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य औद्योगिक निवेश विकास निगम और राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद ने बंगलौर में भारत दर्शन पार्क की स्थापना के लिये किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस उद्देश्य हेतु भूमि की पहचान कर ली गई है;

(घ) वर्ष 2001–2002 के दौरान इस उद्देश्य हेतु अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ङ) क्या राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् के पास अद्यतन वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुये ऐसे पार्क बनाने में पर्याप्त विशेषज्ञता है; और

(च) यदि हां, तो परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

जल के पुनः प्रयोग संबंधी संयंत्र

3330. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल के पुनः प्रयोग संबंधी संयंत्र देश में जल संकट से निपटने में सक्षम होंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) से (ग) कच्चे जल की निवल मांग को औद्योगिक संसाधन तथा जल के रिसाइक्लिंग द्वारा कम किया जा सकता है। रिसाइक्लिंग संयंत्रों द्वारा संसाधित जल विभिन्न उपयोगों में काम में लाया जा सकता है लेकिन यह बहिस्राव जल को संसाधित करने के स्तर पर निर्भर करता है। विभिन्न उद्देश्यों के लिए संसाधित जल का स्वीकार्य एवं मानक स्तर भिन्न होता है। प्राकृतिक नदियों में सीधे छोड़े गये निस्सरण को भी स्वीकार्य तथा मानक स्तर तक संसाधित करने की आवश्यकता होती है ताकि प्राकृतिक नदियों की स्वतः सफाई करने की क्षमता बनी रहे। तथापि रिसाइकिल्ड जल का पीने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता हैं।

राष्ट्रीय जल नीति में भी यह व्यवस्था है कि बहिस्रावों को प्राकृतिक नदियों में छोड़ने से पूर्व स्वीकार्य व मानक स्तरों तक संसाधित करना चाहिए। इसमें इस बात पर भी जोर दिया गया है कि प्रदूषित जल के प्रबंधन में प्रदूषण फैलाने वाले को दण्डित करने के सिद्धांत का भी पालन किया जाये।

उद्योगों से औद्योगिक संसाधन के लिए तथा संसाधन के वास्ते अधिकतम मात्रा के उपयोग के लिए जल की खपत को कम करने के वास्ते कहा गया है। जल उपकर अधिनियम, 1977 (प्रदूषण निवारक तथा नियंत्रण) के अंतर्गत जल की निर्धारित गुणवत्ता के उपयोग के लिए रियायत भी दी जाती है।

[अनुवाद]

ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार के अवसर

3331. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उदारीकरण के कारण ग्रामीण श्रमिकों की बदतर हो रही स्थिति के बारे में जानकारी है जिसके कारण श्रमिक अपनी नौकरियों से हाथ धो चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने प्रभावित श्रमिकों के पुनर्वास हेतु कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) वर्ष 1993–94 तथा 1999–2000 के दौरान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा किए गए नमूना सर्वेक्षणों के अनुसार, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की दरों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं दिखाई दिया।

(ख) से (घ) 10वीं पंचवर्षीय योजना दृष्टिकोण में अतिरिक्त श्रम बल को लाभप्रद उच्च गुणवत्तात्मक रोजगार उपलब्ध करवाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है तथा इसे 10वीं योजना व इससे आगे के लिए प्रबोधनीय (मानिटरेबल) उद्देश्य माना गया है। 10वीं योजना की विकास नीति में उच्च गुणवत्तात्मक रोजगार अवसरों को सृजित करने तथा रोजगार वृद्धि को हतोत्साहित करने वाले नीतिगत अवरोधों के समाधान की संभावना वाले क्षेत्रों के तीव्र विकास पर बल दिया जाएगा। अत्यधिक रोजगार की संभावना वाली आर्थिक गतिविधियों की वृहद श्रृंखला को प्रभावित करने वाले नीतिगत वातावरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के स्मारकों के निकट अवैध निर्माण

3332. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत निषिद्ध/नियंत्रित क्षेत्रों में चलने वाले निर्माण क्रियाकलाप के संबंध में रिपोर्ट मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि उत्पादों की लागत

3333. डा. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान प्रमुख फसलों की फसलवार उत्पादन, लागत एवं उनका विक्रय मूल्य क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): गेहूँ, धान और गन्ना के उत्पादन की लागत को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। यह विवरण मुख्य फसलों की खेती की लागत का अध्ययन करने हेतु व्यापक स्कीम के अधीन संकलित आंकड़ों पर आधारित है।

विवरण

गेहूं

क्र.सं.	मदवार खेती की लागत (रु.है.)	पंजाब			हरियाणा			उत्तर प्रदेश		
		1996-97	1997-98	1998-99	1996-97	1997-98	1998-99	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	मानव श्रम	2892.53	3048.47	3013.77	3046.45	3381.94	3214.15	2651.28	2675.84	2962.84
2.	पशु श्रम	44.34	59.04	59.02	243.70	183.33	167.88	670.74	557.93	489.44
3.	यांत्रिक श्रम	1586.40	1692.07	2067.73	1681.76	1955.02	1958.41	1389.82	1497.98	1571.99
4.	बीज	647.31	691.19	789.39	837.66	854.85	855.26	984.01	852.06	955.27
5.	उर्वरक	2307.45	2315.34	2162.07	1839.51	1836.49	1777.33	1443.46	1511.72	1482.12
6.	खाद	39.51	16.38	10.55	3.50	–	–	112.06	137.24	94.93
7.	कीटनाशी	388.40	428.83	619.22	80.31	109.90	232.29	20.42	32.50	18.78
8.	सिंचाई प्रभार	341.70	215.12	155.16	1240.74	1061.70	849.90	989.12	755.38	935.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	विविध	45.81	24.50	34.09	–	–	–	–	–	–
10.	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	232.59	239.19	250.23	210.27	220.20	218.83	204.18	197.56	208.69
11.	स्वामित्व की भूमि का जमाबंदी मूल्य	6942.73	5894.30	7445.70	5263.19	6187.23	6722.42	3854.64	3734.08	4204.62
12.	अन्य नियत लागत	2523.23	2709.46	2872.29	1662.32	1289.94	1279.29	1651.05	1391.62	1414.26
	उत्पादन की लागत (रु./क्विं.)	362.50	411.97	398.58	336.13	391.85	365.77	362.56	362.56	388.68
	विवक्षित दर (बिक्री से औसत वसूली) (रु./क्विं.)	474.70	509.75	549.74	478.52	511.29	549.97	495.64	496.25	543.54

धान

क्र.सं.	मदवार खेती की	पश्चिम बंगाल			पंजाब			हरियाणा		
	लागत (रु.है.)	1996-97	1997-98	1998-99	1996-97	1997-98	1998-99	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	मानव श्रम	6248.29	7075.25	7910.97	3407.69	3342.09	3716.70	4840.68	5092.63	5807.42
2.	पशु श्रम	1276.39	1539.11	1623.60	34.00	25.06	23.71	197.66	239.19	117.71
3.	यांत्रिक श्रम	258.87	291.08	302.11	1789.07	1816.41	2164.17	1427.05	1282.46	1426.81
4.	बीज	441.08	524.68	629.13	354.81	397.09	467.06	276.08	308.09	567.47
5.	उर्वरक	1069.62	1054.37	1152.84	1724.63	1547.43	1675.13	1737.88	1598.59	1685.77
6.	खाद	463.33	457.27	627.81	234.90	154.88	205.17	44.84	–	186.99
7.	कीटनाशी	143.48	192.18	227.95	825.04	767.52	860.08	613.92	655.80	588.72
8.	सिंचाई प्रभार	750.11	1121.37	1074.81	1549.00	1252.76	1334.17	2035.80	2087.78	1687.15
9.	विविध	2.87	21.02	9.12	–	0.08	–	–	–	–
10.	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	236.33	272.90	297.61	275.52	256.11	282.87	260.82	268.32	294.09
11.	स्वामित्व की भूमि का जमाबंदी मूल्य	4583.34	4791.08	5572.30	5948.20	6877.07	6124.14	5779.42	5828.86	5987.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	अन्य नियत लागत	1455.92	1303..82	1517.56	1823.99	2556.51	2272.99	1408.19	1309.04	1210.49
	उत्पादन की लागत (रु./क्विं.)	379.16	429.26	490.46	344.81	356.40	407.90	424.68	477.12	537.88
	विवक्षित दर (बिक्री से औसत वसूली) (रु./क्विं.)	424.00	441.98	558.53	413.40	455.26	480.30	457.83	512.35	631.52

गन्ना

क्र.सं.	मदवार खेती की लागत (रु./है.)	उत्तर प्रदेश			महाराष्ट्र		
		1996–97	1997–98	1998–99	1996–97	1997–98	1998–99
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मानव श्रम	6273.42	7028.15	7363.47	8590.78	9369.11	10430.78
2.	पशु श्रम	310.40	346.18	368.34	1143.57	1104.13	1163.57
3.	यांत्रिक श्रम	406.83	291.28	596.13	2139.72	2282.37	2793.70
4.	बीज	1589.15	1015.30	1819.01	979.88	1757.97	3597.43
5.	उर्वरक	1538.87	1474.76	1676.54	2795.62	3803.05	4702.09
6.	खाद	267.95	380.09	534.34	223.67	430.93	528.97
7.	कीटनाशी	68.55	22.27	34.28	1.23	–	0.18
8.	सिंचाई प्रभार	920.90	1101.05	1193.48	3318.81	3924.29	3775.11
9.	विविध	–	–	–	–	–	–
10.	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	501.44	486.20	589.55	1046.17	1228.04	1469.58
11.	स्वामित्व की भूमि का जमाबंदी मूल्य	8681.41	9143.06	10059.70	5795.40	7778.32	9008.83
12.	अन्य नियत लागत	1660.42	1656.31	1913.15	2854.97	2714.92	2803.86
	उत्पादन की लागत (रु./क्विं.)	43.51	43.08	50.25	38.31	43.59	47.52
	विवक्षित दर (बिक्री से औसत वसूली) (रु./क्विं.)	65.29	7271	77.32	4666	5843	6261

आंध्र प्रदेश में जल संकट

3334. श्री चाडा सुरेश रेड्डी :

डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला :

श्री सुकदेव पासवान :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अपर्याप्त वर्षा के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में, विशेषकर आंध्र प्रदेश के गोदावरी और तेलंगाना प्रदेश में व्याप्त गंभीर जल संकट की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जल संकट से उबरने के लिए कौन से लघु अवधि एवं दीर्घावधि उपाए किए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) और (ख) चालू वर्ष के दौरान देश में सृजित कुल सक्रिय भण्डारण का 74% भाग शामिल करते हुए केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मानीटर किए जा रहे देश के 70 वृहद जलाशयों में समग्र सक्रिय भण्डारण की स्थिति पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर है परंतु यह पिछले दस वर्षों के भण्डारण के औसत से कम है। आंध्र प्रदेश में 24.85 बीसीएम की कुल सृजित सक्रिय भण्डारण क्षमता की तुलना में पांच वृहद जलाशयों से संयुक्त रूप से 20.10 बीसीएम की सक्रिय भण्डारण क्षमता सृजित की गई है। इस प्रकार 4.4.2002 तक समग्र भण्डारण पिछले वर्ष के संगत दिवस की तुलना में 129% है। तेलंगाना क्षेत्र में श्रीसेलम, श्रीरामसागर और लोअर मनाइर में भण्डारण इन जलाशयों के दीर्घावधि औसत भण्डारण की तुलना में क्रमशः 95%, 172% और 79% है।

(ग) विभिन्न उपयोगों के लिए जल की उपलब्धता के संवर्धन तथा उनके कुशल उपयोग संबंधी स्कीमों की आयोजना, अन्वेषण, तैयारी, क्रियान्वयन एवं उनका वित्तपोषण राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों तथा अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों से जल प्राप्त करने के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सहायता प्रदान करने तथा निर्माणाधीन स्कीमों को शीघ्र पूरा करके सिंचाई क्षमता के सृजन में तेजी लाने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1996–97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) प्रारंभ किया है। भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के परियोजना सुधार क्षेत्र के तहत जल विभाजक प्रबंधन कार्यक्रम, भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण कार्यक्रम, भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण और छत के वर्षा जल संचयन को भी प्रोत्साहित कर रही हैं इसके लिए राज्य सरकारों तथा अन्य क्रियान्वयन अभिकरणों को तकनीकी और वित्तीय स्वरूप की सहायता प्रदान की जाती है। केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने भी भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी प्रायोगिक अध्ययन प्रारंभ किया हैं दीर्घावधि उपाय के रूप में जल की भावी मांगों को पूरा करने के लिए जल संसाधनों के विकास के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की है जिसमें अधिशेष जल वाले बेसिन से जल की कमी वाली बेसिन में जल का हस्तांतरण करने के लिए विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियों तथा हिमालयी नदियों को परस्पर जोड़ने की योजना है।

कोयला क्षेत्र के अधिकारियों के विरूद्ध मामले

3335. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या **कोयला और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में कोयला क्षेत्र के अधिकारियों के विरूद्ध सर्तकता/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो संबंधी मामलों की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो अंतिम रूप से निपटाए गए मामलों एवं दोषसिद्धि की दर का ब्यौरा क्या है;

(ग) आज तक की स्थिति के अनुसार लंबित पड़े मामलों का ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी वर्गीकरण क्या है; और

(घ) कोयला क्षेत्र से भ्रष्टाचार के उन्मूलन हेतु उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) सतर्कता संबंधी मामलों का सी.आई.एल. की सहायक कंपनियों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों (सी.वी.ओ.) द्वारा तथा सी.आईएल. के मुख्यालय में नियमित रूप से प्रबोधन किया जाता है। लम्बित विभागीय जांचों की समीक्षा सी.आई.एल. की सम्बद्ध सहायक कम्पनियों के अध्यक्ष–सह–प्रबंध–निदेशक द्वारा प्रत्येक तिमाही में की जाती है और लम्बित मामलों की स्थिति नियमित रूप से निदेशक मंडल के समक्ष भी रखी जाती है। कोयला विभाग तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग लम्बित जांच–पड़तालों और विभागीय जांचों की आवधिक समीक्षा भी करते हैं। इसके अलावा, कोयला और खान मंत्री ने 22.11.2001 को कोयला कम्पनियों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की थी।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान (1999–2000, 2000–2001 और 2001–2002 (दिसम्बर 01 तक) सी.आई.एल. और इसकी सहायक कंपनियों में अनियिमितताओं के 728 मामले जांच के लिए हाथ में लिए गए थे। 214 मामलों में, जिनमें 395 अधिकारी

अन्तर्ग्रस्त थे, विभागीय जांच पूरी कर ली गई थी। इनमें 122 अधिकारियों को भारी दंड दिया गया और 133 अधिकारियों को हल्का दंड दिया गया। दोषी पाए गए व्यक्तियों की दर 64.4% बैठती है।

(ग) 115 मामलों में विभागीय जांच चल रही है और उनका सहायक कम्पनीवार वर्गीकरण नीचे दिया गया है :–

कम्पनी	चल रही जांचों की संख्या
बी.सी.सी.एल	25
सी.सी.एल.	16
डब्ल्यू.सी.एल.	10
एम.सी.एल.	11
एन.सी.एल.	4
ई.सी.एल.	10
एस.ई.सी.एल.	36
सी.एम.पी.डी.आई.एल.	2
सी.आई.एल. (मुख्यालय)	1
जोड़	115

(घ) भ्रष्टाचार की घटनाओं को रोकने की दृष्टि से कोल इंडिया लि. द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :

(i) संवेदनशील विभागों में तैनात अधिकारियों का समय–समय पर स्थानान्तरण।

(ii) विभिन्न प्रचालनात्मक नियम पुस्तकों का सरलीकरण तथा उन्हें अद्यतन किया जाना।

(iii) कम्पनी की कार्य प्रणाली के नियमों तथा प्रक्रियाओं का उपयोगकर्ताओं में व्यापक प्रचार।

(iv) मुख्य सतर्कता अधिकारी के निर्देशानुसार लेखा परीक्षा रिपोर्ट को अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सतर्कता को उपलब्ध कराना।

मछुआरा विकास निगम की स्थापना

3336. डा. ए.डी.के. जयशीलन : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मछुआरों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या मछुआरा विकास निगम स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सहकारी संरचना के शीर्ष पर राष्ट्रीय मछुआरा सहकारी संघ (फिशकोपफेड) के साथ राज्य स्तर पर 17 परिसंघ, जिला और क्षेत्रीय स्तर पर 108 केन्द्रीय समितियां और 11440 से अधिक प्राथमिक मात्स्यिकी सहकारी समितियां हैं। प्राथमिक समितियों की सदस्यता लगभग 11.39 लाख है जिसमें देश के लगभग 21 प्रतिशत सक्रिय मछुआरों को कवर किया गया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम भी देश में मात्स्यिकी क्षेत्र के समेकित विकास में लगा हुआ है। अतः देश में मछुआरा विकास निगम की स्थापना के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

महाराष्ट्र को विश्व बैंक की सहायता

3337. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक राज्य में जलापूर्ति योजनाओं के लिए महाराष्ट्र सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक द्वारा कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने जिलों को शामिल किए जाने की संभावना है; और

(घ) जलापूर्ति की स्थिति में किस सीमा तक सुधार होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) से (घ) ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए 1274.75 करोड़ रुपये और स्वच्छता के लिए 381.45 करोड़ रुपये के घटक को शामिल करते हुए 1656.2 करोड़

रुपये की अनुमानित लागत की द्वितीय महाराष्ट्र ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजना आर्थिक कार्य विभाग द्वारा सितंबर, 2001 में संभावी विश्व बैंक सहायता के लिए विश्व बैंक को भेजी गई थी। महाराष्ट्र सरकार ने विश्व बैंक के माध्यम से 4,20,000 अमेरिकी डालर के जापानी अनुदान से इस परियोजना को तैयार करने संबंधी कार्य शुरू किए हैं। इस परियोजना में नागपुर, बीड, कोलापुर, लतूर, बुलधाना, सतारा, सिन्धुदुर्ग, ओसमानाबाद, सोलापुर, वाशिम, अकोला, नासिक, वर्धा, परभानी, हिंगोली और थाने जिलों में 848 शामिल न किए गये और 12,913 आंशिक रूप से शामिल किये गये निवास स्थानों को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना को परियोजना शुरू होने की तारीख से छः वर्ष की अवधि के भीतर कार्यान्वित करना है। तथापि, विश्व बैंक ने शहरी जल आपूर्ति के लिए महाराष्ट्र को इस समय कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की है।

फ्लाई एश का उपयोग करने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन

3338. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एस्बेस्टस, सीमेंट, ईंटों इत्यादि जैसे उत्पादों के लिए कम से कम संघटक का 25% फ्लाई एश उपयोग करने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) फ्लाई ऐश के प्रयोग के संबंध में 14 सितम्बर, 1999 की अधिसूचना एस ओ 763 (ई) के अनुसार अन्य बातों के साथ फ्लाई ऐश का प्रयोग करने के लिए उद्योगों को निम्नलिखित प्रोत्साहन उपलब्ध हैं।

(1) प्रत्येक कोयला एवं लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर संयंत्र को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम से कम दस वर्ष तक ऐश आधारित उत्पादों के विनिर्माण के प्रयोजन जैसे सीमेंट, कंक्रीट ब्लाक, ईट, पैनल अथवा कोई अन्य सामग्री अथवा सड़क, तटबंध, बांध, नहर अथवा किसी अन्य विनिर्माण संबंधी कार्य के लिए बिना किसी भुगतान अथवा बिना किसी अन्य विचार के ऐश उपलब्ध करवानी होगी।

(2) केन्द्र और राज्य सरकार की एजेंसियों जैसे राज्य विद्युत बोर्ड, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन और थर्मल पावर संयंत्रों के प्रबंधनों को विनिर्माण कार्यों के लिए भूमि, बिजली और जल की सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायता देनी होगी और पावर संयंत्र द्वारा जहां से ऐश निकलती है उस क्षेत्र के आस-पास की ऐश आधारित उत्पादन यूनिटों को बढ़ावा देना और स्थापित करना होगा और जहां से ऐश उठाई जाती हो वहां तक पहुंचने की सुविधाएं उपलब्ध करवानी होगी।

एयर इंडिया की उड़ानों के दौरान चोरी

3339. श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में उड़ान के दौरान सामग्री की चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए एयर इंडिया के कर्मी दल के सदस्यों की संख्या कितनी है;

(ख) उनसे प्राप्त की गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा दोषी कर्मी दल के सदस्यों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों में एअर इंडिया के किसी भी कर्मी दल को उड़ानगत सामग्रियां चुराने के लिए पकड़ा नहीं गया है। यद्यपि, एअर इंडिया के सुरक्षाकर्मियों ने दस कर्मी दल सदस्यों को नशीले मादक पेय की चोरी के मामले में पकड़ा है। तीन मामलों में जांच-पड़ताल कार्यवाही के दौरान चोरी का आरोप सिद्ध नहीं हुआ था और कर्मी दल सदस्यों को मुक्त कर दिया गया था। अन्य पांच मामलों में एक वर्ष के लिए वर्तमान पद से एक पद निचले ग्रेड में किए जाने की सजा दी गई है। दूसरे मामले में, पांच वर्ष तक Post Retirement Passage का लाभ न देने का निर्णय किया गया। अंतिम मामले में, अनुशासनिक कार्रवाई आरंभ की गई है।

मत्स्यन प्रशिक्षण एवं विस्तार इकाइयां

3340. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात की सरकार ने मत्स्यन प्रशिक्षण एवं विस्तार इकाई की संस्वीकृति देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य के लिए संस्वीकृत इकाइयों की संख्या कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) 1995–96 के दौरान, केन्द्र सरकार ने फदवल तथा मतवाड़ स्थित सरकारी मत्स्य बीज फ़ार्मों में प्रशिक्षण केन्द्रों के दो मौजूदा एककों के उन्नयन के संबंध में मंजूरी दी है।

[हिन्दी]

पर्यटन को बढ़ावा देने संबंधी योजनाएं

3341. श्री हरिभाई चौधरी : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई नई योजना चलाई गई है;

(ख) यदि हां, तो वे पर्यटन स्थल कौन से हैं जहां योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है; और

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत घरेलू/विदेशी पर्यटकों को क्या नवीन प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास और पर्यटन के संवर्धन के लिए वार्षिक योजना 2002–2003 में निम्नलिखित नई स्कीमें शामिल की गई हैं:–

(1) पर्यटक परिपथों का एकीकृत विकास

(2) उत्पादन/अवसंरचना और गंतव्य विकास

(3) वृहत राजस्व सृजन परियोजनाओं को सहायता

(4) सेवा मुहैया कराने वालों के लिए क्षमता निर्माण

(ख) वह स्थान जहां ये स्कीमें कार्यान्वित की जानी हैं, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श करके अभिनिर्धारित किए जाएंगे।

(ग) पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने विदेशी एवं घरेलू पर्यटकों को प्रोत्साहित करने के लिए, निम्नलिखित लघु अवधि एवं दीर्घावधि योजनाएं तैयार की हैं :–

(1) पर्यटन विकास कार्य को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता कार्यकलाप के रूप में प्रतिष्ठित तथा अनुरक्षित करना,

(2) एक पर्यटक गंतव्य स्थल के रूप में भारत की स्पर्धात्मकता में वृद्धि करना तथा इसे बनाए रखना,

(3) नए पर्यटन बाजार की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए भारत के वर्तमान पर्यटन उत्पादों में सुधार तथा इनका विस्तार करना,

(4) विश्व स्तर की अवसंरचना का सृजन,

(5) सतत् एवं प्रभावी मार्केट योजनाओं और कार्यक्रमों का विकास करना,

(6) ग्रामीण और लघु क्षेत्र पर्यटन के विकास पर विशेष बल देना तथा

(7) सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों तथा शिष्टाचार और नागरिक प्रशासन से संबंधित मुद्दों और बेहतर शासन की ओर ध्यान देना।

[अनुवाद]

स्मारकों में अवैध गतिविधियां

3342. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नई दिल्ली स्थित सफदरजंग मकबरे सहित राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों में हो रही अवैध गतिविधियों की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय स्मारकों में उक्त अवैध गतिविधियों की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ख) मामले की जांच की जा रही है और अद्यतन सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

औद्योगिक इकाइयों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि को जमा न करना

3343. श्री शिवाजी माने : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक औद्योगिक प्रतिष्ठान एवं देश की अन्य फर्में, कर्मचारी भविष्य निधि में कर्मचारियों का अंशदान जमा नहीं करने के कारण आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी फर्मों का ब्यौरा क्या है और आज तक की तिथि के अनुसार उनके विरूद्ध बकाया अंशदान की धनराशि कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है?

श्रम मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नियोजकों द्वारा कर्मकारों के वेतनों से भविष्य निधि अंशदान के संबंध में की गई कटौती के हिस्से को जमा न करने की अवस्था में उनके विरूद्ध पुलिस अधिकारियों द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अधीन मामले दर्ज किए जाते हैं। दिनांक 31.03.2001 के अनुसार 7723 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई हैं।

राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना

3344. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर छत्तीसगढ़ में वर्षा सिंचित भूमि हेतु राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना में सम्मिलित क्षेत्र कौन से है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर छत्तीसगढ़ में उक्त परियोजना पर खर्च की गई कुल धनराशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में उक्त प्रयोजन हेतु कितना धन निर्धारित किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) देश में पिछले दो वर्षों, अर्थात् वर्ष 1999–2000 तथा 2000–2001 के दौरान वर्षा सिंचित भूमि हेतु राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना में शामिल किए गए क्षेत्र क्रमशः 6.39 लाख है. और 5.46 लाख है. हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के लिए, पिछले तीन वर्षों, 1999–2000, 2000–2001 तथा 2001–2002 हेतु शामिल किए गए क्षेत्र क्रमशः 30,000 है., 22,500 है. और 17,500 है. हैं।

(ख) देश में उक्त परियोजना पर दो वर्षों, अर्थात् 1999–2000 तथा 2000–2001 हेतु खर्च की गई कुल राशि का ब्यौरा क्रमशः 215.32 करोड़ रुपये और 173.97 करोड़ रुपये है। छत्तीसगढ़ राज्य के लिए पिछले तीन वर्षों अर्थात 1999–2000, 2000–2001 और 2001–2002 हेतु यह राशि क्रमशः 9.61 करोड़ रुपये, 7.89 करोड़ रुपये और 6.11 करोड़ रुपये है।

(ग) वर्षा सिंचित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना नवम्बर, 2000 तक स्वतंत्र केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में कार्यान्वित की जा रही थी, इसके पश्चात् इसे प्रचालन की वृहत्–प्रबंधन विधि में मिला दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष अर्थात 2002–2003 में छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा कार्यक्रम हेतु निर्धारित धनराशि 7.95 करोड़ रुपये है।

[अनुवाद]

कृषि प्रौद्यागिकी सूचना केन्द्रों की स्थापना

3345. श्री दिलीप संघाणी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर गुजरात में गठित कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्रों का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त प्रयोजन हेतु सरकार द्वारा खर्च किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों में 40 कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्रों की स्थापना की स्वीकृति दी है जिसमें गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, सरदार क्रूसी नगर, जिला–बनासकांठा स्थित गुजरात में एक केन्द्र शामिल है।

(ख) इस प्रयोजन के लिए परिषद द्वारा पिछले तीन वर्षों (1999–2000 से 2001–2002) के दौरान 11.78 करोड़ रु. रिलीज किए गए थे।

(ग) परिषद ने देश में 261 कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की है। पिछले एक वर्ष के दौरान कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा खेतिहर महिलाओं और ग्रामीण युवकों सहित 4.18 लाख किसानों को प्रशिक्षित किया गया।

श्रमशक्ति निर्यात अभिकरणों को लाइसेंस जारी करना

3346. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश में श्रमशक्ति निर्यात अभिकरणों को जारी किए गए लाइसेंसों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को इन अभिकरणों के विरूद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

श्रम मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) एक विवरण संलग्न हैं।

(ख) से (घ) भर्ती एजेन्टों द्वारा विभिन्न कदाचार किए जाने के आरोपों से संबंधित छुट-पुट शिकायतें समय-समय पर प्राप्त होती रहती हैं। कर्मकारों की शिकायतों को स्थानीय एजेंटों को निदेशों के द्वारा निपटाने के लिए तत्काल कार्रवाई प्रारम्भ की जाती है। जब कभी आवश्यक हो, तो भारतीय मिशनों से भी विदेशी प्रायोजकों/सरकार की सहायता से कर्मकारों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए अनुरोध किया जाता है। स्थानीय एजेन्टों द्वारा कर्मकारों की समस्याओं का समाधान करने में असफल रहने पर उनके पंजीकरण प्रमाण-पत्र निलम्बित/निरस्त करने की कार्रवाई प्रारम्भ की जाती है।

विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जनशक्ति निर्यात अभिकरणों को जारी किए गए लाइसेंस	
		2000 के दौरान	2001 के दौरान
1.	आन्ध्र प्रदेश	03	06
2.	चंडीगढ	04	03
3.	दिल्ली	22	29
4.	गोवा	01	04
5.	गुजरात	03	03
6.	हरियाणा	01	01
7.	जम्मू और कश्मीर	01	–
8.	कर्नाटक	01	01
9.	केरल	11	15
10.	महाराष्ट्र	42	54
11.	उड़ीसा	01	–
12.	पांडिचेरी	–	01
13.	पंजाब	01	05
14.	राजस्थान	–	01
15.	तमिलनाडु	20	22
16.	उत्तर प्रदेश	–	02
17.	पश्चिम बंगाल	01	01
	कुल	112	148

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में क्षारीय भूमि

3347. श्री वाई.जी. महाजन : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पनधारा क्षेत्रों में जल एवं उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग और जल निकासी प्रणाली की असफलता के कारण केवल महाराष्ट्र में 24 हजार एकड़ भूमि क्षारीय हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह जानकारी भी है कि विशेषकर महाराष्ट्र में भूमि की क्षारीय प्रक्रिया में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत तक की वृद्धि हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो महाराष्ट्र में भूमि की क्षारीय प्रक्रिया की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) भूमि लवणता में वार्षिक बढ़ोत्तरी का आकलन करने के लिए कोई वैज्ञानिक सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, अत्याधिक सिंचाई, उर्वरक अनुप्रयोग तथा समुचित निकासी के अभाव के कारण मृदा लवणता में बढ़ोत्तरी हो रही है।

(ग) महाराष्ट्र सरकार ने सिंचाई स्रोतों के आधार पर जलमग्न लवणीय मृदाओं के सुधार के लिए कार्यक्रम तैयार किया है।

(1) मुख्य एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

ऐसी सिंचाई परियोजनाओं के कमान क्षेत्रों से प्रभावित मृदाओं का फील्ड सारणियों और फील्ड निकासी आदि का प्रबंध करके सुधार किया जा रहा है। फिलहाल, निकासी स्कीम को सिंचाई विभाग के अनुसंधान एवं विकास प्रभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

(2) निजी एवं सहकारी लिफ्ट सिंचाई स्कीमें

महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र जल संरक्षण निगम का गठन किया है। यह निर्णय लिया गया है कि लिफ्ट सिंचाई स्कीमों के कमान में प्रभावित मृदा हेतु निकासी स्कीमों को महाराष्ट्र जल संरक्षण बोर्ड द्वारा लघु सिंचाई (स्थानीय क्षेत्र) विभाग के सहयोग से नियोजित व कार्यान्वित किया जाएगा।

राष्ट्रीय कृषि वित्त योजना के अन्तर्गत किसानों की बकाया धनराशि

3348. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान बिहार एवं झारखंड के सभी जिलों में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत किसानों की धनराशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में बीमा दावों के लिए कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है;

(घ) बकाया शेष राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बकाया शेष राशि के कब तक दिये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत पिछले तीन फसल मौसमों (यानी रबी 1999–2000 से रबी 2000–2001) के दौरान किसानों को 5.16 करोड़ रुपये (यानी बिहार और झारखण्ड दोनों के लिए) की राशि के स्वीकार्य दावों का भुगतान कर दिया गया है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार के किसानों को बीमा सम्बन्धी दावों की लगभग 22 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

(घ) रबी 2000–01 के सम्बन्ध में राज्य का हिस्सा तथा खरीफ 2001 और रबी 2001–02 मौसमों के लिए राज्य सरकार से पैदावार सम्बन्धी आंकड़े प्राप्त न होने के कारण दरभंगा जिला, जो लघु क्षेत्र फसल आकलन विधि (एस.ए.सी.ई.एम.) के प्रायोगिक अध्ययन के अन्तर्गत है, के संबंध में दावे लम्बित हैं।

(ङ) बिहार राज्य सरकार से पैदावार सम्बन्धी आंकड़े प्राप्त होते ही देय दावों का भुगतान कर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

एन.ए.एफ.ई.डी. (नेफेड)

3349. श्री एन.एन. कृष्णदास : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अपने खरीद कार्यों के लिए नेफेड को भारी धनराशि देनी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा नेफेड को बकाया धनराशि जारी करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) जी, नहीं। सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के जरिये नेफेड के लिए नगद ऋण सीमा की व्यवस्था की है, जिन्हें मूल्य समर्थन स्कीमों के अंतर्गत खरीद कार्यों के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रचालित किया जाता है। तिलहन की दरें अपने न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे चल रही हैं। खरीद मूल्य और मंडी में प्रचलित मूल्य के बीच के अंतर को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अनियमितता धनराशि के रूप में संदर्भित किया जाता है। जैसा कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सूचित किया गया है 31.3.2002 के अनुसार अनियमितता धनराशि 298.31 करोड़ रु. है। इस विभाग ने मूल्य समर्थन स्कीमों के अंतर्गत खरीद कार्यों के लिए वर्ष 2001–02 के दौरान नेफेड को 340.55 करोड़ रुपये निर्मुक्त किये। शेष अपेक्षित निधियां नेफेड को वर्ष 2002–03 के दौरान निर्मुक्त की जायेंगी।

किसानों को शिक्षित करने की योजना

3350. श्री मंजय लाल : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कृषि क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए मशीनीकरण, गहन श्रम तकनीक एवं बेहतर कृषि आदानों का प्रयोग करने के लिए किसानों को शिक्षित करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) कृषकों को शिक्षित करने हेतु किए गए प्रयासों में निम्नलिखित प्रयास शामिल हैं :–

(1) कृषि उपस्कर एवं मशीनरी प्रभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत बुदनी (मध्य प्रदेश), हिसार (हरियाणा), गालदिन्ने (आंध प्रदेश) एवं विश्वनाथ चारिआली (असम) स्थित कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थानों के उद्देश्यों में से एक है, कृषि मशीनरी के चयन, प्रचालन,

मरम्मत व रखरखाव तथा प्रबंध के बारे में प्रशिक्षण/तकनीकी जानकारी के प्रचार–प्रसार के माध्यम से मानव संसाधन विकास। इन कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थानों के माध्यम से किसानों, ग्रामीण युवकों, तकनीशियनों, सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले रक्षा कर्मियों, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा नामित व्यक्तियों आदि को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा, किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से इन संस्थानों द्वारा कृषि उपकरणों का परीक्षण एवं कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, किसानों को गुणवत्ता युक्त मशीनें उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा ट्रैक्टरों व पावर टिलरों हेतु न्यूनतम कार्य निष्पादन मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं। इन संस्थानों में उपलब्ध सुविधाएं देश के सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों हेतु सुलभ हैं।

(2) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा देश में 261 कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किए गए हैं, जिनकी गतिविधियों में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी संबंधी ज्ञान को अद्यतन बनाने के लिए किसानों को प्रशिक्षित करना शामिल है। पिछले एक वर्ष में इन कृषि विज्ञान केन्द्रों ने 16,895 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें 4.18 लाख किसानों, महिला किसानों तथा ग्रामीण युवकों ने भाग लिया। किसानों को उपलब्ध कराने के लिए इन कृषि विज्ञान केन्द्रों ने 2241 क्विंटल गुणवता बीजों तथा 24.47 लाख गुणवता पौदों/पौधों का उत्पादन किया।

(3) फसल उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि हेतु राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करने के लिए फसल प्रभाग द्वारा निम्नलिखित फसलोन्मुखी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें कार्यान्वित की गईं :–

– गेहूं, चावल तथा मोटे अनाज आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आई.सी.डी.पी. – गेहूं, चावल तथा मोटे अनाज) का वर्ष 1994–95 से कार्यान्वयन।

– गहन कपास विकास कार्यक्रम/कपास प्रौद्योगिकी मिशन।

– वर्ष 1995–96 से गन्ना आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों का समेकित विकास।

– विशेष पटसन विकास कार्यक्रम।

इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत, क्षेत्र प्रदर्शन, कृषक प्रशिक्षण के आयोजन के माध्यम से उन्नत फसल उत्पादन प्रौद्यागिकी के अन्तरण पर बल दिया जाता है। इसके अलावा किसानों को उन्नत फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी अपनाने हेतु प्रेरित करने के लिए प्रमाणित/उच्च पैदावार देने वाली किस्मों/वर्ण संकर बीजों जैसे आदानों के उपयोग, उन्नत फार्म उपस्करों तथा छिड़काव/टपका सिंचाई प्रणाली संबंधी स्कीमों के माध्यम से प्रोत्साहन दिए जाते हैं। अक्तूबर, 2000 से कपास प्रौद्योगिकी मिशन को छोड़कर उक्त स्कीमों को वृहद प्रबंध पद्धति में शामिल कर दिया गया है।

(4) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के प्रौद्योगिकी प्रचार–प्रसार में नवीनता संबंधी घटक में सात राज्यों – आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा पंजाब के 28 जिलों में नई संस्थागत व्यवस्थाओं के अग्रणी परीक्षण का प्रावधान है। इस परियोजना के अन्तर्गत स्वायत्त, सुविधा सम्पन्न संस्थानों, जिन्हें कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (ए.टी.एम.ए.) नाम दिया गया है, का गठन जिला स्तर पर किया गया है जिनमें किसानों के प्रतिनिधियों सहित कृषि विकास से संबंधित विभिन्न पणधारियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। ए.टी.एम.ए. दृष्टिकोण के माध्यम से स्थानीय स्तर के अनुसंधान एवं विस्तार प्राथमिकताओं के निर्धारण, विस्तार हेतु सामूहिक दृष्टिकोण, किसानों एवं विस्तार कर्मियों में क्षमता निर्माण, निजी क्षेत्र भागीदारी तथा सहभागिता प्रक्रिया जैसे मुद्दों का समाधान किया जाएगा और प्रौद्योगिकी प्रचार–प्रसार को किसानों की आवश्यकता पर आधारित तथा कृषकोन्मुखी बनाया जाएगा। आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, उड़ीसा तथा हिमाचल प्रदेश में 6 राज्य कृषि कार्य कर रहे हैं। ये राज्य कृषि प्रबंध एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान विभिन्न विषय वस्तु, क्षेत्रों जहां वे स्थित हैं, में वरिष्ठ और मध्यम स्तर के राज्य अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करते हैं तथा कृषि यंत्रीकरण, बेहतर कृषि आदानों और गुणवत्ता बीजों आदि को कवर करते हुए किसानों में अद्यतन कृषि प्रौद्योगिकी का प्रसार करते हैं।

(5) भारत में विस्तार कार्मिकों के प्रशिक्षण की स्कीम के अंतर्गत 8 दिन की अवधि का राष्ट्र स्तरीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा साथ ही वरिष्ठ और मध्यम स्तर के

विस्तार कार्यकर्त्ताओं के लिए 5 दिन की अवधि के राज्य स्तरीय सहयोगात्मक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि कृषि के विभिन्न विषयों, जिनमें यंत्रीकरण, गुणवत्ता बीजों का उत्पादन और कृषि आदानों का बेहतर उपयोग आदि शामिल हैं, में उनकी तकनीकी सक्षमता में सुधार लाया जा सके। विस्तार कार्यकर्त्ता उपर्युक्त क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद किसानों को सलाह देते हैं।

(6) देश के अन्दर किसानों के आदान–प्रदान दौरे के घटक के अंतर्गत भारत सरकार एक राज्य से दूसरे राज्य में किसानों के समूह जिसमें 20 किसान होते हैं, में दौरे के प्रबंध के लिए 100% वित्तपोषण करती हैं, जिसमें प्रति समूह प्रति दौरा 50,000/– रुपये का व्यय शामिल है। किसानों के ऐसे आदान–प्रदान दौरों का मुख्य उद्देश्य विकसित क्षेत्रों में किसानों का अपने साथी किसानों के साथ विचार विनिमय को सुगम बनाना है ताकि उनके ज्ञान और दक्षताओं में वृद्धि की जा सके।

(7) "विस्तार कार्मिकों के परस्पर दौरे" स्कीम के अन्तर्गत एक राज्य के विस्तार कर्मचारी दूसरे विकसित राज्य का दौरा करते हैं ताकि वे उस राज्य में प्रचलित नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए संबंधित विस्तार कर्मचारियों एवं राज्य के वैज्ञानिकों से विचार–विमर्श कर सकें। इस प्रकार विस्तार कार्मिक कृषि यंत्रीकरण के उपयोग, बेहतर कृषि आदानों के अनुप्रयोग तथा गुणवत्ता बीजों के उपयोग आदि सहित विभिन्न प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी प्राप्त करके इसका प्रचार–प्रसार किसनों में करते हैं।

(8) भारत सरकार की स्कीम–स्वैच्छिक संगठनों/किसान संगठनों के माध्यम से कृषि विस्तार के अन्तर्गत 52 गैर सरकारी संगठनों एवं 17 किसान संगठनों को विस्तार प्रयासों में वृद्धि हेतु सहायता प्रदान की गई है।

(9) जिला स्तर पर कृषक–वैज्ञानिक विचार–विमर्श तथा राज्य स्तर पर अनुसंधान–विकास विचार–विमर्श के आयोजन हेतु कृषि मंत्रालय द्वारा राज्यों को सहायता प्रदान की जाती है।

(10) राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से किसान मेलों के आयोजन सहित विस्तार प्रयासों में मदद हेतु भाषाई मुद्रित प्रचार माध्यमों द्वारा विस्तार के लिए सहायता दी जा रही है।

(11) तमिलनाडु, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक (डैनिश सहायता से) एवं गुजरात एवं आंध्र प्रदेश (डच सहायता से) में महिला कृषकों के लिए विस्तार सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम तथा विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं। चुनिन्दा राज्यों में संयुक्त विकास कार्यक्रम से सहायता प्राप्त खाद्य सुरक्षा परियोजना शुरू की गई है। महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिनमें महिला कृषकों के सशक्तिकरण पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने संबंधी अध्ययन

3351. श्री अम्बरीश :

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राज्यों ने केन्द्र सरकार से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने के लिए अध्ययन करने और विभिन्न जिलों की धारण क्षमता (कैरिंग कैपेसिटी) हेतु अनुदान जारी करने का अनुरोध किया है

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) आज तक की तिथि के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा मंजूरी प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और,

(घ) शेष प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है और इस संबंध में, यदि कोई हो, तो आबंटित धन कितना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) कर्नाटक के होस्पेट–बेल्लरी क्षेत्र में परिकल्पित मौजूदा और प्रस्तावित खनन गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने कर्नाटक सरकार से पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन और क्षेत्र का वहन क्षमता अध्ययन करने का अनुरोध किया था ताकि वर्तमान स्थिति में सुधार लाया जा सके और एक दीर्घकालीन खनन नीति तैयार की जा सके। तदनुसार, कर्नाटक सरकार ने 1.05 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से इन अध्ययनों को शुरू करने का एक प्रस्ताव भेजा है। किसी अन्य राज्य ने इस प्रकार की राशि मंजूर करने का अनुरोध नहीं किया है।

(ग) और (घ) इस मामले को खान मंत्रालय के साथ उठाया गया जिन्होंने सूचित किया कि उनका मंत्रालय तथा इस्पात मंत्रालय क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीके से खनन कार्य करने की आवश्यकता के बारे में चिन्तित है और निर्णय लिया कि खान तथा भू–विज्ञान निदेशालय, कर्नाटक सरकार तथा भारतीय खान ब्यूरो का संयुक्त दल खनन पट्टों के नवीकरण या नए खनन पट्टे मंजूर करने के लिए नीति संबंधी दिशानिर्देश तैयार करने के उद्देश्य से इस क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन करेगा।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए पहली मई, 2001 को कर्नाटक सरकार को सूचित किया गया कि एक अलग अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है अतः कोई राशि रिलीज नहीं की गई।

टिम्बर माफिया

3352. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :

श्रीमती कान्ति सिंह :

मोहम्मद शहाबुद्दीन :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 जनवरी 2002 के "इंडियन एक्सप्रेस में" उत्तरांचल गवर्नमेंट हैंड–इन–ग्लोव विद टिम्बर माफिया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामलों और तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा और क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) समाचार के अनुसार श्री जे.पी. डबराल ने आरोप लगाया है कि पावर ग्रिड कारपोरेशन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, उत्तरांचल सरकार और उन दो निजी कंपनियों, जिन्हें टिहरी से मेरठ तक हाईटेंशन तार बिछाने के लिए ठेका दिया गया है, ने क्षेत्र के वनों का विनाश करने के लिए टिम्बर माफिया के साथ साठ–गांठ की है। यह आरोप लगाया गया है कि कारपोरेशन की पांच से छह लाख वृक्ष काटने की योजना है जबकि ट्रान्समिशन लाइन बिछाने के लिए केवल 90,000 वृक्षों को काटने की ही आवश्यकता है।

केन्द्र सरकार द्वारा दी गई मंजूरी के अनुसार टिहरी, नरेन्द्र नगर देहरादून और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाली इस पावर लाईन के निर्माण में 91,766 वृक्षों का काटा जाना शामिल था। तथापि, इस अनुमति को रद्द कर दिया गया है और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में ट्रान्समिशन लाईन के लिए एक वैकल्पिक एलाइनमेंट तैयार किया गया है। इस नए वैकल्पिक एलाइनमैंट से काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या में काफी कमी हुई है।

राजस्थान में सिंचित भूमि

3353. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान सहित देश में सिंचित भूमि की प्रतिशतता का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जो सिंचाई क्षमता की राष्ट्रीय औसत की प्राप्ति में पीछे छूट रहे हैं;

(ग) सरकार द्वारा पड़ोसी राज्यों यथा पंजाब और हरियाणा की तुलना में राजस्थान की सिंचाई क्षमता के अन्तराल को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान को क्या अतिरिक्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) और (ख) कृषि मंत्रालय द्वारा निबल बुवाई क्षेत्र (एन.एस.ए.) तथा निबल सिंचित क्षेत्र (एन.आई.ए.) का आकलन वर्ष–दर–वर्ष आधार पर किया जाता है। वर्ष 1997–98 (अद्यतन) के लिए किए गए आकलन के अनुसार समग्र देश की निबल बुवाई क्षेत्र की तुलना में निबल सिंचित क्षेत्र 38.42% है और राजस्थान का निबल सिंचित क्षेत्र 31.75% है। सिंचाई प्रतिशतता के राष्ट्रीय औसत को प्राप्त करने में पीछे चल रहे राज्यों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची–II की प्रविष्टि–17 के तहत सिंचाई, राज्य का विषय होने के कारण सभी सिंचाई स्कीमों की परिकल्पना आयोजना, अन्वेषण और क्रियान्वयन राज्यों द्वारा उनके स्वयं के योजना संसाधनों से किया जाता है। इसलिए दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में सृजित की जाने वाली संभावित अतिरिक्त सिंचाई सुविधाएं राज्य द्वारा सिंचाई

क्षेत्र को उपलब्ध कराये गए वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगी। केन्द्र सरकार, राज्यों के इस प्रयास में प्रोत्साहक के रूप में प्रेरक की भूमिका निभाती हैं। तथापि अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने के लिए वर्ष 1996 से, भारत सरकार चुनिंदा निर्माणाधीन वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं, जो निर्माण की अन्तिम अवस्था में हैं, को शीघ्रता से पूरा करने के लिए राज्यों को केन्द्रीय ऋण सहायता (सी.एल.ए.) मुहैया कराने के वास्ते त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) का क्रियान्वयन भी कर रही है। इस कार्यक्रम के तहत राजस्थान को वर्ष 2001–02 के अंत तक 10 परियोजनाओं के 466.17 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता प्राप्त हुई है।

विवरण

राष्ट्रीय औसत को प्राप्त करने में पिछड़ रहे राज्यों के निबल सिंचित क्षेत्र, निबल बुवाई क्षेत्र और निबल बुवाई क्षेत्र की तुलना में निवल सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता का राज्यवार ब्यौरा

(हजार हेक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य	निवल बुवाई क्षेत्र	निवल सिंचित क्षेत्र	निवल बुवाई क्षेत्र की तुलना में निवल सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता
1	2	3	4	5
1.	अरुणाचल प्रदेश	185	36	19.46
2.	असम	2751	572	20.79
3.	गोवा	141	24	17.02
4.	गुजरात	9600	3042	31.69
5.	हिमाचल प्रदेश	558	105	18.82
6.	कर्नाटक	10075	2363	23.45
7.	केरल	2271	350	15.41
8.	मध्य प्रदेश	19940	6304	31.61
9.	महाराष्ट्र	17761	2567	14.45
10.	मेघालय	207	47	22.71
11.	मिजोरम	109	8	7.34
12.	नागालैंड	251	52	24.70
13.	उड़ीसा	6122	2090	34.14
14.	राजस्थान	17075	5421	31.75
15.	सिक्किम	95	16	16.84
16.	त्रिपुरा	2777	35	12.64
17.	पश्चिम बंगाल	5465	1911	34.97
	विशिष्ट कुल राज्य	92883	24953	26.86
	कुल राज्य	141884	54493	38.41
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	137	70	51.09
	कुल अखिल भारत	142021	54563	38.42

टिप्पणी : ये आंकड़े कृषि मंत्रालय द्वारा वर्ष 1997-98 में प्रकाशित भूमि उपयोग गणनाओं के अनुसार हैं और अनंतिम है।

खेतों से प्राप्त आदानों का उच्च मूल्य

3354. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान खेतों से प्राप्त आदानों के मूल्यों में लगभग दोगुनी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादों की उत्पादन लागत भी दोगुनी हो गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या किसानों को उनके निवेश का समुचित मूल्य नहीं मिल रहा है;

(घ) क्या सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर्याप्त नहीं है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार किसानों को मुआवजा प्रदान करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के अनुसार कृषि क्षेत्र (पशुधन सहित) आदानों का मूल्य, जो वर्तमान मूल्यों पर वर्ष 1998–99 में 93416 करोड़ रुपये था, वह वर्ष 2000–01 में बढ़कर 96716 करोड़ रुपये हो गया है।

(ख) कृषि फसलों की उत्पादन लागत खेती की लागत तथा उत्पादकता पर निर्भर करती है। तदनुसार यदि उत्पादकता खेती की लागत में वृद्धि की अपेक्षा उच्च दर से बढ़ती है तो ऐसी फसलों की उत्पादन लागत वास्तव में घट सकती है। इसके विपरीत उत्पादन लागत बढ़ सकती है। इस प्रकार, पिछले वर्षों उत्पादन की लागत में उतार–चढ़ाव की प्रवृत्ति देखी गई है।

(ग) से (छ) सरकार अधिक निवेश और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक मौसम में मुख्य कृषि जिन्सों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती हैं सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य न केवल उत्पादन की लागत कवर करता है। अपितु निवेश करने और उत्पादन और उत्पादकता में सुधार लाने के लिए प्रोत्साहन के रूप में एक उचित मार्जिन को भी कवर करता है।

वर्ष 1996–97, 1997–98 और 1998–99 के दौरान मुख्य उत्पादक राज्यों में गेहूं और धान के उत्पादन की अनुमानित लागत, निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य, विवक्षित मूल्य और लाभ को दर्शाने वाले विवरण–I और II संलग्न हैं।

विवरण-I

वर्ष 1996–97, 1997–98 और 1998–99 के दौरान मुख्य उत्पादक राज्यों में गेहूं के उत्पादन की अनुमानित लागत, निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य, विवक्षित मूल्य और लाभ

राज्य	वर्ष	ए2 + एफ. एल./क्विं.	सी.2/ क्विं.	विव.मूल्य/ क्विं.	न्यू.स.मू./ क्विं.(रु.)	लागत ए2+ एफ.एल. पर प्रतिशत लाभ	लागत सी.2 पर प्रतिशत लाभ
बिहार	1996–97	268.48	421.85	519.70	475	93.57	23.20
हरियाणा	1998–99	202.22	365.77	551.50	550	172.99	50.78
	1997–98	224.74	391.85	517.62	510	130.32	32.10
	1996–97	199.79	336.13	477.40	475	138.95	42.03
मध्य प्रदेश	1998–99	303.04	481.37	566.64	550	86.99	17.71
	1997–98	299.80	475.25	537.55	510	79.30	13.11
	1996–97	296.08	492.09	608.35	475	105.47	23.63
गुजरात	1998–99	314.81	427.46	605.07	550	92.20	41.55
	1997–98	303.93	417.66	573.41	510	88.67	37.29
पंजाब	1998–99	222.18	398.58	550.15	550	147.61	38.03
	1997–98	245.96	411.97	509.83	510	107.28	23.75
	1996–97	193.41	362.50	476.53	475	146.38	31.46
राजस्थान	1998–99	296.94	413.33	584.56	550	96.86	41.43
	1997–98	288.99	393.02	530.32	510	83.51	34.93
उत्तर प्रदेश	1997–98	236.40	362.65	501.49	510	112.14	38.28
	1996–97	233.17	362.56	509.76	475	118.62	40.60

लागत ए. 2 = उत्पादन में मालिक द्वारा नगद तथा वस्तु में खर्च किए गए सभी वास्तविक व्यय + लीज भूमि के लिए दिया गया लगान।

लागत ए. 2 + एफ. एल. = ए. 2 लागत + परिवार श्रम का आरोपित मूल्य

लागत सी. 2 = उत्पादन की कुल लागत (प्रति क्विंटल)

स्रोतः अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय

विवरण-II

वर्ष 1996–97, 1997–98 और 1998–99 के दौरान मुख्य उत्पादक राज्यों में धान के उत्पादन की अनुमानित लागत, निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य, विवक्षित मूल्य और लाभ

राज्य	वर्ष	ए.2 + एफ. एल./क्विं.	सी.2/ क्विं.	विव.मूल्य/ क्विं.	न्यू.स.मू./ क्विं.(रु.)	रुपये	लागत ए.2+ एफ.एल. पर प्रतिशत लाभ	लागत सी.2 पर प्रतिशत लाभ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
बिहार	1997–98	241.80	373.42	418.03	415(C)	445(A)	72.88	11.95
	1996–97	241.24	377.16	414.20	380(C)	415(SF)	71.70	9.82
हरियाणा	1998–99	346.74	537.88	606.50	440(C)	470(A)	74.91	12.76
	1997–98	297.52	477.12	524.30	415(C)	445(A)	76.22	9.89
	1996–97	262.10	424.68	457.40	380(A)	415(SF)	74.51	7.70
उड़ीसा	1997–98	242.27	344.73	377.71	415(C)	445(A)	55.90	9.57
	1996–97	252.87	365.02	402.73	380(C)	415(SF)	59.26	10.33
पंजाब	1998–99	255.76	407.90	467.27	440(C)	470(A)	82.70	14.56
	1997–98	210.84	356.40	449.20	415(C)	445(A)	113.05	26.04
	1996–97	210.60	344.81	405.91	380(C)	415(SF)	92.74	17.72
उत्तर प्रदेश	1998–99	254.53	370.68	425.91	440(C)	470(A)	67.33	14.90
	1997–98	230.62	337.91	390.94	415(C)	445(A)	69.52	15.69
	1996–97	201.74	309.20	398.51	380(C)	415(SF)	97.54	28.88
पश्चिम बंगाल	1998–99	340.59	490.46	558.19	440(C)	470(A)	63.89	13.81
	1997–98	298.96	429.26	456.04	415(C)	445(A)	52.54	6.24
	1996–97	255.04	379.16	427.35	380(C)	415(SF)	67.56	12.71

सी. –सामान्य किस्म ए. – ग्रेड 'ए' किस्म एस. एफ.– सुपर फाईन किस्म

लागत ए. 2 = उत्पादन में मालिक द्वारा नगद तथा वस्तु में खर्च किए गए सभी वास्तविक व्यय + लीज भूमि के लिए दिया गया लगान।

लागत ए. 2 + एफ. एल. = ए. 2 लागत + परिवार श्रम का आरोपित मूल्य

लागत सी. 2 = उत्पादन की कुल लागत (प्रति क्विंटल)

स्रोत: अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय

नारियल विकास बोर्ड में सदस्यों का नामांकन

3355. श्री रमेश चेन्नितला : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास नारियल विकास बोर्ड सहित विभिन्न बोर्डों के सदस्यों के नामांकन के संबंध में कोई मानदंड हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नारियल विकास बोर्ड में किसी ऐसे सदस्य का नामांकन किया गया है जिसके पास कृषि या कृषि–उद्योग का अपर्याप्त ज्ञान या अनुभव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (घ) विभिन्न बोर्डों के लिए सदस्य उनके संबंधित अधिनियमों, नियमों आर विनियमों के अनुसार नामित किए जाते हैं। इस मंत्रालय के अधीन नारियल विकास बोर्ड के लिए सदस्यों का नामांकन नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 4(4) के अनुसार किया जाता है। इस अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य हैं :–

1. **सरकारी सदस्य**

(1) अध्यक्ष, जिसकी नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जानी है;

(2) बागवानी आयुक्त, भारत सरकार, पदेन;

(3) निदेशक, केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद), पदेन;

(4) नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 4 के अधीन गठित नारियल जटा बोर्ड का अध्यक्ष, पदेन;

(5) संसद के तीन सदस्य, जिनमें से दो लोक सभा और एक राज्य सभा द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे;

(6) राजस्व एवं नागरिक आपूर्ति और सहकारिता से संबंधित केन्द्र सरकार के मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दो सदस्यों की नियुक्ति की जानी हैं

(7) केन्द्र सरकार द्वारा तीन सदस्यों की नियुक्ति की जानी है जिनमें से प्रत्येक केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक सरकारों का प्रतिनिधित्व करेंगे क्योंकि इन राज्यों में नारियल बड़े पैमाने पर उगाया जाता है;

(8) आंध्र प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, दमन और दीव, लक्षद्वीप और पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वर्णानुक्रम में बारी–बारी से केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले पांच सदस्य;

2. **गैर-सरकारी सदस्य**

(9) केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले 4 सदस्य, जिनमें से 2 केरल राज्य के नारियल उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करेंगे और एक–एक सदस्य तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के नारियल उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करेंगे;

(10) नारियल प्रसंस्करण उद्योग का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला एक सदस्य;

(11) केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले 2 सदस्य जो नारियल उद्योग से जुड़े हुए ऐसे अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे जिनका सरकार के राज्य में प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए;

पदेन सदस्यों को छोड़कर नियुक्ति की अवधि तीन वर्षों से अधिक की नहीं होगी। सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से परामर्श लिया जायेगा। गैर–सरकारी सदस्यों के लिए विनिर्दिष्ट हितों के प्रतिनिधि की नियुक्ति के पहले केन्द्र सरकार ऐसे परामर्श करेगी जो वह उचित समझे। नारियल विकास बोर्ड नियमावली, 1981 के नियम 3 के अनुसार गैर–सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए किसी विशिष्ट शैक्षिक योग्यता अथवा अनुभव का प्रावधान नहीं किया गया है।

पर्यटन विकास

3356. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन विभाग ने भारतीय पर्यटन उद्योग के विकास के लिए कोई विशिष्ट योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत पर्यटकों को क्या रियायतें दिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) से (ग) नागर विमानन मंत्रालय पर्यटन उद्योग के विकास के लिए पर्यटन विभाग के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करता है।

देश में और अधिक विदेशी चार्टर प्रचालन सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटक चार्टर उड़ानों के प्रचालनार्थ विनियमों को और उदार बनाया गया है। इन विनियमों के अनुसार, पर्यटक चार्टर उड़ानों का अवतरण अब 12 नामित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर किया जा सकता है और इन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के अतिरिक्त पर्यटक चार्टर उड़ानों का अवतरण आगरा, जयपुर, वाराणसी तथा पोर्टब्लेयर हवाई अड्डों पर भी किया जा सकता है। इसके अलावा, पर्यटक चार्टर उड़ानों को उन हवाई अड्डों पर अवतरण करने की भी अनुमति दी जा सकती है जहां कस्टम और आव्रजन संबंधी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जहां तक, भारत से बाहर पर्यटक चार्टर उड़ानों के प्रचालन का संबंध है, विमानों के आकार की मौजूदा सीमा को हटा दिया गया है।

इंडियन एयरलाइंस ने विदेशी पर्यटकों की सुविधा के लिए डिस्कवर इंडिया फेयर्स जैसे विशेष पैकेज और घरेलू पर्यटकों के लिए गोवा फ्लाईअवेज, केरल फ्लाईअवेज, जम्मू फ्लाईअवेज, फिटनेस फ्लाईअवेज, राजस्थान फ्लाईअवेज, उड़ीसा फ्लाईअवेज तथा जम्मू व कश्मीर फ्लाईअवेज जैसे विशेष होलीडे पैकेज विकसित किए हैं।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में सुपारी की खरीद

3357. श्री विष्णु पद राय : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में सुपारी की खरीद के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना को लागू किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी समय सीमा क्या है;

(ग) क्या अण्डमान और निकोबार प्रशासन ने बाजार हस्तक्षेप योजना के लिए कोई कार्यक्रम चलाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गोवा में बाजार हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत सुपारी का मूल्य क्या है;

(ङ) क्या अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में यही मूल्य लागू किया जाएगा; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में बाजार हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत खरीद के लिए क्या मूल्य निर्धारित किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद सुपारी के लिए मण्डी हस्तक्षेप स्कीम (एम.आई.एस.) के कार्यान्वयन हेतु अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन के प्रस्ताव को कार्यान्वित किया जाएगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) गोवा में सुपारी के लिए मण्डी हस्तक्षेप मूल्य (एम. आई.पी.) 73/– रुपये प्रति कि.ग्रा. की दर पर पुरानी स्कीम के अनुसार निर्धारित किए गए थे। एम.आई.एस. के दिशा–निर्देशों के संशोधन के बाद, मण्डी हस्तक्षेप मूल्य, उत्पादन की लागत के स्तर पर तय किए जाते हैं जो राज्य दर राज्य भिन्न हैं। इसलिए मण्डी हस्तक्षेप मूल्य भी एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न–भिन्न हैं।

मत्स्य पालन का विकास

3358. श्री जी. जे. जावीया :

श्री मानसिंह पटेल :

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

श्री शिवाजी माने :

श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गुजरात, उड़ीसा और महाराष्ट्र राज्यों में मत्स्य पालन के लिए कोई योजना चलाई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान इन राज्यों में इस प्रयोजनार्थ जिलावार कितनी राशि व्यय की गई है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन राज्यों में मत्स्य पालन के विकास के संबंध में जिलावार कितनी प्रगति हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) केन्द्र सरकार ने गुजरात, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र राज्यों में मात्स्यिकी विकास के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरूआत की है, ये योजनाएं हैं: समुद्री मात्स्यिकी का विकास–परंपरागत जलयानों का मोटरीकरण तथा एचएसडी आयल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति, ताजा जल जलकृषि का विकास, एकीकृत तटवर्ती जलकृषि, राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण, बड़े तथा छोटे पत्तनों पर मत्स्यन बंदरगाह, अंतर्देशीय मत्स्य विपणन तथा अंतर्देशीय मात्स्यिकी सांख्यिकी का विकास।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण I, II और III में दी गई है।

विवरण-I

राज्यः गुजरात

(क) 1999–2001 के दौरान मात्स्यिकी विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत खर्च की गई राशि।

जिला	1999–2001 के दौरान व्यय की गई राशि (लाख रुपए)
अहमदाबाद	65.33
मेहसाना	0.71
साबरकांथा	37.63
पालनपुर	10.98
खेड़ा	3.43
बड़ोदरा	18.67
पंचमहल	51.45
बरूच	25.96
सूरत	171.91
वलसाद	41.39
राजकोट	0.89
जामनगर	163.28
सुरेन्द्र नगर	3.71
भुज	15.90
जूनागढ़	484.61
भावनगर	0.86
अमेरली	41.70
कच्छ	1942.10
गांधी नगर	27.22
नावासरी	0.12
कुच	44.08
पोरबंदर	271.74
दाहोद	14.00

टिप्पणी : मछुआरा सामूहिक बीमा के अंतर्गत 5.88 लाख रुपये की राशि खर्च हुई थी जिसमें राज्य के सभी मछुआरें शामिल हैं।

स्रोत : राज्य सरकार, मात्स्यिकी, गुजरात।

(ख) 1999–2000 तथा 2000–2001 के दौरान गुजरात में मात्स्यिकी विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत वास्तविक प्रगति

(1) जकाऊ मात्स्यिकी बंदरगाह परियोजना जिला कच्छ चरण–I का निर्माण कार्य नवम्बर, 2000 में पूरा हो चुका था तथा चरण–II का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा।

(2) विभिन्न मत्स्य यानों के लिए लैंडिंग तथा बर्थिंग सुविधाएं प्रदान करना।

(क) धामलेज जिला जूनागढ़ में लैंडिंग तथा बर्थिंग सुविधाएं प्रदान करना–विद्युत कार्य पूरा कर लिया गया है। अन्य कार्य प्रगति पर हैं।

(ख) नवबंदर, जिला जूनागढ़ में लैंडिंग तथा बर्थिंग सुविधाएं प्रदान करना–पर्यावरण संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने संबंधी प्रक्रिया का कार्य प्रगति पर है।

(3) गृह निर्माण हेतु मछुआरों के लिए राष्ट्रीय कल्याण योजना।

1199 घरों, 30 ट्यूबवैलों तथा 04 समुदाय भवनों का कार्य पूरा हो चुका है।

(4) केन्द्रीय क्षेत्र की योजना : अंतर्देशीय मात्स्यिकी सांख्यिकी का विकास।

अभी तक इस योजना के तहत गुजरात राज्य के सभी जिलों में संसाधन जायजा सर्वेक्षण कार्य तथा कैच जायजा सर्वेक्षण कार्य को पूरा कर लिया गया है। राज्य के विभिन्न जल निकायों के जिलावार क्षेत्रीय उत्पादन को एकत्र कर लिया गया है तथा अंतर्देशीय क्षेत्र के सिद्धान्त के अनुसार उसे संकलित किया गया है। विगत दो वर्षों का उत्पादन आंकलन इस प्रकार है :–

वर्ष	उत्पादन मी. टन में
1999–2000	70330
1999–2001	40591

(5) मछुआरा सामूहिक बीमा योजना

इस योजना के तहत, दुर्घटना के कारण मृत्यु/सम्पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में 50000 रुपए तथा आंशिक अपंगता की स्थिति में 25000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। विगत दो वर्षों के दौरान इस योजना के तहत 42000 मछुआरों को शामिल किया गया है।

(6) परंपरागत जलयानों आई बी एम/ओ बी एम के मोटरीकरण के माध्यम से तटवर्ती समुद्री मात्स्यिकी का विकास।

इस योजना के तहत, विगत दो वर्षों के दौरान ओ बी एम के लिए 238 मछुआरे लाभान्वित हुए थे तथा परंपरागत यानों के आई बी एम मोटरीकरण के लिए 36 मछुआरों को शामिल किया गया था।

(7) 20 मीटर लम्बाई से कम यंत्रीकृत मत्स्यन यानों द्वारा उपयोग किए गए एच एस डी आयल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति।

इस योजना के तहत, राज्य के मामले में, ऐसे राज्य जिसे ऐसे मत्स्यन यानों को पूर्ति किए गए एच एस डी आयल पर लगाए गए बिक्री कर की पूरी छूट दी गई है, उनके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा एच एस डी आयल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पर 100 प्रतिशत केन्द्रीय राजसहायता प्रदान की जाती है।

वर्ष 1999–2000 में इस योजना के तहत 435.17 लाख रुपए खर्च किए गए तथा वर्ष 2000–2001 में 470.60 लाख रुपए खर्च किए गए।

(8) खारा जल मत्स्य पालन का विकास

राज्य के पास खारा जल मत्स्य पालन क्रियाकलापों को अपनाने के लिए 3.76 लाख हैक्टेयर खारा जल क्षेत्र उपलब्ध है। अब तक राज्य द्वारा प्राथमिक तथा माइक्रो स्तरीय सर्वेक्षण किए गए तथा भरूच, बल्साड तथा सूरत जिलों में तीन बी एफ डी ए की स्थापना की गई है। जल कृषि प्राधिकरण द्वारा 187 आवेदन पत्रों को मंजूरी दी गई है तथा राजसहायता के लिए इस योजना के तहत अभी तक 12 मछुआरे लाभान्वित हुए हैं।

(9) एफ एफ डी ए के माध्यम से मत्स्य पालन

वर्ष 1999–2000 में, इस योजना के तहत 3808.88 हैक्टेयर क्षेत्र को मत्स्य पालन के अंतर्गत लाया गया था। 88.48 हैक्टेयर क्षेत्र को पोखरों के पुनरूद्धार के तहत शामिल किया गया तथा 1582 मत्स्य पालकों को प्रशिक्षित किया गया।

वर्ष 2000–2001 में इस योजना के तहत, 1569.87 है. क्षेत्र को मत्स्य पालन के तहत, 51.45 हैक्टेयर क्षेत्र को पोखरों के पुनरूद्धार के तहत लाया गया था, 12.72 हैक्टेयर क्षेत्र को नए पोखरों को निर्माण के तहत शामिल किया गया था तथा 1706 मत्स्य पालकों को प्रशिक्षित किया गया था।

विवरण-II

राज्य : उड़ीसा

(क) 1999–2001 के दौरान मात्स्यिकी विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत खर्च की गई राशि।

जिला	1999–2001 के दौरान किया गया व्यय (लाख रुपए)
1	2
कटक	3.09
जयपुर	2.35
केन्द्रपाडा	14.40
जगतसिंहपुर	16.40
पुरी	29.54
खुर्दा	6.81
नयागढ़	1.48
बालासोर	68.25
भद्रक	8.93
मयूरभंज	4.68
गंजम	35.04
गजपति	0.67
फूलबनी	0.47
बौध	0.30
कालाहांडी	3.47
न्यूपाडा	2.22
कोरापुट	3.38
नबरंगपुर	1.53
मलकांगिरि	2.91

1	2
रायगढ़	1.40
सम्बलपुर	1.46
झारसुगुड़ा	0.91
देवगढ़	0.48
बारागढ़	4.64
सुन्दरगढ़	2.43
बोलांगिर	3.12
सोनेपुर	0.70
क्योंझर	2.56
धेंकानाल	1.88
अंगुल	2.04

टिप्पणी : अंतर्देशीय मात्स्यिकी सांख्यिकी का विकास नामक योजना के तहत 1999-2001 के दौरान 6.00 लाख रुपए की राशि जारी की गई है।

स्रोत : राज्य मात्स्यिकी विकास, उड़ीसा।

ख. 1999–2000 तथा 2000-2001 के दौरान उड़ीसा में मात्स्यिकी विकास संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत वास्तविक प्रगति

क्र.सं.	जिला	ताजा जल में मछली पालन						खारा जल में प्रॉन पालन						समुद्री मछली का दोहन								टिप्पणी
		तालाब विकास का क्षेत्र (है. में)		प्रशिक्षित मत्स्य किसान (संख्या में)		उत्पादित मछली की मात्रा (मी. टन में)		तालाब विकास का क्षेत्र (है. में)		प्रशिक्षित प्रॉन किसान (संख्या में)		उत्पादित प्रॉन की मात्रा (मी. टन में)		पारंपरिक नौकाओं का मोटरीकरण (संख्या में)		छोटी लैंडिंग एवं बर्थिंग सुविधाएं (संख्या में)		एच एस डी ऑयल पर उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति (संख्या में)		उत्पादित मछली की मात्रा (मी.टन में)		
		1999-00	2000-01	1999-00	2000-01	1999-00	2000-01	1999-00	2000-01	1999-00	2000-01	1999-00	2000-01	1999-00	2000-01	1999-00	2000-01	1999-00	2000-01	1999-00	2000-01	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	कटक	51.72	74.54	0	10	5621	5882.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	जयपुर	23.21	38.1	0	50	4820	4435.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	जगतसिंहपुर	8.40	13.57	15	15	3573	3783.82	17.59	17.12	38	61	1257	1918.14	0	80	0	0	0	294	38859	33896.72	
4.	केन्द्रपाडा	51.68	42.99	70	32	5257	3728.54	15	15.3	36	37	585	1187.33	0	20	0	0	0	0	13758	13205.81	
5.	पुरी	54.99	34.82	0	0	4176	4270.85	14.4	22.67	30	33	3252	1541.27	0	179	0	0	0	44	26945	229399.54	
6.	खुर्दा	33.1	33.41	30	48	3742	4014.18	6.48	15.48	33	31	2934	4340.89	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	नयागढ़	29.1	35.53	0	0	3131	2099.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	बालासोर	48.64	108.39	0	30	4632	7652.55	0	29.58	33	33	1047	1922.2	0	108	0	2	0	410	31515	34914.59	
9.	भद्रक	44.03	40.38	0	30	37.49	5167.39	19.73	33.72	30	43	687	1047.51	0	2	0	0	0	0	8942	9349.98	
10.	मयूरभंज	50.16	31.94	0	10	11588	10313.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	गंजम	123.65	179.69	0	30	13505	14170..25	18.24	15.1	30	700	1	504.23	0	79	0	1	0	13	81.16	6777.52	
12.	गजपति	15.5	19.4	0	10	1422	1770.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	फूलबनी	0.8	1.18	30	10	145	744.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
14.	बौध	20.52	37.03	0	10	1544	2474.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	कालाहांडी	122.67	40.72	10	15	5342	8812.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	न्यूपाडा	76.9	32.44	2	16	16.26	1360.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	कोरापुट	58.08	25.84	8	15	1606	1629.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	नवरंगपुर	9.21	17.77	8	37	1293	2013.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	मलकांगिरि	128.1	134.01	139	5	2171	2203.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	रायगढ़	33.94	30.74	1	26	369	652.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	सम्बलपुर	40.76	17.16	0	10	5099	3947.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	झारसुगुड़ा	119.08	51.42	0	10	4468	3367.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	देवगढ़	19.1	48.55	0	10	3154	3042.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.	बारागढ़	124.18	69.34	25	12	9130	5958.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25.	सुन्दरगढ़	42.86	49.16	0	0	3102	4148.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.	बोलांगिर	56.78	91.18	55	5	4454	3631.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.	सोनेपुर	24.77	73.64	9	6	1996	2905.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28.	क्योंझर	42.28	72.8	25	10	3491	3576.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29.	ढेंकानाल	35.81	14.01	0	16	4879	3967.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.	अंगुल	54.38	23.68	0	11	5979	5370.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

विवरण-III

राज्य : महाराष्ट्र

(क) 1999–2001 के दौरान मात्स्यिकी विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत खर्च की गई राशि।

जिला	1999–2001 के दौरान किया गया व्यय (लाख रुपए)
1	2
अकोला	4.02
अहमदनगर	1.65
अमरावती	0.68
औरंगाबाद	29.34
बीड	2.57
भंडारा	3.36
बुल्धाना	0.72
चन्द्रपुर	7.32
धूले	19.33
गीलचिरोली	1.41
जालाना	2.13
जलगांव	1.36

1	2
कोल्हापुर	2.17
लातूर	6.60
मुम्बई	133.45
नागपुर	34.04
नांदेड	3.98
नासिक	10.32
परभनी	0.60
पुणे	13.13
रायगढ़	332.50
रत्नागिरि	108.04
सांगली	12.54
सतारा	2.70
सिंधुदुर्ग	110.20
सोलापुर	1.27
थाणे	116.42
उस्मानाबाद	0.34
वर्धा	2.54
यवतमाल	0.48
एमएमडीसी	11.00

स्रोत : राज्य मात्स्यिकी विभाग, महाराष्ट्र

(ख) 1999–2000 तथा 2000–2001 के दौरान महाराष्ट्र में मात्स्यिकी विकास संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत वास्तविक प्रगति

क्र.सं.	जिला	ताजा जल जलकृषि						खारा जल झींगापालन		राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण	
		तालाब विकास का क्षेत्र (हैक्टेयर में)		प्रशिक्षित मत्स्य किसान (संख्या में)		उत्पादित मछली की मात्रा (मी. टन में)		तालाब विकास का क्षेत्र (है. में)	प्रशिक्षित प्रॉन किसान (संख्या में)	निर्मित घर	ट्यूबवैल
		1999–2000	2000–01	1999–2000	2000–01	1999–2000	2000–01	1999–2001	1999–2001	1999–2001	1999–2001
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अकोला	109.00		50		144.14					
2.	अहमदनगर	50.00	56.20	38	27	34.73	48.23				
3.	अमरावती	100.50		35		114.00					
4.	औरंगाबाद	95.85		49		139.38					
5.	बीड	66.00		50		44.25				11	
6.	भंडारा	105.80		80		156.68					
7.	बुल्धाना	100.00	100.00	44	50	140.00	120.00				
8.	चन्द्रपुर	87.90		45		159.45				52	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	धूले	138.50	101.00	26	72	104.80	110.27			118	5
10.	गीलचिरोली	87.90		44		113.00					
11.	जालाना	50.34		22		61.32					
12.	जलगांव	60.00	100.00	50	20	37.50	103.00				
13.	कोल्हापुर	99.40	64.48	74	62	104.00	156.00				
14.	लातूर	100.00		50		49.27				63	1
15.	नागपुर	100.00		93		154.00					
16.	नांदेड	101.40		51		115.18					
17.	नासिक	82.65	91.50	36	24	47.08	55.68				
19.	परभनी	73.00		50		76.58					
19.	पुणे	114.00	92.50	57	15	152.00	128.00				
20.	रायगढ़							10.51	62		
21.	रत्नागिरि							5.33	56		
22.	सांगली	155.77	101.85	50	50	115.25	155.94			32	–
23.	सतारा	86.00	55.81	64	81	101.00	105.00				
24.	सिंधुदुर्ग							16.77	92		
25.	सोलापुर	100.00	30.71	50	50	150.00	128.00				
26.	थाणे	90.46	93.18	70	103	167.53	231.65	36.88	72		
27.	उस्मानाबाद	57.00		50		78.53					
28.	वर्धा	110.00		50		157.00					
29.	येवतमल	106.36		49		122.00					

मत्स्यन बंदरगाहों तथा मत्स्य लैंडिंग केन्द्रों का विकास

परियोजना का नाम	व्यय का वर्ष (व्यय लाख रुपए में)		अभ्युक्तियां
	1999–2000	2000–2001	
1	2	3	4
1. आगरव मत्स्यन बंदरगाह	14.16	42.04	आन्तरिक/समीपवर्ती सड़क कार्य प्रगति पर है। इस कार्य को पूरा करने के बाद आर सी सी जेटी का कार्य शुरू किया जाएगा।

1	2	3	4
2. **जैटी** (जिला रायगढ़)			
1. अलीबाग कोलीवाड़ा	1.52	1.16	स्लोपिंग रैम्प का कार्य प्रगति पर है।
2. एकडारा कोलीवाड़ा	11.85	4.93	आपेन शेड, स्लोपिंग रैम्प, मत्स्य ड्राइंग प्लेटफार्म, टॉयलेट ब्लॉक का काम पूरा हो चुका है।
3. राजपुरी कोलीवाड़ा	27.69	9.415	– " –
जिला सिंधुदुर्ग			
4. टरकार्ली	13.66	13.695	ओपन शेड, फिश ड्राइंग प्लेटफार्म, कम्पाउंड वाल टॉयलेट ब्लॉक सी डी कार्य समीपवर्ती सड़क, जल आपूर्ति का कार्य पूरा कर लिया। 90 प्रतिशत स्लोपिंग रैम्प पूरा हो चुका है।
5. तारामुम्बरी	14.22	11.735	– " –
6. अचारा पीरवाड़ा	–	6.16	– " –

अंतर्देशीय मात्स्यिकी सांख्यिकी विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना वर्ष 1999–2000 तथा 2000–2001 के दौरान खर्च की गई राशि तथा वास्तविक प्रगति के बारे में जिलावार सूचना

क्र.सं	जिला	खर्च की गई राशि (लाख रुपए में)		वास्तविक प्रगति रिपोर्ट
		1999–2000	2000–2001	
1.	मुम्बई	3.00	3.49	संबंधित जिलों के क्षेत्रीय कर्मचारियों तथा प्रोसेसिंग डाटा का सामान्य पर्यवेक्षण।
2.	अकोला	2.09	1.48	जिलों के चयनित गांवों के रीवरीन संसाधनों से मत्स्य कैच डाटा को एकत्र करना।
3.	नांदेड	1.61	1.54	–तदैव–
4.	सांगली	1.70	1.47	–तदैव–

[हिन्दी]

बीमा दावों का निपटान

3359. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश की वर्ष 2001–2002 की रबी की फसल के लिए कपास और तुर के संबंध में बीमा दावों का निपटान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्ष 2001–2002 के अन्त तक इन दावों के तत्काल निपटान हेतु अपना शेयर कार्यान्वयन करने वाले अभिकरण को देने का है; और

(घ) यदि हां, तो इन दावों के कब तक निपटाये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गए उपज

आंकड़ों की प्राप्ति पर क्रियान्वयक एजेंसी द्वारा बीमा दावे का हिसाब लगाया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कपास और तूर फसलों के संबंध में अब तक उपज आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राज्य सरकार से उपज आंकड़ों की प्राप्ति के बाद शीघ्र ही स्वीकार्य दावों का हिसाब लगाया जायेगा और उनका निपटान किया जायेगा।

[अनुवाद]

कर्नाटक में पर्यटन का विकास

3360. श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने देश में श्रावती नदी के द्वीपों में पर्यटन के विकास के लिए कोई प्रस्ताव अग्रेषित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कोकिंग कोयले का उत्पादन

3361. श्री शिवराज सिंह चौहान :

श्री विजय कुमार खंडेलवाल :

क्या **कोयला और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों से देश में कोकिंग कोयले के उत्पादन का प्रतिशत धीरे–धीरे गिरता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1998–99 के प्रतिशत की तुलना में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2001–2002 के दौरान श्रेणीवार कोयले का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान कोयले की मांग में वृद्धि हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या देश में कोकिंग कोयले की मांग को इसके आयात के माध्यम से पूरा किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा देश में कोकिंग कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) जी, हां। देश में कोकिंग कोल के उत्पादन का प्रतिशत धीरे–धीरे गिर रहा है जैसा कि नीचे दिया गया है :–

(मि. टन में)

वर्ष	कोकिंग कोयला	1998-99 में प्रतिशत गिरावट (मि. टन में)
1998–99	39.176	
1999–00	32.983	(–) 15.81
2001–01	30.900	(–) 21.13
2001–02 (अनंतिम)	28.816	(–) 26.45

(ग) 2001–2002 के दौरान कोयले के कुल उत्पादन का ब्यौरा श्रेणीवार नीचे दिया गया है :–

(मिलियन टन में) (अनंतिम)

कोकिंग कोयला	नॉन–कोकिंग कोयला	जोड़
28.816	293.789	322.605

(घ) और (ङ) जी, हां। कोयले की अखिल भारतीय मांग निम्नानुसार बढ़ रही है :–

(मिलियन टन में)

1999–2000	2000–01	20001–02
331.03	333.85	354.29

(च) और (छ) देश में कोकिंग कोयले की मांग का एक भाग योजनाबद्ध आयातों के माध्यम से पूरा किया जाता है। क्रमिक गिरावट से अच्छी क्वालिटी के कोकिंग कोयले का उपलब्ध भंडार सीमित हो गया हैं तथापि, कोल इंडिया लि. ने दसवीं योजना के दौरान कोकिंग कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए तीन नई

परियोजनाओं के शुरू करने की योजना बनाई। ये तीन नई परियोजनाएं बरमो ओपन कास्ट, टोपा ओपन कास्ट पुनर्गठन तथा सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. की केडला ओपन कास्ट हैं।

इमारती लकड़ी की तस्करी

3362. श्री रामशकल :

श्री वाई. जी. महाजन :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान इमारती लकड़ी की तस्करी में लगे संगठित गिरोहों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा इस अवैध कार्य को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार को इस प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान इमारती लकड़ी की तस्करी में लिप्त संगठित गिरोहों की संख्या में वृद्धि हुई है। तथापि, वृक्षों की अवैध कटाई और इमारती लकड़ी की तस्करी संबंधी मामलों का पता लगाया जाता है और संबंधित राज्य सरकार द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 तथा अन्य संबंधित अधिनियमों और कुछ समय के लिए लागू नियमों के तहत कार्रवाई की जाती है। वनों की सुरक्षा संबंधी प्रयत्नों को और अधिक पुख्ता बनाए जाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे राज्य सरकारों को जून, 1990 में जारी किए गए तथा स्थानीय लोगों की सहभागिता के माध्यम से वनों की सुरक्षा के संबंध में फरवरी, 2000 में और अधिक सुदृढ़ बनाए गए संयुक्त वन प्रबंधन संबंधी दिशानिर्देशों के माध्यम से स्थानीय वन वासियों और आस–पास के गांवों में रहने वाले लोगों को वनों की सुरक्षा, सरंक्षण और उनके पुनरूद्धार में शामिल करें। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से तस्करी और वन क्षेत्रों में अवैध शिकार जैसे संगठित अपराधों से निपटने के लिए उनकी वन सुरक्षा संबंधी मशीनरी को और अधिक सुदृढ़ बनाए जाने का भी अनुरोध किया है। 10वीं योजना अवधि के दौरान सभी राज्यों को वन सुरक्षा संबंधी मशीनरी के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "एकीकृत वन सुरक्षा स्कीम" के माध्यम से केन्द्रीय सहायता प्रदान करवाया जाना प्रस्तावित है। स्कीम के तहत मोबिलिटी और संचार नेटवर्क में सुधार हथियार एवं गोला बारूद, फील्ड स्टाफ हेतु भवनों, प्रशिक्षण एवं जागरूकता, कार्य योजनाएं तैयार करने, सर्वेक्षण एवं रेखांकन तथा दावानलों के निवारण और उन पर नियंत्रण हेतु धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।

[अनुवाद]

खुरपका और मुंहपका रोग

3363. श्री गुनीपाटी रामैया : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने खुरपका और मुंहपका पशु रोग के उन्मूलन के लिए 158 करोड़ रुपए की सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी राशि जारी की गई है; और

(ग) शेष राशि को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां। आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण पर बल देने के साथ "रोगमुक्त क्षेत्र का सृजन" नामक योजना के क्रियान्वयन के लिए 155.00 करोड़ रुपए का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

(ख) और (ग) चूंकि रोगमुक्त क्षेत्रों का सृजन नामक केन्द्रीय क्षेत्र योजना की नौंवी योजना के दौरान क्रियान्वयन के लिए मंजूरी प्रदान नहीं की गई थी अतः इस योजना के अधीन कोई राशि जारी नहीं की जा सकी। आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार को तदनुसार सूचित कर दिया गया है।

डेयरी क्षेत्र

3364. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास डेयरी क्षेत्र से नियंत्रण हटाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी उद्देश्य क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) जुलाई, 1991 में भारत सरकार द्वारा घोषित की गई नई औद्योगिक नीति के अनुसार डेयरी क्षेत्र से नियंत्रण समाप्त कर

दिया गया है। तथापि, आम जनता के हित में इच्छित गुणवत्ता के तरल दूध के रखरखाव और आपूर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से जुलाई, 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 की धारा 3 के तहत भारत सरकार ने 9.6.92 को दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद आदेश लागू किया था।

बिहार में मत्स्य पालन का कॉलेज खोला जाना

3365. श्रीमती कान्ति सिंह :

मोहम्मद शाहबुद्दीन :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मत्स्य पालन के विकास को और वैज्ञानिक तरीके से किए जाने के लिए बिहार में मत्स्य पालन का कोई कॉलेज खोल जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इसकी स्थापना कब तक कर लिये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) जी, नहीं। चूंकि कॉलेज खोलने से संबंधित विषय राज्य सरकार का है।

[हिन्दी]

न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि

3366. श्रीमती कैलाशो देवी :

श्री अशोक ना. मोहोल :

श्री ए. वेंकटेश नायक :

श्री चन्द्रेश पटेल :

श्री जी. जे. जावीया :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में गेहूं और अन्य वस्तुओं के समर्थन मूल्य में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन वस्तुओं का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है और इसमें किस सीमा तक वृद्धि की गई है और उसका आधार क्या है;

(ग) समर्थन मूल्य में वृद्धि करने के निर्णय लेने के लिए क्या मानदंड अपनाये गये हैं; और

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान किन-किन वस्तुओं के समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है और यह वृद्धि किस सीमा तक की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) समय-समय पर की गई वृद्धि को दर्शाने वाले ब्यौरे का एक विवरण संलग्न है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों, राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों के दृष्टिकोण के साथ ऐसे अन्य संबंधित तथ्यों, जो सरकार के विचार में समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, के आधार पर निर्धारित किए गए हैं।

(घ) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

न्यूनतम समर्थन मूल्य
(फसल वर्ष के अनुसार)

रुपए प्रति क्विंटल

क्र.स.	जिन्स	किस्म	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	#2000-01 की तुलना में 2001-02 में वृद्धि	#1997-98 की तुलना में 2001-02 में वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	धान	सामान्य श्रेणी 'क'	415	440	490	510	530	20 (3.9)	115 (27.7)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	मोटे अनाज (ज्वार, बाजरा तथा रागी)		455	470	520	540	560	20 (3.7)	115 (25.8)
3	गेंहू		360	390	415	445	485	40 (9.0)	125 (34.7)
4.	जौ		510*	550	580	610	620	10 (1.6)	110 (21.6)
5.	चना		350	385	430	500	500	–	150 (49.2)
6.	अरहर		815	895	1015	1100	1200	100 (9.1)	385 (47.2)
7.	मूंग		900	960	1105	1200	1320	120 (10.0)	420 (46.7)
8.	उड़द		900	960	1105	1200	1320	120 (10.0)	420 (46.7)
9.	मसूर (नेटिल)		900	960	1105	1200	1320	120 (10.0)	420 (46.7)
10.	गन्ना @		–	–	–	1200	1300	100 (8.3)	100 (8.3)
11.	कपास	एफ–414/एच/777/जे	3448.45	52.70	56.10	59.50	62.05	2.55 (4.3)	13.60 (28.1)
		एच–4	1330	1440	1575	1625	1675	50 (3.1)	345 (25.9)
12.	छिलके सहित मूंगफली		1530	1650	1775	1825	1875	50 (2.7)	345 (22.5)
13.	पटसन		980	1040	1155	1220	1340	120 (9.8)	360 (36.7)
14.	तोरिया/सरसों		570	650	750	785	810	25 (3.2)	240 (42.1)
15.	सूरजमुखी के बीज		940	1000	1100	1200	1300	100 (8.3)	360 (38.3)
16.	सोयाबीन	काला	1000	1060	1155	1170	1185	15 (1.3)	185 (18.5)
		पीला	670	705	755	775	795	20 (2.6)	125 (18.7)
17.	कुसुम		750	795	845	865	885	20 (2.3)	135 (18.0)
18.	तोरिया		910	990	1100	1200	1300	100 (8.3)	390 (42.9)
19.	तम्बाकू		905	965	1065	1165			260 (28.7)
	(बीएफसी)	काली मिटटी (एफ2ग्रेड)	20.5	22.5	25	26	27	1 (3.8)	6.50 (31.7)
	(रु./प्रति किग्रा.)	हल्की मिटटी (एल2 ग्रेड)	23.5	25.5	27	28	29	1 (3.6)	5.50 (23.4)
20.	खोपरा	मिलिंग	2700	2900	3100	3250	3300	50 (1.5)	600 (22.2)
	(कलैंडर वर्ष)	बाल	2925	3125	3325	3500	3550	50 (1.4)	625 (21.4)
21.	तिल		950	1060	1205	1300	1400	100 (7.7)	450 (47.4)
22.	रामतिल		800	850	915	1025	1100	75(7.3)	300 (37.5)

@ सांविधिक न्यूनतम मूल्य उस स्तर से ऊपर वसूली में प्रत्येक 01 प्रतिशत वृद्धि के लिए समानुपातिक प्रीमियम के साथ 8.5% की मूल वसूली से जुड़ा हुआ है।

X 01.04.98 से 30.06.98 तक देय 55.00 रुपये प्रति क्विंटल के केन्द्रीय बोनस सम्मिलित है। मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल वर्ष 2000-01 से निर्धारित किया गया है।

कोष्ठक के आंकड़े प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हैं।

XX न्यूनतम समर्थन मूल्य हाल ही में बढ़ाया गया है।

गुजरात में द्वारकाधीश मन्दिर का जीर्णोद्धार

3367. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भगवान द्वारकाधीश मन्दिर, जामनगर, गुजरात का जीर्णोद्धार कार्य किस तिथि से हो रहा है;

(ख) पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तिथि तक उक्त कार्य में कितना व्यय किया गया है;

(ग) उक्त जीर्णोद्धार कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की सम्भावना है;

(घ) क्या सरकार को उक्त कार्य के संबंध में पुरातत्व विभाग के विरूद्ध कोई शिकायतें मिली हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा दोषी पाये अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) द्वारका स्थित द्वारकाधीश मंदिर का रखरखाव एवं संरक्षण कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1966 से शुरू किया गया है।

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान स्मारक के रखरखाव एवं संरक्षण पर किया गया व्यय संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) किसी स्मारक का संरक्षण सतत् प्रक्रिया है।

(घ) और (ङ) प्रस्तर की गुणवत्ता एवं मूर्तियों के पुनर्निर्माण के संबंध में शारदापीठ के जगदगुरू शंकराचार्य की और से तथा श्री चन्द्रेश पटेल, संसद सदस्य द्वारा शिकायतें प्राप्त हुई थीं। एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति की सिफारिशों एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के स्वीकृत पुरातत्वीय मानदण्डों के अनुसार मंदिर का संरक्षण कार्य किया गया था।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

गुजरात के जिला जामनगर में द्वारका स्थित द्वारकाधीश मंदिर समूह के रखरखाव एवं संरक्षण पर पिछले पांच वर्षों के दौरान किया गया व्यय निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	वर्ष	व्यय
1	2	3
1.	1997–98	2,56,895.00 रु.
2.	1998–99	7,20,685.00 रु.
3.	1999–2000	1,77,208.00 रु.
4.	2000–2001	3,97,111.00 रु.
5.	2001–2002	3,87,353.00 रु.

[अनुवाद]

पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, 1936 में संशोधन

3368. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार से पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, 1936 में संशोधन किये जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसकी कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 में मजदूरी की अधिकतम सीमा में वृद्धि करने हेतु महाराष्ट्र सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हो गया है। महाराष्ट्र सरकार को सूचित कर दिया गया है कि उनका प्रस्ताव उन अनेक संशोधन प्रस्तावों में से एक है जिन पर केन्द्रीय सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

(ख) दिए गए चरणों तथा इससे सम्बद्ध प्रक्रियाओं के मद्देनजर संशोधनों को करने हेतु किसी निर्धारित समय सीमा को निश्चित करना संभव नहीं है।

पूर्वोत्तर में विमानपत्तनों का घाटा

3369. श्री एम. के. सुब्बा : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुवाहाटी और पूर्वोत्तर के विमानपत्तनों को वर्ष 1999–2000, 2000–2001, 2001–2002 के दौरान कितना लाभ हुआ और कितना घाटा हुआ और वर्ष 2002–2003 के दौरान कितना लाभ और कितना घाटा होने की संभावना है;

(ख) क्या आगामी वर्ष के दौरान सुविधाओं और बुनियादी ढांचे का कम उपयोग किए जाने के कारण पूर्वोत्तर के सभी विमानपत्तनों विशेषकर गुवाहाटी विमानपत्तन को भारी घाटा होने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो इन विमानपत्तनों में घाटे को कम करने के लिए और सुविधाओं में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) से (ग) पूर्वोत्तर सैक्टर में किसी भी हवाई अड्डे पर लाभ नहीं हो रहा है। गुवाहाटी तथा अन्य उत्तर–पूर्वी हवाई अड्डों पर हुई हानि का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :–

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	गुवाहाटी हवाई अड्डा	पूर्वोत्तर में अन्य हवाई अड्डे	पूर्वोत्तर हवाई अड्डे का योग
1	2	3	4
1999–2000	20.21	21.16	41.37
2000–2001	25.68	26.62	52.30
2001–2002 (आरई)	21.05	31.15	52.20
2002–2003 (बीई)	22.99	33.59	56.58

गैर–यातायात राजस्व में सुधार तथा पूर्वोत्तर हवाई अड्डों पर सुविधाओं में सुधार और संभव सीमा तक नियंत्रण योग्य लागतों में कमी करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

बाघ अभयारण्यों के लिए भूमि का अधिग्रहण

3370. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में बाघ अभयारण्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अभयारण्यों की स्थापना के लिए राज्यवार कितने किसानों की भूमि अधिग्रहीत की गई है;

(ग) क्या उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) देश में बाघ रिजर्वों का ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) उन परिवारों जिनकी भूमि 1992–93 से अधिगृहीत की गई है, की संख्या संलग्न विवरण–II में दी गई है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों के अन्दर रहने वाले लोगों की या तो अधिकारों के निपटारे द्वारा अथवा स्वैच्छिक पुनः स्थान निर्धारण द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों से बाहर बसाया जाता है। अधिकारों के निपटारे के मामलों में प्रभावित पार्टियों को कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर मुआवजे का भुगतान किया जाता है। स्वैच्छिक पुनः स्थान निर्धारण के मामले में निम्नलिखित पुनर्वास पैकेज दिया जाता है :–

(राशि रुपए)

(क) भूमि विकास (2 हेक्टेयर)	35,000
(ख) भवन सामग्री प्रति परिवार	36,000
(ग) प्रति परिवार घरेलू सामान का परिवहन	1,000
(घ) प्रति परिवार रूपान्तरित सामुदायिक सुविधाएं	9,000
(ङ) प्रति परिवार काष्ठ के गठ्ठर और ईंधन रिजर्व	8,000
(च) प्रति परिवार पाश्चर एवं चारा पौध रोपण	8,000
(छ) शिफ्टिंग के लिए नगद प्रोत्साहन	1,000
(ज) विविध गतिविधियां	1,000
कुल	1,00,000

विवरण-I

बाघ रेंज राज्यों में बाघ रिजर्वों के नाम सृजन का वर्ष और क्षेत्र सहित

क्र.सं.	सृजन का वर्ष	बाघ रिजर्व का नाम	राज्य	कुल क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)
1	2	3	4	5
1.	1973–74	बांदीपुर	कर्नाटक	866
	1999–2000	नगरहोले–(एक्सटेंशन)		643
2.	1973–74	कॉर्बेट	उत्तर प्रदेश	1316

1	2	3	4	5
3.	1973–74	कान्हा	मध्य प्रदेश	1945
4.	1973–74	मानस	असम	2840
5.	1973–74	मेलघाट	महाराष्ट्र	1677
6.	1973–74	पलामू	बिहार	1026
7.	1973–74	रंणथम्भौर	राजस्थान	1334
8.	1973–74	सिमलीपाल	उड़ीसा	2750
9.	1973–74	सुन्दरबन	पश्चिम बंगाल	2585
10.	1978–79	पेरियार	केरल	777
11.	1978–79	सरिस्का	राजस्थान	866
12.	1982–83	बुक्सा	पश्चिम बंगाल	759
13.	1982–83	इन्द्रावती	मध्य प्रदेश	2799
14.	1982–83	नागार्जुनसागर	आन्ध्र प्रदेश	3568
15.	1982–83	नामदाफा	अरुणाचल प्रदेश	1985
16.	1987–88	दुधवा	उत्तर प्रदेश	811
	1999–2000	काटेरनीघाट–(एक्सटेंशन)		551
17.	1988–89	कलाकड़–मुनडनथुरई	तमिलनाडु	800
18	1989–90	वाल्मिकी	बिहार	840
19.	1992–93	पेंच	मध्य प्रदेश	758
20.	1993–94	तडोबा–अंधेरी	महाराष्ट्र	620
21.	1994–95	बांधवगढ़	मध्य प्रदेश	1162
22.	1994–95	पन्ना	मध्य प्रदेश	542
23.	1994–95	दाम्फा	मिजोरम	500
24.	1998–99	भद्रा	कर्नाटक	492
25.	1998–99	पेंच	महाराष्ट्र	257
26.	1999–2000	पखुई–नामेरी	अरुणाचल प्रदेश–असम	1206
27.	1999–2000	बोरी, सतपुड़ा, पचमढी	मध्य प्रदेश	1486
			कुल	37761

विवरण-II

1992–93 से 2001–2002 तक गांवों के पुनः स्थान निर्धारण को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य	बाघ रिजर्व	1992 –93	1993 –94	1994 –95	1995 –96	1996 –97	1997 –98	1998 –99	1999 -2000	2000 –01	2001 –02	परिवार	टिप्पणी
1.	मध्य प्रदेश	कान्हा	6.48	6.83	–	16.00		3.80	–	–	–	-	69	
2.	कर्नाटक	बांदीपुर	8.80	8.80	–	–	22.08	–	–	–	14.65	–	100	
		नागरहोल	–	–	–	–	–	25.00	–	68.50	50.00	100.00	250	
		भद्रा	–	–	–	–	–	–	–	–	200.00	–	736	अधिगृहीत भूमि के लिए मुआवजे के रूप में भुगतान की गई राशि
3.	महाराष्ट्र	मेलघाट						–	–	–	46.00	–	92	
			15.28	15.63	–	16.00	22.08	28.80	–	68.50	310.65	100.00	1247	

अपव्यय में कटौती

3371. श्री अमर राय प्रधान : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने उनके मंत्रालय/विभाग के किन्हीं ऐसे क्षेत्र पता लगाया है जिसमें अपव्यय अधिकतम होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इसमें कितने अपव्यय का पता लगाया गया है; और

(घ) ऐसे व्यय में कटौती करने/रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त) : (क) से (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में अपव्यय का कोई उदाहरण मंत्रालय के नोटिस में नहीं लाया गया है। बजटीय प्रस्ताव तैयार करते समय अनुत्पादक व्यय को समाप्त करने के लिए कड़ा नियंत्रण रखा जाता है। निधियाँ प्राप्त होने के बाद उन पर कड़ा वित्तीय नियंत्रण रखा जाता है ताकि कोई अपव्यय न हो।

कीटों द्वारा प्रभावित कपास/तूर की फसल

3372. श्री इकबाल अहमद सरडगी :

श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :

श्री शशि कुमार :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनार्टक में गुलबर्ग के किसान सूखे से पीड़ित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या तालुक में पूरी कपास और तूर की फसल कीटों से प्रभावित हुई है;

(ग) क्या पिछले दो वर्षों में विषाणु के कारण सूर्यमुखी की फसल जो कि बड़े पैमाने पर की जाती थी, को बन्द कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से इस संबंध में आवश्यक सहायता प्रदान किए जाने का आग्रह किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि गुलबर्गा के किसान सूखे से प्रभावित हैं।

(ख) देरी से बोए गए कपास तथा तूर फसल कृमियों से प्रभावित पाये गए थे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (ङ) राज्य सरकार ने कृमियों के नियंत्रण हेतु कृमिनाशियों पर आर्थिक सहायता देने के लिए पर्याप्त निधियां प्रदान की है।

बहुराज्यीय सहकारी समितियां

3373. श्री रामजी मांझी : क्या कृषि मंत्री बहुराज्यीय सहकारी समितियों के बारे में 9 अगस्त, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2722 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बहुराज्यीय और राष्ट्रीय सहकारी समितियों और उनके कार्यों का ब्यौरा क्या हैं;

(ख) क्या कुछ समितियों के अध्यक्षों का निर्वाचन किया जा रहा है जबकि अन्यों को नामित किया जाता है और क्या इन सभी समितियों की एकरूपता के लिए आदर्श उप–विधियों को अपनाए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्रीय भण्डार ने तत्कालीक मनोनीत अध्यक्ष के लिए एक ऐसी नई कार खरीदी जिसका उनके कार्यकाल के दौरान भारी दुरूपयोग किया गया और एस.टी.डी. सुविधाओं का दुरूपयोग भी किया गया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) आज की तारीख तक बहु–राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के अन्तर्गत 21 राष्ट्रीय सहकारी समितियों सहित 313 बहु–राज्यीय सहकारी समितियां पंजीकृत हैं। यह बहु–राज्यीय सहकारी समितियां साख एवं ऋण, शहरी सहकारी बैंकिंग, डेयरी, पर्यटन, विपणन एवं प्रसंस्करण, आवास, चीनी आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। राष्ट्रीय सहकारी समितियां उर्वरक उत्पादन, कृषि उत्पादों का विपणन, उपभोक्ता, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र, मात्सियकी, श्रम, हथकरघा, इत्यादि जैसे विभिन्न कार्य क्षेत्रों में सहकारी क्षेत्र के शीर्षस्थ संस्थानों के रूप में कार्य कर रही हैं। राष्ट्रीय सहकारी समितियों सहित ये बहु–राज्यीय सहकारी समितियां अपने कार्य; अपने उद्देश्यों और अपने उप–नियमों के प्रावधानों के अनुसार करती हैं।

(ख) इन समितियों के अध्यक्ष इनके उपनियमों के प्रावधानों के अनुसार चुने/नामित किए जाते हैं। फिलहाल, सभी बहु–राज्यीय सहकारी समितियों द्वारा अपनाए जाने के लिए आदर्श उप–नियम बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां। केन्द्रीय भण्डार, नई दिल्ली ने अपने अध्यक्ष को एक सांत्रो कार, एक टेलिफोन तथा एक सैलफोन दिया हुआ है। तथापि, अब तक केन्द्रीय भण्डार के अध्यक्ष द्वारा कार और टेलिफोन का दुरूपयोग किए जाने की किसी घटना की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विपणन संस्थाओं की कमी

3374. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विपणन संस्थाओं की कमी के कारण विभिन्न राज्यों विशेषकर उत्तर प्रदेश के किसान अपने उत्पादों को बिचोलियों को बेचने के लिए बाध्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने और राज्यों में ग्रामीण कृषि विपणन प्रणाली को मजबूत करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, नहीं। किसानों द्वारा खरीद केन्द्रों पर लाया गया समस्त अनाज, जो अच्छी औसत गुणवत्ता विनिर्दिष्टियों के अनुरूप हो, भारतीय खाद्य निगम/राज्य एजेन्सियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद लिया जाता है। किसानों द्वारा अपने उत्पाद की मजबूरी में की गई बिक्री के बारे में सरकार को जब भी शिकायत प्राप्त होती है, तत्काल सुधारक कार्रवाई हेतु इसे भारतीय खाद्य

निगम तथा संबंधित राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रशासनों के ध्यान में लाया जाता है। रबी तथा खरीफ़ विपणन मौसम 2001–02 के दौरान उत्तर प्रदेश में खोले गए खरीद केन्द्रों की कुल संख्या क्रमशः 4390 तथा 1570 थी। तथापि, बिचौलियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने टोकन प्रणाली तथा जोत बाही प्रणाली कार्यान्वित की है 5300/– रुपये तक की अदायगी सामान्य चैक द्वारा तथा 5300/– रुपये से अधिक की अदायगी खाते में देय चैक द्वारा की जाती है। यदि लेनदेन में 50,000/– रुपये से अधिक की राशि शामिल हो, तो किसानों द्वारा बुआई की गई भूमि का क्षेत्रफल तथा उत्पादन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिप्रमाणित/सत्यापित करा लिया जाता है।

(ग) अनाज की खरीद सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक विपणन मौसम की शुरूआत से पूर्व संबंधित राज्य सरकारों तथा भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों के साथ विचार–विमर्श किया जाता है। इसके अलावा किसानों को अपने उत्पाद की मजबूरी में बिक्री से बचाने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की जाती है :–

(1) राज्य सरकारों के परामर्श से विभिन्न राज्यों में पर्याप्त संख्या में खरीद केन्द्र खोलना।

(2) किसानों को उनके उत्पाद की तत्काल अदायगी करना।

(3) बोरियों की यथासमय खरीद।

(4) खरीद मूल्यों, अच्छी औसत गुणवत्ता विनिर्दिष्टियों एवं खरीद केन्द्रों के बारे में पर्याप्त प्रचार।

(5) मण्डी में कर्मचारियों की यथासमय तैनाती।

(6) न्यूनतम समर्थन मूल्य स्कीम की बारीकी से मानिटरिंग हेतु भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपने मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाते हैं, जो राज्य सरकारों एवं अन्य खरीद एजेन्सियों से दैनिक आधार पर खरीद संबंधी आंकड़े एकत्रित व संकलित करते हैं। शीर्ष खरीद मौसम के दौरान ये नियंत्रण कक्ष 24 घण्टे कार्य करते हैं। राज्य सरकारों से भी इस प्रयोजनार्थ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का अनुरोध किया जाता है।

(7) देश में भण्डारण के आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण हेतु दिनांक 31.03.2003 तक 18.50 लाख मी. टन नई भण्डारण क्षमता के सृजन एवं 1.5 लाख मी. टन ग्रामीण भण्डारण क्षमता के सुधार के लिए ग्रामीण गोदामों के निर्माण/सुधार/विस्तार हेतु पूंजी निवेश सब्सिडी से संबंधित केन्द्रीय क्षेत्र की एक नई स्कीम दिनांक 26.2.2002 को अनुमोदित की गई है। इस स्कीम के अन्तर्गत, ग्रामीण गोदाम परियोजना के प्रमोटर को 37.50 लाख रुपये की सीमा के अधीन परियोजना की पूंजी लागत की 25 प्रतिशत की दर से सब्सिडी तथा पूर्वोत्तर राज्यों एवं पर्वतीय क्षेत्रों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रमोटर को 50.00 लाख रुपये की सीमा के अधीन परियोजना लागत की 33.33 प्रतिशत की दर से सब्सिडी की पात्रता होती है।

(8) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा बागवानी उत्पाद हेतु शीत भण्डारों/भंडारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण हेतु पूंजी निवेश सब्सिडी स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अन्तर्गत, शीत भण्डार के प्रमोटर को 50 लाख रुपये की सीमा के अधीन 25 प्रतिशत सब्सिडी तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए प्रति परियोजना 60 लाख रुपये की सीमा के अधीन परियोजना लागत की 33.33 प्रतिशत की दर से सब्सिडी की पात्रता है।

(9) सरकार ने सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी के समेकित विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित प्रौद्योगिकी मिशन की शुरूआत की है। इसके उप मिशन–III के अन्तर्गत कृषि उत्पाद मण्डियों के विकास एवं राज्य ग्रेडिंग प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए वर्ष 2001–02 के दौरान 72 कृषि उपज मण्डियों को 577.42 लाख रुपये तथा 14 राज्य ग्रेडिंग प्रयोगशालाओं को 34.54 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई हैं।

प्रजनन कार्यों को नये सिरे से करने संबंधी कार्यक्रम

3375. श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से समस्त प्रजनन योग्य पशुओं का गर्भाधान कराने हेतु नये सिरे से प्रजनन कार्य कराने के लिए एक कार्यक्रम चलाया है तथा इस संबंध में आंध्र प्रदेश के लिए एक परियोजना स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2000–01 के दौरान इस प्रयोजनार्थ आंध्र प्रदेश के लिए कितनी राशि जारी की गई है;

(घ) क्या राज्य द्वारा उक्त राशि का पूर्ण उपयोग किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने वर्ष 2001–02 के लिए इस प्रयोजनार्थ और अनुदानों के लिए निवेदन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के लिए राज्य को कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन संबंधी परियोजना (एनपीसीबीबी) के तहत एक परियोजना को 2000–2001 से शुरू होने वाली 5 वर्षों की अवधि के लिए 40.03 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मंजूरी प्रदान की गई है। इसमें से 10.81 करोड़ रुपए की राशि आन्ध्र प्रदेश पशुधन विकास एजेंसी को पहले की जारी की जा चुकी है। प्रमुख घटकों जिनके लिए राशि जारी की जा चुकी है उसमें शामिल हैं, संस्थागत पुर्नसंरचना, मानवशक्ति विकास, हिमित वीर्य नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण और नस्ल विकास/सांड उत्पादन।

(ग) और (घ) 2000–2001 के दौरान 3.39 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी जिसका राज्य द्वारा पूर्णरूप से उपयोग किया जा चुका है।

(ङ) और (च) 2001–2002 के लिए 11.58 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई थी परन्तु बजटीय बाधाओं के कारण 2001–2002 के दौरान केवल 7.42 करोड़ रुपए की राशि ही जारी की जा सकी।

कृषि निर्यात संवर्धन निगम की स्थापना

3376. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अतिरिक्त अनाज को खरीदने और उसका निर्यात करने तथा उन कृषकों की सहायता करने के लिए जो अपने उत्पाद को देश में बेचने में कठिनाई महसूस करते हैं के लिए कृषि निर्यात संवर्धन निगम की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) सूचना सकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पश्च जलाशय बांध परियोजना

3377. श्री के. येरननायडू : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री के साथ पर्यावरण संबंधी स्वीकृति के लिए राज्य की लंबित परियोजनाओं के संबंध में कोई बैठक हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य के नागार्जुन सागर में पश्च जलाशय बांध परियोजना और बेलुगोंडा परियोजना सहित प्रत्येक लंबित परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और इन्हें कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग) जी हां। 10 अप्रैल, 2002 को पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लंबित आन्ध्र प्रदेश की 20 विकासात्मक परियोजनाओं की सूची विवरण के रूप में संलग्न है। सामान्यतया परियोजनाओं पर पूरी सूचना प्राप्त होने के 90 दिन के भीतर निर्णय ले लिया जाता है।

नागार्जुन सागर पर टेल पाण्ड डैम को 14 जून 2001 को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई थी। मंत्रालय में पर्यावरणीय मंजूरी के लिए वेलुगोन्डा परियोजना प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण

पर्यावरणीय मंजूरी की प्रतीक्षा में आंध्र प्रदेश की विकसित परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्थिति
1	2	3
औद्योगिक परियोजनाएं		
1.	मैसर्स अरबिन्दु फार्मा लि. की जिला श्रीकाकुलम में बल्क ड्रग इकाई।	परियोजना प्राधिकरणों से पूरक सूचना प्राप्त होनी है।

1	2	3
2.	मैसर्स आंध्र ऑर्गेनिक्स लि. की जिला श्रीकाकुलम में बल्क ड्रग इकाई।	परियोजना प्राधिकरणों से पूरक सूचना प्राप्त होनी है।
3.	मैसर्स श्री रायलसीमा अल्काइलीज एण्ड एलायड केमिकल्स द्वारा कुरनुल जिला में क्लोर–अल्काइली संयंत्र का विस्तार।	पूरक सूचना हाल ही में प्राप्त हुई है।
4.	मैसर्स चोला सीमेंट लि. द्वारा जिला गुन्टूर में 900 टी पी डी सीमेंट संयंत्र।	मामला न्यायाधीन है।
5.	मैसर्स प्रिज्म सीमेंट लि. द्वारा जिला कुरनुल में 2 टी पी ए सीमेंट संयंत्र।	परियोजना प्राधिकरणों से पूरक सूचना प्राप्त होनी है।
6.	मैसर्स हैदराबाद इण्डस्ट्रीज लि. द्वारा कोंडापल्ली फैक्टरी, कृष्णा जिला के लिए उत्पादन क्षमता का नियमन।	परियोजना प्राधिकरणों से पूरक सूचना प्राप्त होती है।
7.	मैसर्स आई जी ओ आर फार्मास्युटिकल (पी) लि. द्वारा कृष्णा जिलें में फार्मास्युटिकल इकाई।	प्रस्ताव हाल ही में प्राप्त हुआ है।
खनन परियोजना		
8.	मैसर्स मद्रास सीमेन्ट लि. की कृष्णा जिले में रविराला चूना पत्थर खान।	परियोजना प्राधिकारियों से पूरक सूचना की प्रतीक्षा है।
9.	मैसर्स मद्रास सीमेन्ट लि. का कुरनूल जिले में चूना पत्थर का कोलीमीगुंडला ग्रुप।	परियोजना प्राधिकारियों से पूरक सूचना की प्रतीक्षा है।
10.	मैसर्स माई होम सीमेंट इन्डस्ट्रीज लि. द्वारा चूना पत्थर खान का विस्तार।	परियोजना पर अन्तिम निर्णय के लिए कार्यवाही की गई है।
11.	मैसर्स विसाका सीमेंट इन्डस्ट्रीज लि. द्वारा विसाका चूना पत्थर खान का विस्तार।	परियोजना प्राधिकारियों से पूरक सूचना हाल ही में प्राप्त हुई है।
12.	मैसर्स चाणक्य सीमेंट लि. की गांव गणेशपहाड़, जिला नालगोंडा में कैपटिव चूना पत्थर खान।	परियोजना प्राधिकारियों से पूरक सूचना हाल ही में प्राप्त हुई है।
13.	मैसर्स प्रिज्म सीमेंट लि. की कोटापाडु चूना पत्थर खान।	परियोजना प्राधिकारियों के अनुरोध पर परियोजना पर विचार अगली बैठक तक आस्थगित कर दिया गया है।
14.	मैसर्स ट्रांसवर्ल्ड गारनेट द्वारा गारनेट युक्त हैवी मिनरल्स बालू का खनन।	परियोजना पर अन्तिम निर्णय के लिए कार्यवाही की जा रही है।
15.	मैसर्स चोल सीमेंट लि. की कैपटिव चूना पत्थर खान।	परियोजना प्राधिकारियों से पूरक सूचना की प्रतीक्षा है।
संरचना एवं विविध परियोजनाएं		
16.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर नैल्लूर (180 कि.मी.) से चिलकालुरूपेट (355 कि.मी.) तक सुधार परियोजना।	परियोजना प्राधिकारियों से पूरक सूचना की प्रतीक्षा है।

1	2	3
17.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग–5 के राजामुन्द्री (200 कि.मी.) से धर्मावर्म (253 कि.मी) तक 4/6 लेनिंग को चौड़ा और मजबूत करना।	प्रस्ताव हाल ही में प्राप्त हुआ है।
18.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग–5 के धर्मावर्म (253 कि.मी.) से तुनी (300 कि.मी.) तक 4/6 लेनिंग को चौड़ा और मजबूत करना।	प्रस्ताव हाल ही में प्राप्त हुआ है।
19.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग–5 के तुनी से अनकापल्ली (300 से 359.2 कि.मी.)	प्रस्ताव हाल ही में प्राप्त हुआ है।
ताप वैद्युत परियोजना		
20.	मैसर्स पायोनियर इनर्जी कार्पोरेशन लि. का गांव कोठापलम, जिला चित्तूर में 35.5 मैगावाट का डी जी पावर प्लान्ट।	परियोजना प्राधिकारियों के अनुरोध पर परियोजना पर चर्चा को आस्थगित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

राजस्थान में ऐतिहासिक स्मारक

3378. श्री कैलाश मेघवाल : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राजस्थान में चिन्हित ऐतिहासिक स्मारकों तथा स्थानों की ठीक ढंग से देखभाल नहीं की जा रही है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो उनके सही रख–रखाव तथा सुरक्षा के संबंध में उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है और 1 अप्रैल, 1997 से इस संबंध में वर्षवार कितना खर्च किया गया है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के राजस्थान में 153 केन्द्रीय संरक्षित स्मारक हैं जो अच्छी हालत में परिरक्षित हैं। अधिकांश महत्वपूर्ण स्मारकों में उनकी अपनी पहरा एवं निगरानी व्यवस्था करने के अलावा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अबानेरी, जिला दौसा स्थित बाउड़ी; नीलकंड, जिला अलवर के शिव मंदिर तथा नागदा, जिला उदयपुर स्थित सास बहू मंदिर में पुलिस गार्ड तैनात की है।

(ख) केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों का रखरखाव एवं संरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है। संरक्षित स्मारकों के रखरखाव एवं संरक्षण तथा उनकी सुरक्षा पर किया गया व्यय संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले पांच वर्षों के दौरान राजस्थान में केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के रखरखाव, संरक्षण एवं उनकी सुरक्षा पर किया गया व्यय निम्न प्रकार है :–

वर्ष	रखरखाव/संरक्षण	विभागीय पहरा एवं निगरानी
1997–98	0,79,12,000/_ रु.	0,19,74,106/– रु.
1998–99	0,68,18,209/– रु.	1,82,00,000/– रु.
1999–2000	0,86,71,785/– रु.	2,02,13,502/– रु.
2000–2001	1,74,69,000/– रु.	1,74,01,329/– रु.
2001–2002	2,35,00,000/– रु.	1,87,66,000/– रु.

अप्रैल, 1997 तक पुलिस गार्डों पर किया गया व्यय 52,05,025/– रुपये है।

[अनुवाद]

होटल उद्योग को लाभ

3379. श्री सईदुज्जमा : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4–5 सितारा होटलों को नए बजट प्रस्तावों से कोई लाभ प्राप्त होंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या होटल उद्योग पहले ही दरों में वृद्धि पर विचार कर रहा है;

(घ) यदि हां, इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार निम्न और मध्यम वर्ग के यात्रियों को आवास प्रदान करने के लिए पेइंग गेस्ट हाउस/रेलवे गेस्ट हाउस/सस्ते होटलों को प्रोत्साहन देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी हां।

(ख) बजट प्रस्ताव जिनमें सामान्यतः होटल उद्योग को लाभ दिया जाना है, वे – सेवा कर में छूट, व्यय कर की प्रारंभिक सीमा में बढ़ोत्तरी करना, शराब पर आयात शुल्क में कमी और धारा 80 एच एच डी के अंतर्गत आयकर लाभ और धारा 194 एच के अंतर्गत टी डी एस में कमी हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) जी हां। केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने कम खर्चीली (बजट) श्रेणी के पर्यटकों के लिए आवास सुविधा प्रदान करने के लिए पेइंग गेस्ट आवास स्कीम की शुरूआत की है। रेल मंत्रालय ने पर्यटकों को कम खर्चीले आवास मुहैया कराने के लिए महत्वपूर्ण शहरों में कम खर्चीले होटलों का निर्माण प्रारंभ करने के लिए "भारतीय रेलवे खान–पान और पर्यटन निगम लिमिटेड" की स्थापना की है। इसके अलावा पर्यटन विभाग निम्न और माध्यम श्रेणी पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए 1 से 3 सितारा श्रेणी के कम खर्चीले होटलों को 3 से 5 प्रतिशत की ब्याज इमदाद मुहैया कराता है।

हरित पट्टी क्षेत्र को आवासीय क्षेत्र में परिवर्तित करना

3380. डा. एन. वेंकटस्वामी : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में हरित पट्टी क्षेत्र को आवासीय क्षेत्र में परिवर्तित किए जाने का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे परिवर्तन के क्या कारण है और

(ग) सरकार द्वारा प्रभावित हरित पट्टी क्षेत्र को बहाल करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) शहरी क्षेत्रों में हरित पट्टी का विनियमन नगरपालिका उपनियमों और राज्य कानूनों द्वारा किया जाता है। इसलिए मंत्रालय द्वारा इस संबंध में सूचना एकत्र करके तैयार नहीं की जाती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

हैदराबाद से अंतर्राष्ट्रीय कार्गो उड़ाने

3381. श्री राम मोहन गाड्डे :

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार की हैदराबाद से विदेशी स्थानों को सीधी अंतर्राष्ट्रीय कार्गो उड़ान हैदराबाद विमानपत्तन पर शीत भण्डार सुविधाएं और प्लांट सामग्री आयात करने हेतु विमानपत्तन पर अवसंरचना तथा कर्मचारी प्रदान करने तथा हैदराबाद विमानपत्तन को प्लांट क्वारंटाइन फ्यूमिगेशन स्टेशन के रूप में अधिसूचित करने के संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और ये कब से केन्द्र सरकार के पास लम्बित पड़े हैं;

(ग) उनके लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है और इन्हें कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (घ) मुक्त आकाश नीति के अधीन सभी एयरलाइनें उन हवाई अड्डों से कार्गो उड़ानों को प्रचालित करने के लिए स्वतंत्र हैं जहां कस्टम/आव्रजन संबंधी सुविधाएं उपलब्ध हैं। कृषि एवं संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) के सहयोग से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की भूमि पर शीघ्र नष्ट होने वाले माल कार्गो के लिए एक केन्द्र की स्थापना कर ली गई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने प्लांटों और प्लांट सामग्री आयात करने के लिए हैदराबाद में एक प्लांट क्वारंटाइन फ्यूमिगेशन स्टेशन स्थापित करने के लिए संघ सरकार से अनुरोध किया है। हैदराबाद हवाई अड्डे को सोर्विंग/प्रोपेगेशन के लिए प्लांटों तथा प्लांट सामग्री के आयात के लिए अधिसूचित नहीं किया गया है। विदेश के प्लांट तथा प्लांट सामग्री के आयात में विहित व्यापार अपेक्षाओं तथा प्लांट क्वारंटाइन जोखिमों को देखते हुए, वर्ष 1978 के दौरान हैदराबाद हवाई अड्डे पर प्लांट क्वारंटाइन स्टेशन स्थापित किया गया। अपने प्रारंभण से, यह स्टेशन खपत उद्देश्य के लिए ही आयातित

प्लांट और प्लांट सामग्री का निरीक्षण/ट्रीटमेंट करता आ रहा है। इस समय मौजूदा पांच स्टेशनों अर्थात दिल्ली, चेन्नई, मुम्बई, कोलकाता तथा अमृतसर के अलावा किसी अन्य स्टेशन को सोविंग/प्रोपेगेशन के उद्देश्य से बीज तथा प्लांटिंग सामग्री के आयात करने हेतु अधिसूचित करने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

वन क्षेत्र के संबंध में सर्वेक्षण

3382. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक वर्ष देश में वन क्षेत्र पर निगरानी रखने के लिए कोई सुदूर संवेदी एजेंसी विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में किए गए सर्वेक्षण से देश में वन क्षेत्र में वृद्धि होने का पता चला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में वन क्षेत्र में ह्रास में सुधार लाने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) भारतीय वन सर्वेक्षण उपग्रह प्रतिमावली का प्रयोग करके 1987 से हर दो वर्ष बाद देश के वन आवरण का मूल्यांकन करता है। नवीनतम स्टेट ऑफ फारेस्ट रिपोर्ट, 1999 के अनुसार 1996 से 1998 की अवधि में देश के वन आवरण में 3896 वर्ग कि.मी. की वृद्धि दर्शायी गई। वन आवरण में परिवर्तन संबंधी राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ङ) देश में अवक्रमित वनों में सुधार के उद्देश्य से उठाए गए कदम :–

(1) राज्य सरकारों/संघशासित प्रशासनों द्वारा उनके अपने संसाधनों तथा भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता के साथ वनीकरण कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

(2) वनों के विकास और उनके परिरक्षण के लिए विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

(3) सभी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को अवक्रमित वनों की सुरक्षा और पुनरूद्धार में ग्रामीण समुदायों को शामिल करने संबंधी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

(4) वन भूमि के गैर–वानिकी उद्देश्य हेतु विचलन के विनियमन हेतु वन (सुरक्षा) अधिनियम, 1980 बनाया गया है।

(5) सुरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क तैयार किया गया हैं

(6) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने वन संसाधनों के संरक्षण और विकास में निवेश में बढ़ोत्तरी के माध्यम से पारिस्थितिकीय स्थायित्व और लोक–केन्द्रित विकास के लिए वन एवं वृक्ष संसाधनों के योगदान को बढ़ाने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम तैयार किया है।

विवरण

राज्य	1997 के मूल्यांकन के अनुसार वन आवरण (वर्ग कि.मी.)	1999 के मूल्यांकन के अनुसार वन आवरण (वर्ग कि.मी.)	परिवर्तन (वर्ग कि.मी.)
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	43,290	44,229	+939
अरुणाचल प्रदेश	68,602	68,847	+245
असम	23,824	23,688	–136
बिहार	26,524	26,474	–50
दिल्ली	26	88	+62

1	2	3	4
गोवा	1,252	1,251	−1
गुजरात	12,578	12,965	+387
हरियाणा	604	964	+360
हिमाचल प्रदेश	12,521	13,082	+ 561
जम्मू और कश्मीर	20,440	20,441	+1
कर्नाटक	32,403	32,467	+64
केरल	10,334	10,323	−11
मध्य प्रदेश	131,195	131,830	+635
महाराष्ट्र	46,143	46,672	+529
मणिपुर	17,418	17,384	−34
मेघालय	15,657	15,633	−24
मिजोरम	18,775	18,338	−437
नागालैंड	14,221	14,164	−57
उड़ीसा	46,941	47,033	+92
पंजाब	1,387	1,412	+25
राजस्थान	13,353	13,871	+518
सिक्किम	3,129	3,118	−11
तमिलनाडु	17,064	17,078	+14
त्रिपुरा	5,546	5,745	+199
उत्तर प्रदेश	33,994	34,016	+22
पश्चिम बंगाल	8,349	8,362	+13
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	7,613	7,606	−7
चंडीगढ़	7	7	0
दादरा और नगर हवेली	204	202	−2
दमन एवं दीव	3	3	0
लक्षदीप *	–	–	–
पांडिचेरी *	–	–	–
कुल			+ 3,896

* पता लगाए जाने योग्य वन आवरण नहीं है।

आलू निर्यात की संभावनाएं

3383. श्री प्रबोध पण्डा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आलू निर्यात की संभावनाओं का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आंध्र प्रदेश में महिलाओं का व्यावसायिक प्रशिक्षण

3384. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय आंध्र प्रदेश में महिलाओं और लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दे रहा हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और जिलावार इससे कितनी महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचा है?

श्रम मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय तथा राज्य/संघ शासित सरकारों द्वारा स्थापित किए गए सभी व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में पुरुष व महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय ने देश के विभिन्न भागों में विशेष रूप से महिलाओं हेतु 11 व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए हैं। इन संस्थानों में आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की महिलाओं को योग्यता और पात्रता के आधार पर प्रवेश दिया जाता है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में विशेष रूप से महिलाओं हेतु 23 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों सहित 558 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की हैं पिछले तीन वर्षों के दौरान इन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित/लाभार्थी महिलाओं का राज्य सरकार द्वारा वर्ष–वार व जिला–वार उपलब्ध करवाया गया ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	औ.प्र.सं. आंध्र प्रदेश में स्थापना स्थल एवं जिला	लाभान्वित महिलाओं की संख्या		
		1999	2000	2001
1	2	3	4	5
1.	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (जी), इच्चेरला, जिला श्रीकाकुलम	14	15	10
2.	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (जी), वोनटिथाडी–जिला अग्राहारूम विजयनगरम	58	25	15
3.	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (जी), जिला विजाग	119	70	102
4.	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (जी) राजमुंद्री, जिला ई.जी.	80	37	32
5.	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (जी), भीमरवरम, जिला डब्ल्यू.जी.	13	5	6
6.	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (जी), गुड़ीवाडा, जिला कृष्णा	23	31	5
7.	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (जी), अंगोल, जिला प्रकाशम	10	14	3
8.	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (जी), वेंकेटेश्वरापुरम, जिला नेल्लौर	25	34	18
9.	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (जी), चित्तेडु, जिला नेल्लौर	14	8	7
10.	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (जी), वेणपुक्कापल्ली जिला चित्तूर	49	56	28
11.	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (जी), वेणपुक्कापल्ली जिला कुड्डापा	155	54	129

1	2	3	4	5
12.	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (जी), जिला अनंतपुर	94	40	62
13.	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (जी), जिला कुरनूल	52	22	4
14.	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (जी), कलवामूर्ति, जिला महबूबनगर	50	44	19
15.	ए.पी.एस.डब्ल्यू.आरआईटीआई (जी), जिला महबूबनगर	82	64	69
16.	डीडीटीसी/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (जी), माल्लेपल्ली, हैदराबाद	111	112	83
17.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (जी), नया संतोषनगर, हैदराबाद	29	48	18
18.	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (जी), शिवाजीनगर, जिला निजामाबाद	70	68	53
19.	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (जी), जिला करीमनगर	57	49	31
20.	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (जी), मुलुगूरोड जिला वारंगल	93	58	91
21.	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (जी), जिला खम्माम	44	44	29
22.	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (जी), जिला नालगोण्डा	119	90	92
23.	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (जी), जिला आदिलाबाद	65	61	35

आंध्र प्रदेश को निधियां जारी करना

3385. श्री बी.के. पार्थसारथी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में केन्द्रीय प्रायोजित पशुधन विकास अभिकरण परियोजना केन्द्र द्वारा सुनिश्चित निधियों में कमी करने के कारण खटाई में पड़ गई है;

(ख) यदि हां, तो गोपालमित्र योजना के अंतर्गत 90 करोड़ रुपए जारी न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) निधियां जारी करने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, नहीं। "आंध्र प्रदेश पशुधन विकास एजेंसी परियोजना" अथवा "गोपालमित्र" नाम की कोई केन्द्रीय प्रायोजित योजना नहीं है।

(ग) राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत आंध्र प्रदेश सरकार ने तीन वर्षों के लिए 130.92 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस प्रस्ताव में गोपालमित्र को एक निजी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता के रूप में शामिल करने का घटक था। इस परियोजना को 5 वर्षों की अवधि जो 2000–01 से शुरू होगी, के लिए 40.03 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत के साथ मंजूरी प्रदान की गई। इसमें से 10.81 करोड़ रुपए की राशि पहले ही जारी कर दी गई है।

सिंचित/असिंचित/परती भूमि

3386. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल और बिहार में सिंचित, असिंचित तथा परती भूमि का कुल कितना–कितना क्षेत्र है; और

(ख) सरकार का देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल और बिहार में सिंचित भूमि के क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) विवरण संलग्न है।

(ख) भारत सरकार सिंचित क्षेत्रों में वृद्धि करने के लिए राज्यों के प्रयासों में सहायता की उत्प्रेरक भूमिका अदा करती है। वर्ष 1996 से अब तक अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने के लिए भारत सरकार राज्यों को केन्द्रीय ऋण सहायता देकर त्वरित

सिंचाई लाभ कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है ताकि उन चयनित चालू वृहत और मध्यम परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किया जा सके जो निर्माण के अंतिम चरण में है। इस कार्यक्रम के अधीन, पश्चिम बंगाल और बिहार ने 2001–2002 के अंत तक क्रमशः 125.45 करोड़ रुपये और 336.39 करोड़ रुपये प्राप्त किये हैं। साथ ही बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 10 राज्यों को कवर करते हुए पूर्वी भारत में सिंचित भूमि में वृद्धि करने के लिए खेतों पर जल प्रबंधन स्कीम शुरू की गई हैं इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र में फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए भू/सतही जल का कुशल उपयोग और प्रबंध सुनिश्चित करना हैं यह स्कीम संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।

विवरण

देश, खासकर पश्चिम बंगाल और बिहार में सिंचित, असिंचित और परती भूमि, प्रत्येक का कुल क्षेत्र दर्शानेवाला विवरण।

क्र.सं.	नाम	उपलब्ध आंकड़ों का वर्ष	सिंचित भूमि (लाख है.)	असिंचित भूमि (लाख है.)	परती भूमि (लाख है.)
1.	भारत	1998–99	570.53	855.47	139.67
2.	पश्चिम बंगाल	2001–02	30.40	16.31	0.42
3.	बिहार	1998–99	36.82	37.49	3.23

नोट : आंकड़ों का स्रोत – अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली और पश्चिम बंगाल तथा बिहार सरकार है।

नदी संरक्षण योजना

3387. श्री. टी. गोविन्दन : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत कोई परियोजना आरंभ की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) और (ख) बाढ़ क्षेत्र में नदी सुरक्षा स्कीम राज्य का विषय होने के कारण बाढ़ नियन्त्रण स्कीमों की आयोजना, वित्त पोषण कार्यान्वयन और प्रचालन का उत्तरदायित्व मुख्यतः संबंधित राज्य सरकारों का होता है। केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता तकनीकी, प्रेरणात्मक और संवर्धनात्मक प्रकृति की होती है। तथापि, केन्द्र सरकार विभिन्न केन्द्र प्रायोजित/केन्द्र क्षेत्र कार्यक्रम के माध्यम से स्कीमों के कार्यान्वयन में राज्यों को वित्तीय सहायता दे रही है। वर्ष 2001-02 के दौरान नदी सुरक्षा कार्यों के संबंध में विभिन्न राज्यों को दी गई सहायता का विवरण नीचे दिया गया है:–

क्र.स.	स्कीम का नाम	राज्य	वर्ष 2001-02 के दौरान जारी की गई निधियां (रुपये करोड़ में)
1.	गंगा बेसिन राज्यों में गंभीर कटाव रोधी कार्य तथा कोसी और गंडक नदियों के तटबंधों को ऊंचा उठाना और उन्हें सुदृढ़ करना (केन्द्र प्रायोजित)	बिहार	13.58
		उत्तर प्रदेश	6.89
		पश्चिम बंगाल	11.38
2.	लालबकिया, कसला, बागमती और खंडों नदियों पर तटबंधों का विस्तार। (केन्द्र प्रायोजित)	बिहार	2.00
3.	नेपाल के क्षेत्र में कोसी और गंडक नदियों के तटबंधों का रखरखाव। (केन्द्र प्रायोजित)	बिहार	3.72

उपरोक्त के अतिरिक्त, वर्ष 2001-02 के दौरान विभिन्न राज्यों को नीचे दिए गए अनुसार केन्द्रीय सहायता जारी की गई है:-

(i) विभिन्न नदी/बाढ़ सुरक्षा स्कीमों को शुरू करने के लिए नॉन-लैप्सेबल सेन्ट्रल पूल ऑफ रिसोर्सेज तथा अतिरिक्त केन्द्र योजना सहायता के तहत जारी की गई निधियाँ-

(क)	नॉन-लैप्सेबल सेन्ट्रल पूल ऑफ रिसोर्सेज -	अरुणाचल प्रदेश	30.00 करोड़ रू.
	अतिरिक्त केन्द्र योजना सहायता -	असम	39.00 करोड़ रू.
(ख)	अतिरिक्त केन्द्र योजना सहायता	अरुणाचल प्रदेश	23.00 करोड़ रू.
		असम	10.00 करोड़ रू.

(ii) सीमावर्ती राज्यों के लिए आपातिक बाढ़ सुरक्षा कार्यों को शुरू करने के लिए विशेष ऋण सहायता -

असम	25.578 लाख रूपये
पश्चिम बंगाल	118.95 लाख रूपये
पंजाब	350.00 लाख रूपये

कृषि कामगारों के लिए केन्द्रीय सामाजिक सुरक्षा योजना

3368. श्री एन. टी. षणमुगम : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में कृषि कामगारों के लिए एक केन्द्रीय सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) भारत सरकार ने देश के 50 चुनिंदा जिलों में 1 जुलाई, 2001 से कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना - 2001 नामक एक सामाजिक सुरक्षा स्कीम शुरू की है। इस स्कीम में इन चुनिंदा जिलों में तीन वर्षों में 10 लाख कृषि श्रमिकों को कवर करने का इरादा है। लाभानुभोगी को प्रतिदिन 1 रूपया या प्रतिवर्ष 365 रुपये देने हैं और सरकार का अंशदान प्रतिदिन 2 रुपये या प्रतिवर्ष 730/- रु. प्रति लाभार्थि है। स्कीम के लाभों में जीवन सह-दुर्घटना बीमा, मनी बैक, पेंशन और सेवा-निवृत्ति लाभ आदि शामिल हैं। 31 मार्च, 2002 तक इस स्कीम के अधीन एक लाख से अधिक कृषि श्रमिक कवर किए गए हैं।

सिंधु नदी संधि

3389. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी :

श्री नवल किशोर राय :

डा. सुशील कुमार इन्दौरा :

श्री टी. एम. सेल्वागनपति :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में सिंधु जल संधि का अक्षरशः पालन किया है जबकि पाकिस्तान कई अवसरों पर ऐसा करने में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि भारत ने नदी पर जल विद्युत भगलियर संयंत्र पर पुनः कार्य शुरू कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार का उक्त संधि की समीक्षा करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या हाल ही में चेनाब नदी में जल निकासी को अचानक 5,700 क्यूसेक से घटाकर 3,900 क्यूसेक कर दिया था;

(छ) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान ने मामले को भारत के साथ उठाया है और परियोजना के अभिकल्प पर आपत्ति की है; और

(ज) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) और (ख) जी, हाँ। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि-1960, 1 अप्रैल, 1960 से लागू है। इसके क्रियान्वयन के दौरान कुछ परियोजनाओं पर भारत एवं पाकिस्तान के बीच मतभेद पैदा हुआ है।

(ग) से (ङ.) पाकिस्तान ने भारत द्वारा बगलीघर जल विद्युत संयंत्र से संबंधित नदी कार्यों का निर्माण करने पर विरोध किया है। इस संधि की समीक्षा का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(च) अलग–अलग समय एवं स्थान पर नदी में जल का निस्तारण भिन्न–भिन्न होता है। चेनाब नदी पर अंतिम गॉज एवं निस्सरण स्थल (अखनूर) पर प्रेक्षित निस्सारण जनवरी माह के दौरान 3,849 क्यूसेक से 5,686 क्यूसेक तथा फरवरी, 2002 के दौरान 3,400 क्यूसेक से 11,900 क्यूसेक के बीच रहा।

(छ) और (ज) जनवरी, 2002 के दौरान सिंधु जल से संबंधित पिछले वर्ष के निस्सरण की तुलना में चेनाब नदी पर मराला मुख्य संरचना में पाकिस्तान के आयुक्त ने घटते हुए निस्सरण की शिकायत की। तथापि, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, जम्मू ने सूचित किया कि इस वर्ष चेनाब नदी में प्राकृतिक रूप से ही जल निस्सरण कम रहा।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

3390. श्री सुशील कुमार शिंदे :

श्रीमती रेणूका चौधरी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने शराब तथा बियर को शीतल पेयों के समान बिक्री के लिए उपलब्ध कराने के लिए उनके उत्पादन तथा बिक्री को लाइसेंस से मुक्त करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बोर्ड के प्रबंध निदेशक ने 14 जनवरी, 2002 को कोलकाता में एक पत्रकार सम्मेलन में आंकड़े और "स्लाईड" दिखाकर अपने प्रस्ताव का समर्थन किया;

(ग) यदि हां, तो उसमें विचार किए गए मामले का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं। शराब और बियर को शीतल पेयों के समान बिक्री के लिए उपलब्ध कराने के लिए उनके उत्पादन तथा बिक्री को लाइसेंस से मुक्त करने का विषय राज्य से संबधित है।

(ख) से (घ) एक राष्ट्रीय बागवानी सम्मेलन प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है जहाँ तकनीकी सत्र बुलाए जाते हैं तथा लेखकों द्वारा उनकी व्यक्तिगत क्षमता में बागवानी के विकास से संबंधित नीतिगत मुद्दों सहित कार्यक्षमता/उपक्रमित क्षेत्रों को प्रदर्शित करने वाले विभिन्न तकनीकी दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं। 16-17 नवम्बर, 2001 को हुए राष्ट्रीय बागवानी सम्मेलन 2001 के दौरान राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के प्रबंध निदेशक ने "वाणिज्यिक बागवानी के विकास हेतु नीतिगत सुधार" संबंधी एक दस्तावेज प्रस्तुत किया जिसमें राज्य सरकारों तथा अन्य केन्द्रीय विभागों/सरकार के मंत्रालयों से संबंधित नीतिगत मुद्दों के विषय में संबोधित किया जिसमें एक ध्यानपूर्वक संवीक्षा या संशोधनों की आवश्यकता है ताकि बागवानी क्षेत्र की पूर्ण कार्यक्षमता का उपयोग किया जा सके तथा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्कीमों का पूरा लाभ उठाया जा सके। सम्मेलन की सिफारिशों का उनके कानूनी एवं प्रशासनिक निहितार्थो के विषय में सावधानीपूर्वक अध्ययन एवं जांच किए जाने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

सड़क मोटर परिवहन प्रतिष्ठान में कर्मचारी

3391. श्री विष्णुदेव साय : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में निजी संचालकों द्वारा चलायी जाने वाली बसों तथा ट्रकों में कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं;

(ख) उनकी सेवा से संबंधित सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किये गए हैं;

(ग) उनकी भविष्य निधि तथा बीमा के संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं;

(घ) उनके भविष्य निधि खाते में जमा तथा उससे आहरण का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ.) उन चूककर्ता निजी संचालकों जिन्होंने अभी तक निधि से आवश्यक राशि जमा नहीं कराई है, का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, सड़क परिवहन का भाड़ा खंड जो लगभग 5 मिलियन कर्मकारों को नियोजित करता है पूर्णतया गैर–सरकारी क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में है। यात्री वर्ग अंशतः सार्वजनिक क्षेत्र में तथा आंशिक रूप से गैर–सरकारी क्षेत्र में हैं। राज्य परिवहन उपक्रम (एस.टी.यू.) सामूहिक रूप से लगभग 8 लाख कर्मचारी तथा गैर–सरकारी क्षेत्र में मोटे तौर पर लगभग 2 मिलियन कर्मकारों को नियोजित करता है।

(ख) और (ग) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 में यथापरिकल्पित भविष्य निधि, पेंशन एवं बीमा कवर के रूप में सामाजिक सुरक्षा

कवर का कर्मकारों के लिए विस्तार किया जा रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में सदस्यों के लिए अनेक भविष्य निधि लाभ निर्धारित किए गए हैं, जिनका वे योजना के उपबंधों के अनुसार लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा, भविष्य निधि के सभी सदस्य कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा लाभ, जो उनके भविष्य निधि खातों में शेष धनराशि के बराबर मृत्यु बीमा लाभ सुनिश्चित करता है। उक्त धनराशि 60,000/- रुपए से अधिक नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, सदस्य कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत यथा परिकल्पित विभिन्न पेंशन लाभों के लिए भी पात्र हैं।

(घ) और (ड.) वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान 'सड़क मोटर परिवहन प्रतिष्ठान' नामक अनुसूची के अंतर्गत शामिल किए गए प्रतिष्ठानों सहित कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत शामिल किए गए प्रतिष्ठानों से एकत्र किए गए अंशदान का ब्यौरा निम्नवत् है:–

(रुपए करोड़ों में)

कर्मचारी भविष्य निधि योजना	10,728.44
कर्मचारी पेंशन योजना	4,222.61
कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना, 1976	139.36
कुल	15,090.41

जब कभी निधि के किसी सदस्य के संबंध में कोई दावा प्राप्त होता है तब नियमों के अनुसार उसका निपटान कर दिया जाता है। 31.03.2001 की स्थिति के अनुसार सभी प्रतिष्ठानों के संबंध में निपटाए गए दावों का ब्यौरा निम्नवत् है:–

(रुपए करोडों में)

भविष्य निधि दावे	4,186.26
आंशिक निकासी/पेशगी	1,056.81
कर्मचारी पेंशन योजना संबंधी दावे	1,242.27
कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना	44.53
कुल	7,307.39

राज्य–वार जमा/निकासी तथा चूककर्ता निजी संचालकों का ब्यौरा तत्काल उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय संस्कृति निधि का कार्यनिष्पादन

3392. श्री सुबोध मोहिते : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांस्कृतिक क्षेत्र के कार्यकलापों की सहायता करने के लिए स्थापित राष्ट्रीय संस्कृति निधि के कार्य निष्पादन की पुनरीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी क्षेत्र की भी इस निधि में भागीदारी होगी;

(घ) यदि हां, तो इस निधि में उनका क्या अंशदान होगा; और

(ङ) इसकी स्थापना के समय से इस निधि की क्या उपयोगिता रही है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय संस्कृति निधि की स्थापना दिनांक 29.11.96 की अधिसूचना के द्वारा धमार्थ निधि अधिनियम 1980 के अंतर्गत एक न्यास के रूप में की गई थी। इस निधि का प्रबंध तथा प्रशासन संस्कृति विभाग के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में गठित परिषद् द्वारा किया जाता है। यह परिषद् राष्ट्रीय संस्कृति निधि के निष्पादन की समय–समय पर समीक्षा करती है तथा नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों को तैयार करती है।

(ग) जी, हाँ।

(घ) इसकी स्थापना के बाद राष्ट्रीय संस्कृति निधि में निजी क्षेत्र द्वारा किया गया अंशदान वर्षानुवर्ष आधार पर नीचे दिया गया है:

1996-97	101.00	रु.
1997-98	10,59,543.00	रु.
1998-99	17,71,000.00	रु.
1999-2000	37,38,440.00	रु.
2000-2001	54,23,852.41	रु.
2001-2002	46,50,000.00	रु.
कुल	1,66,42,936.00	रु.

(ङ) 31 मार्च, 2001 तक विभिन्न परियोजनाओं पर 77.60 लाख रु. का उपयोग किया गया है। वर्ष 2001-2002 के दौरान विभिन्न परियोजनाओं में उपयोग की गई धनराशि को 31 मार्च, 2002 को वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात् अभी सूचित किया जाना है।

[हिन्दी]

जल ग्रहण योजनाओं के अन्तर्गत ऋण

3393. श्री पदमसेन चौधरी : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जल ग्रहण क्षेत्रों से संबंधित योजनाओं के लिए ऋण प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) से (ग) जल संसाधन मंत्रालय में जल ग्रहण क्षेत्रों के लिए कोई ऋण स्कीमों नहीं है। तथापि, नौवीं योजनावधि के दौरान भूजल पुनर्भरण के लिए एक प्रायोगिक स्कीम शुरू की गई थी और इसके कार्यान्वयन के लिए राज्यों को 23.48 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।

[अनुवाद]

पुष्प कृषि का विकास

3394. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को देश के दक्षिण भाग में विशेषकर कर्नाटक में पुष्प कृषि की उन्नति तथा विकास हेतु विद्यमान व्यापक संभावनाओं की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा देश के दक्षिणी भाग में विशेषकर कर्नाटक में इस क्षेत्र में सुधार लाने के लिए दी गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) भारत सरकार कर्नाटक सहित देश में फूलों की खेती की संभावनाओं से अवगत है। राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा "कृषि का वृहत प्रबंध–कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में मदद/सहायता" स्कीम के अन्तर्गत पुष्पकृषि के विकास हेतु कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कर्नाटक सरकार ने क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम तथा विभिन्न फूलों की उन्नत किस्मों की गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री की आपूर्ति के माध्यम से राज्य में पुष्पकृषि को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक उपाय किए है। पादप घर निर्माण तथा राज्य में सहकारी समितियों एवं पंजीकृत पुष्पोत्पादक संगठनों के माध्यम से विपणन की आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए भी राज्य द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है।

इसके अलावा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा अपनी स्कीम "उत्पादन एवं फसलोपरान्त प्रबंध के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास" के अंतर्गत 25 लाख रुपये की अधिकतम सीमा सहित परियोजना लागत की 20% की दर से पश्चात (बैक एण्डेड) पूंजी राजसहायता के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अन्तर्गत, पुष्पकृषि संबंधी कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा सकते है। वर्ष 2001-02 के दौरान कर्नाटक को विभिन्न पुष्पकृषि परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा 112.739 लाख रुपये की राजसहायता उपलब्ध कराई गई है।

कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा बंगलौर में एक फूल नीलामी केन्द्र की स्थापना के लिए राज्य सरकार को सहायता दी गई है जिसके लिए 3.57 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। पुष्पकृषि के विकास के लिए कृषि उत्पाद–निर्यात विकास प्राधिकारण के अन्य कार्यक्रमों में आधारभूत संरचना का विकास, निर्यात प्रात्साहन, मण्डी विकास एंव गुणक्ता नियंत्रण को प्रोत्साहन देना शामिल है। इन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर्नाटक सहित पूरे देश में किया जाता है।

असंगठित श्रमिकों के संबंध में आंकड़े

3395. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में असंगठित क्षेत्र के संबंध में कोई आंकड़े रखती है;

(ख) यदि नहीं, तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के संबंध में बुनियादी आंकडे, न होने के कारण श्रम कानूनों/सुधारों के संबंध में निर्णय लेने का क्या आधार है;

(ग) क्या सरकार का राज्य सरकारों से असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के आंकड़े एकत्र करने तथा प्रस्तुत करने के लिए आग्रह करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) संगठित और असंगठित श्रम संबंधी राज्य–वार आंकड़े प्राथमिक रूप से जनगणना राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षणों और रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त किए जाते है। इन कार्यक्रमों में सभी राज्य सरकारों की भागीदारी होती है।

बीस-सूत्री कार्यक्रम

3396. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी : क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, बीस–सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कई राज्य उक्त अवधि के दौरान लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का ऐसे राज्यों को आबंटन की पुनरीक्षा करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत 21 गंभीर मदों के संबंध में हुई उपलब्धियों का ब्यौरा वर्ष 1998-1999, 1999-2000 और 2000-2001 की प्रगति रिपोर्टों में उपलब्ध है। ये प्रगति रिपोर्टें वित्तीय वर्ष के दौरान लक्ष्यों की राज्यवार उपलब्धियॉ भी दर्शाती है। 20–सूत्री कार्यक्रम की इन प्रगति रिपोर्ट की प्रतियां संसदीय पुस्तकालय को दी जा रही हैं, जिन्हें अपेक्षित विवरणों के लिए देखा जा सकता है।

(घ) और (ङ) 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए कोई पृथक बजट शीर्ष नहीं है। इन कार्यक्रमों में विभिन्न केन्द्रक मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रशासित योजनाएं शामिल हैं। केन्द्रक मंत्रालयों द्वारा राज्यों के निधियों का आबंटन विगत वर्ष के दौरान आबंटित निधियों के उपयोग, उपयोग प्रमाण पत्र की प्रस्तुति, राज्यों के लिए आंबटित लक्ष्यों, राज्यों में गरीबी/पिछड़ेपन की स्थिति आदि के आधार पर किया जाता है।

[हिन्दी]

ऑलिव रिडली टर्टल को गैर-कानूनी रूप से पकड़ना

3397. श्री सुरेश रामराव जाधव :

श्री प्रभात सामन्तराय :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत पांच वर्षों से देश के तटवर्ती क्षेत्रों में एक भी ट्रालर का अनिवार्य टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस का उपयोग न करने के लिए लाइसेंस रद्द नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उड़ीसा तट सहित तटवर्ती क्षेत्रों में ऑलिव रिडली टर्टलों को खतरे में डालने वाली गैर–कानूनी फिशिंग को रोकने हेतु क्या नए कदम उठाये गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर.बालू) : (क) से (ग) यद्यपि टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस के उपयोग को अनिवार्य कर दिया गया है तथापि बाजार में इस डिवाइस की अपेक्षित संख्या उपलब्ध नहीं है। केन्द्रीय मात्स्यकीय, नॉटीकल इंजीनियरी और प्रशिक्षण संस्थान कोचीन ने टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस के डिजाइन को अंतिम रूप दिया है। अब संस्थान टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस के डिजाइन को लोकप्रिय बनाने और इसकी उपलब्धता को सुधारने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है। इसी बीच मत्स्य विभाग उड़ीसा ने सुनिश्चित किया है कि जिन जलपोतों को टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस प्राप्त हो गए हैं वे इनका नियमित रूप से उपयोग कर रहे हैं।

[अनुवाद]

चालू प्रमुख कोयला परियोजनाओं की प्रगति

3398. श्री अनंत गुढे : क्या **कोयला और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में चल रही प्रमुख कोयला परियोजनाओं के कार्यान्वयन/प्रगति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान नियत और प्राप्त वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों के संबंध में परियोजना–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब/धीमी प्रगति के संबंध में ब्यौरा क्या है और परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) नई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और अगले पांच वर्षों के दौरान वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यू.सी.एल) के अंतर्गत अनुमोदन/कार्यान्वयन हेतु कितनी लागत लगने का प्रस्ताव है?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां। प्रमुख कोयला परियोजनाओं अर्थात् 100 करोड़ रुपए तथा उससे अधिक लागत वाली परियोजनाओं की सचिव (कोयला) की अध्यक्षता वाली अन्तर्मन्त्रालयी समिति द्वारा त्रैमासिक आधार पर

नियमित रूप से समीक्षा की जाती है जिसमें योजना आयोग, व्यय विभाग, सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के सदस्य होते हैं। ऐसी पिछली बैठक 2.3.2002 को हुई थी। केन्द्रीय क्षेत्र की कोयला परियोजनाओं सहित प्रमुख परियोजनाओं को संबंधित कंपनियों से प्राप्त मासिक फ्लैश रिपोर्टों के माध्यम से सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा भी मानिटर किया जाता है।

(ख) अगस्त, 1999 से कोयला विभाग में 20 प्रमुख कोयला/लिग्नाइट परियोजनाओं को मानिटर किया जा रहा है। इन परियोजनाओं में से 4 (चार) परियोजनाएं नामतः दिपका ओ.सी.पी. (10 एम.टी.वाई), एस. ई. सी. एल., एम.सी.एल. के अंतर्गत लखनपुर ओ.सी. (5 एम.टी.वाई.) और कलिंगा ओ.सी. (8 एम.टी.वाई.) तथा एस.सी.सी.एल. के अंतर्गत मेड्डापल्ली ओ.सी. (1.25 एम.टी.वाई.) निर्धारित मानकों के अनुसार पूरी कर ली गई हैं। शेष 16 परियोजनाओं की क्रियान्वयन की स्थिति नीचे दी गई है:–

झांझरा यू.जी. (ई.सी.एल.) : 2 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता वाली परियोजना की मौजूदा पूंजीगत लागत 403.96 करोड़ रुपए है। निधि संबंधी बाध्यताओं तथा तकनीकी कारणों को देखते हुए, परियोजना को सरकार के अनुमोदन के पश्चात् डिरेटिड क्षमता पर प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव है। अनुमोदित लागत के स्थान पर 31.12.2001 तक 369.70 करोड़ रुपए (अनंतिम) की राशि खर्च की गई है।

कोटाडीह ओ.सी. + यू.जी. (ई.सी.एल) : 2.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष की कुल क्षमता वाली परियोजना की मौजूदा पूंजीगत लागत 267.52 करोड़ रुपए है। परियोजना को सरकार के अनुमोदन से 378.51 करोड़ रु. की पूंजीगत लागत पर 0.87 मिलियन टन प्रतिवर्ष की डिरेटिड क्षमता पर प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव है। इस पर 378.51 करोड़ रुपए की राशि पहले ही खर्च हो गई है।

जामबाद ओ.सी. (ई. सी. एल.) : 0.80 मिलियन टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाली परियोजना की मौजूदा पूंजीगत लागत 136.88 करोड़ रुपए है। परियोजना को सरकार के अनुमोदन से 35.03 करोड़ रुपए की पूंजीगत लागत पर 0.26 मिलियन टन प्रतिवर्ष की डिरेटिड क्षमता पर प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव है। 31.12.2001 तक 34.25 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है।

सतग्राम यू.जी. (ई.सी.एल) : परियोजना को फरवरी, 2002 में 118.87 करोड़ रुपए की पूंजीगत लागत पर डिरेट करके 0.51 मिलियन टन प्रतिवर्ष किया गया है। इस स्वीकृत लागत की तुलना में 31.12.2001 तक 112.04 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है तथा परियोजना को मार्च, 2003 में पूरा किया जाना है।

पुटकी बलिहारी यू.जी. (बी.सी.सी.एल) : परियोजना को सरकार के अनुमोदन से 182.60 करोड़ रुपए की पूंजीगत लागत पर डिरेट करके 0.68 मि.ट. प्रतिवर्ष करने का प्रस्ताव है। 31.12.2001 तक 170.01 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है।

मधुबन बाशरी (बी.सी.सी.एल) : परियोजना के लिए 197.23 करोड़ रुपए की पूंजीगत लागत की आर.सी.ई. पर सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है। 31.12.2001 तक 197.08 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है।

पारेज ओ.सी.(सी.सी.एल) : 1.75 मि.ट. प्रतिवर्ष की क्षमता वाली परियोजना की मौजूदा पूंजीगत लागत 162.88 करोड़ रुपए है। परियोजना मार्च, 2002 में पूरी हो गई है। स्वीकृत लागत की तुलना में 31.12. 2001 तक 125. 61 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है।

के.डी. हेसलांग ओ.सी. (सी.सी.एल.) : 4.50 मि.ट. प्रतिवर्ष क्षमता वाली परियोजना की मौजूदा परियोजना की मौजूदा पूंजीगत लागत 316.12 करोड़ रुपए है। स्वीकृत लागत की तुलना में 31.12.2001 तक 236.78 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है।

झारखंड ओ.सी. (सी.सी.एल.) : अक्तूबर 1998 में स्वीकृत 1.00 मि.ट. प्रतिवर्ष की क्षमता वाली परियोजना की मौजूदा पूंजीगत लागत 110.89 करोड़ रुपए है। स्वीकृत लागत की तुलना में 31.12.2001 तक 40.70 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है।

दुधीचुआ विस्तार ओपनकास्ट (एन.सी.एल.) : 10 मि.ट. प्रतिवर्ष की क्षमता वाली परियोजना की वर्तमान पूंजीगत लागत 1281.39 करोड़ रुपए है। स्वीकृत लागत की तुलना में 31.12.2001 तक 1019.82 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है।

निगाही विस्तार ओ.सी.(एन.सी.एल.) : 10 मि.ट. प्रतिवर्ष की क्षमता वाली परियोजना की वर्तमान पूंजीगत लागत 1846.49 करोड़ रुपए है। स्वीकृत लागत की तुलना में 31.12.2001 तक 979.99 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है।

गौतमखानी ओ.सी. (एस.सी.सी.एल.) : 2.00 मि.ट. प्रतिवर्ष की क्षमता वाली परियोजना की वर्तमान पूंजीगत लागत 159.74 करोड़ रुपए है। स्वीकृत लागत की तुलना में 31.12.2001 तक 118.95 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है।

आर.के. नई प्रौद्योगिकी यू.जी. (एस.सी.सी.एल.) : सरकार के अनुमोदन से परियोजना को 33.82 करोड़ रुपए की पूंजीगत लागत पर डिरेट करके 0.64 मिलियन टन प्रतिवर्ष करने का प्रस्ताव है। 31.12.2001 तक 20.85 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है।

खान-1 विस्तार (एन.एल.सी.) : 4.0 मि.ट. प्रतिवर्ष की क्षमता वाली परियोजना की वर्तमान पूंजीगत लागत 1658.38 करोड़ रुपए है। स्वीकृत लागत की तुलना में 31.12.2001 तक 1365.96 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है।

टी.पी.एस-1 विस्तार (एन.एल.सी.) : परियोजना (2 X 210 मे. वा.) की वर्तमान पूंजीगत लागत 1420.27 करोड़ रुपए है। स्वीकृत लागत की तुलना में 31.12.2001 तक 880.32 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है।

खान-1 ए (एन.एल.सी.) : 3 मि.ट. प्रतिवर्ष की क्षमता वाली परियोजना की वर्तमान पूंजीगत लागत 1032.81 करोड़ रुपए है। स्वीकृत लागत की तुलना में 31.12.2001 तक 577.10 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है।

(ग) परियोजना के क्रियान्वयन में देरी/धीमी प्रगति के कारण नीचे दिए गए हैं:–

(1) भूमि अधिग्रहण की समस्या तथा पुनर्वास से सम्बद्ध समस्याएं।

(2) उपकरण की आपूर्ति तथा टर्न–की निष्पादन में देरी।

(3) प्रतिकूल भू–खनन स्थितियां।

(4) निधि का अभाव।

(5) वानिकी संबंधी मंजूरी प्राप्त करने में देरी।

कोयला परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं :–

(1) कोयला कंपनियों को, कोयला परियोजनाओं के कार्यान्वयन को नियमित तथा सख्ती से मानीटर करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। कोयला कंपनियों में परियोजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए थ्री–टियर संरचना (ढांचा) अर्थात् कोलियरी स्तर, क्षेत्र स्तर तथा मुख्यालय स्तर पर, अस्तित्व में है।

(2) प्रमुख कोयला परियोजनाओं अर्थात् 100 करोड़ रूपए तथा उससे अधिक की लागत वाली परियोजनाओं की सचिव (कोयला) की अध्यक्षता वाली अन्तर्मन्त्रालयी समिति द्वारा तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है जिसमें योजना आयोग, व्यय विभाग, सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के सदस्य होते हैं।

(3) उपरोक्त समीक्षाओं के परिणामों के आधार पर कमियों पर काबू पाने के लिए समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए सरकार द्वारा (कोयला विभाग) कोयला कंपनियों को उपयुक्त निर्देश भेज जाते हैं।

(4) कोयला परियोजनाओं के सकल कार्यान्वयन के लिए समय पर भूमि की उपलब्धता तथा वानिकी संबंधी मंजूरी जहां कहीं आवश्यक हो, महत्वपूर्ण होने के कारण इन्हें शीघ्रता से भिजवाने के लिए कोयला विभाग द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा राज्य सरकार के प्राधिकारियों के साथ लगातार सम्पर्क रखा जाता है।

(5) उपकरणों की शीघ्र आपूर्ति करने के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के खनन उपकरण विनिर्माताओं के प्रतिनिधियों तथा संबंधित मंत्रालय/विभागों के साथ नियमित रूप से अनुवर्तन किया जाता है।

(6) भू–खनन स्थितियों का अग्रिम पूर्वानुमान लगाने के लिए जटिल भू–गर्भीय तथा भू–भौतिकी अन्वेषण तकनीकें अपनायी जा रही हैं।

(घ) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के अंतर्गत दसवीं योजना में आरंभ की जाने वाली प्रस्तावित नई प्रमुख परियोजनाओं (100 करोड़ तथा इससे अधिक की लागत वाली) का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मि.ट.प्रतिवर्ष)	अनुमानित पूंजी (करोड़ रु.में)
1.	बारंज ओ.सी.	2.35	855.85
2.	पदमपुर डीप ओ.सी.	1.25	100.00
3.	सिनहाला/दुर्गापुर डीप ओ.सी.	1.25	100.00
4.	मोरेपार विस्तार भू.ग.	0.85	167.71

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में आदिवासी संस्कृति का उन्नयन

3399. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विशेष रूप से मध्य प्रदेश में आदिवासी संस्कृति के उन्नयन हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय "जनजातीय/लोक कला एवं संस्कृति के संवर्धन तथा प्रसार के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम" नामक एक स्कीम चला रहा है। इस स्कीम में मध्य प्रदेश सहित सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

जनजातीय/लोक कला एवं संस्कृति के संवर्धन तथा प्रसार के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम

स्कीम : जनजातीय/लोक कला एवं संस्कृति का संवर्धन एवं प्रसार

उद्देश्य : यह स्कीम मुख्यतः जनजातीय तथा ग्रामीण कला एवं संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन तथा प्रसार को स्पष्टतः परिभाषित करेगी और साथ ही तत्काल आवश्यकता की पूर्ति करेगी। इसके उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :

(क) जनजातीय लोगों को अपने वातावरण में सांस्कृतिक कार्यकलाप चलाने तथा अपने परिवेश में अपनी कलाओं तथा शिल्पकलाओं के संग्रह तथा संरक्षण हेतु अवसर प्रदान करना ताकि जनजातीय कलाओं तथा शिल्पकलाओं की परम्परा की निरंतरता सुनिश्चित की जा सके।

(ख) प्रलेखन अनुसंधान एवं सर्वेक्षण का संवर्धन तथा सहायता।

(ग) संबंधित राज्य–सरकार के शैक्षिक प्राधिकारियों को परियोजनाओं का पता लगाने में सहायता करना जिससे जनजातीय क्षेत्रों में शैक्षिक प्रणाली का जनजातीय तथा ग्रामीण समुदायों की सांस्कृतिक परम्परा के साथ एकीकरण करने में सहायता मिलेगी।

(घ) विशेषकर शहरी शिक्षित लोगों में जनजातीय/ग्रामीण संस्कृति की समृद्धि के बारे में जागरूकता पैदा करना है।

(ङ) अन्य सभी तरीकों से जनजातीय कलाओं तथा शिल्पकलाओं और जनजातीय संस्कृति के अन्य रूपों के संरक्षण तथा विकास को बढ़ावा देना।

पात्रता : जनजातीय/लोक कला एवं संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन में कार्यरत स्वैच्छिक संगठन/व्यक्ति।

वित्तीय सहायता : इस स्कीम के तहत परिकल्पित अधिकतम राशि 2 लाख रु. प्रति परियोजना है। इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर अनुदान मंजूर किए जाते हैं।

पशुपालन मुर्गीपालन और मत्स्यपालन की योजनाएं

3400. श्रीमती जस कौर मीणा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, सरकार द्वारा चलाई जाने वाली पशुपालन, मुर्गीपालन और मत्स्यपालन हेतु तैयार की गई प्रत्येक योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान, इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि अलग–अलग प्रदान की गई;

(ग) क्या सरकार पशुपालन योजना को कार्यान्वित करने के लिए राजसहायता भी प्रदान करती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) पशुपालन, कुक्कुट पालन तथा मात्स्यिकी से संबंधित योजनाओं का ब्यौरा सलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) सरकार निधियों की उपलब्धता तथा राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों की व्यवहार्यता के आधार पर राज्य सरकारों को निधियां जारी करती है। विगत तीन वर्षों के दौरान योजनावार आबंटन तथा व्यय को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण–II में दिया गया है।

(ग) और (घ) पशुपालन तथा मात्स्यिकी से संबंधित विभिन्न योजनाओं के तहत राजसहायता प्रदान की जाती है। इन योजनाओं का ब्यौरा तथा राजसहायता की राशि संलग्न विवरण–III में दी गई है। तथापि, सरकार मुर्गीपालन के लिए कोई राजसहायता प्रदान नहीं करती।

विवरण–I

पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही पशुपालन, कुक्कुट तथा मात्स्यिकी से संबंधित योजनाओं का ब्यौरा

1. राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना

हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी का विस्तार, संतति परीक्षण कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय सांड उत्पादन कार्यक्रम की उक्त योजनाओं को राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना में मिलाया जा रहा है और इसमें निम्नलिखित पर बल दिया जाएगा :–

* मोबाईल कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना
* किसानों के घर द्वार पर प्रजनन आदान उपलब्ध कराना
* गोपशु और भैंस नस्लों के स्वदेशी नस्लों के सुधार के लिए कार्यक्रमों को सुदृढ़ करना

यह कार्यक्रम सुस्थापित स्वदेशी नस्लों के परिरक्षण तथा राष्ट्रीय दुधारू पशुयूथ स्थापित करने में मदद करेगा। इस 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत गोपशु तथा भैंसों की महत्वपूर्ण स्वदेशी नस्लों को सुधारने तथा गैर प्रजातीय नस्लों के उन्नयन के लिए क्रियान्वयन एजेंसियों को अनुदान सहायता दी जाती है।

2. राष्ट्रीय मृग/मेढ़ा उत्पादन कार्यक्रम

चल रहे राष्ट्रीय मृग/मेढ़ा/खरगोश प्रजनन कार्यक्रम के तहत, निम्नलिखित गतिविधियों के लिए राज्य सरकारों को 50:50 के आधार पर सहायता दी जाती है।

(1) राज्य भेड़, बकरी और खरगोश प्रजनन फार्मों की स्थापना/सुदृढ़ीकरण और

(2) ऊन बोर्डों/संघों को समर्थन देकर के बाजार हस्तक्षेप क्रियाकलाप चलाना।

3. एकीकृत सूअर विकास के लिए राज्यों को सहायता

चालू केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत अपेक्षित मूलभूत सुविधाओं के विकास उपकरणों की खरीद, प्रशिक्षण तथा विपणन सहायता और स्टॉक के आनुवंशिक क्षमता का उन्नयन करने के लिए विदेशी प्रजनन स्टॉक की खरीद के लिए राज्य सूअर प्रजनन फार्मों, कृषि विश्वविद्यालयों के फार्मों तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों को सहायता प्रदान की जाती है।

4. राज्य कुक्कुट फार्मों को सहायता

"राज्य कुक्कुट फार्मों को सहायता" नामक योजना नौवीं योजना के दौरान बनाई गई थी जिसका उद्देश्य चूजों की उन्नत प्रजातियों के बहुलीकरण तथा प्रसार के लिए प्रत्येक राज्य में एक या दो–दो मौजूदा राज्य कुक्कुट फार्मों की बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण है। इस योजना में छोटे तथा सीमांत किसानों के बीच बैकयार्ड कुक्कुट को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। आरंभ में यह योजना 100 प्रतिशत अनुदान सहायता के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र में पायलट आधार पर क्रियान्वित की गई थी। 2001-02 से यह योजना 80 : 20 आधार पर अन्य राज्यों में भी लागू की गई है।

5. चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता

चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाकलापों के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करती है:–

(1) राज्य चारा बीज फार्मों का सुदृढ़ीकरण

(2) चारा बैंकों की स्थापना

(3) भूसा तथा सेल्युलोसिक अवशिष्टों का संवर्धन

(4) बायोमास उत्पादन के लिए सिल्वीपाश्चर की स्थापना

(5) चराई भूमि तथा घास रिजर्व का विकास

(6) चारा फसलों के तहत क्षेत्र तथा उत्पादन का अनुमान

6. पशुधन रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता

पशुधन रोगों के नियंत्रण की योजना के निम्नलिखित घटक हैं:–

(1) क्षय रोग, ब्रेसोलोसिस, स्वाईन बुखार केनाईन खरगोश, पुलोरम रोग, बंध्याकरण, बांझपन, गर्भपात जैसी बीमारियों का क्रमबद्ध नियंत्रण

(2) खुरपका तथा मुंहपका रोग

(3) रोग स्थिति को मानीटर करने के लिए पशु रोग निगरानी

पशुधन रोगों का क्रमबद्ध नियंत्रण तथा पशुप्लेग निगरानी की घटक योजनाओं के तहत राष्ट्रीय महत्व के पशुधन रोगों के नियंत्रण तथा रोग स्थितियों के संबंध में सूचना के संकलन तथा प्रसार के लिए 50:50 आधार पर सहायता प्रदान की जाती है। खुरपका तथा मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत खुरपका तथा मुंहपका रोग के विरूद्ध टीकाकरण पर राजसहायता देने, उच्च उत्पादकता वाले संकर तथा कमजोर वर्ग से संबंधित विदेशी गोपशु का संरक्षण करने

के लिए 25:25:50 के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है। टीके की 50 प्रतिशत लागत लाभार्थी द्वारा वहन की जाएगी।

7. रोग मुक्त क्षेत्रों का सृजन

यह एक नई योजना है जो नौवीं योजना में बनाई गई थी और जिसका उद्देश्य पशुधन उत्पादों की क्षमतावान वृद्धि के चयनित क्षेत्रों में रोग मुक्त क्षेत्रों के सृजन के जरिए खुरपका तथा मुंहपका रोग पर नियंत्रण तथा समय रहते हुए उसका उन्मूलन करना है। यह योजना, जो पशुधन तथा पशुधन उत्पादन की निर्यात क्षमता में वृद्धि करने का प्रस्ताव करती है, निर्माण के चरण में है।

चयनित क्षेत्रों में रोग क्षेत्रों का सृजन करने के लिए टीकाकरण का एक व्यापक कार्यक्रम चलाया जाएगा। रोग मुक्त क्षेत्रों का सृजन विश्व बाजार में भारत के दुग्ध उत्पादों की मांग बढ़ाने में सहायक होगा तथा यह पशुधन उत्पादों की निर्यात क्षमता में सुधार करेगा।

यह योजना केन्द्रीय क्षेत्र योजना के रूप में तैयार की गई थी किन्तु योजना आयोग ने इसे केन्द्रीय प्रायोजित योजना बनाने पर जोर दिया है। मामले को उनके साथ सुलझाया जा रहा है।

8. केन्द्रीय गोपशु विकास संगठन

यह विभाग देश के विभिन्न भागों में 7 केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, 1 राष्ट्रीय हिमित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान तथा 4 केन्द्रीय गोयूथ पंजीकरण यूनिट चलाता है। ये संगठन कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों में इस्तेमाल के लिए राज्यों को वितरण करने के लिए तथा दुग्ध रिकार्डिंग और पंजीकरण के माध्यम से बेहतर जर्म प्लाजम का पता लगाने के लिए अच्छी नस्ल के सांड बछड़ों तथा हिमित वीर्य की खुराकों का उत्पादन कर रहे हैं।

9. केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, हिसार

यह विभाग जलवायु अनुकूल अच्छी नस्ल वाले मेढ़ों का उत्पादन करने के लिए केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म चलाता है। इन्हें वर्ण संकर कार्यक्रमों तथा आनुवांशिक स्टॉक उन्नयन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को भेजा जाता है।

10. केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन

विभाग कुक्कुट क्षेत्र में विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों की सहायता करने के लिए 4 केन्द्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्मों, एक केन्द्रीय बत्तख प्रजनन फार्म, एक केन्द्रीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान, तीन क्षेत्रीय आहार विश्लेषण प्रयोगशालाओं तथा यादृच्छिक नमूना कुक्कुट निष्पादन परीक्षण केन्द्रों को चलाता है।

11. केन्द्रीय चारा विकास संगठन

विभाग चारा फसलों, पाश्चर घासों तथा लैग्यूमों के मूल बीजों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए 7 क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र तथा एक केन्द्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म चलाता है।

12. पशु स्वास्थ्य निदेशालय

इस योजना के निम्नलिखित घटक हैं:–

(i) पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवा केन्द

यह विभाग पशुधन तथ पशुधन उत्पादों के आयात को विनियमित करके भारत में पशुधन रोगों की वृद्धि को रोकने के लिए नई दिल्ली, चेन्नई, मुम्बई तथा कलकत्ता के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर चार संगरोध केन्द्र संचालित करता है। ये केन्द्र भारत से निर्यात किए गए पशुधन तथा पशुधन उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के निर्यात प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराते हैं।

(ii) राष्ट्रीय पशुचिकित्सा जैविकीय उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण केन्द्र

भारत में पशुचिकित्सा उत्पादन इकाईयों जो उत्पादित टीकों तथा जैविकों की गुणवत्ता की निगरानी तथा पशुचिकित्सा ड्रग्स की बिक्री तथा वितरण, निर्माण को विनियमित करने के लिए एक राष्ट्रीय पशुचिकित्सा जैवकीय उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण केन्द्र स्थापित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। चूंकि केन्द्र की स्थापना में व्यापक निवेश की आवश्यकता होती है अतः विभाग लुधियाना में पंजाब कृषि विश्वविद्यालयों की मौजूदा सुविधाओं के उपयोग की संभावना तलाश रहा है। राज्य सरकार ने सिद्धांत रूप में प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी है।

(iii) रोग नैदानिक रैफरल प्रयोगशाला

विभाग एक केन्द्रीय रोग नैदानिक रैफरल प्रयोगशाला तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसी चार क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए प्रयत्न कर रहा है जो विभिन्न पशुधन रोगों के निदान के लिए एक रैफरल प्रयोगशाला के रूप में कार्य कर सके। आई वी आर आई इज्जतनगर की केन्द्रीय प्रयोगशाला के रूप में पहचान की गई है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी–पश्चिमी तथा पूर्वी क्षेत्रों के लिए भी 3 प्रयोगशालाओं को अभिज्ञात किया गया है। पूर्वी क्षेत्र के लिए लुधियाना की प्रयोगशाला पर विचार किया जा राहा है।

13. पशुपालन विस्तार कार्यक्रम

योजना के तहत आधुनिकतम पशुपालन व्यवसायों तथा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने और इसमें प्रसार करने तथा पशु क्षेत्र की क्षमताओं के बारे में किसानों तथा प्रजनकों में जागृत्ति पैदा करने के लिए राज्य सरकारों, कृषि तथा पशुचिकित्सा विश्वविद्यालयों एवं पशु चिकित्सा महाविद्यालयों को सहायता प्रदान की जाती है।

14. पशु प्रणाली संबंधी परियोजना

योजना के तहत पशुपालन की विभिन्न प्रणालियों तथा गतिविधियों में प्रतिष्ठित निजी अनुसंधान संस्थानों के जरिए अनुसंधान अध्ययन किए जा रहे हैं।

15. गोपशु बीमा

गोपशु बीमा एक नई योजना है जिस पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों से संबंधित गैर योजना गोपशु तथा भैंसों के बीमा प्रीमियम दरों में सब्सिडी देने के लिए नौवीं योजना में विचार किया गया है। 1999-2000 के दौरान 8 जिलों में पायलट योजना शुरू की गई है।

योजना के तहत, गोपशु तथा भैंस का बीमा 4 प्रतिशत प्रीमियम दर पर किया जाएगा जिसमें से 1.75 प्रतिशत का शेयर सबसिडी के रूप में भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए 1999-2000 के दौरान 5.00 करोड़ रुपए की एक कार्पस निधि सृजित की गई है। प्रीमियम दरों में सबसिडी देने के लिए कापस निधि पर लगाए गए ब्याज का उपयोग जी आई सी द्वारा किया जाएगा।

16. भारवाही पशुओं का परिरक्षण और विकास

इस योजना के अंतर्गत भारवाही पशुओं के परिरक्षण और विकास में राज्य सरकार के प्रयासों की प्रतिपूर्ति की जाती है।

17. व्यावसायिक दक्षता विकास

यह योजना आई वी सी अधिनियम, 84 के क्रियान्वयन के जरिए पशुचिकित्सा शिक्षा तथा क्रियाकलापों को विनियमित करने का प्रयास करती है। यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर तथा तमिल नाडु को छोड़कर सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में लागू किया गया है। इस योजना के तहत राज्य पशुचिकित्सा परिषदों के सुदृढ़ीकरण/स्थापना के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

18. राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना

ओ आई ई ने मार्च, 1998 से भारत की पशुप्लेग से अनन्तिम मुक्ति की घोषणा को अधिसूचित किया था। यह परियोजना मार्च, 2000 तक "रोग से मुक्ति" तथा "संक्रमण से मुक्ति" को हासिल करने का प्रयास करेगी। पशुप्लेग के उभार पर नियंत्रण के लिए आकस्मिक योजनाएं भी बनाई गई हैं।

19. वधशालाओं तथा पशु शव उपयोग केन्द्रों के सुधार/आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को सहायता

इस योजना के तहत मौजूदा वधशालाओं के सुधार/उन्नयन करने तथा पशु शव उपयोग केन्द्रों की स्थापना करने के लिए राज्य सरकारों को अनुदान के रूप में सहायता दी जाती है।

20. पशुपालन प्रभाग का सुदृढ़ीकरण

इस योजना का उद्देश्य पशुपालन एवं डेयरी विभाग की सूचना नेटवर्किंग आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करना है।

21. पशु उत्पादों के उत्पादन के आकलन के लिए एकीकृत नमूना सर्वेक्षण

योजना के तहत प्रमुख पशुधन उत्पादों अर्थात् दूध, अंडा, मीट तथा ऊन के उत्पादन के आकलन के लिए राज्य सरकारों के जरिए नमूना सर्वेक्षण किया जा रहा है। आंकड़े एकत्रीकरण में कार्यरत स्टाफ का वेतन केन्द्र तथा राज्य सरकार के बीच 50:50 के आधार पर वहन किया जाता है।

22. भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण का मुख्यालय मुम्बई में है तथा इसके पोरबंदर, मुम्बई, मोरमुगांव, कोची, चेन्नई, विशाखापत्तनम तथा पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार में 7 संवालनात्मक ठिकाने हैं। यह संस्थान अपने 12 महासागरीय जलयानों के साथ समुद्री मात्स्यिकी संसाधनों के आकलन के लिए सर्वेक्षण करता है, स्टाक आकलन अध्ययन करता है और समुद्री दूरवर्ती संवेदनों के लिए आंकड़े एकत्र करने के लिए प्रायोगिक परियोजनाओं को क्रियान्वित करता है।

23. ड्रेजर का रख-रखाव

इस योजना के अंतर्गत मात्स्यिकी बंदरगाहों पर ड्रेजिंग सेवाएं देने के लिए ड्राई डॉकिंग तथा जापानी अनुदान सहायता से चालू किए गए टी एस डी सिंधु राज ड्रेजर के बीमा प्रीमियम के भुगतान पर खर्चों की पूर्ति करने के प्रावधान है।

24. बड़े और छोटे पत्तनों पर मात्स्यिकी बंदरगाह

बड़े और छोटे पत्तनों पर मात्स्यिकी बंदरगाह योजना के अंतर्गत, मात्स्यिकी बंदरगाहों पर बुनियादी सुविधाओं के विकास तथा छोटे पत्तनों पर मात्स्यिकी यानों के लिए "लैंडिंग एंड बर्थिंग" सुविधाओं के लिए पोर्ट ट्रस्टों और राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में बंदरगाहों की संचालनात्मक कार्यकुशलता सुधारने तथा मछली उत्पादन बढ़ाने की व्यवस्था है।

25. ताजा जल जलकृषि का विकास

ताजा जल जलकृषि संबंधी चालू योजना का उद्देश्य मत्स्य पालन को लोकप्रिय बनाना तथा अंतर्देशीय मत्स्य संसाधनों अर्थात् तालाबों, टैंकों और फ्लड प्लेन झीलों के प्रति हैक्टेयर उत्पादन को ईष्टतम करना है। इस योजना को वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान ईकाई लागत को लगभग दुगुना करके तथा नए घटकों को शामिल करके पूरी तरह संशोधित किया गया है। मत्स्य किसान अब विगत वर्ष तक उपलब्ध 20 हजार रूपए के बदले 40 हजार रुपए की अधिकतम राजसहायता प्राप्त करने के हकदार होंगे। तालाब के पुनरूद्धार/नवीनीकरण के लिए राजसहायता की उच्चतम सीमा 8000 रुपए से बढ़ाकर 12000 रुपए कर दी गई है। प्रथम वर्ष आदानों के लिए अधिकतम राजसहायता 4000 रुपए से संशोधित करके 6000 रुपए कर दी गई है। सजावटी मछलियों के लिए हैचरियों सहित ताजा जल प्रॉन हैचरियों, मछली स्वास्थ्य नैदानिक प्रयोगशालाओं तथा एकीकृत इकाईयों की स्थापना के लिए नई घटकों को भी शामिल किया गया है। संशोधित योजना की अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं:– (i) अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित मत्स्य किसानों को अनुसूचित जनजाति से संबंधित किसानों के बराबर विशिष्ट उच्च दर की राजसहायता उपलब्ध कराना तथा (ii) राजसहायताओं की केन्द्रीय हिस्सेदारी को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करना।

26. तटवर्ती समुद्री मात्स्यिकी का विकास

तटवर्ती समुद्री मात्स्यिकी का विकास संबंधी योजना का लक्ष्य लघु क्षेत्र के माध्यम से तटवर्ती जल से मत्स्य उत्पादन बढ़ाना है। इस योजना में निम्नलिखित 2 घटक हैं:–

(1) पारम्परिक यानों का मोटरीकरण

(2) यांत्रिकृत मात्स्यिकी यानों को सप्लाई किए जाने वाले हाई स्पीड डीजल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति

इन घटकों के अंतर्गत, पारंपरिक यानों के यांत्रिकरण के लिए क्राफ्ट, इंजन तथा गियर की खरीद के लिए और गश्ती नौकाओं की अधिप्राप्ति के लिए मछुआरों को सहायता प्रदान की जाती है।

27. राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण

चालू राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के अंतर्गत मछुआरों के कल्याण के लिए निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की जाती है:–

(1) आदर्श मछुआरा गांवों का विकास

(2) सक्रिय मछुआरों के लिए बीमा कवर उपलब्ध कराना

(3) कमी के मौसम में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना

यह योजना 2000-2001 के दौरान संशोधित की गई है तथा भवनों के निर्माण के लिए राजसहायता पर अधिकतम सीमा 35000 रूपए से बढ़ाकर 40000 रुपए कर दी गई है। मृत्यु/स्थायी विकलांगता के मामले में राशि को 35000 रुपये से बढ़ाकर 50000 रुपये तथा आंशिक विकलांगता के मामले में 17000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये करके बीमा घटक में वृद्धि की गई है। बचत सह राहत घटक के मासिक प्रतिपूर्ति में मामूली वृद्धि करने के अतिरिक्त इसमें पहली बार अंतर्देशीय मछुआरों को लाभ पहुंचाने के लिए विस्तारित किया गया है।

28. केन्द्रीय मात्स्यिकी नौचालन एवं इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान, कोची

यह संस्थान मात्स्यिकी जलयान चालकों और टैक्निशियनों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसके मद्रास और विशाखापत्तनम में दो यूनिटें हैं जिनमें 18 महीने की अवधि के मेट मात्स्यिकी जलयान पाठ्यक्रम और इंजन ड्राइव मात्स्यिकी जलयान पाठ्यक्रम के दो प्रमुख पाठ्यक्रमों के लिए कुल 200 प्रशिक्षणार्थियों की क्षमता है।

29. केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान बंगलौर

यह संस्थान मात्स्यिकी बंदरगाहों और खारा जल फार्मों का पता लगाने, स्थलों का चयन करने के लिए तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन करता है और विश्व बैंक झींगा मत्स्यन पालन परियोजना के संबंध में सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करता है।

30. समेकित मात्स्यिकी परियोजना, कोची

कोची में स्थित मुख्यालय तथा विशाखापत्तनम में इसके आधार के साथ इस परियोजना में अपारंपरिक फिन तथा शैल मछली किस्मों के प्रसंस्करण, उन्हें लोकप्रिय बनाने तथा उनका परीक्षण करने की व्यवस्था है। यह मछली पकड़ने के बाद की गतिविधि में विभिन्न अल्पावधि पाठ्यक्रमों में संस्थागत प्रशिक्षण भी देता है।

31. मात्स्यिकी प्रशिक्षण और विस्तार

इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित और सुदृढ़ करने तथा अनुसंधान संस्थानों/संगठनों तथा राज्यों के मात्स्यिकी विभागों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों पर वीडियो फिल्म बनाने के लिए सहायता दी जाती है।

32. एकीकृत तटवर्ती जलकृषि

योजना का क्रियान्वयन, झींगा पालन के लिए देश के विशाल खारा जल संसाधनों का दोहन करने के लिए किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत झींगा फार्मों तथा झींगा फार्म हैचरियों की स्थापना के लिए छोटे स्तर के झींगा पाकों को सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, झींगा पालकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रदर्शन एककों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के उद्देश्य से राज्य सरकारों की सहायता दी जाती है। योजना के क्रियान्वयन के लिए तटवर्ती राज्यों में 39 खारा जल विकास एजेंसियों की स्थापना की गई है।

33. तटरक्षकों को सहायता

योजना के अंतर्गत विदेशी यानों द्वारा मत्स्यन को मानीटर करने के लिए संचार प्रणाली को सुदृढ़ करने तथा भारतीय यानों, समुद्र में मत्स्यन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

34. अंतर्देशीय मात्स्यिकी सांख्यिकी का विकास

योजना के अंतर्गत अंतर्देशीय मात्स्यिकी सांख्यिकी के उन्नयन के लिए मानकीकृत प्रणाली विकसित करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों को 100 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाता है।

35 से 38 मात्स्यिकी में नई पायलट योजनाएं

मत्स्य उत्पादन बढ़ाने तथा जलकृषि संवर्धन के लिए, 2001-2002 के दौरान 100 प्रतिशत की केन्द्रीय सहायता के साथ जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा राज्यों में चार नई पायलट योजनाओं को हाथ में लिया गया है। यह पायलट योजनाएं हैं:– अंतर्देशीय कैप्चर मात्स्यिकी संसाधनों का समेकित विकास, पहाड़ी क्षेत्रों में मात्स्यिकी तथा जल कृषि का विकास, जलभराव क्षेत्रों का जलकृषि सम्पदा में विकास तथा जलकृषि के लिए अंतर्देशीय लवणीय भूमि का उपयोग।

विवरण–II

नौवीं योजना के दौरान विगत तीन वर्षों के दौरान पशुपालन, कुक्कुट तथा मात्स्यिकी योजनाओं पर आबंटन एवं व्यय

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	1999–2000		2000–2001		2001–02	
		बजट प्राक्कलन	व्यय	बजट प्राक्कलन	व्यय	बजट प्राक्कलन	व्यय*
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**पशुपालन क्षेत्र कार्य योजना स्कीमें**						
1.	गो पशु प्रजनन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना	47.00	33.06	44.00	24.93	46.00	41.87
	हिमित वीर्य प्रौद्यो. व संतति परीक्षण कार्य. का विस्तार	35.00	25.96	32.00			
	राष्ट्रीय सांड उत्पादन कार्यक्रम	12.00	7.10	12.00			
2.	राष्ट्रीय मृग/मेढ़ा उत्पादन कार्यक्रम	3.00	0.50	2.50	1.50	1.25	2.87
3.	समेकित सुअर विकास के लिए राज्यों को सहायता	6.00	2.50	3.00	2.07	2.00	2.65
4.	राज्य कुक्कुट/बत्तख फार्मों को सहायता	8.00	4.50	3.00	1.35	2.70	5.05
5.	आहार एवं चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता	6.50	4.40	4.00	3.00	3.00	1.58

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता	17.00	7.79	13.00	7.21	12.00	12.00
7.	रोगमुक्त क्षेत्रों का सृजन	1.00	0.00	0.01	0.00	27.00	0.00
8.	केन्द्रीय गोपशु विकास संगठन	9.00	7.99	9.00	7.89	8.85	7.82
	केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म	6.35	5.58	6.35	5.61	6.35	5.51
	केन्द्रीय हिमित वीर्य उत्पादन संस्थान	1.15	1.03	1.15	0.73	1.00	0.82
	केन्द्रीय पशुयूथ पंजीकरण	1.50	1.38	1.50	1.55	1.50	1.49
9.	केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म	8.22	6.34	3.50	1.37	1.50	1.32
10.	केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन	6.50	4.49	6.00	4.49	5.71	4.98
11.	केन्द्रीय चारा विकास संगठन	4.50	4.02	4.83	4.59	4.53	5.39
12.	पशु स्वास्थ्य निदेशालय	6.00	1.47	4.75	3.70	10.00	4.79
13.	व्यावसायिक दक्षता विकास	4.00	2.41	3.00	2.23	6.00	6.66
14.	राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना	10.00	4.92	15.00	12.31	13.00	10.21
15.	बूचड़खानों/सीयूसी का सुधार	15.00	1.50	2.50	2.20	6.00	3.63
16.	समेकित पशुओं का विकास	4.00	3.35	4.00	3.59	4.40	3.42
17.	भारवाही पशुओं का विकास	0.80	0.28	0.40	0.30	0.30	0.21
18.	पशुपालन विस्तार कार्यक्रम	2.50	2.44	2.00	2.11	2.00	1.05
19.	पशुपालन प्रभाग का सुदृढ़ीकरण	0.16	0.06	0.16	0.02	0.00	0.00
20.	पशुपालन प्रणाली संबंधी परियोजना	0.75	0.24	0.25	0.24	0.25	0.11
21.	गोपशु बीमा	0.05	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	पूरी हो चुकी/गैर अनुमोदित परियोजनाएं	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल (पशुपालन क्षेत्र)	160.08	97.26	124.90	85.10	156.49	115.61
II.	**मात्स्यिकी क्षेत्र**						
	कार्य योजना स्कीमें						
22.	मत्स्यन बंदरगाहों की स्थापना	25.00	9.84	21.00	11.24	14.00	11.54
23.	ताजा जल जलकृषि का विकास	21.00	8.68	20.00	11.95	14.00	11.67
24.	समुद्री मात्स्यिकी का विकास	16.00	9.81	11.00	11.55	11.00	8.30
25.	राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण	20.00	20.55	23.70	22.08	22.00	20.38

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण	38.00	17.57	22.03	16.31	30.20	16.50
27.	केन्द्रीय मत्स्य नौचालन संस्थान	3.50	1.94	3.42	3.29	1.68	1.11
28.	केन्द्रीय तटवर्ती इंजीनियरी मात्स्यिकी संस्थान	0.70	0.34	1.15	0.52	1.18	0.59
29.	एकीकृत मात्स्यिकी परियोजना	7.00	1.80	5.00	1.93	2.70	1.36
30.	प्रशिक्षण एवं विस्तार	0.75	1.09	1.30	1.28	1.32	1.40
31.	अंतर्देशीय मात्स्यिकी सांख्यिकी	1.00	1.00	1.00	1.00	1.10	1.12
32.	अंतर्देशीय कैप्चर मात्स्यिकी	0.50	0.00	0.50	0.00	1.00	1.87
33.	पर्वतीय क्षेत्र में मात्स्यिकी का विकास	0.60	0.00	0.50	0.00	1.00	4.00
34.	तटरक्षकों की सहायता	0.50	0.50	0.50	0.55	0.10	0.10
35.	अंतर्देशीय मात्स्यिकी विपणन	1.50	1.27	1.00	0.00	0.04	0.04
36.	एकीकृत तटवर्ती जलकृषि	4.00	2.53	1.50	1.50	2.00	2.10
37.	ड्रेजिंग उपकरण का अधिग्रहण/रखरखाव	0.02	11.64	3.00	1.20	0.40	0.39
38.	झींगा पालन पर विश्व बैंक परियोजना	5.85	3.41	4.10	1.99	0.14	0.09
39.	अंतर्देशीय लवणीय भूमि का उपयोग						0.76
40.	जल भराव क्षेत्रों का जलकृषि में विकास						0.97
	कुल (मात्स्यिकी क्षेत्र)	145.92	91.97	120.70	86.39	103.86	83.29

*अनन्तिम आंकड़े

विवरण-III

पशुपालन, कुक्कुट एवं मात्स्यिकी गतिविधियों के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदान की गई राजसहायता का ब्यौरा

1. पशुरोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता

इस योजना के खुरपका और मुंहपका रोग घटक के तहत टीके की लागत के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 25 प्रतिशत तथा राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत की दर से राजसहायता प्रदान की जाती है।

2. गोपशु बीमा

इस योजना के तहत गोपशु की बीमा प्रीमियम पर बीमा राशि की लगभग 44 प्रतिशत की दर से राजसहायता प्रदान की जाती है।

3. तटवर्ती समुद्री मात्स्यिकी का विकास

निम्नलिखित घटकों पर राजसहायता प्रदान की जाती है:–

(क) पारंपरिक मत्स्यन नौकाओं के मोटरीकरण के लिए आई बी एम के लिए 12000/- रुपए की दर से तथा ओ बी एम के लिए 10000/- रुपए की दर से राजसहायता दी जाती है।

(ख) 351.75/- रुपए प्रति किलोलीटर की दर से एच एस डी तेल पर उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति।

(ग) 6000/- रुपए की दर से गीयर बाक्स की खरीद।

4. ताजा जल जलकृषि का विकास

निम्नलिखित घटकों पर राजसहायता प्रदान की जाती है:

(क) तालाबों के नवीनीकरण/पुनर्निर्माण हेतु सामान्य श्रेणी के लिए 12000/- रुपए प्रति हैक्टेयर की अधिकतम

सीमा के साथ लागत की 20 प्रतिशत की दर से तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 15000/ रुपए की अधिकतम सीमा के साथ लागत की 25 प्रतिशत की दर से।

(ख) मछली आहार, मछली बीज, उर्वरक, खाद आदि के लिए सामान्य श्रेणी के लिए 6000/- रुपए प्रति हैक्टेयर तक लागत की 20 प्रतिशत की दर से तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 7500/- रुपए प्रति हैक्टेयर तक लागत की 25 प्रतिशत की दर से।

(ग) अपनी भूमि में नए तालाबों तथा टैंकों के निर्माण के लिए सामान्य श्रेणी के लिए 0.40/- लाख रुपए प्रति हैक्टेयर तक लागत की 20 प्रतिशत की दर से तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 0.50/- लाख रुपए प्रति हैक्टेयर तक लागत की 25 प्रतिशत की दर से। पहाड़ी राज्यों/जिलों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सभी किसानों के लिए 0.60/- लाख रुपए प्रति हैक्टेयर तक लागत की 20 प्रतिशत की दर से तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 0.75/- लाख रुपए तक लागत की 25 प्रतिशत की दर से

(घ) पहाड़ी क्षेत्रों में बहते जल में मछली पालन के लिए सामान्य श्रेणी के लिए 4000/- रुपए तक लागत की 20 प्रतिशत की दर से तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 5000/- रुपए तक लागत की 25 प्रतिशत की दर से

(ङ) सूअर पालन, कुक्कुट पालन, बत्तख पालन आदि के साथ एकीकृत मछली पालन के लिए सामान्य श्रेणी के लिए 16000/- रुपए प्रति हैक्टेयर तक लागत की 20 प्रतिशत की दर से तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 20000/- रुपए प्रति हैक्टेयर तक लागत की 25 प्रतिशत की दर से।

(च) 12500/- रुपए प्रति सैट तक लागत की 25 प्रतिशत की दर से एयरेटरों का प्रावधान।

(छ) केवल उद्यमियों के लिए छोटी ताजा जल प्रॉन बीज हैचरियों की स्थापना के लिए 1.60/- लाख रुपए की अधिकतम सीमा तक लागत की 20 प्रतिशत की दर से

(ज) मछली आहार यूनिटों की स्थापना के लिए 5.00/- लाख रुपए तक लागत की 20 प्रतिशत की दर से।

5. समेकित तटवर्ती जलकृषि

निम्नलिखित घटकों के लिए राजसहायता प्रदान की जाती है:–

(क) खारा जल मछली फार्म का विकास/नवीनीकरण तथा प्रथम फसल आदान के लिए 30,000/- रुपए प्रति हैक्टेयर तक पूंजी लागत की 25 प्रतिशत की दर से

(ख) प्रॉन/झींगा बीज हैचरी की स्थापना के लिए 1.00 लाख रुपए प्रति हैचरी तक लागत की 10 प्रतिशत की दर से

6. मछुआरा कल्याण

निम्नलिखित घटकों के लिए राजसहायता प्रदान की जाती है:

(क) घरों के निर्माण के लिए 40,000/- रुपए प्रति ड्वैलिंग यूनिट की दर से।

(ख) बचत सह राहत के लिए तटवर्ती मछुआरों के लिए 600/- रुपए प्रति वर्ष की दर से तथा अंतर्देशीय मछुआरों के लिए 450/- रुपए प्रतिवर्ष की दर से।

(ग) दुर्घटना बीमा–बीमा प्रीमियम पर राजसहायता दी जाती है।

निजी एयरलाइनों पर बकाया राशि

3401. श्री रामटहल चौधरी :

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी एयरलाइनों पर सरकार की भारी राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो इन एयरलाइनों के नामों के साथ–साथ प्रत्येक पर बकाया राशि कितनी है; और

(ग) इन एयरलाइनों से बकाया राशि की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) और (ख) अनेक सरकारी संगठनों समेत अंतर्देशीय प्राइवेट एयरलाइंस तथा विदेशी एयरलाईंस पर बकाया देय, उपलब्ध सूचना के अनुसार, क्रमशः विवरण । और ॥ में दिया गया है।

(ग) इन एयरलाइंस से बकाया धनराशि वसूलने के लिए सुरक्षित जमा राशि के बाबत समायोजन, सुरक्षित जमा राशि को बढ़ाना तथा कानूनी कार्रवाई संबंधित संगठन द्वारा जो भी उचित समझा जाए, जैसे कदम उठाए जा रहे हैं।

विवरण-I

विभिन्न सरकारी संगठनों के साथ प्राइवेट एयरलाइनों की बाबत बकाया देय राशि संबंधी ब्यौरे।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

(31.01.2002 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	एयरलाइंस का नाम	बकाया देय (लाख रुपए में)
1	2	3
1.	जेट एयरवेज	2274.02
2.	सहारा एयरलाइंस	347.88
3.	ब्ल्यू डार्ट ऐविएशन	32.00
4.	ईस्टर्न एयरवेज	0.28
5.	एरियल सर्विसिज	0.04
6.	सराया ऐविएशन	0.24
7.	ईस्ट इंडिया होटल	0.05
8.	मेस्को होटल	42.55
9.	यूपी एयरवेज	32.91
10.	इंडिया इंटरनेशनल एयरवेज	1.60
11.	यूनाइटेड इंडिया एयरवेज	0.59
12.	स्पेन ऐविऐशन	0.35
13.	एसीई एयरलाइंस	2.19
14.	केसीवी एयरलाइंस	0.71
15.	बंगाल एयरवेज	30.07
16.	राज एविएशन	0.56
17.	स्काईलाइन एनईपीसी एयरलाइंस	73.50
18.	ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस	1363.07
19.	कांटिनेंटल एविएशन	12.80
20.	सिटी लिंक एयरलाइंस	1.54
21.	ट्रांस भार ऐविएशन	1.39
22.	एलबी एयरलाइंस	65.26
23.	जैगसन एयरलाइंस	20.38
24.	वीआईएफ एयरवेज	13.40
25.	एनईपीसी एयरलाइंस	209.75
26.	अर्चना एयरवेज	40.56

एयर इंडिया

जेट एयरवेज 11.30 करोड़ रुपए

तेल कंपनियां

क्र.सं.	एयरलाइंस का नाम	आईओसी (रु. करोड़)	बीपीसीएल (रु. लाख)	एचपीसीएल (रु. लाख)
1.	ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस	2.62	–	–
2.	मोदी लुफ्थ	3.25	89.00	36.98
3.	राज एयर	0.33	4.58	–
4.	सिटी लाइन	0.37	–	–
5.	स्काईलाइन एनईपीसी/एनईपीसी	18.43	–	–
6.	वीआईएफ एयरवेज	0.05	0.73	–
7.	कांटिनेंटल एयरलाइंस	–	12.89	–
8.	सिटीलिंक	–	14.14	–

राजस्व विभाग

(31.03.2002 की स्थिति के अनुसार)

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	पार्टी का नाम मैसर्स	आईएटीटी देय	ब्याज (31.03.02 तक)	जुर्माना
1	2	3	4	5
1.	राज ऐविएशन (पी) लिमिटेड	46.64	84.04	15.12
2.	सिटी लिंक एयरवेज	60.15	96.42	18.47

1	2	3	4	5
3.	एयर एशियाटिक लिमिटेड	57.58	125.82	18.20
4.	कांटिनेटल ऐविएशन प्रा. लि.	74.86	146.10	–
5.	स्काईलाइन एनईपीसी एयरलाइन	406.60	518.93	952.34
6.	एनईपीसी एयरलाइन	181.64	210.59	240.14
7.	यूपी एयरवेज	67.56	66.46	54.38
8.	वीआईएफ एयरवेज लिमिटेड	20.75	26.63	15.00
9.	ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस	253.23	587.62	25.72
10.	गुजरात एयरवेज	56.57	126.26	–
11.	मोदीलुफ्थ लिमिटेड	865.36	1085.00	1757.65
12.	साम एविएशन	3.11	1.59	–

विवरण-II

अनेक सरकारी संगठनों समेत विदेशी एयरलाइंस पर बकाया देयों का विवरण

एअर इंडिया

30.9.2001 को विविध देनदार (खाता 492001)

क्र.सं.	कोड	नाम	धनराशि (आईएनआर)
1	2	3	4
1	11	साऊथ पेसिफिक आईलेंड्स	48926.00
2	35	प्रेसिडैंसियल एयरवेज	1351.00
3	46	एलएवी	28268.00
4	59	एलबेन्यिन एयरलाइन्स	19192.00
5	70	सिरिया अरब एयरलाइन्स	49284947.00
6	89	सोमाली एयरलाइन्स	5220191.00
7	123	एयरनोरु	352686.00
8	148	लीबियन अरब एयरलाइन्स	36826610.00
9	164	बीआईएएसए	136213.00
10	167	एयर मालावी लिमिटेड	274.00
11	170	सियरा लियोन एयरलाइन्स	10070420.00
12	174	एयर मौरिटेनी	66969.00
13	183	एयर ओस्ट्रावा	38892.00
14	260	गुआना एयरवेज कॉरपोरेशन	27980.00
15	207	एअर जायरे	1149748.00
16	208	वैलब्यू	1807911.00
17	226	एयर बुर्कीना	16971.00
18	247	जिम्बावे एक्सप्रैस ए/एल	18404.00
19	252	सनफलावर एयरलाइन्स	36831.00
20	253	एयर एटनोवी	136662.00
21	265	फारईस्टन एयर ट्रांसपोर्ट	26206.00
22	277	एयर लिबेरिया	789437.00
23	280	ट्रेड विंडस	93902.00
24	323	एयर लिफ्ट इन्टरनेशनल	66920.00
25	343	वीएएसपी	2773.00
26	357	विजनैस एक्सप्रैस	4133.00
27	373	पैनम एक्सप्रैस	508177.00
28	403	पोलर एयर कार्गो	24020.00
29	447	तालएयर प्लाई लिमिटेड	25001.00
30	450	मेट्रो एयर नॉर्थ ईस्ट	812635.00
31	474	लिंक अमेरिका	1139545.00
32	505	समिट एयरलाइन्स	242188.00
33	521	कैनिवाल एयरलाइन्स	3791.00
34	456	यूरोप एयरो सर्विसेस	59513.00
35	557	मिडवे एयरलाइन्स	102953.00
36	570	एनपीए	45283.00
37	604	कैमरुन एयरलाइन्स	201434.00
38	611	एयर डीजीबोटी	2902078.00

1	2	3	4
39	627	एलएनओ एविएशन	357308.00
40	667	एयर यूरोप एसपीए	230040.00
41	670	ट्रांस एयरो एयरलाइन्स	13969.00
42	673	यूगाण्डा एयरलाइन्स	66949.00
43	677	एयर फीजी	636243.00
44	687	एयर कॉमोरेस	91820.00
45	691	जैश एयर	1322240.00
46	698	एबी एयरलाइन्स	80162.00
47	704	ओएफडी ऑसफ्रीशैटिंग	13231.00
48	728	ट्रांस अरबीयन एयर ट्रांसपोर्ट	331189.00
49	734	टैरोलीन एयरवेज	735375.00
50	758	किर्गीस्तान एयरलाइन्स	2343.00
51	761	दास एयर कार्गो	19507.00
52	800	कैपिटल एयर	5105172.00
53	805	जीएम फिल्टिस्टर	93081.00
54	821	सेम्पती एयर	121975.00
55	836	यूराल एयर इन्टरनेशनल	8948.00
56	866	एयर एटलांटा	88795.00
57	876	जैम्बियन एक्सप्रैस	25315.00
58	895	अल्फा एयर	44615.00
59	897	जॉइन्ट स्टॉक लीजिंग एयरलाइन्स	14894.00
60	900	एयर मालदीवस लिमिटेड	4987.00
61	904	टैट्रा एयर	612.00
62	920	आईलैण्ड नेशन एयर	8917.00
63	923	कोर्स एयर इन्टरनेशनल	20045.00
64	948	एयर यूरोप	376771.00
65	978	वीएलएम नीदरलैण्ड वीवी	179.00
66	980	एयर साओ टॉम प्रिंसिप	1305.00
67	984	मालमो एविएशन	702.00
68	991	डालो एयरलाइन्स	297.00
69		आईएटीए कैरियर्स	7848676.74

बकाया राशि, पूल्स/संयुक्त उद्यम सेवा/ वाणिज्यिक करार

देनदारों की श्रेणी		39.9.2001 को बकाया (आईएनआर)
70	अमीरात	41,063,998
71	गल्फ एयर	105,061,443
72	रॉयल जोर्डनियन	45,778,704
73	स्विस एयर	43,467,999
74	टैरम	120,533,009
75	यमनिया एयरवेज	18,181,492
76	एयरो फ्लोट	277,362,388
77	एयर मॉरिशस	4,567,759
78	एयर यूक्रेन	21,030,329
79	केएलएम एयरलाइन्स	12,526,820
80	सबिना	(1,494,712)
81	ईजिप्ट एयर	3,530,346
82	ईथोपियन एयरलाइन्स	20,265,000
83	एल अल	12,229,500
84	दीमान बांग्लादेश	33,925,500
85	सीरियन अरब	57,478,000
86	कुवैत एयरवेज	52,263,000
87	सिंगापुर एयरलाइन्स	120,400,500
88	मलेशियन एयरलाइन्स	84,028,452
89	पुष्पक	29,000

राजस्व विभाग

क्रम सं.	एयरलाइन का नाम	केन्द्र सरकार देयों की बकाया धनराशि (लाख रुपए में)
1	कुवैत एयरवेज कॉरपोरेशन	30,00,000
2	एयरोफ्लोट	33,962
3	टावर एयर	43,436
4	बैल व्यू	40,000
5	अमीरात	29,23,949
6	ओमान एयर	15,16,821
7	कोरियन एयर	14,72,733
8	ब्रिटिश एयरवेज	15,44,647
9	ईरान एयर	76,090
10	पाकिस्तान इन्टरनेशनल एयरलाइन्स	20,08,010
11	सऊदिया	72,19,522
12	ईथोपियन एयरलाइन्स	4,62,784
	कुल	2,03,41,954

पेट्रोलियम मंत्रालय

विदेशी एयरलाइनों पर बकाया देय

एचपीसीएल तजाकिस्तान एयरलाइन्स 50.98 (लाख रुपए में)

[अनुवाद]

दिल्ली में वन्यजीव सफारी और पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना

3402. डॉ. एस. वेणुगोपाल : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कोई वन्य जीव सफारी और एक पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली में कोई भी वनस्पति उद्यान नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) दिल्ली राज्य सरकार ने पहले ही असोला और भाटी क्षेत्र को वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित कर रखा है। दिल्ली में कोई नया अभ्यारण्य या वन्य जीव सफारी स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) दिल्ली में कोई वनस्पति उद्यान नहीं है।

(घ) नोएडा में वनस्पति उद्यान की स्थापना के प्रस्ताव को केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।

आन्ध्र प्रदेश में कॉफी की खेती के लिए अनुमति

3403. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में कॉफी उत्पादन के लिए अनुमति देने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) जी, हां। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत नरसिपटनम, पाडेरू और विशाखापत्तनम जिलों में 80,000 हैक्टेयर वन भूमि में कॉफी की खेती के लिए केन्द्र सरकार के अनुमोदन हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

(ग) केन्द्र सरकार ने आन्ध्र प्रदेश सरकार को सूचित किया है कि प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया जा सकता क्योंकि कॉफी की खेती जैसे वनेतर कार्य के लिए इतनी बड़ी मात्रा में वन भूमि का उपयोग वनों और उसकी जैव–विविधता के संरक्षण के हित के विरूद्ध होगा।

[हिन्दी]

अवैध खनन

3404. श्री सुन्दर लाल तिवारी :

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **कोयला और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 मार्च, 2002 को "राष्ट्रीय सहारा" में प्रकाशित समाचार के अनुसार हजारी बाग जिले में सेन्ट्रल कोलफील्ड्स

लिमिटेड (सी.सी.एल) के अर्न्तगत एक कोयला खान अवैध खनन गतिविधियों के कारण धंस गयी थी;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(घ) प्रभावित परिवारों को मुआवजे के रूप में कितनी राशि दी गयी;

(ङ) क्या बिहार झारखण्ड और देश के अन्य भागों में विभिन्न खानों में अवैध खनन जारी है;

(च) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों और 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार इस तरह के कितने मामले प्रकाश में आए; और

(छ) अवैध खनन को रोकने तथा दोषी व्यक्तियों को सजा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, नहीं। सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सी.सी.एल.) जिला प्रशासन तथा खान सुरक्षा महानिदेशालय (डी.जी.एम.एस.) के अधिकारियों के निरीक्षण दौरों के बाद, ऐसी कोई घटना नहीं पाई गई है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) परित्यक्त/बंद पड़ी/उपयोग में न लाई जा रही खानों से अथवा समीपवर्ती नए उभरे क्षेत्रों से कोयले का चोरी–छिपे खनन अथवा कोयले की चोरी के स्वरूप के अवैध खनन गतिविधियों के मामलों की सूचना मुख्यतः पश्चिम बंगाल तथा झारखण्ड राज्यों में स्थित ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ई.सी.एल.), भारत कोलिंक कोल लि. (बी.सी.सी.एल.) तथा सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. (सी.सी.एल.) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों से प्राप्त हुई है।

(च) वर्ष 1998–99 से 2001–2002 (दिसम्बर, 2001 तक) की अवधि के दौरान, अवैध खनन गतिविधियों के 857 मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर) दर्ज की गई है।

(छ) पट्टाधारी क्षेत्रों में अवैध खनन को रोकने के लिए कोयला कम्पनियों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:–

1. आसूचना संग्रहण।
2. जहाँ भी संभव हो, अवैध खनन स्थलों को गिरवा दिया जाना/भरवा दिया जाना।
3. बन्द पड़ी/उपयोग में न लाई जा रही खदानों में चारदीवारी करना/बाड़ लगाना।
4. कोयला कम्पनी के अपने सुरक्षा बलों तथा सी.आई.एस.एफ. द्वारा चौबीसों घंटे गश्त लगाना।
5. अवैध खनन के मामलों की सूचना ,जेला प्राधिकारियों को दी जाती है।
6. छापों के दौरान जब भी अवैध रूप से खनिज कोयला और अवैध खनन के औजार पकड़े जाते हैं, तो उन्हें स्थानीय पुलिस को सौंप दिया जाता है और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है।
7. अवैध खनन को रोकने में जिला प्राधिकारियों की सहायता तथा सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके साथ सम्पर्क रखा जाता है।

अवैध खनन को रोकने के लिए, सरकार ने इस मुद्दे को कोयला उत्पादक राज्यों के साथ भी उठाया है।

[अनुवाद]

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

3405. श्री नरेश पुगलिया : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक क्षेत्र में कुल कितने कोयले का उत्पादन हुआ;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक क्षेत्र को कितना लाभ/हानि हुई;

(घ) क्या सरकार का वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के कर्मचारियों के साथ एक प्रोत्साहन आधारित उत्पादन समझौता करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यू.सी.एल.) के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले प्रचालन क्षेत्र निम्नानुसार हैं:–

क्षेत्र	राज्य
चन्द्रपुर	महाराष्ट्र
बल्लारपुर	महाराष्ट्र
माजरी	महाराष्ट्र
वानी	महाराष्ट्र
वानी नार्थ	महाराष्ट्र
नागपुर	महाराष्ट्र
उमरेर	महाराष्ट्र
पाथाखेड़ा	मध्य प्रदेश
पेंच	मध्य प्रदेश
कन्हान	मध्य प्रदेश

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान का क्षेत्रवार उत्पादन नीचे दिया गया है:–

(आंकड़े लाख टन में)

क्षेत्र	1998–1999	1999–2000	2000–2001
उमरेर	28.00	29.20	30.01
नागपुर	33.02	37.19	37.86
चन्द्रपुर	46.03	51.63	53.14
बल्लारपुर	33.48	39.26	41.87
वानी	51.26	51.33	55.59
माजरी	34.64	37.04	34.93
वानी नार्थ	26.36	31.33	34.14
पेंच	20.96	18.08	19.72
कन्हान	16.65	15.29	16.31
पाथाखेड़ा	27.05	28.25	28.43
जोड़ डब्ल्यू.सी.एल.	317.45	338.60	352.00

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक क्षेत्रों मे डब्ल्यू. सी. एल. द्वारा अर्जित लाभ/उठाया गया नुकसान नीचे दिया गया है:–

(रु. करोड़ में)

क्षेत्र	1998–1999	1999–2000	2000–2001
उमरेर	107.73	124.41	108.90
नागपुर	11.81	(–)4.46	(–)74.15
चन्द्रपुर	133.18	11.23	33.36
बल्लारपुर	50.18	91.36	42.74
वानी	129.33	121.46	90.34
माजरी	53.44	91.77	24.35
वानी नार्थ	44.36	69.29	48.26
पेंच	(–)49.45	(–)70.39	(–)120.38
कन्हान	(–)39.18	(–)60.53	(–)108.19
पाथाखेड़ा	35.18	31.72	(–)17.00
जोड़ डब्ल्यू.सी.एल.	476.58	405.86	28.23

(घ) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ड़) ऊपर (घ) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(च) श्रमिकों को बेहतर कार्य निष्पादन करने के लिए प्रेरित करने के लिए डब्ल्यू.सी.एल. की कई स्थानीय प्रोत्साहन योजनाएँ हैं।

खनन पट्टे के लिए वनभूमि

3406. श्री भर्तृहरि महताब : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार से खनन पट्टे के नवीकरण के लिए वनभूमि जारी करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) वनभूमि रिलीज करने संबंधी प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम ओ ई एफ) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उपबंधों के तहत् प्राप्त किए जाते हैं और उनका निपटान किया जाता है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उड़ीसा राज्य सरकार से खनन पट्टों के नवीकरण के लिए वनभूमि

रिलीज करने हेतु 70 (सत्तर) प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

1.	अंतिम रूप से अनुमोदित	32
2.	चरण–I अनुमोदन	15
3.	निरस्त	06
4.	राज्य सरकार को लौटाए/वापस लिए गए	02
5.	सूचना प्रस्तुत न किए जाने के कारण बंद	09
6.	राज्य सरकार के पास लंबित (अनिवार्य ब्यौरा मांगा गया)	05
7.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में कार्रवाई के अधीन	01

उड्डयन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

3407. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :

श्री इकबाल अहमद सरड़गी :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 26 प्रतिशत से 49 प्रतिशत तक बढ़ाने के हाल के निर्णय के आलोक में भविष्य की विस्तार योजनाओं पर चर्चा करने के लिए एयर इण्डिया बोर्ड की हाल में बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में किन मुख्य बिन्दुओं पर चर्चा की गई;

(ग) क्या एयर इण्डिया की विकास योजना के लिए किसी ठोस कदम का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (घ) सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है जो 26 प्रतिशत से 49 प्रतिशत तक विदेशी सीधे निवेश में वृद्धि करने के संबंध में है। एअर इंडिया ने अगले पांच वर्ष के लिए एअर इंडिया के विमान–बेड़ा योजना और मौजूदा/अतिरिक्त मार्केटों में क्षमता विस्तार संबंधी मार्केट अवसरों के एक परिकलन के आधार पर वर्ष 2003–2004 से वर्ष 2007–2008 तक प्रचालनों के पैटर्न को विकसित करने, किसी प्रतियोगी उत्पाद के प्रस्ताव संबंधी आवश्यकताओं, एअर इंडिया के विमान–बेडे में उपयुक्त रेंज और साइज के विमानों को शामिल करने की आवश्यकता संबंधी परिकलन आदि के लिए एक आन्तरिक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

कीटनाशी अधिनियम में संशोधन

3408. श्री एम.वी.वी.एस.मूर्ति :

श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नकली कीटनाशक बनाने वालों को कड़ी सजा देने के लिए कीटनाशी अधिनियम में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो सम्भावित परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कीटनाशक उद्योग के प्रतिनिधियों की सरकार के साथ कोई बैठक हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो उनके द्वारा क्या सुझाव दिए गए और उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (घ) कीटनाशी अधिनियम, 1968 को संशोधित करने का प्रस्ताव है ताकि नकली कीटनाशक के विनिर्माताओं पर दण्ड को बढ़ाये जाने समेत अधिनियम के कुछ प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। राज्य सरकारों तथा कीटनाशी उद्योगों से भी परामर्श किया गया है। सम्भावित महत्वपूर्ण परिवर्तनों और राज्यों/कीटनाशी संघों से प्राप्त सुझावों को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

(1) फिलहाल केवल एक श्रेणी अर्थात "खराब ब्राण्ड वाले" कीटनाशी हैं जो कीटनाशकों की गुणवत्ता से संबंधित अपराध के अंतर्गत आते हैं, भले ही वह छोटी या गम्भीर प्रकृति का हो। अब तीन श्रेणियां अर्थात "खराब ब्राण्ड वाले" घटिया और "नकली" बनाए जाने का प्रस्ताव है और तदनुसार इनमें श्रेणी के अनुसार दण्ड का प्रावधान है। कीटनाशी संघों ने अपराधों के निपटान के प्रावधान का सुझाव दिया है।

(2) धारा 9(3) को इस तरह संशोधित किया जाए कि वह प्रथम पंजीकृत व्यक्ति को तीन वर्ष का संरक्षण दे सके। इसके साथ ही धारा 9, जो पंजीकरण से संबधित है, में पंजीकरण के निलंबन या निरस्तीकरण का कोई प्रावधान नहीं है, जिसका अब प्रस्ताव किया गया है। कुछ संघों ने इस संशोधन का विरोध किया है।

(3) धारा 3, जो किसी कीटनाशक के निर्माण, बिक्री, स्टॉक, बिक्री हेतु प्रदर्शन अथवा प्रदर्शन हेतु लाइसेंस देने से संबंधित है, में इस तरह से संशोधन करने का प्रस्ताव है जो ऐसे लाइसेंसों को देने के लिए अर्हता प्रदान कर सके। साथ ही उप–धारा 6 किसी स्वदेशी कीटनाशक को बेचने, उनका स्टाक रखने के लिए खुदरा विक्रेताओं हेतु लाइसेंस की आवश्यकता को हटाने के लिए शामिल करने का प्रस्ताव है। स्वदेशी कीटनाशकों के लिए वितरकों, डिपो धारकों और स्टाकिस्टों हेतु एकल श्रेणी का लाइसेंस प्रस्तावित है।

(4) धारा 21 को इस तरह से संशोधित करने का प्रस्ताव है कि वह किसी नमूने को घटिया/नकली पाये जाने पर कीटनाशक निरीक्षकों द्वारा सात दिनों तक बिक्री रोकने का प्रावधान करे। यह बिक्री सात दिनों से अधिक तक केवल उस अधिकारी द्वारा रोका जा सकता है जो संयुक्त निदेशक (कृषि) के स्तर से नीचे का अधिकारी न हो।

फलों और सब्जियों के विपणन हेतु ग्रामीण कॉपरेटिव

3409. श्री चिंतामन वनगा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नेफेड" की सहायता से फलों और सब्जियों के विपणन हेतु ग्रामीण कॉपरेटिव स्थापित करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक हो जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में जल संसाधन

3410. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :

श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में जल संसाधनों को बढ़ाने और इसके दोहन हेतु सहायता देने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात सरकार को आबंटित/जारी राशि का वर्ष–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) से (ग) गुजरात में भूजल संसाधनों और उनके उपयोग में वृद्धि करने के लिए नौ केन्द्र प्रायोजित स्कीमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। ये स्कीमें हैं:

केन्द्र प्रायोजित स्कीमों को कार्यान्वित करने वाला मंत्रालय		प्रचालनाधीन स्कीम
1		2
1. जल संसाधन मंत्रालय	(i)	कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम।
	(ii)	लघु सिंचाई आंकड़ों का युक्तिकरण।
2. कृषि मंत्रालय	(iii)	वर्षा पोषित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल विभाजक विकास परियोजना (एन डब्ल्यू डी पी आर ए) (इस स्कीम को वर्ष 2000-2001 से "कृषि के वृहद प्रबन्धन संबंधी स्कीम–कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्य के प्रयासों का सम्पूर्ण/अनुपूरण" के साथ शामिल किया गया है)
3. ग्रामीण विकास मंत्रालय	(i)	गुजरात के कच्छ जिले में सूखा रोधन के लिए स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस जी एस वाई) के तहत विशेष परियोजना

1	2
	(ii) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी पी ए पी)
	(iii) मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी डी पी)
	(iv) एकीकृत जल विभाजक विकास कार्यक्रम (आई डब्ल्यू डी पी)
	(V) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम
	(vi) प्रधानमंत्री की ग्रामोदय योजना

राज्यों को केन्द्र सहायता अनुमोदित वित्तीय प्रणाली, राज्य क्षेत्र के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए गए बजट प्रावधान, अनुमोदित मानकों और संबंधित स्कीमों के तहत निष्पादन के आधार पर मुहैया कराई जाती है। पिछले तीन वर्षों (1999-2000 से 2001–02) के दौरान जारी की गई निधियों की स्थिति तथा विभिन्न स्कीमों के तहत प्राप्त उपलब्धियां संलग्न विवरण I और II में दी गई हैं।

विवरण I

क्र.सं.	स्कीम का नाम	गुजरात सरकार को जारी की गई राशियां (रुपये लाख में)		
		1999–2000	2000–01	2001–02
	जल संसाधन मंत्रालय			
1	कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम	650.00	18.67	0.00
2	लघु सिंचाई आंकड़ों की युक्तिकरण स्कीम (आर एम आई एस)	19.78	15.38	5.68
	कृषि मंत्रालय			
1	वर्षा पोषित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल विभाजक विकास परियोजना (एन डब्ल्यू डी पी आर ए)	2000.00	1000.00	2090.00*
	ग्रामीण विकास मंत्रालय			
1	गुजरात के कच्छ जिले में सूखा–रोधन के लिए स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत विशेष परियोजना**		378.00	0.00
2	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी पी ए पी)	879.00	1427.00	1165.00
3	मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी डी पी)	2751.00	2445.00	2259.00
4	एकीकृत जल विभाजक विकास कार्यक्रम (आई डब्ल्यू डी पी)	492.00	758.00	1132.00
5	त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम	7842.00	17485.00	9776.30
6	प्रधानमंत्री की ग्रामोदय योजना***		2590.85	3265.00

* व्यय न हुए शेष 915.71 लाख रुपये और 1184.29 लाख रुपये वृहत प्रबन्धन के तहत उपलब्ध कराए जाने थे।

** इस परियोजना को मार्च, 2001 में स्वीकृत दी गई। परियोजना की अनुमोदित लागत 1008 लाख रूपये है जो कि केन्द्र और राज्य के बीच 75:25 के आधार पर वहन की जानी है। परियोजना की अवधि स्वीकृति की तिथि से 2 वर्ष होगी।

*** यह स्कीम वर्ष 2000-01 में शुरू की गई थी।

विवरण-II

क्र.स.	स्कीम का नाम	राज्य सरकार द्वारा स्कीम के तहत प्राप्त उपलब्धियां
1	2	3
	जल संसाधन मंत्रालय	
1.	कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम	यह स्कीम वर्ष 1974–75 से प्रचालन में है और गुजरात सरकार द्वारा मार्च, 2001 की समाप्ति तक विभिन्न घटकों के तहत प्राप्त उपलब्धियां निम्नवत हैं:– (क) फील्ड चैनल्स 888.38 हजार हेक्टे (ख) खेत नालियां 2.9 हजार हेक्टे. (ग) वाराबंदी 695.18 हजार हेक्टे. (घ) भूमि समतलन और भूमि को आकार देना 177.18 हजार हेक्टे.
2.	लघु सिंचाई आंकड़ों की युक्तिकरण स्कीम (आर एम आई एस)	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के साथ यह स्कीम 1987–88 में प्रारंभ की गई थी। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य भावी आयोजना के लिए लघु सिंचाई क्षेत्र में एक व्यापक और विश्वसनीय आंकड़ा आधार तैयार करना है।
	कृषि मंत्रालय	
1.	वर्षा पोषित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल विभाजक विकास परियोजना	यह परियोजना आठवीं योजना में शुरू की गई थी। इस परियोजना के व्यापक विकास उद्देश्यों में निम्न शामिल हैं:–, (i) सतत ढंग से कृषि उत्पादकता की वृद्धि, (ii) विकृत तथा कमजोर वर्षा पोषित पारिस्थितिकीय प्रणालियों में पारिस्थितिकीय संतुलन को पुनःस्थापित करना, (iii) सिंचित वर्षा पोषित क्षेत्रों के बीच क्षेत्रीय असमानता में कमी और (iv) ग्रामीण गरीबों के लिए सतत् रोजगार अवसरों का सृजन। गुजरात राज्य में वर्ष 1999–2000 और 2000–2001 के दौरान क्रमशः 91187 हेक्टेयर और 45124 हेक्टेयर क्षेत्र का सुधार किया गया है।
	ग्रामीण विकास मंत्रालय	
1.	गुजरात के कच्छ जिले में सूखा रोधन के लिए स्वर्ण–जयंती ग्राम स्वरेजगार योजना (एस जी एस वाई) के तहत विशेष परियोजना	इस परियोजना पर प्राप्त उपलब्धियों/की गई प्रगति की सूचना अभी गुजरात सरकार से प्राप्त होनी है।

1	2	3
2.	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी पी ए पी)	इस कार्यक्रम के तहत गुजरात राज्य को स्वीकृत परियोजनाओं की वर्षवार संख्या वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक क्रमशः 230, 329 और 110 है।
3.	मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी डी पी)	इस कार्यक्रम के तहत गुजरात राज्य को स्वीकृत परियोजनाओं की वर्षवार संख्या वर्ष 1999–2000 से 2001–2002 तक क्रमशः 250, 400 और 304 है।
4.	एकीकृत जल विभाजक विकास कार्यक्रम (आई डब्ल्यू डी पी)	वर्ष 1999–2000 से 2001–2002 तक गुजरात राज्य को इस कार्यक्रम के तहत प्रति वर्ष छह परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।
5.	त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम	गुजरात राज्य में इन दोनों स्कीमों के तहत 31.3.2002 तक 2235 आवासों को आंशिक रूप से 27844 आवासों को पूर्ण
6.	प्रधानमंत्री की ग्रामोदय योजना	रूप से पेयजल आपूर्ति स्कीमों में शामिल किया गया है और केवल 190 आवासों को अभी शामिल किया जाना है।

मत्स्य पत्तन सुविधाएं

3411. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे देश में वर्ष 1998 से बड़े और छोटे पत्तनों पर उपलब्ध मत्स्य पत्तन सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और विभिन्न राज्यों को राज्यवार और वर्षवार कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से इस योजना के अंतर्गत अपने प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) ब्यौरे विवरण–I और II में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) नौ छोटे मत्स्यन बंदरगाहों और तेरह मछली उतारने वाले केन्द्रों के निर्माण के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों को राज्य के तट के साथ निर्माण हेतु योजना के तहत भारत सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है। जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

मत्स्यन बंदरगाह

पूरे हो चुके	निर्माणधीन	
1. कारवार 2. होन्नावार 3. तादरी	1. माल्पे चरण–II	2. मंगलौर चरण–II
4. मंगलौर 5. माल्पे चरण–I	3. कारवार चरण–I	4. गांगोली

मछली उतारने के केन्द्र

पूरे हो चुके	निर्माणाधीन	
1. कूंडापुर 2. भटकल 3. कागल हेनी	1. कोडिबेंगरे	2. हेजमाडिकोडि
4. मूलकी 5. गंगोली 6. सदासिवगाद	3. अल्वेकोडि	4. बेलिकेरी चरण–II
7. बेलिकेरी 8. बेलाम्बर 9. केनी		

विवरण-I

क्र.स.	राज्य	1998-99		1999-2000		2000-01		2001-02	
		मत्स्यन बंदरगाह	मछली उतारने के केन्द्र	मत्स्यन बंदरगाह	मछली उतारने के केन्द्र	मत्स्यन बंदरगाह	मछली उतारने के केन्द्र	मत्स्यन बंदरगाह	मछली उतारने के केन्द्र
1.	उड़ीसा		हाटा बराडी		नेरी चरण–3				
2.	केरल		कन्हेंजड थिकोडी पूवर कदात्रा						
3.	प. बंगाल			डायमंड हारबर		हारबर प्वाइंट		.....	
4.	कर्नाटक			गांगोली					
5.	केरल			मुथालापोझी	.....			पोन्नानी	
6.	गोवा				कटगोना कोरटालिम				
7.	तमिलनाडु				10 एफ एल सी				

विवरण-II

राज्य का नाम	1998–99	1999–2000	2000–2001	2001–02
गुजरात	540.897	203.60	97.00	–
गोवा	–	60.00	–	14.655
कर्नाटक	300.00	155.85	30.00	–
महाराष्ट्र	–	–	–	71.78
पांडिचेरी	100.00	–	13.00	10.00
केरल	18.40	100.00	–	453.25
तमिलनाडु	–	350.00	–	62.32
उड़ीसा	–	15.00	287.37	173.93
आंध्र प्रदेश	–	–	100.00	35.44
प. बंगाल	–	100.00	343.74	176.735
दमन और दीव	–	–	50.00	40.00

पर्यटकों की संख्या में कमी

3412. श्री ए. वेंकटेश नायक :

श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन क्षेत्रों की पहचान की है जहां गत छः महीनों के दौरान पर्यटकों का आगमन घटा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) यह गिरावट किस सीमा तक है;

(घ) क्या सरकार ने उन क्षेत्रों की भी पहचान की है जहां पर्यटकों की संख्या बढ़ी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ङ) जुलाई–दिसम्बर, 2000 और जुलाई–दिसम्बर, 2001 के दौरान 15 राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों का भ्रमण करने वाले स्वदेशी और विदेशी पर्यटकों तथा प्रत्येक मामले में प्रतिशत वृद्धि/कमी दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। अन्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की सूचना उपलब्ध नहीं है। विदेशी पर्यटक आगमन में कमी मुख्य रूप से–सामान्य आर्थिक मंदी और यू.एस.ए. में विश्व व्यापार केन्द्र पर आंतकवादी हमले के बाद सुरक्षा परिदृश्य के कारण हुई है।

(च) पर्यटन के लिए विकास कार्यकलापों में – अवसंरचना विकास, उत्पाद विकास और विविधीकरण, पर्यटक सुविधा में वृद्धि, मानव संसाधन विकास, संवर्धन और मार्केट विकास शामिल है। देश में पर्यटन उद्योग पर बल दिए जाने की विभिन्न योजनाओं में– केन्द्र और राज्य सरकार तथा निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयासों के जरिए विकास के लिए 21 परिपथ और 12 गंतव्य स्थलों का अभिनिर्धारण शामिल है।

विवरण

अनुमानित स्वदेशी और विदेशी पर्यटक आगमन

राज्य/संघ शा.क्षे	2000 जुलाई–दिसम्बर		2001 जुलाई–दिसम्बर		प्रतिशत	
	स्वदेशी	विदेशी	स्वदेशी	विदेशी	स्वदेशी	विदेशी
1	3	4	5	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	27555302	39175	39990297	28999	45.1	–26.0
असम	443139	3106	515170	2266	16.3	–27.0
गोवा	477569	130794	543741	100104	13.9	–23.5
हरियाणा	136558	641	145745	416	6.7	–35.1
जम्मू और कश्मीर	2701591	13232	2467176	15296	–8.7	15.6
केरल	2511543	109585	2610530	89294	3.9	–18.5
मेघालय	90583	1208	84774	1086	–6.4	–10.1
मिजोरम	13233	119	14314	62	8.2	–47.9
उड़ीसा	1565556	11734	1645663	9290	5.1	–20.8

1	3	4	5	5	6	7
पंजाब	199787	1654	236140	1904	18.2	15.1
राजस्थान	4823487	376554	5107581	302779	5.9	−19.6
तमिलनाडु	10722456	393228	10812695	344542	0.8	−12.4
उत्तर प्रदेश *	577355	114783	603785	72142	4.6	−37.1
उत्तरांचल	4324872	16486	4619009	21981	6.8	33.3
चण्डीगढ़	249075	10336	237448	8337	−4.7	−19.3

* इसमें मथुरा, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी और आगरा शामिल हैं।

गंगा कार्य योजना

3413. श्री रघुनाथ झा :

श्री अरूण कुमार :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा कार्य योजना अपने निर्धारित लक्ष्य से बहुत पीछे चल रही है और अपने लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस उद्देश्य हेतु सरकार द्वारा कितनी धनराशि आबंटित की गयी और इस योजना पर अब तक वास्तव में कितनी राशि उपयोग/खर्च की गयी; और

(घ) रूकावटों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए और यह योजना कब तक पूर्ण हो जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (घ) गंगा कार्य योजना दो चरणों में शुरू की गई। गंगा कार्य योजना चरण–I, गंगा नदी के प्रदूषण निवारण और इसके किनारों पर स्थित 25 नगरों में इसकी जल गुणता में सुधार करने के उद्देश्य से 1985 में शुरू किया था। योजना 31.3.2000 को पूरी हो गई थी। अपशिष्ट जल की सफाई के लिए प्रतिदिन 873 मिलियन लीटर निर्धारित क्षमता की तुलना में प्रतिदिन 835 मिलियन लीटर की शोधन क्षमता पैदा की गई है। 462.04 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत की तुलना में इस योजना पर 451.70 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। कार्यक्रम के कार्यान्वयन में विलम्ब मुख्यतया अवैध कब्जों, भूमि अधिग्रहण में विलम्ब, मुकदमेबाजी तथा संविदात्मक समस्याओं के कारण हुआ।

गंगा कार्य योजना चरण–II जिसके अंतर्गत गंगा तथा इसकी सहायक नदियां अर्थात् यमुना, गोमती तथा दामोदर भी शामिल हैं, 1993 और 1996 के मध्य चरणों में अनुमोदित किया गया था और इसे कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अपशिष्ट जल की सफाई के लिए प्रतिदिन 1860 मिलियन लीटर की निर्धारित क्षमता की तुलना में अब तक प्रतिदिन 724 मिलियन लीटर की शोधन क्षमता तैयार की गई है। 1498.86 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में से अब तक लगभग 618 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। संबंधित राज्य सरकारों को कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है। तथापि, विलम्ब से बचने के लिए परियोजनाओं को मंजूर करने से पहले भूमि अधिग्रहण को एक पूर्वापेक्षा बनाया गया था। गंगा कार्य योजना चरण–II को दिसम्बर, 2005 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

फसल बीमा निगम

3414. श्री कोडीकुनील सुरेश :

श्री वाई.वी. राव :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार फसल बीमा निगम की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के मुख्य उद्देश्य क्या है; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक हो जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) किसानों को बीमा कवरेज उपलब्ध कराने के लिए

अलग अभिकरण स्थापित करने की प्रक्रिया सरकार ने पहले ही शुरू कर दी है।

जल संचयन परियोजनाएं

3415. श्री वाई. वी. राव : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने दो जल संचयन परियोजनाओं को स्वीकृत दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विश्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण (आई डी ए) ऋण के लिये जल क्षेत्र की दो पुनर्संरचना परियोजनाएं अनुमोदित की हैं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

क्र.स.	परियोजना का नाम	हस्ताक्षर/पूरा करने की तारीख	ऋण की प्रभावकारिता की तारीख	आई डी ए सहायता की राशि (मिलियन अमेरिकी डालर)
1.	उत्तर प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	8.3.2002 31.10.2007	27.3.2002	149.2
2.	राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	15.3.2002 31.3.2008	22.3.2002	140.0

[हिन्दी]

कृषि को तकनीकी दर्जा देना

3416. श्री हरीभाऊ शंकर महाले :

श्री आदि शंकर :

कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि को देश में एक तकनीकी दर्जा दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कृषि को तकनीकी दर्जा कब तक दिये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (अ.भा.त.शि.प.) को अभियांत्रिकी व प्रौद्योगिकी एवं वास्तुशिल्प और औषधि विज्ञान, होटल प्रबन्धन व आहार प्रबन्धन प्रौद्योगिकी तथा अनुप्रयुक्त कला एवं शिल्प विषयों के लिए तकनीकी शिक्षा प्रणाली का समन्वय करने का अधिकार सौंपा गया है। कृषि का विषय अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधीन शामिल नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

(घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कृषि मंत्रालय के लिए कृषि शिक्षा को तकनीकी दर्जा दिया जाना संभव नहीं है।

कोयला खानों में दुर्घटनाओं संबंधी जाँच

3417. श्री राजो सिंह : क्या **कोयला और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कोयला खानों में हुई दुर्घटनाओं की जाँच के लिए गठित जाँच आयोगों की संख्या कितनी है और प्रत्येक आयोग पर कितना खर्च हुआ;

(ख) उन आयोगों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने निर्धारित समय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की; और

(ग) इन आयोगों द्वारा जिन अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की सिफारिशें की गई/कार्यवाही की गयी उनकी संख्या कितनी हैं?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दो उच्चाधिकार प्राप्त समितियां और एक जांच अदालत गठित की गई हैं। श्रम मंत्रालय, भारत सरकार ने

खान अधिनियम, 1952 की धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बागडिगी दुर्घटना, जो दिनांक 2.2.2001 को घटित हुई थी, के कारणों और परिस्थितियों की जाँच करने और दुर्घटना के कारणों के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण करने हेतु झारखण्ड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति गुरूशरण शर्मा को नियुक्त किया है।

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 29.7.99 के कार्यालय ज्ञापन सं. 22022/45/99–सी.आर.सी. और दिनांक 11.8.2000 के का.ज्ञा.सं. 22022/40/2000–सी.आर.सी. के द्वारा दो उच्च अधिकार प्राप्त समितियों का गठन किया गया था ताकि क्रमशः 6.7.1999 को ई.सी.एल. की पारसकोल (वेस्ट) कोलियरी और दिनांक 24.6.2000 को डब्ल्यू.सी.एल. की कावाडी ओपनकास्ट खान में हुई दुर्घटनाओं के बारे में विस्तार से पता लगाया जा सके।

ई.सी.एल. की पारसकोल (वेस्ट) कोलियरी तथा डब्ल्यू.सी.एल. की कावाडी ओपन कास्ट खान में हुई दुर्घटनाओं का ब्यौरा प्राप्त करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समितियों पर हुआ व्यय क्रमशः 25,000 रु. तथा 3,29,602 रु. है। बागडिगी जाँच न्यायालय का कार्य अभी प्रगति पर है।

(ख) दोनों उच्चाधिकार प्राप्त समितियों की रिपोर्ट कोयला मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी गयी थी और बागडिगी जाँच न्यायालय का कार्य अभी चल रहा है।

(ग) पारसकोल (वेस्ट) दुर्घटना :– उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने ई. सी. एल. के चार अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने की सिफारिश की। डी.जी.एम.एस. ने अपनी जाँच में उत्तरदायी पाए गए अधिकारियों के विरूद्ध अभियोजन आरम्भ किया है।

कावाडी ओपन कास्ट दुर्घटना :– डी.जी.एम.एस. ने जाँच में दोषी पाए गए 9 अधिकारियों के विरूद्ध अभियोजन किया है।

बागडिगी दुर्घटना :– बागडिगी जाँच न्यायालय का कार्य अभी भी चल रहा है।

वैज्ञानिकों द्वारा नयी प्रौद्योगिकी का प्रयोग

3418. डा. बलिराम :

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने प्रत्येक राज्य के विशेषतः उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के किसानों को उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने और बेहतर फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए भारत और विदेश में रहने वाले वैज्ञानिकों द्वारा नयी कृषि प्रौद्योगिकी को हस्तांतरित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार और कृषि विश्वविद्यालय किसानों को देश में प्रशिक्षण दे रहे हैं और खेतों में प्रदर्शन कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्यों में खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अन्य क्या उपाय किये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी हां, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किये गए उपाय निम्नलिखित हैं:–

- विभिन्न राज्यों में 261 कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना जिसमें 12 उड़ीसा में तथा 28 उत्तर प्रदेश में हैं।
- कृषि विज्ञान केन्द्र के अतिरिक्त कार्यों को करने के लिए 53 क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्रों (जैड ए आर एस) को सुदृढ़ बनाया गया जिसमें 2 उड़ीसा में तथा 7 उत्तर प्रदेश में शामिल हैं।
- 40 कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्रों की स्थापना (ए टी आई सी) की स्वीकृति दी गई जिसमें से 2 उडीसा में तथा 3 उत्तर प्रदेश में शामिल हैं।
- 70 केन्द्रों में संस्थान ग्राम सम्पर्क कार्यक्रम (आई वी एल पी) के माध्यम से प्रौद्योगिकी मूल्यांकन एवं परिष्करण का कार्यान्वयन, जिनमें से 3 उड़ीसा में तथा 7 उत्तर प्रदेश में शामिल हैं।

(ख) राज्यवार ब्यौरा विवरण–I में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी हां। किसानों के लाभ के लिए खेत प्रदर्शनों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2001–02 के दौरान 23,000 प्रदर्शनों का आयोजन किया गया तथा 4.18 लाख किसानों को प्रशिक्षित किया गया। इसका राज्यवार ब्यौरा विवरण–II में दिया गया है।

(ङ) राज्यों में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के उपायों में शामिल हैं:– चावल, गेहूँ तथा मोटे अनाजों सहित समेकित अनाज विकास कार्यक्रम को लागू करना; उन्नत फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी

के प्रसार के लिए अनाज बीज मिनी किट कार्यक्रम (सिएरील्स सीड्स मिनीकिट प्रोग्राम); प्रमाणित / गुणवत्तायुक्त बीजों की उपलब्धता; खेत में जल प्रबंध, फसल विविधीकरण, चावल के संकर किस्मों को लोकप्रिय बनाना; तिलहन तथा दलहन से संबंधित प्रौद्योगिकी मिशन, कृषि से संबंधित ऋण की उपलब्धता, समेकित नाशीजीव प्रबंध को बढ़ावा तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में सहयोग।

विवरण-I

प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए कार्यक्रम का राज्यवार ब्यौरा

क्र.स.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कृषि विज्ञान केन्द्रों के नाम	सुदृढ़ किए गए क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र	कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्रों की संख्या	संस्थान ग्राम संपर्क परियोजना केन्द्रों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	1	–	1	1
2	आन्ध्र प्रदेश	16	3	1	4
3	बिहार	16	2	1	3
4	छत्तीसगढ़	4	1	1	1
5	दिल्ली	1	–	1	1
6	गोवा	1	–	–	1
7	गुजरात	10	3	1	2
8	हरियाणा	12	–	2	3
9	हिमाचल प्रदेश	8	3	3	5
10	जम्मू तथा कश्मीर	4	1	1	3
11	झारखंड	5	1	1	1
12	कर्नाटक	11	7	3	3
13	केरल	9	2	4	5
14	लक्ष्यद्वीप	1	–	–	–
15	मध्य प्रदेश	16	4	1	3
16	महाराष्ट्र	23	4	5	5
17	उत्तर पूर्वी राज्य*	13	6	1	2
18	उड़ीसा	12	2	2	3
19	पांडिचेरी	2	–	–	–
20	पंजाब	10	1	1	1

1	2	3	4	5	6
21	राजस्थान	31	1	3	5
22	तमिलनाडु	16	3	2	4
23	उत्तर प्रदेश	28	7	3	7
24	उत्तरांचल	2	1	1	3
25	पश्चिम बंगाल	9	1	1	4
	कुल	261	53	40	70

कृपया ध्यान दीजिए : * अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम तथा त्रिपुरा सहित उत्तर पूर्वी राज्य।

विवरण-II

वर्ष 2001–02 के दौरान किये गये खेत प्रदर्शन तथा प्रशिक्षित किये गये किसानों का राज्यवार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कृषि विज्ञान केन्द्रों के नाम	प्रशिक्षित किये गये किसान	खेत प्रदर्शन
1	2	3	4	5
1	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	1	1146	129
2	आन्ध्र प्रदेश	16	35998	1454
3	बिहार	16	16916	694
4	छत्तीसगढ़	4	1909	141
5	दिल्ली	1	815	32
6	गोवा	1	1811	45
7	गुजरात	10	7158	857
8	हरियाणा	12	23787	814
9	हिमाचल प्रदेश	8	13580	1686
10	जम्मू तथा कश्मीर	4	3570	280
11	झारखंड	5	9457	818
12	कर्नाटक	11	39088	829
13	केरल	9	28113	84
14	लक्ष्यद्वीप	1	3856	–
15	मध्य प्रदेश	16	12236	1395

1	2	3	4	5
16	महाराष्ट्र	23	40921	2256
17	उत्तर पूर्वी राज्य*	13	12545	380
18	उड़ीसा	12	6540	2719
19	पांडिचेरी	2	3373	30
20	पंजाब	10	14338	644
21	राजस्थान	31	46372	2283
22	तमिलनाडु	16	61047	1280
23	उत्तर प्रदेश	28	22331	3007
24	उत्तरांचल	2	1690	69
25	पश्चिम बंगाल	9	9368	969
	कुल	261	417965	22895

कृपया ध्यान दीजिए : * अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम तथा त्रिपुरा सहित उत्तर पूर्वी राज्य

सी.सी.एल. द्वारा पौधरोपण

3419. श्री दुखा भगत : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने पर्यावरण सुधारने के लिए बड़े पैमाने पर पौधरोपण का कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोयला खान क्षेत्र में पर्यावरण सुधारने हेतु लगाए गए वृक्षों में यूक्लिप्टस के पेड़ों का प्रतिशत अधिक है और फलदार वृक्षों की उपेक्षा की गयी हैं;

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार को जानकारी है कि वनस्पति वैज्ञानिकों सहित वैज्ञानिकों का निष्कर्ष है कि यूक्लिप्टस के वृक्ष मानवों में बीमारी पैदा कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) जी, हाँ। पिछले तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.)/इसकी सहायक कंपनियों द्वारा किए गए पौधरोपण का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

वर्ष	पौधरोपण (लाख में)
1999–00	32.79
2000–01	39.32
2001–02	22.40

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) इसे निष्कर्ष रूप में अभी सिद्ध किया जाना है। तथापि, युक्लिप्टस पेड़ों का रोपण वर्तमान में रूका हुआ है।

विदेशों से वित्तीय सहायता

3420. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कृषि क्षेत्र के लिए कितनी विदेशी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान यह राशि तुलनात्मक रूप से कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए और अधिक विदेशी वित्तीय सहायता आकृष्ट करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और विदेशों से विभिन्न परियोजनाओं के लिए भारत में कृषि क्षेत्र हेतु विदेश से वित्तीय सहायता प्राप्त की जा रही है। सहायता लेखा और लेखा परीक्षा निदेशक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए ऋण और अनुदान के संवितरण विवरण के अनुसार पिछले तीन वर्षों में प्राप्त विदेशी सहायता की राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण–I पर है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विदेशी सहायता संबंधी मामलों की देख–देख के लिए आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय शीर्ष विभाग है। आर्थिक कार्य विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत करके अधिकतम विदेशी सहायता प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त विदेशी सहायता

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	वित्त पोषक एजेंसी/देश	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5
1.	ई.ई.सी.	0.000	22.218	33.583
2.	जर्मनी	5.398	48.252	38.845
3.	डेनमार्क	21.500	14.751	14.280
4.	फ्रांस	10.928	0.111	0.123
5.	जापान	22.859	8.072	9.982
6.	नीदरलैंड	2.189	5.364	5.683
7.	नार्वे	0.017	0.104	0.000
8.	स्विटजरलैंड	0.000	0.000	1.716
9.	यू.के.	4.062	8.543	20.854
10.	अमेरिका	0.000	0.000	0.000
11.	वर्ल्ड बैंक (आईबीआरडी)	3.815	0.000	75.066
12.	वर्ल्ड बैंक (आईडीए)	528.883	–	–
13.	आई.एफ.ए.डी	31.507	40.075	63.923
14.	ओपेक	4.612	1.212	0.000
15.	यू.एन.डी.पी.	0.824	2.728	4.298
	कुल	636.594	995.324	1056.116

डेयरी विकास तथा कृषि संबंधी पशुधन के लिए योजनाएं

3421. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कृषि संबंधी पशुधन और डेयरी विकास के लिए पूंजी निवेश की सरकारी और गैर–सरकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2000–2001 के दौरान इन क्षेत्रों में पूंजी निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 1990–91 की तुलना में वर्ष 2000–01 के दौरान इन क्षेत्रों में पूंजी निवेश में वृद्धि हुई है,

(घ) यदि हां, तो इसकी मात्रा कितनी है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त क्षेत्र में पूंजी निवेश बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

जीर्ण-शीर्ण ऐतिहासिक स्मारकों की मरम्मत

3422. श्री सुरेश कुरूप :

श्री चन्द्रभूषण सिंह :

क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इतिहास कांग्रेस ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई) से गुजरात में हाल ही की हिंसा में क्षतिग्रस्त अथवा नष्ट हो चुके सभी स्मारकों की मरम्मत करने और उनका पुनर्निर्माण करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में हाल की हिंसा में नष्ट हुए अथवा क्षतिग्रस्त हुए स्मारकों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई) इन स्मारकों की मरम्मत करने और इसका पुनर्निर्माण करने के लिए क्या कदम उठा रहा है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, नहीं। ऐसा कोई अनुरोध भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) गुजरात में हाल की हिंसा में अहमदाबाद में निम्नांकित केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों को नुकसान पहुंचा है:–

(1) छोटी प्रस्तर मस्ज़िद, ईसानपुर, अहमदाबाद

(2) मुहाफिज़खान मस्जिद, अहमदाबाद

नुकसान का मूल्यांकन करने और प्रलेखन कार्य पूरा कर लेने के बाद ढाँचागत मरम्मतों का कार्य शुरू किया जाएगा।

मछली मारने की गतिविधियों पर रोक

3423. श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसंबर, 2001 के दौरान मछली की नौ प्रजातियों को खतरे की सूची में डालने और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत उन पर प्रतिबन्ध लगाने से पूर्व कोई अध्ययन किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उक्त प्रतिबंध लागू करने से पूर्व मछुआरों के लिए वैकल्पिक जीविका और उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई योजना/परियोजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) एलासमोब्रान्चस की नौ प्रजातियों को वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची–I में शामिल किए जाने संबंधी निर्णय आई यू सी एन (विश्व संरक्षण संघ) द्वारा किए गए खतरे के प्रति आकलन पर आधारित था।

(ग) और (घ) मत्स्य ग्रहण संबंधी आंकड़े दर्शाते हैं कि उक्त प्रजातियां देश में पकड़ी जाने वाली कुल मछलियों का एक छोटा सा भाग हैं अतः इससे मछुआरों की आजीविका पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कल्याणकारी परियोजनाओं के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता

3424. श्री रामदास आठवले : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहायता अनुदान योजना के अधीन विभिन्न राज्यों विशेषतः महाराष्ट्र के जनजातीय और अनुसूचित जाति बाहुल्य वाले क्षेत्रों में बाल श्रम संबंधी कल्याणकारी परियोजनाएं शुरू करने के लिए गैर–सरकारी संगठनों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी परियोजनाओं और गैर–सरकारी संगठनों के नाम क्या–क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रति वर्ष उक्त संगठनों द्वारा प्रत्येक राज्य में प्राप्त उपलब्धियों का विवरण क्या है;

(घ) क्या सरकार को उक्त अवधि में इन संगठनों द्वारा केन्द्रीय वित्तीय सहायता के अत्यधिक दुरूपयोग के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है/किए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) श्रम मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों 1999–2000, 2000–2001 और 2001–2002 के दौरान विभिन्न राज्यों में स्वैच्छिक एजेन्सियों/गैर–सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान योजना के अन्तर्गत बाल श्रमिकों के संबंध में कल्याण योजनाएं चलाने के लिए विभिन्न गैर–सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता मुहैया करायी है और उनको मुहैया करायी गई राशि के बारे में ब्यौरे क्रमशः विवरण–I, II और III में उपलब्ध हैं। जहां तक महाराष्ट्र राज्य का संबंध है, एक गैर–सरकारी संगठन अर्थात "अहिल्या देवी महिला मंडल, नागपुर" को वर्ष 1999–2000 और 2000–2001 में तथा एक अन्य गैर–सरकारी संगठन अर्थात "बाल विकास अकादमी, औरंगाबाद" को 2001–2002 में वित्तीय सहायता मुहैया करायी थी।

(ग) सहायता अनुदान योजना के अन्तर्गत स्वैच्छिक एजेंसियों/गैर–सरकारी संगठनों द्वारा चलाया जा रही परियोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति का प्रबोधन नियमित रूप से श्रम मंत्रालय और संबधित राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा निरीक्षणों तथा लेखाओं के लेखा परीक्षित विवरण, उपयोगिता प्रमाणपत्र और प्रगति रिपोर्टों जैसे कतिपय दस्तावेजों के माध्यम से किया जाता है। निधियों की और रिलीज स्वैच्छिक संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों

के संतोषजनक निष्पादन और उनके द्वारा अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर की जाती है।

(घ) और (ङ) गैर सरकारी संगठनों के कार्यचालन के संबंध में समय-समय पर शिकायतों की समीक्षा की गई है। जब भी ऐसी शिकायतें प्राप्त होती है, मामले की जांच की जाती है और कार्रवाई शुरू की जाती है। जहां वित्तीय सहायता का दुरूपयोग पाया जाता है, सहायता अनुदान लौटाने की नोटिस देने सहित कार्रवाई की गई है। जहां कहीं निधियों के गबन का मामला प्रकाश में आता है, राज्य सरकारों को ऐसे गैर-सरकारी संगठन के खिलाफ अभियोजन चलाए जाने की सलाह दी जाती है।

विवरण-I

सहायता अनुदान स्कीम के अंतर्गत वर्ष 1999-2000 के दौरान गैर सरकारी संगठनों को जारी किया गया कुल अनुदान

	किस्त I	किस्त II	योग
	1	2	3
आन्ध्र प्रदेश			
विजयपुरम प्रजा सेवा समिति चित्तूर		29700	29700
श्री त्रिवेणी शिक्षा अकादमी नन्दीगांव, खम्मम	264075		264075
जिला विकलांगुला संगम विनाकोन्डा, गुंटूर	71250		71250
उप योग आन्ध्र प्रदेश	335325	29700	365025
बिहार			
दरोगा प्रसाद राय महिला मंडल हकीमपुर, वैशाली	157050	26862	183912
मनोरमा महिला मंडल, वैशाली	106875	11939	118814
चन्द्रिका सेवा सदन, वैशाली	286500		286500
महुवा महिला समाज कल्याण परिषद, वैशाली	125831		125831
गोपाल समाज कल्याण प्रतिष्ठान, नालन्दा	55097		55097
ग्रामीण संसाधन विकास परिषद, बक्सर		90217	90217
वैशाली कुंज, हाजीपुर	280050		280050
आशा फाउन्डेशन, पटना	203287		203287
प्रगति फाउन्डेशन, मुजफ्फरपुर	159900	39975	199875
अल्पसंख्यक महिला प्रतिष्ठान केन्द्र, पटना	172950	43273	216223
मिथिला ग्राम विकास परिषद	26740		26740
सुधा महिला समाज कल्याण परिषद नालंदा	48682		48682
चन्द्रशेखर युवा केन्द्र, वैशाली	124669		124669
भगवान बुद्ध मिशन, वैशाली	126450		126450

	1	2	3
जया प्रभा अकादमी, पटना	126956		126956
हेल्पिंग इंडिया, सारन	280275		280275
भारतीय ग्रामीण सेवा संस्थान, दरभंगा	110700		110700
भारतीय जनमंच, पटना	189085		189085
सुविधा इन्टरनेशनल पश्चिम चंपारण	135075		135075
उप योग बिहार	2716172	212266	2928438
हरियाणा			
मार्डन एजुकेशन सोसायटी, सोनीपत	187500	46875	234375
अमर ज्योति शिक्षा समिति, जींद	185625	46406	232031
हरियाणा लोक कल्याण शिक्षा समिति, पानीपत	79227	45394	124621
उप योग हरियाणा	452352	138675	591027
जम्मू और कश्मीर			
सोसल वेलफेयर आफ इंडिया, रजौरी	142425		142425
उप योग जम्मू और कश्मीर	142425		142425
मध्य प्रदेश			
डा. अम्बेडकर स्मारक शैक्षणिक समिति, भोपाल	156000		156000
श्री नवनिकेतन शिक्षा समिति, भोपाल	137025	37856	174881
उप योग मध्य प्रदेश	293025	37856	330881
मणिपुर			
सामाजिक पर्यावरण और ग्रामीण प्रौद्योगिकी परिषद, पलैल		68192	68192
ग्रामीण स्वास्थ्य संगठन, पश्चिम सेनापति	41589	24249	65838
यूनाइटेड रूरल डवलपमेन्ट सर्विस, तोबाल	66713		66713
उप योग मणिपुर	108302	92441	200743
नई दिल्ली			
डा. ए.वी. बालिगा स्मारक ट्रस्ट, बहादुरशाह जफर मार्ग	336712		336712
जन जागृति शिक्षा, मंगोलपुरी	117112		117112

	1	2	3
मोबाइल क्रैचिज, गोल मार्किट	222581		222581
उप योग दिल्ली	676405		676405
उड़ीसा			
मानव सेवा सदन, धनकनाल	106598	9777	116375
एन वाई एस ए डी आर आई, धनकनाल	114346		114346
श्री रामकृष्ण आश्रम, अंगुल	191447		191447
प्रीया, बालासौर		231469	231469
नीलांचल सेवा प्रतिष्ठान, पुरी		183273	183273
संचार और विकास कार्य संस्थान, भद्रक		61354	61354
रूचिका सामाजिक सेवा विंग, भुवनेश्वर	523725		523725
उप योग उड़ीसा	936116	485873	1421989
तमिलनाडु			
टी एन गांव उपभोक्ता संरक्षण परिषद, नई		105130	105130
टी एन गांव उपभोक्ता संरक्षण परिषद, पुरानी	63450		63450
प्रकृति ट्रस्ट, चैन्नई	37500		37500
उप योग तमिलनाडु	100950	105130	206080
उत्तर प्रदेश			
अम्बिका देवी हाई स्कूल कन्या विद्यालय, मिर्जापुर	313144		313144
संस्कृत भाषा विकास परिषद सेवापुरी, देवरिया	170776		170776
प्रोजेक्ट माला, मिर्जापुर	265228		265228
ग्राम सेवा संस्थान, देवरिया	120900		120900
बाल मुक्ति समिति प्रोजेक्ट माला, मिर्जापुर	218250		218250
अखिल भारतीय समाज कल्याण परिषद देवरिया	170775		170775
बिजनौर सेवा संस्थान, बिजनौर	140250		140250
जन सेवा समिति, इलाहाबाद	187336		187336
बाल विकास एवं महिला परिषद, गोन्डा	170250		170250
कपिल बाल एवं सेवा समिति, बस्ती	179220		179220

	1	2	3
अवध महिला एवं बाल कल्याण समिति	170700		170700
शिक्षा महिला समिति बस्ती	37094	21956	59050
डा. भीमराव अम्बेडकर महाराजगंज		53017	53017
जनजीवन माध्यमिक शिक्षा समिति		76572	76572
भारतीय जन कल्याण एवं महिला सेवा संस्थान	160200	40050	200250
कृषक विकास समिति, गाजीपुर		173349	173349
उमाशंकर तिवारी स्मारक शिक्षा समिति, इलाहाबाद	143625		143625
भारतीय समझौता सेवा संस्थान, देवरिया	117562		117562
ग्रामीण मुकदमेबाजी और हकदारी केन्द्र, देहरादून	98775		98775
ग्राम विकास सेवा समिति, इलाहाबाद	41457		41457
उप योग उत्तर प्रदेश	2705542	364944	3070486
पश्चिम बंगाल			
बागमरी युवाप्रगामी संघ, कोलकाता	130380		130380
भाघरा डायम्ड क्लब, बर्द्धवान	60250		60250
इखूपत्रिका समाज कल्याण संगठन, मिदनापुर	246881		246881
केराखली जन सेवा आश्रम, द. 24 परगना	129562		129562
जनशिक्षा प्रचार केन्द्र, कोलकाता	169895		169895
सीड हावडा	177786	46079	223865
सामाजिक विकास केन्द्र, उ. 24 परगना	40085		40085
उप योग पश्चिम बंगाल	954839	46079	1000918
महाराष्ट्र			
अहिल्यादेवी महिला मंडल	195810	106212	302022
उप योग महाराष्ट्र	195810	106212	302022
योग 31.3.2000 के अनुसार	9617263	1619176	11236439

विवरण-II

सहायता अनुदान स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2000–2001 के दौरान गैर सरकारी संगठनों को जारी किया गया कुल अनुदान

	बजट	किस्त I	किस्त II	योग
	1	2	3	4
असम				
साधु असम ग्राम पुतिभावल संस्था, नौगांव	390300	219544		219544
बहुमुखी कृषि और समाज कल्याण समिति, नौगांव	208400	117225		117225
उप योग असम	598700	336769		336769
आन्ध्र प्रदेश				
ग्रामीण समाजिक कल्याण एसोशिएसन, महबूब नगर	316200	162924		162924
ग्रामीण विकास संगठन, महबूब नगर		99192		99192
उप योग आन्ध्र प्रदेश	316200	262116		262116
बिहार				
चन्द्रिका सेवा सदन, वैशाली	196000	36750		36750
महुवा महिला समाज कल्याण परिषद, वैशाली		41944		41944
समता ग्राम सेवा संस्थान, पटना	198600	186187	37237	223424
प्रगति फाउन्डेशन, मुजफ्फरपुर		119925		119925
अल्पसंख्यक महिला प्रतिष्ठान केन्द्र, पटना		129677		129677
भगवान बुद्ध मिशन, वैशाली		55683		55683
जया प्रभा अकादमी, पटना		56425		56425
भारतीय जन मंच पटना	336150	63028		63028
सुविधा इन्टरनेशनल वेस्ट चंपारण		98425		98425
उप योग बिहार	730750	788044	37237	825281
हरियाणा				
मार्डन एजुकेशन सोसायटी, सोनीपत		140625		140625
अमर ज्योति शिक्षा समिति, जींद		137924		137924
हरियाणा लोक कल्याण सुरक्षा समिति पानीपत	242100	136172	45394	181566
उप योग हरियाणा	242100	414721	45394	460115

	1	2	3	4
जम्मू और कश्मीर				
सोशल वेलफेयर आफ इंडिया, रजौरी		47475		47475
उप योग जम्मू और कश्मीर	0	47475	0	47475
मध्य प्रदेश				
डा. अम्बेडकर मैमोरियल शिक्षा समिति भोपाल		13000		13000
श्री नवनिकेतन शिक्षा समिति भोपाल		106941		106941
उप योग मध्य प्रदेश	0	119941	0	119941
मणिपुर				
मणिपुर महिला समन्वय परिषद, इम्फाल	65700	11385		11385
ग्रामीण स्वास्थ्य संगठन, सेनापति (पश्चिम)	45450	8518		8518
मणिपुर ग्रामीण संस्थान, इम्फाल	385800	63626		63626
उप योग मणिपुर	496950	83529	0	83529
नई दिल्ली				
डा. ए.वी. बालिगा मैमोरियल ट्रस्ट, बहादुरशाह जफर मार्ग		112238		112238
जनजागृति शिक्षा, मंगोलपुरी	208000	14912		14912
मोबाइल क्रैचिज गोल मार्किट	395700	139013		139013
उप योग नई दिल्ली	603700	266163	0	266163
उड़ीसा				
मानव सेवा सदन, धनकनाल, नई	353300	200981		200981
प्रोजेक्ट स्वराज्य, कटक	232800	14510		14510
एन वाई एस ए डी आर आई, धनकनाल		38362		38362
श्री राम कृष्ण आश्रम, अंगुल	191447	63816		63816
प्रीया, बालासौर	256900	138881		138881
नीलांचल सेवा प्रतिष्ठान, पुरी	226900	44888		44888
उड़ीसा बहुउद्देशीय विकास केन्द्र, चन्द्रशेखरपुर	167200	125126		125126
संचार और विकास कार्य संस्थान, भद्रक	206800	105900	35025	140925
रूचिका समाज सेवा स्कंध, भुवनेश्वर	864400	110855	162075	272930
उप योग उड़ीसा	2499747	843319	197100	1040419

	1	2	3	4
तमिलनाडु				
ग्रामीण विकास संगठन मदुरै		221175		221175
तमिलनाडु गांव उपभोक्ता संरक्षण परिषद नई	158400	118800	39660	158400
तमिलनाडु गांव उपभोक्ता संरक्षण परिषद, पुरानी	112800	21150		21150
उप योग तमिलनाडु	271200	361125	39600	400725
उत्तर प्रदेश				
अम्बिका देवी हाई स्कूल कन्या विद्यालय, मिर्जापुर		104110	39000	143110
संस्कृत भाषा विकास परिषद सेवापुरी, देवरिया	227700	42694		42694
अखिल भारतीय समाज कल्याण परिषद, देवरिया	227100	42244		42244
बिजनौर सेवा संस्थान, बिजनौर	187000	35062		35062
जन सेवा समिति इलाहाबाद	250000	187500		187500
बाल विकास एवं महिला परिषद गौंडा	227000	170111		170111
कपिल बाल एवं सेवा समिति, बस्ती	245200	183900		183900
अवध महिला एवं बाल कल्याण समिति	227600	170700		170700
शिक्षा महिला समिति बस्ती	117100	64744		64744
डा. भीमराव अम्बेडकर, महाराजगंज	129750	72985		72985
वैश्णवी शिक्षा समिति इलाहाबाद	477200	283425		283425
जनजीवन माध्यमिक, समिति		108503	36337	144840
अखिल भारतीय महिला अध्ययन और विकास संगठन, कानपुर		106313		106313
अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, कानपुर		133615		133615
स्वामी विवेकान्नद शिक्षा समिति, मिर्जापुर			194701	194701
हरिजन निर्बल शिक्षा विकास समिति, इलाहाबाद		313238		313238
भारतीय जन कल्याण एवं महिला सेवा संस्थान		118964		118964
कृषक विकास समिति, गाजीपुर	245600	136631		136631
पूर्वांचल मानव कल्याण संस्थान, महाराजगंज			89	89
परख, इलाहाबाद	136125	90406	45375	135781
उप योग उत्तर प्रदेश	2697375	2365145	315502	2680647

	1	2	3	4
पश्चिम बंगाल				
ईखूपत्रिका समाज कल्याण संगठन, मिदनापुर, पुराना	188100	11756		11756
ईखूपत्रिका समाज कल्याण संगठन, मिदनापुर, नया	474400	266850		266850
क्योराखाली जन सेवाश्रम, द 24 परगना	217000		40688	40688
मुक्ति ग्रामीण विकास एवं जरूरतमंद बाल सोसायटी, द. 24 परगना	506400	284850		284850
जन शिक्षा प्रचार केन्द्र, कोलकाता	239100	179325		179325
सीड, हावडा	239100	134494		134494
करीमपुर समाज कल्याण समिति	193550	140652		140652
सामाजिक विकास केन्द्र, उ. 24 परगना	244000	174732	45750	220482
ताफा पल्ली मिलानी संघ, दक्षिणी 24 परगना	428000	321000	80250	401250
भारतीय ग्रामीण चिकित्सा संघ, कोलकाता	633000	374812		374812
ग्राम कल्याण समिति, कोलकाता	633000	374812		374812
उप–योग पश्चिमी बंगाल	3995650	2263283	166688	2429971
महाराष्ट्र				
अहिल्या देवी महिला मंडल, नागपुर	239600	46938		46938
उप–योग महाराष्ट्र	239600	46938		46938
31.3.2001 की स्थिति के अनुसार महा योग	12691972	8198568	801521	9000089

विवरण-III

सहायता अनुदान स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2001–2002 के दौरान गैर सरकारी संगठनों को जारी किया गया कुल अनुदान

गैंर सरकारी संगठन का नाम	बजट	किस्त I	किस्त II	योग
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश				
ग्रामीण सामाजिक कल्याण एसोसिएसन महबूब नगर	316200	237151		237151
ग्रामीण विकास संगठन महबूब नगर	366800	179785		179785
उप योग आन्ध्र प्रदेश	683000	416936	0	416936
बिहार				
महिला एवं शिशु विकास परिषद खगडिया	337500	189844		189844
ग्रामीण समाधान विकास परिषद, बक्सर		69162		69162

1	2	3	4	5
प्रगति फाउन्डेशन, मुजफ्फरपुर		39975		39975
समता ग्राम सेवा संस्थान, पटना	198600	111713		111713
शंकुतला प्रभा बाल एवं महिला सेवा केन्द्र, वैशाली	610200	343238		343238
उप योग बिहार	1146300	753932	0	753932
हरियाणा				
अमरज्योति शिक्षा समिति			46406	46406
मार्डन एजूकेशन सोसाएटी, सोनीपत			46275	46275
हरियाणा लोक कल्याण सुरक्षा समिति, पानीपत	242100		105919	105919
जनचेतना संगठन, सिरसा	340200	191363		191363
उप योग हरियाण	582300	191363	198600	389963
मध्य प्रदेश				
मंजू महिला समिति, जबलपुर	348000	195750		195750
श्री नवनिकेतन शिक्षा समिति भोपाल			35992	35992
उप योग मध्य प्रदेश	348000	195750	35992	231742
मणिपुर				
यूनाइटेड रूरल डेवलपमेन्ट सर्विस, तोबाल	118600	110625		110625
उप योग मणिपुर	118600	110625	0	110625
नई दिल्ली				
जनजागृति शिक्षा, मंगोलपुरी	208000	156151		156151
मोबाइल क्रैचिज, गोल मार्किट	395700	285525		285525
नेशनल फेडरेशन आफ लेबर कोपरेटिव लि.	253000	142313		142313
सिरी फोर्ट, इन्स्टिट्यूशनल एरिया				
उप योग नई दिल्ली	856700	583989	0	583989
उड़ीसा				
मानव सेवा सदन धनकनाल, नया	353300		91292	91292
उड़ीसा बहुउद्देशीय विकास केन्द्र, चन्द्रशेखरपुर	167200	125308		125308
संचार और विकास कार्य संस्थान, भद्रक	206800	105075		105075

1	2	3	4	5
रूचिका सोशल सर्विस विंग, भुवनेश्वर	864400	468542		468542
बाल एवं महिला विकास केन्द्र	195600	110025		110025
जागरूकता और ग्रामीण विकास परिषद	203400	114413		114413
गोपीनाथ यहूदी युवा क्लब	203400	114413		114413
उप योग उड़ीसा	2194100	1037776	91292	1129068
राजस्थान				
जनजाति महिला विकास संस्थान	482400	271575		271575
उप योग राजस्थान	482400	271575	0	271575
तमिलनाडु				
ग्रामीण विकास संगठन मदुरै	339200	269725		269725
टी एन गांव उपभोक्ता संरक्षण परिषद कावरईपेट्ई	158400		92312	92312
चेन्नई महाबोधी सोसायटी कावरईपेट्ई	339900	191194		191194
रूरल स्टीवार्डस इन इंडिया, करूर	610200	343238		343238
उप योग तमिलनाडु	1447700	804157	92312	896469
त्रिपुरा				
अखण्ड योग और प्राकृतिक चिकित्सा, अगरतला	437100	245869		245869
उप योग त्रिपुरा	437100	245869	0	245869
उत्तर प्रदेश				
ग्राम सेवा संस्थान, देवरिया	201600	151200		151200
जन सेवा समिति, इलाहबाद	250000	46875		46875
अवध महिला एव बाल कल्याण समिति	227600	42364		42364
शिक्षा महिला समिति, बस्ती	117100	21956	51231	73187
वैशणवी शिक्षा समिति, इलाहाबाद	477200	225574	92625	318199
जनजीवन माध्यमिक शिक्षा समिति	193800	72727		72727
स्वामी विवेकानन्द शिक्षा समिति, मिर्जापुर	211000	117526		117526
हरिजन निर्बल शिक्षा विकास समिति, इलाहाबाद	530200	295425		295425
पूर्वांचल मानव कल्याण संस्थान, महाराजगंज	516800	745200		745200
भारतीय कल्याण एवं महिला विकास संस्थान			40050	40050

1	2	3	4	5
परख, इलाहाबाद	242000	136125	45375	181500
भारतीय समझौता सेवा संस्थान, देवरिया	209000	136051		136051
उप योग उत्तर प्रदेश	3176300	1991023	229281	2220304
पश्चिम बंगाल				
केराखली जन सेवा आश्रम, द. 24 परगना	217000	122062		122062
जन शिक्षा प्रचार केन्द्र, कोलकाता	239100	44831		44831
सीड, हावडा	239100	44831		44831
ताफा पल्ली मिलानी संघ, द. 24 परगना	428000	240750		240750
भारतीय ग्रामीण चिकित्सा संघ, कोलकाता	633000	237360		237360
ग्राम कल्याण समिति, कोलकाता	633000	162651		162651
उप योग पश्चिम बंगाल	2389200	852485	0	852485
जम्मू और कश्मीर				
भारतीय समाज कल्याण संगठन	610200	343238		343238
उप योग जम्मू और कश्मीर	610200	343238	0	343238
महाराष्ट्र				
बाल विकास अकादमी	610200	343238		343238
उप योग महाराष्ट्र	610200	343238	0	343238
योग	15082100	8141956	647477	8789433

कर्नाटक में कृषि संवर्धन संबंधी प्रस्ताव

3425. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक सरकार से कृषि संवर्धन का कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु विगत तीन वर्षों में कितना-कितना धन संस्वीकृत किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) कृषि संवर्धन हेतु कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित की गई/चल रही प्लान स्कीमों के अतिरिक्त कर्नाटक सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान इस विभाग द्वारा कार्यान्वित की गई/चल रही प्लान स्कीमों के अतिरिक्त कर्नाटक सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान इस विभाग द्वारा कार्यान्वित की गई विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत कर्नाटक सरकार को निर्मुक्त की गई धनराशि का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(रुपये करोड में)

वर्ष	धनराशि
1999-2000	81.69
2000-2001	71.81
2001-2002 (31 दिसम्बर, 2001 तक)	36.46

पशुओं और पादपों की दुर्लभ प्रजातियों का विलुप्त होना

3426. श्री शंकर सिंह वाघेला : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ पशुओं और पादपों की दुर्लभ प्रजातियों पूरे देश में विलुप्त होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन प्रजातियों के संरक्षण के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार पशु प्रेमियों और पादप प्रजातियों को संरक्षित करने में विश्वास रखने वालों की सेवायें लेने के लिए पशु आश्रम योजना को प्रोत्साहन देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में पूर्ण मनोयोग से काम कर रहे गैर–सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता देने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) आई.यू.सी.एन. (विश्व संरक्षण संघ) के नवीनतम वर्गीकरण के अनुसार जानवरों की 23 प्रजातियां अत्यधिक संकटापन्न बताई गई है। पादप प्रजातियों की गंभीर रूप से खतरे में पड़ी प्रजातियों की संख्या लगभग 29 है।

दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा के संबंध में उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:–

1. सभी वन्य प्राणियों और पक्षियों के शिकार को वन्यप्राणी (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के तहत प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।
2. वन्य प्राणियों और पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के संवेदनशील आवास स्थलों को राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के रूप में अधिसूचित किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण वैटलेन्डस को रामसर स्थल और विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थलों के रूप में अधिसूचित किया गया है।
3. वन्य प्राणियों के अवैध शिकार और उनके उत्पादों के व्यापार को नियंत्रित करने के लिए नियमित रूप से क्षेत्र में गश्त लगाई जाती है। इस संबंध में अन्य प्रवर्तन अभिकरणों और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का सहयोग भी लिया जाता है।
4. वन्य प्राणियों की बेहतरी के लिए वन्य प्राणी आश्रम स्थलों का प्रबंधन वैज्ञानिक पदचिन्हों पर किया जाता है।
5. राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के प्रभावी प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
6. विभिन्न प्रजातियों की गणना के स्तर की मानीटरी करने और विभिन्न प्रजातियों के स्वस्थाने तथा स्थान बाह्य संरक्षण के लिए नीतियां तैयार करने हेतु वैज्ञानिक शोध किया जाना है।
7. प्रशिक्षण व कार्यशालाओं के द्वारा फील्ड प्रबंधकों को वन्यजीव प्रबंधन तकनीक का स्थानांतरण किया जाना।
8. वन्यजीव संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना।
9. गिद्धों पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला की सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है।
10. पादपों की 29 प्रजातियों की वन्य विविधता का निर्यात प्रतिबंधित किया गया है।

(ग) से (ङ) जिन संगठनों को वन्यजीवों के लिए आश्रय स्थल सृजित करने के लिए निधियां मंजूर की गई, उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

उन संगठनों की सूची जिन्हें वन्यजीवों के आवास स्थलों के निर्माण के लिए निधियां स्वीकृत की गई हैं।

क्र.स.	संगठन का नाम और पता	परियोजना का उद्देश्य
1	2	3
1.	इंडियन हरपीटोलोजीकल सोसायटी उसानी, नव महाराष्ट्र सोसायटी ऑफ पुणे–सतारा रोड, पुणे–411009	पक्षियों के लिए प्राणी आश्रय स्थल

1	2	3
2.	वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू 7 रिहैबिलिटेशन सेंटर 102 लैण्डमार्क अपार्टमेंट्स, 1 मोयीनविले रोड, लैंगलोर्ड टाऊन, बैंगलूर – 560025	सरीसृपों, पक्षियों और स्तनधारियों सहित वन्य जीवों के प्राणी आश्रय स्थल
3.	एनीमल फार्म, 16, ईस्टर्न एवेन्यू, महारानी बाग, नई दिल्ली–110065	वानर आश्रय स्थल
4.	ब्लू क्रास ऑफ हैदराबाद बी. 2, 239/10, रोड नं. 2 बंजारा हिल्स, हैदराबाद–500034	हिरणों के लिए आश्रय स्थल
5.	महासचिव, वर्ल्ड वाइड फण्ड फॉर नेचर (डब्ल्यू डब्ल्यू एफ), इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, 172–बी, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली–110003	गिद्धों के लिए आश्रम स्थल
6.	वन्यजीव एस ओ एस डी–210, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली–110024	भालू और अन्य जानवरों के लिए आश्रम स्थल

अभियांत्रिक उपायों संबंधी परियोजना

3427. श्री जे.एस. बराड़ : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जल संचयन और जल स्रोतों संबंधी अनुसंधानों पर आधारित उपस्कर और प्रौद्योगिकी विकसित करने हेतु दक्ष अंतः फार्म जल प्रबंधन के लिए अभियांत्रिकी उपायों संबंधी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की कुल लागत कितनी है और वर्ष 2002–2003 के दौरान इसके लिए कितना धन नियत किया गया है; और

(ग) इस परियोजना के अन्तर्गत आने वाले संभावित राज्यों के नाम क्या है तथा इन राज्यों को क्या लाभ मिलने की संभावना है।

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) से (ग) कृषि मंत्रालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, कृषि मंत्रालय के अधीन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग) ने नौवीं योजना के दौरान "फार्म संबंधी कुशल जल प्रबंधन के लिए इंजीनियरी उपायों" संबंधी एक अखिल भारतीय समन्वय अनुसंधान परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। इस परियोजना को 30.01.2002 को अनुमोदित किया गया था तथा 31.03.2002 को इसे बंद कर दिया गया था। इस परियोजना के बंद हो जाने के कारण वर्ष 2002–2003 में इसके लिए बजट का प्रावधान नहीं किया गया है। इस परियोजना के आठ सहयोगी केन्द्र थे जो हैदराबाद, रांची, थ्रिस्सूर, जबलपुर, परभानी, लुधियाना, उदयपुर और कल्याणी में स्थित थे। इस परियोजना के सफल प्रचालन से होने वाले लाभों को संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1. कृषि के लिए जल संसाधनों की उपलब्धता, मांग और उपयोग संबंधी वेंचमार्क सर्वेक्षण।
2. विभिन्न सहयोगी संभावनाओं में भण्डारण के लिए अस्थायी जल उपलब्धता का आकलन करने के वास्ते कम्प्यूटर आधारित गणितीय माडलों का विकास।
3. कृषि के लिए उपलब्ध जल संसाधनों का वैज्ञानिक उपयोग के लिए योजनाओं का विकास।
4. जल संचयन संरचना की आयोजना, डिजायन, क्रियान्वयन

और प्रचालन तथा जल क्षति को कम करने संबंधी प्रौद्योगिकी का विकास तथा परीक्षण।

5. स्थल पर ही जल के संरक्षण और उसके उपयोग के लिए ऊर्जा युक्त मशीनरी और सिंचाई उपस्कर का अपनाया जाना।

6. नहर कमान क्षेत्रों में वितरण और नियंत्रण संरचनाओं को पक्की नहर, वर्षा और भूजल के संयुक्त उपयोग सहित सिंचाई जल के समान वितरण के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास।

7. कृषि में अधिकतम जल के प्रबंधन संबंधी प्रौद्योगिकी और प्रणालियों के संबंध में किसानों और राज्य विकास अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।

हैदराबाद और बैंकॉक के बीच उड़ान

3428. श्री एन. जनार्दन रेड्डी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने बंगलौर और चैन्नई के रास्ते हैदराबाद और बैंकॉक के बीच दो सीधी उड़ान शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने हैदराबाद और बैंकॉक के बीच कम से कम एक या दो सीधी उड़ान के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ग) सरकार ने इस अनुरोध पर क्या कार्रवाई की है/किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) इंडियन एयरलाइन्स ने 29 अक्तूबर, 2001 से अपनी बंगलौर–चैन्नई–बैंकॉक सेवा को हैदराबाद तक बढ़ाकर सप्ताह में दो बार हैदराबाद को बैंकॉक से जोड़ दिया है।

(ख) और (ग) इस समय, इंडियन एयरलाइंस उक्त हवाई सेवाओं को हैदराबाद तथा बैंकॉक के बीच सीधे चलाने की स्थिति में नहीं है चूंकि यातायात क्षमता ऐसी किसी सेवा को बनाए रखने के अपर्याप्त हैं इसके अतिरिक्त बंगलौर–चैन्नई–बैंकॉक रूट पर इंडियन एयरलाइन्स की सेवा को एक समयावधि के बाद विकसित किया गया है और इस सेवा को उनके लिए बंद करना संभव नहीं होगा।

आंध्र प्रदेश में भेड़-बकरी पालन योजना

3429. श्री राजैया मल्याला : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में आंध्र प्रदेश में भेड़–बकरी पालन योजना में कितने लोग कार्यरत हैं;

(ख) राज्य में भेड़–बकरी पालन में लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उक्त योजना के लिए राजसहायता देती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) इस समय आंध्र प्रदेश में लगभग 6 लाख परिवार भेड़ तथा बकरी पालन में लगे हुए हैं।

(ख) राज्य में भेड़ तथा बकरी पालन में व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए 22 प्रशिक्षण केन्द्र, 10 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र तथा 3 राज्य स्तरीय केन्द्र कार्यरत हैं।

(ग) और (घ) आन्ध्र प्रदेश राज्य द्वारा चरवाहों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। एकीकृत भेड़ तथा ऊन विकास परियोजना के तहत 1999–2000 से 10,782 चरवाहों को प्रशिक्षित किया गया है तथा 100/– रुपए प्रति प्रशिक्षु की दर से वजीफा दिया गया है और 9754 व्यक्ति लाभार्थी के रूप में 11 चालू परियोजनाओं में लगे हुए हैं जिसके लिए केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड द्वारा 100 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।

सोया, सूरजमुखी और सरसों के तेल की उपलब्धता

3430. श्री आनंदराव विठोबा अडसुल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष में सोया, सूरजमुखी और सरसों के तेल की उपलब्धता में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या वर्ष 2000–2001 के दौरान में इनकी मांग पूरी करने हेतु इनका आयात किया गया;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि में कितनी मात्रा में खाद्य तेलों का आयात किया गया; और

(ङ) उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) किसी खास खाद्य तेल की उपलब्धता उस वर्ष देश में इसके उत्पादन पर निर्भर करती है। विगत दो वर्षों के दौरान

सोयाबीन, सूरजमुखी तथा रेपसीड–सरसों के उत्पादन का ब्यौरा निम्नवत है:–

('000 मीटरी टन)

फसल	उत्पादन	
	1999–2000	2000–01
सोयाबीन	7081.4	5272.9
सूरजमुखी	693.6	733.0
रेपसीड–सरसों	5788.4	4207.1

सोयाबीन तथा रेपसीड–सरसों के उत्पादन में कमी का कारण देश में प्रतिकूल मौसम का होना था।

(ग) और (घ) खाद्य तेल की मांग का मूल्यांकन किसी खास खाद्य तेल क आधार पर नहीं बल्कि इसका मूल्यांकन सभी खाद्य तेलों के उत्पादन को ध्यान में रख कर किया जाता है और मांग व आपूर्ति के बीच के अन्तर को खाद्य तेलों के आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। वर्ष 2000–01 के दौरान सोयाबीन, सूरजमुखी एवं रेपसीड–सरसों तेल का आयात निम्नवत रहा :

(मात्रा: लाख मी.टन)

खाद्य तेल	
सोयाबीन	3.67
सूरजमुखी	8.25
रेपसीड–सरसों	0.44

(ङ) देश में तिलहन उत्पादन में वृद्धि करने के लिए 408 चुनिन्दा जिलों को कवर करते हुए 28 राज्यों में केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। इस स्कीम के अन्तर्गत किसानों को तिलहन की खेती बड़े पैमाने पर करने को प्रेरित करने के लिए उन्हें राजसहायता के माध्यम से विभिन्न प्रोत्साहन दिए जाते है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश की नागर विमानन परियोजनाएं

3431. डा. अशोक पटेल : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नागर विमानन से संबंधित भेजी गई कई परियोजनाएं स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कितनी परियोजनाओं की स्वीकृति दी जा चुकी है; और

(घ) सरकार द्वारा शेष परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है।

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश में ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस उद्देश्य हेतु राज्य सरकार को योग्य स्थान की पहचान करने तथा व्यवहार्यता अध्ययन करने की सलाह दी गई थी। प्रस्तावित हवाई अड्डे के लिए दो स्थानों का सुझाव देते हुए दिनांक 10.04.2002 को एक आंतरिक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त हुई है। प्रस्तावित स्थानों के तकनीकी पहलुओं की जाँच करनी होगी जिसके पश्चात् उत्तर प्रदेश सरकार तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन पूरा करेगी। चूंकि, प्रस्ताव अभी भी प्राथमिक स्तर पर है, अतः इस समय परियोजना की मंजूरी के लिए क्लीयरेंस देने का समय बताया नहीं जा सकता।

कोयला भंडारण की लेखांकन प्रणाली

3432. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **कोयला और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला भंडारण के संबंध में लेखांकन प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2000–01 के लिए किसी बाहरी स्वतंत्र एजेंसी को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त एजेंसी का नाम और अनुभव क्या है तथा इस प्रक्रिया में इस पर अब तक कितना धन व्यय किया जा चुका है?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी हाँ, कोयला स्टॉक से सम्बधित लेखांकन प्रणाली में सुधार सुझाने के लिए एक बाह्य स्वतन्त्र एजेन्सी को नियोजित करने का निर्णय लिया गया है।

(ख) और (ग) मैसर्स ए.एफ. फर्ग्यूसन एण्ड कम्पनी को कोयला स्टॉक की रिकार्डिंग, मापन रिर्पोटिंग, सत्यापन तथा समाधान की विद्यमान प्रणाली का अध्ययन करने तथा सी. आई. एल. और इसकी सहायक कंपनियों के लिए कोयला स्टॉक के लेखांकन की एक बेहतर प्रणाली की विकसित और कार्यान्वित करने के लिए एक

स्वतन्त्र परामर्शदाता के रूप में नियोजित किया गया है। मैसर्स ए. एफ. फर्ग्यूसन एण्ड कम्पनी के पास खनन तथा अन्य कोयला संबंधी क्षेत्रों में काम करने का अनुभव है। वर्तमान में परामर्शदाता द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक रिपोर्ट की स्वीकृति के पश्चात उन्हें 4,07,500.00 रु. का भुगतान कर दिया गया है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में खनिजों पर रॉयल्टी

3433. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन : क्या **कोयला और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में खानों और उनसे प्राप्त खनिजों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों में ऐसे प्रत्येक खनिज के लिए राज्य को कितनी रॉयल्टी दी गई है;

(ग) क्या इस रॉयल्टी को बढ़ाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) खान विभाग के एक अधीनस्थ कार्यालय भारतीय खान ब्यूरो द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1998–99 से 2000–2001 के दौरान, तमिलनाडु में कार्यरत सूचना देने वाली खानों की संख्या, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत शामिल खनिजों की मात्रा तथा मूल्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) हालांकि, प्रमुख खनिजों पर रायल्टी की दरें केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं, उक्त अधिनियम की धारा 9 के तहत, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट दरों के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों द्वारा खनिजों पर रायल्टी एकत्र की जाती है तथा रखी जाती है। केन्द्र सरकार द्वारा कोई रायल्टी एकत्र की या रखी नहीं जाती है। राज्य सरकारों द्वारा एकत्र राजस्व/रायल्टी का ब्यौरा केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखा जाता है। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार रायल्टी की दरों को तीन वर्ष की किसी अवधि के दौरान एक से अधिक बार बढ़ाया नहीं जा सकता है। प्रमुख खनिजों (कोयला, लिग्नाइट तथा भराव हेतु बालू को छोड़कर) हेतु रायल्टी की दरें 12.9.2000 को अधिसूचित की गई हैं। लिग्नाइट हेतु रायल्टी की संशोधित दरें 15 मार्च, 2001 को अधिसूचित की गई।

विवरण

तमिलनाडु में खनिज उत्पादन की मात्रा तथा मूल्य, सूचित करने वाली खानों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

(मूल्य हजार रु. में)

खनिज	मात्रा की इकाई	1998–99			1999–2000			2000–2001		
		खानों की संख्या	मात्रा	मूल्य	खानों की संख्या	मात्रा	मूल्य	खानों की संख्या	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
लिग्नाइट	000 टन	2	18168	8679469	2	17551	8325626	2	18270	8681446
बॉक्साइट	टन	5	239531	29946	7	137709	15645	7	256860	29662
बालक्ले	टन	1	0	0	1	1000	150	1	623	93
डुनाइट	टन	0	10915	1489	0	12164	1860	0	13041	1512
फैल्सपर	टन	0	7061	1100	0	10482	1987	0	7549	673
फायरक्ले	टन	10	46342	3301	9	42277	2731	7	27775	2138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
गारनेट एब्रेजिव	टन	10	132507	31728	13	193119	53205	16	273795	77307
ग्रेफाइट	टन	2	33670	10174	2	20037	6167	2	34184	7457
जिप्सम	टन	1	510	66	0	0	0	0	0	0
लेटराइट	टन	0	0	0	0	0	0	0	0	0
चूना कंकर	टन	1	218822	32495	1	206038	24312	1	235771	27821
चूना पत्थर	000टन	66	9469	1140092	64	10320	1159265	56	9938	1106172
मेगनेसाइट	टन	9	260101	328802	8	212082	323699	7	242742	285735
क्वार्टज	टन	19	24687	10061	20	17539	7503	23	16933	7321
सिलिका सैंड	टन	1	876	263	2	770	662	2	2687	1778
स्टीटाइट	टन	2	180	53	3	2716	473	2	24	2
सल्फर	टन	0	1888	0	0	1757	0	0	7181	0
वर्मिक्युलाइट	टन	1	1230	2205	1	1332	2478	1	1590	3589
गौण खनिज	–	0	0	236864	0	0	236864	0	0	236864

* प्राकृतिक गैस तथा कच्चे पेट्रोलियम को छोड़कर।

महिला कर्मकार और बाल श्रम संबंधी अध्ययन दल

3434. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिला कर्मकार और बाल श्रम संबंधी अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन राष्ट्रीय श्रम आयोग को प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन दल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनमें से स्वीकृत और अस्वीकृत सिफारिशों का पृथक–पृथक ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा महिला कामगारों एवं बाल श्रमिकों के संबंध में गठित अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत कर दी है। आयोग को अध्ययन दल द्वारा की गई सिफारिशों का स्वरूप तैयार करने हेतु रिपार्ट पर अभी विचार करना है। आयोग की रिपोर्ट शीघ्र आने की संभावना है।

कपास उत्पादन का रूझान

3435. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रति हेक्टेयर कपास उत्पादन घरेलू मांग, कपास के आयात और निर्यात के रूझानों की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों का वर्ष–वार और राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विश्व के प्रमुख कपास उत्पादक देशों के साथ उनकी तुलना किस प्रकार की जा सकती है;

(ग) कपास की प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि तथा कपास उत्पादकों को उचित दाम सुनिश्चित करने हेतु हाल ही में किए गए नीतिगत उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा का सामना करने हेतु कपास उत्पादन तथा प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि करने हेतु कार्य योजना को दिये गये अंतिम रूप का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) भारत सरकार, कपड़ा मंत्रालय में कपास सलाहकार बोर्ड के जरिए विशेष रूप से कपास के उत्पादन के रूख, आयात एवं निर्यात की निरन्तर समीक्षा करती है।

प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में पांच वर्षों यानि 1996–97 से 2000–2001 तक क्षेत्र, उत्पादन तथा पैदावार का ब्यौरा विवरण के रूप से संलग्न है। देश के विभिन्न भागों में, मुख्यतः रोगों और कीटों के हमले के साथ–साथ मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण उतार–चढ़ाव रहा है। देश में उपलब्धता विश्व की औसत से लगभग आधी है और संयुक्त राज्य अमरीका, चीन, तुर्की तथा मिस्र जैसे बहुत से कपास उत्पादक देशों से बहुत कम है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने कपास का उत्पादन और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकियां विकसित कर रहा है जबकि कृषि एवं सहकारिता विभाग गहन कपास विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन करके प्रौद्योगिकी अन्तरण एवं विकासात्मक कार्यकलापों में लगा हुआ है। इस कार्यक्रम के जरिए, प्रदर्शन एंव प्रशिक्षणों के माध्यम से प्रौद्योगिकियों के अन्तरण तथा बीजों, छिड़काव यन्त्रों, स्प्रिकलरों, ड्रिप सिंचाई प्रणाली फेरोमोन जालों तथा जैव–एजेन्टों जैसे महत्वपूर्ण आदानों की सप्लाई के लिए राज्यों को सहायता दी जाती है। कपड़ा मंत्रालय, मण्डी संबंधी बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने तथा ओटाई एवं प्रेसिंग फैक्ट्रियों के आधुनिकीकरण के लिए प्रयासरत है ताकि कपास की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सके।

उपर्युक्त के अलावा, भारत सरकार वार्षिक रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है और मूल्य गिर जाने पर कपड़ा मंत्रालय में भारतीय कपास निगम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करता है। इसके अलावा, किसानों के हितों की रक्षार्थ, कपास के निर्यात को उदार बनाया गया है और आयात शुल्क 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है।

विवरण

कपास का राज्य–वार क्षेत्र, उत्पादन तथा पैदावार

क्षेत्र लाख हैक्टेयर में, उत्पादन लाख गांठों में तथा लिंट की पैदावार कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर में

राज्य		1996–97	1997–98	1998–99	1999–2000	2000–2001
1		2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	क्षे.	10.15	9.06	12.81	10.39	10.22
	उ.	18.78	13.2	15.22	15.95	16.63
	लिं.	315	248	202	261	277
गुजरात	क्षे.	14.84	15.19	16.58	15.39	16.15
	उ.	26.57	31.8	39.03	20.86	11.61
	लिं.	304	356	400	230	122
हरियाणा	क्षे.	6.52	6.38	5.82	5.44	5.55
	उ.	15.07	11.29	8.73	13.04	13.83
	लिं.	393	301	255	403	424
कर्नाटक	क्षे.	6.68	4.99	6.36	5.46	5.60
	उ.	9.32	7.21	9.77	6.64	9.80
	लिं.	237	246	261	207	298

1		2	3	4	5	6
मध्य प्रदेश	क्षे.	5.19	5.15	4.97	4.88	5.06
	उ.	4.24	5.09	4.29	4.17	2.38
	लिं.	139	168	147	145	80
महाराष्ट्र	क्षे.	30.85	31.39	31.99	32.54	30.77
	उ.	31.43	17.53	26.19	30.99	18.03
	लिं.	173	95	139	162	100
उड़ीसा	क्षे.	0.16	0.22	0.29	0.38	0.40
	उ.	0.3	0.36	0.53	0.61	0.65
	लिं.	319	278	311	273	276
पंजाब	क्षे.	7.42	7.24	5.62	4.76	4.74
	उ.	19.25	9.37	5.95	9.52	11.99
	लिं.	441	220	180	340	430
राजस्थान	क्षे.	6.54	6.45	6.45	5.83	5.10
	उ.	13.63	8.67	8.72	9.84	8.05
	लिं.	354	229	230	287	268
तमिलनाडु	क्षे.	2.52	2.28	2.19	1.78	1.94
	उ.	3.3	3.58	4.06	3.39	3.25
	लिं.	223	267	315	324	285
उत्तर प्रदेश	क्षे.	0.08	0.09	0.07	0.07	0.06
	उ.	0.07	0.08	0.08	0.06	0.05
	लिं.	149	151	194	146	142
अखिल भारत	क्षे.	91.21	88.68	93.42	87.09	85.76
	उ.	142.31	108.51	122.87	115.3	96.52
	लिं.	265	208	224	225	191

नदियों को जोड़ने हेतु सर्वेक्षण

3436. डा. ए.डी.के. जयशीलन : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिंचाई की समस्या के समाधान हेतु महानदी और तम्ब्रापरानी नदियों को जोड़ने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा दिसम्बर, 1997 में की गई जल संतुलन अध्ययनों से यह पता चलता है कि तम्बापरानी बेसिन में सन 2050 तक घरेलू, औद्योगिक, सिंचाई तथा जल विद्युत प्रयोजनों के लिए जल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जल संसाधनों की कमी नहीं होगी।

पर्यटकों पर लगने वाले कर में कमी

3437. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में "फिक्की" द्वारा किए गए सर्वेक्षण से यह पता चला है कि कर में कमी करने से देश मे पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो सकती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पर्यटकों पर लगने वाले कर में कमी करने के लिए इस पहलू की भी जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) पर्यटन विभाग पर्यटकों को उपलब्ध सुविधाओं तथा सेवाओं पर लगने वाले कर में कमी करने से संबंधित मुद्दे को वित्त मंत्रालय के साथ समय-समय पर उठाता रहा है। माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण 2002 में कर से संबंधित निम्नलिखित प्रोत्साहन पर्यटन उद्योग को उपलब्ध कराये गये है :-

* पूर्वोत्तर क्षेत्र में जाने और वहां से आने के लिए हवाई यात्रा कर में छूट।
* सेवा कर में पहले दी गई छूट की सुविधा में एक वर्ष की वृद्धि : भोज समारोह से जुड़े खान-पान सेवा पर सेवा कर प्रभारित नहीं किया जाएगा।
* अब से होटलों पर व्यय कर कमरा प्रभारों के आधार पर लागू होगा : (पहले व्यय कर कमरा प्रभारों तथा अन्य सेवाओं पर भी लगाया जाता था)। अब से यह कमरा प्रभारों पर ही लगाया जाएगा।
* कमरा किराए पर 2000 रुपए के व्यय कर के प्रावधान को बढ़ाकर 3000 रुपए किया जाना।
* धारा 80 एच एच सी और धारा 80 एच एच डी के मध्य की विसंगति दूर किया जाना : (धारा 80 एच एच सी के तहत होटलों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा आय का 50% राशि ही कर मुक्त है बशर्ते की इसे सुरक्षित रखा जाए तथा विशिष्ट प्रयोजन हेतु ही प्रयोग किया जाए। अब इस विसंगति को दूर कर दिया गया है। धारा 80 एच एच सी के तहत एककों की तुलना में होटल उद्योग के लिए लाभों को फेसिंग आउट करना ठीक नहीं था।)
* सम्मेलन केन्द्र स्थापित करने वाली इकाईयों द्वारा अर्जित लाभ पर धारा 80-1बी के तहत् 50% की कटौती की सुविधा 5 वर्ष के लिए मान्य होगी : इससे उन उद्यमियों को सहायता मिलेगी जो नए सम्मेलन केन्द्र स्थापित करते हैं।
* आयातित मदिरा पर उत्पाद शुल्क 210% से 182% तक कम करना।
* धारा 194 एच के तहत् स्त्रोत पर कटौती की सीमा 10% से कम कर के 5% कर दी गई है : इससे होटलों तथा ट्रेवल और टूअर आपरेटरों को लाभ होगा।

मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं

3438. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक :

श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की वर्तमान संख्या पूरे देश के लिए अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन प्रयोगाशालाओं की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या प्रत्येक किसान को मृदा स्वास्थ्य कार्ड देने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा उड़ीसा के पर्वतीय क्षेत्रों में बागवानी संवर्धन और सुधार के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) विभिन्न राज्यों में प्रति वर्ष 8.0 मिलियन मृदा नमूनों की विश्लेषण क्षमता वाली कुल 533 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं कार्य कर रही हैं। मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का राज्य–वार ब्यौरा विवरण–I में दिया गया है। देश में विद्यमान लगभग 106 मिलियन फार्म जोतों की संख्या को ध्यान में रखते हुए मृदा परीक्षण क्षमता को उत्तरोत्तर सुदृढ़ बनाया जा रहा है। देश में मृदा–परीक्षण कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने के लिए उर्वरकों के संतुलित एवं समेकित उपयोग संबंधी केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम के तहत राज्यों को धनराशि प्रदान की गई। वृहत प्रबंधन प्रणाली के तहत कार्यान्वित किए जाने हेतु इस स्कीम को राज्यों को स्थानान्तरित कर दिए जाने के बाद, राज्यों को इस कार्यकलाप को सुदृढ़ बनाना जारी रखने के लिए कहा जा रहा है।

(घ) और (ङ) किसानों को स्थानीय भाषाओं में मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने की सलाह सहित मृदा स्वास्थ्य कार्ड का एक प्रारूप मंत्रालय द्वारा मार्च, 2000 में राज्यों को जारी किया गया। राज्यों ने किसानों को कार्ड जारी करने शुरू कर दिए है। राज्य–वार स्थिति विवरण–II में विनिर्दिष्ट है।

(च) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, अपनी "उत्पादन एवं कटाई पश्चात प्रबंध के जरिए वाणिज्यिक बागवानी का विकास" नामक स्कीम के अन्तर्गत परियोजना की कुल लागत के 20 प्रतिशत की दर से अधिकतम 25 लाख रुपये तक पाश्चान्त पूंजीगत राजसहायता के रूप में सहायता प्रदान करता है। यह स्कीम उड़ीसा के पहाड़ी ट्रैकों के लिए भी उपयुक्त है।

इसके अतिरिक्त उड़ीसा राज्य की सरकार "कृषि में वृहत प्रबंध–कार्य योजनाओं के जरिए राज्यों के प्रयासों का अनुपूरण/सम्पूरण" नामक स्कीम के तहत बागवानी कार्यक्रमों को शुरू कर रही है। ये कार्यक्रम उड़ीसा के पहाड़ी ट्रैकों के लिए भी उपयुक्त है।

विवरण-I

देश में मृदा परीक्षण प्रयोगाशालाएं (1999–2000)

क्र.सं.	राज्य का नाम	मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या			वार्षिक विश्लेषण
		स्थिर	गतिशील	कुल	क्षमता (सं.)
1	2	3	4	5	6
क. राज्यों सहित प्रयोगशालाएं					
I.	**दक्षिणी क्षेत्र**				
1.	आन्ध्र प्रदेश	23	4	27	513000
2.	कर्नाटक	21	3	24	555000
3.	केरल	13	7	20	340000
4.	तमिलनाडु	19	16	35	903000
5.	पाण्डिचेरी	2	–	2	20000
6.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	–	1	12000
7.	दमन और दीव	–	–	–	–
8.	लक्षद्वीप	–	–	–	–
	कुल	79	30	109	2343000
II.	**पश्चिमी क्षेत्र**				
9.	गुजरात	16	5	21	270000

1	2	3	4	5	6
10.	मध्य प्रदेश	20	5	25	342000
11.	महाराष्ट्र	29	–	29	287000
12.	राजस्थान	8	12	20	313000
13.	गोवा	1	1	2	28000
14.	दादरा और नगर हवेली	1	–	1	1000
	कुल	75	23	98	1241000
III. उत्तरी क्षेत्र					
15.	हरियाणा	25	–	25	351000
16.	पंजाब	48	13	61	795000
17.	हिमाचल प्रदेश	11	–	11	130000
18.	उत्तर प्रदेश	56	15	71	1275000
19.	जम्मू और कश्मीर	3	3	6	56000
20.	दिल्ली	1	–	1	6000
21.	चण्डीगढ़	–	–	–	–
	कुल	144	31	175	2613000
IV. पूर्वी क्षेत्र					
22.	बिहार	30	2	32	380000
23.	उड़ीसा	11	–	11	270000
24.	पश्चिम बंगाल	13	4	17	191000
	कुल	54	6	60	841000
V. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र					
25.	असम	7	4	11	156000
26.	त्रिपुरा	5	1	6	70000
27.	मणिपुर	3	1	4	55000
28.	नागालैंड	3	–	3	50000
29.	अरुणाचल प्रदेश	1	–	1	10000
30.	मेघालय	3	1	4	50000

1	2	3	4	5	6
31.	सिक्किम	1	1	2	23000
32.	मिजोरम	1	–	1	18500
	कुल	24	8	32	432500
	कुल योग	376	98	474	7470500
ख. उर्वरक उद्योगों सहित प्रयोगशालाएं		39	20	59	544700
	कुल अखिल भारत (क+ख)	412	118	533	8015200

विवरण-II

मृदा स्वास्थ्य कार्ड का स्तर/स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	की गई/किए जाने हेतु प्रस्तावित कार्यवाही
1	2	3
1.	केरल	राज्य सरकार ने किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित करने का प्रस्ताव किया है जिसके लिए वर्ष 2001–2002 के दौरान 10.00 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं ।
2.	पंजाब	राज्य ने किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है ।
3.	कर्नाटक	राज्य सरकार ने किसानों को 45.15 लाख मृदा उर्वरता कार्ड जारी किए हैं।
4.	राजस्थान	राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वह किसानों को वितरित करने हेतु लगभग 1.25 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड मुद्रित करवा रही है।
5.	तमिलनाडु	राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वह किसानों को वितरित करने हेतु लगभग 1.33 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड मुद्रित करवा रही है।
6.	उड़ीसा	राज्य ने किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
7.	पांडिचेरी	राज्य ने किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
8.	दादरा एवं नगर हवेली	संघ शासित प्रदेश ने किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने पहले ही शुरू कर दिए है ।
9.	लक्षद्वीप	संघ शासित प्रदेश किसानो को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने पर विचार कर रही है।

1	2	3
10.	मणिपुर	राज्य ने किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने की कार्यवाही शुरू कर दी है।
11.	महाराष्ट्र	राज्य ने किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने की कार्यवाही शुरू कर दी है।
12.	आन्ध्र प्रदेश	राज्य ने सूचना दी है कि किसानों को 10,000 मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे।
13.	हिमाचल प्रदेश	राज्य ने सभी मृदा परीक्षण अधिकारियों से उनकी टिप्पणी प्राप्त करने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए हैं।
14.	उत्तर प्रदेश	राज्य ने पहले ही अपने निजी मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार कर लिए हैं और राज्य सरकारों को जारी करने का प्रस्ताव किया है।
15.	मध्य प्रदेश	राज्य ने किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
16.	असम	राज्य पहले ही किसानों को स्थानीय भाषा में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी कर रहा हैं।
17.	त्रिपुरा	राज्य ने किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
18.	गुजरात	राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष किसानों को लगभग 15,000 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित करने का लक्ष्य रखा है ।
19.	गोवा	राज्य ने किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है ।
20.	पश्चिम बंगाल	राज्य ने किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू की हैं।
21.	नागालैंड	राज्य ने सूचित किया है कि राज्य की प्रयोगशालाओं के प्रभारी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड पृष्ठांकित किए गए है तथा उपयुक्त निर्देश दिए गए है।
22.	हरियाणा	राज्य ने सूचित किया है कि राज्य में जल प्रयोगकर्ता एसोसिएशन (डब्ल्यू.यू.ए.) को 120 मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए है।
23.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	राज्य ने किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

फसल की खरीद

3439. श्री हरिभाई चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खरीद एजेंसियों को किसानों से फसलों की खरीद का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो यह आदेश कब दिया गया था और यह खरीद कब से और किस कीमत पर की गई है; और

(ग) खरीद एजेंसियों के नाम क्या है और अब तक कितनी मात्रा में खरीद की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। प्रमुख कृषि जिंसे न्यूनतम समर्थन मूल्य स्कीम के अन्तर्गत कवर की जाती है जो मण्डी मूल्यों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों को छूने की स्थिति में शीर्षस्थ सार्वजनिक अभिकरण द्वारा मंडी हस्तक्षेप के लिए चलायी जाती है।

विभिन्न कृषि जिंसों के अधिसूचित खरीद मूल्यों के लिए जारी आदेशों का ब्यौरा निम्नवत है :–

क्र.सं.	जिंस का नाम	किस्म	न्यूनतम समर्थन मूल्य 2001–02 (रु. प्रति क्विंटल)	आदेश जारी करने की तिथि
1	2	3	4	5
1.	धान	सामान्य	530	7.9.2001
		ग्रेड 'ए'	560	7.9.2001
2.	मोटे अनाज (ज्वार, बाजरा, रागी मक्का)		485	7.9.2001
3.	अरहर		1320	7.9.2001
4.	मूंग		1320	7.9.2001
5.	उड़द		1320	7.9.2001
6.	कपास	एफ–414/एच–777/जे34	1675	7.9.2001
		एच–4	1875	7.9.2001
7.	छिलके वाली मूंगफली		1340	7.9.2001
8.	सूरजमुखी बीज		1185	7.9.2001
9.	सोयाबीन	काला	795	7.9.2001
		पीला	885	7.9.2001
10.	तिल		1400	7.9.2001
11.	रामतिल		1100	7.9.2001
12.	गन्ना		62.05	27.11.2001
13.	खोपरा (कलेंडर वर्ष)	मिलिंग	3300	21.3.2001
		बॉल	3550	21.3.2001
14.	कच्चे पटसन	टी.डी.5	810	3.4.2001

1	2	3	4	5
15.	गेहूं		620	2.4.2002
16.	जौ		500	2.4.2002
17.	चना		1200	2.4.2002
18.	तोरिया/सरसों		1300	2.4.2002
19.	कुसुम		1300	2.4.2002
20.	मसूर		1300	2.4.2002

(ग) विभिन्न फसलों हेतु मंडी हस्तक्षेप के लिए सार्वजनिक शीर्षस्थ अभिकरण निम्नलिखित है :–

क्र.स.	कृषि जिंसों का नाम	शीर्षस्थ अभिकरण का नाम
1.	अनाज	भारतीय खाद्य निगम
2.	दलहन, तिलहन व खोपरा	भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित
3.	कपास	भारतीय कपास निगम
4.	पटसन	भारतीय पटसन निगम

नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार, विभिन्न कृषि फसलों की निम्नलिखित मात्रा की खरीद की गई है।

जिंस	खरीद (लाख मी.टन में) 2001–02
चावल	175.78
गेहूं	206.30
सोयाबीन	0.03
तोरिया/सरसों	3.30
कुसुम बीज	0.03
सूरजमुखी बीज	–
मूंगफली	1.63
खोपरा	0.54
मोटे अनाज	2.76
कपास लिंट	8.44
(प्रत्येक 170 किग्रा. की गाठें)	
कच्चे पटसन	2.45
(प्रत्येक 180 किग्रा. की गांठें)	

विलुप्तप्रायः प्रजातियों पर मिसाइल परीक्षण के प्रभाव

3440. श्रीमती रेणूका चौधरी : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिनांक 3 फरवरी, 2002 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार का पता है जिसमें कि उड़ीसा में गहिरमाता के समीप व्हीलर द्वीप से अग्नि–II सहित लगातार मिसाइल परीक्षण होने से कछुए अपने प्रजनन काल में डर कर भाग गए है और इससे विलुप्त प्रायः प्रजातियों के समाप्त होने का भय उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित मामले के तथ्य संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे परीक्षणों से प्रजातियों के संरक्षण हेतु क्या कार्रवाई की गई है या प्रस्तावित है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) अग्नि–II मिसाइल के परीक्षण से कछुओं की संख्या में प्रतिकूल प्रभाव संबंधी कोई भी विशिष्ट वैज्ञानिक प्रमाण केन्द्रीय सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ग) अतः इस स्थिति में इस संबंध में किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

निधियां जारी करना

3441. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फसल और बागवानी क्षेत्रों में योजना निधियों का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा है और कुछ राज्य कृषि विभागों को अपने–अपने राज्य के वित्त विभागों से समय पर निधियां नहीं मिल रही है जिसके परिणामस्वरूप चल रही योजनाओं के पूर्ण होने में विलंब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो चल रही योजनाओं को पूर्ण करने हेतु निधियां देना सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं/प्रस्तावित हैं; और

(ग) योजनाओं के कार्यान्वयन में पिछड़ रहे राज्य कौन–कौन से है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत वर्ष 1998–99, 1999–2000 तथा 2000–2001 के लिए निर्मुक्त की गई प्लान धनराशि तथा सूचित व्यय निम्नलिखित था :–

(रुपये करोड़ में)

	निर्मुक्तियां	व्यय
1998–1999	827.89	742.32
1999–2000	769.63	707.28
2000–2001	747.54	655.07 (अनन्तिम)

पिछले तीन वर्षों के संबंध में सूचित व्यय युक्तियुक्त सन्तोषजनक है। हालांकि, कार्यान्वयन अभिकरण के पास धनराशि पहुंचने में प्रशासनिक देरी, समान धनराशि प्रदान करने में राज्यों की असमर्थता तथा वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिमाही में निर्मुक्त की गई धनराशि के कारण प्रत्येक वर्ष राज्यों के पास खर्च न की गई कुछ धनराशि शेष रह जाती है ।

(ग) कृषि संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित प्लान स्कीमों को कार्यान्वित करने में पीछे रह गए कुछ राज्य असम, बिहार, मेघालय, मणिपुर तथा पंजाब है ।

केन्द्रीय क्षेत्रीय श्रम आयुक्त

3442. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद के केन्द्रीय क्षेत्रीय श्रम आयुक्त आंध्र प्रदेश के बैंक कर्मियों की शिकायतों की भी सुनवाई करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने हेतु कि बैंक कर्मियों की शिकायतों को शीघ्र सुना जा सके, कौन से कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं ?

श्रम मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), हैदराबाद द्वारा विभिन्न श्रम कानूनों, जिनमें औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, उपदान संदाय अधिनियम, 1972 और बोनस संदाय अधिनियम, 1965 शामिल हैं के अन्तर्गत, केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले बैंक कर्मचारियों की शिकायत पर कार्रवाई की जाती है। इन अधिनियमों के अंतर्गत बैंक प्रबंधन के विरूद्ध अनियमितताओं/उल्लंघनों के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका

3443. श्री पुन्नूलाल मोहले :

श्री पी. आर. खूंटे :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ग्रामीण महिलाओं जिनकी कि पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, के लिए कोई प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है जिससे कि उनकी वित्तीय मदद की जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में प्रदूषण

3444. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि दिल्ली सहित देश के

कई राज्यों में प्रदूषण फैल रहा है और लोग सार्वजनिक स्थानों पर बेरोक–टोक धूम्रपान करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त संत्रास को नियंत्रित करने में सफल रही है;

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक;

(घ) क्या फैक्ट्रियों को दूसरे स्थान पर स्थापित करने के बाद दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण में है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा विभिन्न शहरों/नगरों में परिवेशी वायु गुणता को मानीटर किया जा रहा है। परिवेशी वायु गुणता मानीटरी से यह पता चला है कि सल्फर डाई आक्साईड और नाइट्रोजन डाई–आक्साईड के संबंध में वायु गुणता, राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणता मानकों के भीतर रही है। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को रोकने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं।

(घ) और (ङ) उद्योगों को बन्द करने तथा उन्हें स्थानांतरित करने के साथ–साथ प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण हेतु उठाए गए विभिन्न कदमों के कारण दिल्ली की परिवेशी वायु में सभी नियामक प्रदूषकों का सान्द्रण कम हुआ है। दिल्ली के समस्त मानीटरन केन्द्रों के लिए वर्ष 2000 और 2001 की अवधि में देखे गए प्रदूषकों के तुलनात्मक स्तर नीचे दिए गए हैं।

प्रदूषक	वर्ष 2000	वर्ष 2001
(वार्षिक औसत)	(आंकड़ा माइक्रोग्राम में प्रति घन मीटर)	
निलंबित विषाक्त पदार्थ	405	347
अन्तःश्वसनीय निलंबित विषाक्त पदार्थ	159	137
सल्फर डाई–आक्साईड	18	14
नाइट्रोजन डाई–आक्साईड	36	34

[अनुवाद]

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

3445. श्री बसुदेव आचार्य : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को मोहुदा क्षेत्र में अधिकतर कोयला खानें बंद कर दी गई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कोयला खान–वार बंद होने की तिथि क्या है;

(ग) क्या उक्त क्षेत्र में भूमिगत कोयले के विशाल भंडार है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को उक्त कोयला खानों के पुनरूद्धार के लिए भारत कोकिंग कोल लिमिटेड से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत कोकिंग कोल लि. की पश्चिमी झरिया क्षेत्र में मोहुदा ग्रुप की कोई भी खान बन्द नहीं की गई है। तथापि, लोहापट्टी (पथेरगोरिया बी. सीम) और भाटडी के साथ पैच डिपोजिट में प्रचालन को क्रमशः दिसम्बर, 2000 और जुलाई, 2001 से स्थगित कर दिया गया है ।

(ग) और (घ) पश्चिमी झरिया क्षेत्र के मोहुदा ग्रुप में खननीय भंडार निम्नानुसार हैं:–

क्रम सं.	कोलियरी	भंडार मि.टन में
1.	लोहापट्टी	97.40
2.	भाटडी	1.50
3.	मुरलीडीह 20/21 पिट	10.13

(ङ) जी, नहीं। सरकार को लोहापट्टी (पथेरगोरिया बी. सीम) तथा भाटडी के पैच डिपोजिट को फिर से चालू करने के लिए बी. सी.सी.एल. से कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(च) ऊपर भाग (ङ) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

फील्ड सिंचाई चैनलों का निर्माण

3446. श्री अम्बरीश :

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को विगत तीन वर्षों में फील्ड सिंचाई चैनलों के निर्माण की इकाई लागत बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों विशेषतः कर्नाटक सरकार से कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार और वर्षवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) अनेक प्रस्तावों के लंबित होने के क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) :

विवरण

(क) से (घ) वर्तमान में केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत पूर्वोत्तर राज्यों हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल तथा राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर परियोजना में खेत चैनलों के निर्माण के लिए 10,000 रु. प्रति हेक्टे. तथा अन्य राज्यों के लिए 6,000 रु. प्रति हेक्टे. की निर्माण की लागत इकाई मानते हुए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, कर्नाटक सहित कुछ राज्यों ने खेत चैनलों के निर्माण के लिए लागत इकाई में संशोधन के वास्ते प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं जिसका विस्तृत विवरण इस प्रकार हैं :

राज्य का नाम	प्रस्ताव प्राप्त करने का वर्ष	प्रस्ताव का विवरण
केरल	1999	निर्माण की लागत इकाई को बढ़ाकर 15,000/- प्रति हेक्टेयर करना।
कर्नाटक	2000	निर्माण की लागत इकाई को बढ़ाकर 10,000/- प्रति हेक्टेयर करना।
राजस्थान	2001	निर्माण की लागत इकाई को बढ़ाकर 15,000/- प्रति हेक्टेयर करना।
मेघालय	2001	निर्माण की लागत इकाई को बढ़ाकर 25,000/- प्रति हेक्टेयर करना।

जल संसाधन मंत्रालय ने खेत चैनलों के निर्माण संबंधी लागत मानकों को बढ़ाने संबंधी संशोधन पर कोई विचार नहीं कर सका क्योंकि इन मानकों को कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2001) के वास्ते अनुमोदित केन्द्रीय सहायता के वित्तीय पद्धति के अनुसार निर्धारित किया गया था। तथापि, योजना आयोग द्वारा 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007) के लिए कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम गठित कार्यकारी दल ने खेत चैनलों के निर्माण के लिए लागत मानकों को बढ़ाने संबंधी संशोधन की सिफारिश की है।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा सर्वेक्षण

3447. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या **कोयला और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाक्साइट, क्रोमाइट और डोलोमाइट का पता लगाने के लिए भारतीय भू–सर्वेक्षण द्वारा किए गए नवीनतम सर्वेक्षण का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) यह खनिज संसाधन किन–किन स्थानों पर पाए जाते हैं तथा इनकी श्रेणी–वार और राज्य–वार मात्रा और अनुमानित मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन भंडारों का कब तक पूर्ण उपयोग कर लिए जाने की संभावना है; और

(घ) उक्त खनिज और अन्य खनिजों की प्रति टन नवीनतम समीक्षा के बाद तय की गई रॉयल्टी का ब्यौरा क्या है ?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश के निम्नलिखित क्षेत्रों में बॉक्साइट, क्रोमाइट और डोलोमाइट के लिए सर्वेक्षण किया है :–

	राज्य	जिले
बॉक्साइट	महाराष्ट्र	राजापुर और रत्नागिरि जिले
क्रोमाइट	उड़ीसा	जाजपुर और धेनकनाल जिले
	महाराष्ट्र	भंडारा, चन्द्रपुर और नागपुर जिले
डोलोमाइट	राजस्थान	चित्तौड़गढ़ और बनवास जिले
	हिमाचल प्रदेश	शिमला, मंडी और बिलासपुर जिले

(ख) खनिजों का अनुमानित मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वर्तमान कीमतों के अनुसार परिवर्तित होगा और इनका वाणिज्यिक विदोहन प्रौद्यौ–आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करेगा। बॉक्साइट क्रोमाइट और डोलोमाइट की श्रेणी–वार और राज्य–वार मात्रा निम्नानुसार है –

बॉक्साइट		क्रोमाइट		डोलोमाइट	
राज्य/ग्रेड	प्रमाणित भंडार	राज्य/ग्रेड	प्रमाणित भंडार	राज्य/ग्रेड	प्रमाणित भंडार
1	2	3	4	5	6
अखिल भारतीय	768216	अखिल भारतीय	24734	अखिल भारतीय	515979
श्रेणी–वार		श्रेणी–वार		श्रेणी–वार	
रासायनिक	4582	धातुकर्मीय	11169	बी एफ/सिन्टरिंग	189509
रिफ्रेक्ट्री	12094	रिफ्रेक्ट्री	1195	एस एम एस (ओ एच)	9816
रासायनिक/रिफ्रेक्ट्री	6347	चार्ज क्रोम	7454	एस एम एस (एल डी)	23620
धातुकर्मीय–I	457639	अल्प	–	एस एम एस	89987
धातुकर्मीय–II	195226			(ओ एच एण्ड एल डी मिश्रित)	
अल्प	12452	सज्जीकरण योग्य	5428	बी एफ एण्ड एस एम एस मिश्रित	51296
धातुकर्मीय मिश्रित	36393	अन्य	–	रिफ्रेक्ट्री	58611
रासायनिक/रिफ्रेक्ट्री को छोड़कर मिश्रित ग्रेड	40543	अवर्गीकृत	472	बी एफ,एस एम एस एंड रिफ्रेक्ट्री	1797
एब्रेसिव	924	ज्ञात नहीं	16	ग्लास	26011
अन्य	1591			अन्य	41108
अवर्गीकृत	272			अवर्गीकृत	22432
ज्ञात नहीं	154			ज्ञात नहीं	1791
राज्य वार		राज्य–वार		राज्य–वार	
आंध्र प्रदेश	169848	आंध्र प्रदेश	–	आंध्र प्रदेश	23306
बिहार	15398	बिहार	13	अरुणाचल प्रदेश	–
गोवा	33935	कर्नाटक	502	बिहार	10934
गुजरात	43685	महाराष्ट्र	14	गुजरात	27196
जम्मू और कश्मीर	537	मणिपुर	–	हरियाणा	204

1	2	3	4	5	6
कर्नाटक	1801	उड़ीसा	25199	कर्नाटक	7404
केरल	1222	तमिलनाडु	6	मध्य प्रदेश	307023
मध्य प्रदेश	52132			महाराष्ट्र	5196
महाराष्ट्र	62267			उड़ीसा	65705
उड़ीसा	380961			राजस्थान	42547
राजस्थान	–			सिक्किम	–
तमिलनाडु	1237			तमिलनाडु	1507
उत्तर प्रदेश	5193			उत्तर प्रदेश	12429

(ग) 2000–2001 के दौरान भारतीय खान ब्यूरो (आई बी एम) के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में बॉक्साइट, क्रोमाइट और डोलोमाइट का विदोहन पहले ही किया जा रहा है। देश में बॉक्साइड के लिए 174 वर्किंग खानें, क्रोमाइट के लिए 20 वर्किंग खानें और डोलोमाइट के लिए 102 वर्किंग खानें थी ।

(घ) दूसरी अनुसूची–खण्ड 9 (पश्चिम बंगाल को छोड़कर) के अनुसार बॉक्साइट, क्रोमाइट ओर डोलोमाइट के लिए नवीनतम संशोधन के अनुसार रॉयल्टी का ब्यौरा निम्नानुसार है –

बॉक्साइट : उत्पादित अयस्क में निहित एल्यूमीनियम धातु पर प्रभार्य एल्यूमीनियम धातु की लंदन मेटल एक्सचेंज कीमत का शून्य दशमलव तीन पांच प्रतिशत।

क्रोमाइट : यथा–मूल्य आधार पर बिक्री मूल्य का साढ़े सात प्रतिशत।

डोलोमाइट : चालीस रु. प्रति टन।

पर्यावरण के संबंध में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच समझौता ज्ञापन

3448. श्री जी.एस. बसवराज :

श्री के.पी. सिंह देव :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण क्षेत्र में नीति और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस संबंध में किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या है; और

(ग) संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारत को किस हद तक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) जी, हां। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार और संयुक्त राज्य पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी (यू एस ई पी ए) के मध्य पर्यावरण के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर हुए थे।

समझौता ज्ञापन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और यू एस ई पी ए के बीच सांझी चिंता के आधार पर पर्यावरण की सुरक्षा और सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए नीति और तकनीकी सहयोग संबंधी फ्रेमवर्क प्रदान कराता है। समझौता ज्ञापन के तहत सहकारी गतिविधियों द्वारा सूचना आदान–प्रदान, संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं, प्रशिक्षण व प्रदर्शन परियोजनाओं आदि जैसे विभिन्न आयाम लिए जाने की संभावना है। इसके तहत कवर किए जाने वाले क्षेत्रों में पर्यावरणीय शासन, वायु एवं जल गुणवत्ता तथा विषैले रसायनों और परिसंकटमय अपशिष्टों का प्रबंधन शामिल है। परियोजनाएं पर्यावरणीय स्वास्थ्य, प्रदूषण निवारण, पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली, पर्यावरणीय सूचना तक जनता की पहुंच, पर्यावरण संबंधी निर्णय लेने में लोक–सहभागिता, व्यापार एवं निवेश उदारीकरण में पर्यावरणीय पहलू आदि को कवर करेंगी।

(ग) समझौता ज्ञापन में जबकि अनेक गतिविधियों में धनराशियों के हस्तांतरण को शामिल किया गया है लेकिन इस प्रकार के हस्तांतरण की सीमा विनिर्दिष्ट नहीं की गई है।

बिहार की लम्बित सिंचाई परियोजनाएं

3449. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :

श्रीमती कान्ति सिंह :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले अनेक वर्षों से बिहार की कई सिंचाई परियोजनाएं लम्बित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन योजनाओं को कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है तथा उन्हें पूरा करने में कितनी धनराशि का व्यय होगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) से (ग) बिहार की निर्माणाधीन 9 वृहद सिंचाई परियोजनाएं गत अनेक वर्षों से लम्बित पड़ी हैं। इनको शुरू करने संबंधी योजना, पूरा करने के लिए लक्ष्यित योजना, मूल लागत तथा स्पिल ओवर लागत संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण बाढ़ नियन्त्रण सहित सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, जांच, कार्यान्वयन, प्रचालन और रखरखाव राज्य सरकार द्वारा उनके अपने संसाधनों और उनकी अपनी प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है।

क्र.सं.	निर्माणाधीन वृहद परियोजनाओं का नाम	किस योजना में शुरू की गई	अनुमानित लागत (रुपए करोड़ में) अनुमानित नवीनतम	मूल	पूर्ण करने का लक्ष्य	नौवीं योजना की समाप्ति पर स्पिल ओवर लागत (रुपए करोड़ में)
1.	ऊपरी कियुल	V	8.07	109.93	नौवीं योजना से आगे	5.16
2.	बरनार जलाशय	V	8.03	230.43	नौवीं योजना से आगे	163.84
3.	बटेश्वर स्थान पम्प फेज–I	V	13.88	249.54	नौवीं योजना से आगे	206.27
4.	उत्तरी कोएल जलाशय	V	अननु.	814.72	नौवीं योजना से आगे	252.03
5.	दुर्गावती	V	25.30	***	नौवीं योजना से आगे	***
6.	गंडक फेज–II	VII	अननु.	578.27	नौवीं योजना से आगे	462.22
7.	कोसी पूर्वी नहर फेज–II	VII	अननु.	156.32	नौवीं योजना से आगे	41.54
8.	पश्चिमी कोसी नहर	III	13.49	830.69	नौवीं योजना से आगे	334.50
9.	तिलैया व्यपवर्तन (डाईवर्जन)	V	अननु.	301.79	नौवीं योजना से आगे	241.73

अननु. = अननुमोदित

*** = नवीनतम अनुमानित लागत राज्य द्वारा संशोधित की जानी है।

कर्नाटक सरकार को कावेरी नदी प्राधिकरण के निदेश

3450. श्री टी. एम. सेल्वागनपति : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कावेरी नदी प्राधिकरण ने हाल ही में अधिकरण द्वारा मेत्तूर में पानी का बहाव सुनिश्चित करने हेतु नियत आदेशों के अनुरूप कर्नाटक सरकार को निदेश जारी किये है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों राज्यों में कावेरी बेसिन में सूखे की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, कावेरी नदी प्राधिकरण ने तमिलनाडु के कावेरी बेसिन में उत्पन्न सूखे की स्थिति को देखते हुए कर्नाटक सरकार को अधिकरण द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार मेत्तूर में जल प्रवाहों को सुनिश्चित करने के निदेश दिये हैं।

(ख) तमिलनाडु सरकार द्वारा मेत्तूर जलाशय में दिए गए जल अंतर्वाह आंकड़ों के अनुसार, अधिकरण द्वारा निर्धारित 1 जून, 2001 से 28 फरवरी, 2002 तक 198.27 हजार मिलियन घन प्रवाह

की तुलना में 28 फरवरी, 2002 तक 42.90 हजार मिलियन घन की संचयी कमी हुई है। तथापि, कर्नाटक सरकार ने बताया है कि बिल्लीगुंडुलू पर प्रेक्षित अंतर्प्रवाहों और बिल्लीगुंडुलू तथा मेत्तूर जलाशय के बीच आवाह क्षेत्र से प्रांक्कलित अंशदान के अनुसार, उसने इस वर्ष के दौरान मेत्तूर जलाशय में निर्धारित प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए फरवरी, 2002 के अंत तक अपना दायित्व पूरा कर लिया है।

राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना

3451. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य में इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जल मार्गों के निर्माण के लिए यूनिट लागत की पुनरीक्षा के संबंध में राजस्थान सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या नौवीं योजना अवधि के दौरान जल मार्गों के निर्माण हेतु यूनिट लागत में बढ़ोत्तरी संबंधी पुनरीक्षा को योजना आयोग को प्रस्तुत किया गया था, और इसे नौवीं योजना के अंत तक समाप्त किया जा रहा है तथा दसवीं योजना में इस संबंध में कोई पुनर्गठित योजना तैयार की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को लागत मानकों और ओ. एफ. डी. कार्यों की पुनरीक्षा के लिए कमान एरिया विकास कार्यक्रम संबंधी कार्यकारी समूहों से सिफारिशों प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो लागत मानकों में बढ़ोत्तरी की कब तक पुनरीक्षा किए जाने और उसे कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) दसवीं योजना के वास्ते योजना आयोग द्वारा गठित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम संबंधी कार्य दल ने कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम को पुनर्गठन करने का सुझाव दिया एवं खेत संबंधी विकास कार्यों के लिए लागत मानकों के उत्तरोत्तर संशोधन के वास्ते सिफारिश की है। इस कार्य दल की रिपोर्ट योजना आयोग को प्रस्तुत कर दी गयी है।

डेयरी उद्योग का विकास

3452. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डेयरी उद्योग के विकास के लिए कोई विशिष्ट योजना तैयार की है अथवा तैयार करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान डेयरी उद्योग के विकास के लिए राज्य सरकार/गैर-सरकारी संगठनों को कोई सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) यदि हां, तो विशेषकर महाराष्ट्र के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) कृषि मंत्रालय, पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने डेयरी उद्योग के विकास के लिए नौवीं योजना अवधि के दौरान निम्नलिखित तीन योजना स्कीमों का क्रियान्वयन किया है।

(1) गैर ऑपरेशन फ्लड, पर्वतीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में एकीकृत डेयरी विकास परियोजना (आई डी डी पी) – यह एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जो गैर ऑपरेशन फ्लड, पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में डेयरी विकास के लिए 100 प्रतिशत अनुदान आधार पर विशेष अनुमोदित परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(2) सहकारिताओं को सहायता–यह सहकारी दुग्ध संघों/परिसंघों के पुनर्वास के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना स्कीम है जिसकी स्थापना भारत सरकार तथा संबंधित राज्य सरकारों के बीच 50:50 शेयर के आधार पर ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के तहत हुई थी। भारत सरकार की हिस्सेदारी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से दी जाती है।

(3) दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992–यह एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना स्कीम है जो दुग्ध परीक्षण प्रयोशालाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करती है।

क्रम संख्या 1 तथा 2 पर उल्लिखित योजनाएं दसवीं योजना अवधि में भी जारी है।

(ग) और (घ) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं के तहत महाराष्ट्र सहित राज्यों को प्रदत्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(राशि लाख रुपए में)

क्र.सं	योजना का नाम	कुल संबंधित राज्य			महाराष्ट्र राज्य		
		1999–2000	2000–01	2001–02	1999–2000	2000–01	2001–02
1.	आई डी डी पी	1091.34	2031.48	2027.07	517.02	645.49	500.00
2.	सहकारिताओं को सहायता*	380.00	1700.00	1420.00	–	–	155.00
3.	एम एम पी ओ–92	85.00	85.00	116.70	24.00	–	–

* सहकारी योजना को सहायता के तहत निधियां राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

तम्बाकू उत्पादों पर रोक

3453. श्री रमेश चैन्नितला : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने तम्बाकू उत्पादों पर रोक के प्रभाव के अध्ययन के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो क्या तम्बाकू उद्योग में कार्य करने वाले श्रमिकों के पुनर्वास हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इससे श्रमिकों पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

श्रम मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) तम्बाकू क्षेत्र में सीधे रोजगार के दृष्टिगत देश में तम्बाकू के प्रयोग को नियंत्रित और कम करने के लिए प्रस्तावित विभिन्न विनियामक प्रतिबंधों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कराए गए अध्ययन के निष्कर्षों से यह पता चलता है कि इससे उपयोग में लाये जा रहे श्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। रोजगार की हानि प्रत्यक्षतः तम्बाकू के उपयोग में हुयी कमी की दर के अनुपात में होगी। तथापि, इस कमी का प्रभाव अलग–अलग समय पर इस क्षेत्र के विनिर्माताओं, संसाधकों, एजेंटों, व्यापारियों आदि विभिन्न श्रमिक वर्गों द्वारा महसूस किया जाएगा।

समुचित प्राधिकारियों को समय–समय पर सलाह दी जाती है कि वे ऐसे मुद्दों पर कार्रवाई करते समय विभिन्न संगठनों की समस्याओं को ध्यान में रखें।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में यात्री निवास का निर्माण

3454. श्री विष्णु पद राय : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में यात्री निवास के निर्माण हेतु सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो स्थान–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस उद्देश्य हेतु कितनी निधि प्रदान किए जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हैवलॉक (1988–89), पोर्ट ब्लेयर (1985–86) और कर्मातंग (1995–96) में तीन यात्री निवासों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है।

(ग) सूचना नीचे दिए गए अनुसार है :–

		स्वीकृत राशि (लाख रुपयों में)	अवमुक्त राशि
1.	हेवलॉक में यात्री निवास	41.44	40.00
2.	पोर्ट ब्लेयर में यात्री निवास	45.78	43.80
3.	कर्मातंग में यात्री निवास	35.00	28.00

शेष राशि अंडमान निकोबार प्रशासन से उपयोगिता प्रमाण–पत्र, पूर्णता प्रमाण–पत्र, प्रबंधन करार और वचनबद्धता (अन्डरटेकिंग) की प्राप्ति पर अवमुक्त की जानी है।

आउट बोर्ड मोटरों की खरीद

3455. श्री जी. जे. जावीया : क्या **कृषि** मंत्री परम्परागत मछुआरों के बारे में 16 अगस्त, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3737 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आउट बोर्ड मोटरों की खरीद के लिए राजसहायता बढ़ाने के संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) जी, नहीं। व्यय वित्त समिति ने ओ बी एम की खरीद के लिए राज सहायता में बढ़ोत्तरी की सिफारिश की थी। तथापि, नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम चरण में तथा शून्य आधारित बजट के तहत योजना स्कीमों के पुनर्गठन के कारण व्यय वित्त समिति की सिफारिश क्रियान्वित नहीं की जा सकी। तद्नुसार, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग आदि की मंजूरी के बाद दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वयन के लिए व्यय वित्त समिति के विचारार्थ ओ बी एम के लिए बढ़ी हुई राजसहायता के साथ योजना पुनः तैयार की जानी है।

[हिन्दी]

अमेरिकी तेन्दुए

3456. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव देश के विभिन्न प्राणी उद्यानों में अमेरिकी तेन्दुओं की प्रजातियों को विकसित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नीति के अनुसार जंगली जानवरों की विदेशी प्रजातियों का प्रजनन प्राथमिकता दिए जाने वाला क्षेत्र नहीं है। केन्द्र सरकार देशज संकटग्रस्त प्रजातियों के प्रजनन को प्राथमिकता देती है।

[अनुवाद]

घरेलू पर्यटन

3457. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के संबंध में सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई योजना तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को कोई सहायता देने के संबंध में केन्द्र सरकार का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने विदेशी एवं घरेलू पर्यटकों को प्रोत्साहित करने के लिए, निम्नलिखित लघुअवधि एवं दीर्घावधि योजनाएं तैयार की हैं :–

(1) पर्यटन विकास कार्य को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता कार्यकलाप के रूप में प्रतिष्ठित तथा अनुरक्षित करना,

(2) एक पर्यटक गंतव्य स्थल के रूप में भारत की स्पर्धात्मकता में वृद्धि करना तथा इसे बनाए रखना,

(3) नए पर्यटन बाजार की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए भारत के वर्तमान पर्यटन उत्पादों में सुधार तथा इनका विस्तार करना,

(4) विश्व स्तर की अवसरंचना का सृजन,

(5) सतत् एवं प्रभावी मार्केट योजनाओं और कार्यक्रमों का विकास करना,

(6) ग्रामीण और लघु क्षेत्र पर्यटन के विकास पर विशेष बल देना तथा

(7) सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों तथा शिष्टाचार और नागरिक प्रशासन से संबंधित मुद्दों और बेहतर शासन की ओर ध्यान देना।

(ग) और (घ) पर्यटन विभाग, भारत सरकार की देश में पर्यटन के विकास एवं संवर्धन हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना है। बजट आवासों, मार्गस्थ सुविधाओं के निर्माण, साहित्य फिल्मों, सी डी रोम्स आदि के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की जाती है।

[हिन्दी]

खुरपका और मुंहपका रोग के लिए टीका

3458. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खुरपका और मुंहपका रोग के लिए टीका लगाने हेतु पशुपालकों से कितना शुल्क लिया जा रहा है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें इस संबंध में कोई सहायता अनुदान दे रही हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या गरीब किसान उपर्युक्त सहायता प्राप्त करने के बावजूद शुल्क अदा करने में असमर्थ है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों का विचार लाभार्थियों के बोझ को कम से कम करने के लिए उपर्युक्त टीके के लिए पूर्ण राजसहायता देने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कब तक ऐसा किए जाने की संभावना है; और

(च) पशुपालन विभाग, मध्य प्रदेश के कितने प्रस्ताव स्वीकृति हेतु सरकार के पास लंबित है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) खुरपका तथा मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत टीके की लागत केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों तथा लाभार्थियों के बीच 25:25:50 आधार पर वहन की जाती है।

(ग) से (ङ) इस तथ्य पर विचार करते हुए कि गरीब किसान टीके की 50 प्रतिशत की लागत वहन में कठिनाई अनुभव करते हैं तथा लाभार्थियों के बोझ को न्यूनतम करने के लिए, विभाग ने दसवीं योजना में गरीब किसानों को मुफ्त टीके उपलब्ध कराने के लिए वित्त पोषण की पद्धति को बदलने का निर्णय लिया है।

(च) विभाग ने उपरोक्त योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2001–2002 के दौरान मांगी गई सम्पूर्ण राशि पहले ही जारी कर दी है तथा अब कोई प्रस्ताव मंजूरी के लिए लंबित नहीं है।

सूखा ग्रस्त राज्य

3459. श्री शिवराजसिंह चौहान :

श्री विजय कुमार खंडेलवाल :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2002–03 के दौरान सूखा प्रभावित राज्यों के लिए कोई आबंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से राज्यों में प्रस्तावित व्यय को किस प्रकार खर्च किया जाएगा इस बारे में भी पूछा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) सूखे सहित आपदा राहत हेतु राज्य सरकारों के पास आपदा राहत कोष में धनराशि की सदैव उपलब्धता है। वित्तीय वर्ष 2002–03 के लिए आपदा राहत कोष के केन्द्रीय अंश की प्रथम अर्द्धवार्षिक किस्त मई, 2002 में निर्गत की जाएगी। कृषि वर्ष 2002–03 के दौरान सूखे की स्थिति दक्षिण पश्चिम मानसून, 2002 के रूख पर निर्भर रहेगी।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार ने आपदा राहत कोष/राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से धनराशि व्यय करने के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से दिशा–निर्देश निर्धारित किए हैं। इसके अलावा, जहां आवश्यक हो, राज्य सरकारों के परामर्श से संबंधित राज्य के लिए विशिष्ट मानदण्ड भी निर्धारित किए गए हैं।

[अनुवाद]

कोयला खानों के लिए सुरक्षा नीति

3460. श्री अनन्त नायक : क्या **कोयला और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला कंपनियों से उनके नियंत्रणा–धीन कोयला खानों हेतु सुरक्षा नीति बनाने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कोयला कंपनियों विशेषकर महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) जी, हां। कोल इंडिया लिमिटेड तथा सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि. ने एक सुरक्षा नीति बनाई है जिसका महानदी कोलफील्ड्स लि. सहित कोल इंडिया लि. की सभी कोयला उत्पादक कंपनियां द्वारा अनुपालन किया जा रहा है।

सतत् विकास हेतु विश्व सम्मेलन

3461. श्री एम. के. सुब्बा : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सतत् विकास हेतु विश्व सम्मेलन इस वर्ष अगस्त–सितंबर में जोहांसबर्ग में होने वाला है; और

(ख) यदि हां, तो 21वीं शताब्दी में विश्व की पर्यावरण और विकास नीतियां तैयार करने में सिक्किम सहित असम तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों का सहयोग लेने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में सतत् विकास हेतु विश्व सम्मेलन 26 अगस्त से 4 सितंबर, 2002 को जोहांसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में होने वाला है। प्रारंभिक प्रक्रिया के एक भाग के रूप में भारत सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :–

(1) सात प्रदेशों (पूर्वोत्तर प्रदेश सहित) को शामिल करते हुए लोक प्रतिनिधिक समूह के प्रतिनिधियों के साथ मल्टी स्टेक होल्डर परामर्श और राष्ट्रीय स्तरीय एक परामर्श प्रारंभ किया जा रहा है। 8 फरवरी, 2002 को असम, गुवाहाटी में एक परामर्श आयोजित किया गया है।

(2) हमारी नीतियों ओर कार्यक्रमों की सफलताओं का प्रलेखन;

(3) स्कूली बच्चों को सतत् विकास से सम्बद्ध विषयों से परिचित कराने के लिए स्कूल जागरूकता कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित करना;

(4) राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट तैयार करने के लिए नई योजना प्रारंभ करना।

पूर्वोत्तर प्रदेश और सिक्किम सहित सभी राज्यों में उपर्युक्त कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस अभ्यास के एक भाग के रूप में पूर्वोत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री सहित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सुझाव भी आमंत्रित किए गए हैं।

रिक्त पद

3462. श्री अमर राय प्रधान : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार मंत्रालय/विभाग तथा अधीनस्थ कार्यालयों में रिक्त पदों का नाम क्या है और श्रेणीवार ये पद कब से रिक्त हैं;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन पदों के कब तक भरे जाने की संभावना है?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) कोयला विभाग और इसके अधीनस्थ कार्यालयों में 31.03.2002 की स्थिति के अनुसार समूह "क" "ख" "ग" और "घ" में रिक्त पदों की संख्या क्रमशः 5, 4, 35 और 16 है। खान विभाग और इसके एक अधीनस्थ कार्यालय भारतीय खान ब्यूरो में 31.03.2002 की स्थिति के अनुसार समूह "क" "ख" "ग" और "घ" में रिक्त पदों की संख्या क्रमशः 58, 25, 82 और 30 है। तथापि, खान विभाग के एक अधीनस्थ कार्यालय भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में 31.12.2001 की स्थिति के अनुसार समूह "क", "ख" "ग" और "घ" के रिक्त पदों की संख्या क्रमशः 640, 151, 1943 और 469 है।

(ख) और (ग) पदों के रिक्त रहने का मुख्य कारण यह है कि एक वर्ष से अधिक समय से रिक्त पड़े पदों को भरने पर प्रतिबंध है।

नई खनन नीति

3463. श्री इकबाल अहमद सरडगी :

श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :

श्री शशि कुमार :

क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने नई खनन नीति बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है ?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा, जुलाई 1991 में, राजकोषीय, औद्योगिक एवं व्यापार पद्धति में प्रारंभ किए गए मूल संरचनात्मक सुधारों के अनुसरण में, मार्च, 1993 में राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय खनिज नीति में खनिज क्षेत्र में अद्यतन प्रौद्योगिकी आकर्षित करने तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सहित निजी निवेश को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता स्वीकार की गई। राष्ट्रीय खनिज नीति का क्रियान्वयन एक सतत् प्रक्रिया है।

नीति के तहत, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 को 1994 तथा 1999 में संशोधित किया जा चुका है। अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों को भी संशोधित किया जा चुका है। इसके अलावा, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सहित निजी निवेश को बढ़ावा दिया गया है तथा सरल बनाया गया है।

राष्ट्रीय पर्यटन और आतिथ्य प्रबंधन संस्थान

3464. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय वित्तीय योजना के अंतर्गत 28 प्रतिशत इक्विटी सहित आंध्र प्रदेश राष्ट्रीय पर्यटन और आतिथ्य प्रबंधन संस्थान को सहायता उपलब्ध कराने के लिए मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या आधारभूत संरचना और सूचना प्रौद्योगिकी मदों के अंतर्गत पर्यटन भवन के लिए 5 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने की भी सहमति हुई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार को कांचीबावली में संस्थान के लिए 20 एकड़ भूमि और 4 सितारा होटल के लिए 9 एकड़ भूमि आबंटित की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने की संभावना है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी हां। पर्यटन मंत्रालय अधिकतम 2.20 करोड़ रुपए की (राज्य सरकार के योगदान के बराबर) केन्द्रीय वित्तीय सहायता के अंतर्गत 28 प्रतिशत की इक्विटी के साथ राष्ट्रीय पर्यटन और आतिथ्य प्रबंधन संस्थान की स्थापना हेतु आंध्र प्रदेश सरकार की सहायता के लिए सैद्धान्तिक रूप से सहमत हो गया है।

(ख) जी हां।

(ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने संस्थान और आंध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम से जुड़े होटल हेतु कांचीबावली में 20 एकड़ भूमि आबंटित की है।

(घ) जहां तक राष्ट्रीय पर्यटन और आतिथ्य प्रबंधन संस्थान का संबंध है राज्य सरकार को सलाहकार की नियुक्ति, वास्तुकलात्मक योजना, परियोजना का अनुमान, भवन समिति की स्थापना आदि जैसे मुख्य कदम उठाने के लिए कहा गया है।

पर्यटन भवन के संबंध में कुछ और विवरण राज्य सरकार से मांगे गए हैं और जैसे ही विवरण प्राप्त होते हैं, प्रस्ताव पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

प्लास्टिक की बोतलों का पुनः प्रयोग

3465. श्री सईदुज्जमा : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रत्येक वर्ष लगभग एक बिलियन प्लास्टिक बोतलों, जिसमें सर्वाधिक 'पैट' है का उपयोग किया जाता है और उन्हें अन्य कई देशों के समान पुनः प्रयोज्य बनाने के बजाए फेंक दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कई देशों में पानी, शीतल पेय हेतु पैट जैसी बोतलों के निर्माताओं और उपयोग कर्ताओं के लिए यह अनिवार्य है कि वे बोतलों को पुनः प्रयोज्य बनाने के लिए स्वीकार करें;

(ग) यदि हां, तो भारत में ऐसी व्यवस्थाएं न करने के क्या कारण है;

(घ) क्या इनसिनरेटरों को लगातार ऐसी प्लास्टिक बोतलें नष्ट करने से कार्सिनोजेनिक डायोक्सिंसस बनने सहित गंभीर प्रदूषण उत्पन्न होता है; और

(ङ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार हेतु क्या कदम उठाए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) इण्डियन सेंटर फार प्लास्टिक इन दी एनवायरमेंट द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार देश में पैट की वार्षिक खपत 50,000 मैट्रिक टन में से 50 प्रतिशत हिस्सा पानी और शीतल पेय की बोतलों के विनिर्माण का है। देश में पैट के लिए स्थापित रिसाइकलिंग क्षमता 95,000 मैट्रिक टन प्रति वर्ष है।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) इस समय पैट बोतलों के रिसाइकलर्स इस्तेमाल की गई पैट बोतलों के संग्रह में लगे हुए है। सामान्यतः पैट बोतलों को जलाया नहीं जाता। प्लास्टिक अपशिष्ट निपटान से संबंधित मामलों से निपटने के लिए मंत्रालय द्वारा गठित न्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा समिति ने सिफारिश की है कि पोलीथिलेन टेरेफ्थेलेट (पी ई टी) बोतल विनिर्माता ऐसोसियेशन और बहुमात्रा में प्रयोगकर्त्ताओं को इनके संग्रह केन्द्र स्थापित करने चाहिए। उद्योगों को पहले चरण में कम से कम 90 प्रतिशत बोतलों का संग्रह करने के लिए आवश्यक संग्रह केन्द्र स्थापित करने चाहिए और योजना को छह माह के भीतर कार्यान्वित करना चाहिए। ऐसा न किए जाने पर डिपोसिट रिफंड स्कीम के अंतर्गत एक रुपए प्रति बोतल की दर से जुर्माना लगाया जाना चाहिए ।

पैट बोतलों के अतिरिक्त संबंधित उद्योग एक वर्ष के भीतर स्थानीय निकायों के परामर्श के संग्रह केन्द्र और उपयुक्त रिसाइकलिंग सुविधाएं भी स्थापित करेंगे।

कर्मचारियों की संख्या में कमी

3466. डा. एन. वेंकटस्वामी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में अर्ध शुष्क कटिबंध के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के कर्मचारियों की संख्या में भारी कमी की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में किए गए पुनर्वास उपायों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश में अर्ध शुष्क कटिबंध के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान (इक्रिसेट) एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इस विभाग के नियंत्रणाधीन नहीं है।

दक्षिण भारत में पर्यटन संभावनाएं

3467. श्री राम मोहन गाड्डे :

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

श्री सी. श्रीनिवासन :

क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन. एफ. फर्गुसन तथा फिक्की द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार भारत में आने वाले अधिकांश विदेशी पर्यटक दक्षिण भारत की यात्रा करते है;

(ख) यदि हां, तो क्या अध्ययन में पर्यटन का विकास कराने के लिए करों को युक्तिसंगत बनाने और निधियां निर्धारित करने पर जोर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में विशेषकर दक्षिण भारत में घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) दक्षिण भारत में पर्यटन पर फिक्की–फर्गुसन अध्ययन यह दर्शाता है कि भारत में आने वाले समग्र अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों में 21 प्रतिशत दक्षिण भारत की यात्रा करते है।

(ख) अध्ययन यह सुझाव देता है कि एक अनुकूलतम स्तर, अर्थात् मांग को उच्चतम सीमा तक बढ़ाने और पर्याप्त राजस्व आय प्राप्त करने पर कर दरें निर्धारित करना कठिन है। अध्ययन में पर्यटन के विकास हेतु निधियों के आबंटन के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है।

(ग) यात्रा व्यवसाय एवं उद्योगों के सहयोग से, केन्द्रीय और राज्य सरकारें, गंतव्य मार्केटिंग, सड़क प्रदर्शन, क्षेत्रीय यात्रा प्रदर्शन एवं उत्सव आयोजित करके, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेलों आदि में भाग लेकर, देश में पर्यटन का संवर्धन करती है। विदेशों में स्थित भारत पर्यटन कार्यालय, देश का समूचे तौर पर, थीमेटिक मार्केटिंग फोकस के साथ, एक पर्यटन गंतव्य के रूप मे संवर्धन करते है।

हरित चिकित्सकों की नियुक्ति

3468. श्री प्रबोध पण्डा : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का किसानों को सलाह देने हेतु हरित चिकित्सक नियुक्त करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी निधियां आबंटित की गई है; और

(ग) कितने चिकित्सकों को नियुक्त किए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

राष्ट्रीय पशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना

3469. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय पशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना को लागू करने के लिए 42.47 करोड़ रुपए का अनुदान जारी करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस उद्देश्य हेतु राज्य को जारी अनुदानों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को 40.03 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत के साथ 2000–01 से शुरू होने वाली पांच वर्षों की अवधि के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। इसमें से 3.39 करोड़ रुपए 2000–01 के दौरान जारी किए गए थे और 7.42 करोड़ रुपए 2001–02 के दौरान जारी किए जा चुके हैं।

———————

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.20 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.01 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.01 बजे पुनः समवेत हुई।

(**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(क) की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन एयरलांइस लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2000–2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(तीन) इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के लेखाओं पर लेखापरीक्षकों और नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 5407/2002)

अपराह्न 2.01½ बजे

कार्य मंत्रणा समिति

चौंतीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का चौंतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

....(*व्यवधान*)

अपराह्न 2.02 बजे

याचिका समिति

पन्द्रहवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं याचिका समिति (तेरहवीं लोक सभा) का पन्द्रहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

....(*व्यवधान*)

अपराह्न 2.02½ बजे

रेल संबंधी स्थायी समिति

दसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : महोदय, मैं रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2002–03) के संबंध में रेल संबंधी स्थायी समिति का दसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

....(*व्यवधान*)

अपराह्न 2.03 बजे

शेयर बाजार घोटाला और तत्संबंधी मामलों संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव

[हिन्दी]

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह श्री प्रेमचन्द्र गुप्ता और श्री रामदास अग्रवाल की राज्य सभा से सेवानिवृत्ति के कारण हुई रिक्तियों में शेयर बाजार घोटाला संबंधी संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा के दो सदस्यों को नियुक्त करे और संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नियुक्त किए गए सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती हूं कि वह श्री प्रेमचन्द्र गुप्ता और श्री रामदास अग्रवाल की राज्य सभा से सेवानिवृत्ति के कारण हुई रिक्तियों में शेयर बाजार घोटाला संबंधी संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा के दो सदस्यों को नियुक्त करे और संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नियुक्त किए गए सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

....(व्यवधान)

अपराह्न 2.04 बजे

नियम 377 के अधीन मामले *

उपाध्यक्ष महोदय : आज की कार्यसूची में सूचीबद्ध नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे माने जाएंगे।

(एक) झारखंड के सिंहभूम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण गिलुवा (सिंहभूम) : उपाध्यक्ष महोदय, देश में कई भागों में टेलीफोन के संबंध में अच्छे विकास हुए और आधुनिक ढंग से उपकरणों से लोगों को सुविधा मिल रही है। परन्तु मेरे सिंहभूम संसदीय क्षेत्र के ब्लाक तांतनगर, सुनवा, कुमारडोली, मंझगांव, टूनटो एवं डाहिल केरा अभी तक टेलीफोन से नहीं जोड़ा गया है। यह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और अत्यंत पिछड़ा हुआ इलाका है, जिसके कारण यहां के आदिवासी लोगों को विकास का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आधुनिक एवं नव तकनीकी के होते हुए इन क्षेत्रों में टेलीफोन की सुविधा नहीं मिलना आश्चर्यजनक है।

मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि इन ब्लाकों को टेलीफोन सेवा से तत्काल जोड़ा जाये।

(दो) रेवाड़ी-बीकानेर बरास्ता हिसार रेललाइन और रतनगढ़-डेगाना रेललाइन को बड़ी रेललाइन में बदले जाने की आवश्यकता

श्री राम सिंह कस्वां (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर रेलवे के रेवाड़ी–बीकानेर–सादुलपुर–हिसार व रतनगढ़–डेगाना रेल मार्ग की आमान परिवर्तन की मांग वर्षों से चली आ रही है। पूर्व में रेवाड़ी–सादुलपुर व सादुलपुर–हिसार मार्ग के आमान परिवर्तन की स्वीकृति भी जारी की जा चुकी थी, लेकिन चालू रेल बजट में इस मार्ग का कोई विवरण नहीं दिया गया है। मेरे संसदीय क्षेत्र चूरू की आम जनता व व्यापारिक घरानों का देश के विभिन्न मार्गों में आना–जाना बना रहता है। बीकानेर क्षेत्र व्यापारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।

कांडला बन्दरगाह से आने वाला तेल पंजाब व हरियाणा को इसी मार्ग से जाता था। जनता की इस अति महत्वपूर्ण मांग को पूरा करने के लिये चालू वर्ष में इसे स्वीकृत कर बजट आभार के आदेश जारी करने का कष्ट करें।

(तीन) उड़ीसा के लिए कोयले की रायल्टी दर में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अनन्त नायक (क्योंझर) : कोयले की रायल्टी दर में संशोधन में विलंब होने के कारण उड़ीसा को करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। रायल्टी दर में संशोधन अक्तूबर, 1997 में किया जाना था और दूसरा संशोधन अक्तूबर 2000 में किया जाना था। लेकिन रायल्टी में अभी तक संशोधन नहीं किया गया है जिससे राजस्व में प्रतिवर्ष 150 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है। रायल्टी दर में संशोधन में हुए इस विलंब का राज्य की अर्थव्यवस्था पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कोयले की रायल्टी दर में संशोधन करने के लिए तत्काल कदम उठाये। मैं यह भी मांग करता हूं कि उड़ीसा को रायल्टी दर में संशोधन होने तक तदर्थ अनुदान जारी करके क्षतिपूर्ति की जाये।

(चार) पंजाब और हरियाणा के बीच सतलुज यमुना लिंक नहर का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला) : उपाध्यक्ष महोदय, सुप्रीम

* सभा पटल पर रखे माने गए।

कोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि वह एस. वाई. एल. नहर का जो भाग पंजाब ने बनाना है, उसे 20 जनवरी, 2003 से पहले पूरा कर दिया जाये। परंतु, पंजाब के राज नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, उससे यह विषय उलझता हुआ नजर आ रहा है।

मैं अनुरोध करूंगा कि भारत सरकार इस विषय में हस्तक्षेप करके एस. वाई. एल. नहर का निर्माण कराये ताकि हरियाणा को पानी मिल सके।

(पांच) नवजीवन और ताप्ती एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का गुजरात के व्यारा रेलवे स्टेशन पर ठहराव बनाए जाने की आवश्यकता

श्री मानसिंह पटेल (मांडवी) : उपाध्यक्ष महोदय, सूरत भुसावल रेलवे लाईन पर व्यारा एक शहर है, जहां पर कई औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं एवं कांकरपारा अणु विद्युत परियोजना भी इसी क्षेत्र में है, जहां पर तमिलनाडु एवं उत्तर भारत के कई लोग कार्यरत हैं। इस क्षेत्र में नवजीवन एक्सप्रेस एवं ताप्ती एक्सप्रेस रेल सेवाओं के ठहराव की मांग कई वर्षो से की जा रही है। एवं कांकरपारा विद्युत परियोजना पर कई वैज्ञानिक एवं अन्य तकनीकी वाले व्यक्ति आते रहते हैं और विद्युत परियोजना से संबंधित कई विभाग के लोग व्यारा रेलवे स्टेशन पर आते हैं। नवजीवन एक्सप्रेस का ठहराव अगर व्यारा रेलवे स्टेशन पर कर दिया जाये तो लोगों को बहुत राहत होगी।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि नवजीवन एवं ताप्ती एक्सप्रेस का ठहराव व्यारा रेलवे स्टेशन पर शीघ्र किया जाये।

(छह) मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : मध्य प्रदेश के अनेक जिलों में हुई भारी ओलावृष्टि से राज्य में 26 जिलों के 2500 से भी अधिक गांवों में फसलों, पशुओं और घरों को अत्यधिक नुकसान पहुंचा है। फसलों को पहुंची क्षति और अन्य नुकसानों से अनुमानतः 82.87 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है।

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता इस आवश्यकता को पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं है। राज्य को ओलावृष्टि के कारण उत्पन्न हुई समस्या से निपटने के लिए कम से कम 80 करोड़ रुपये की आवश्यकता है।

उस राज्य में 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए और इस प्रयोजनार्थ कम से कम 45,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न निर्मुक्त किए जाने चाहिए। इसके अलावा, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत 63,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न का आबंटन भी जारी किया जाये। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वह मध्य प्रदेश के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के तहत आबंटन में वृद्धि करे और उस राज्य में फसल बीमा योजना अविलंब शुरू करे।

(सात) पश्चिमी बंगाल के मालदा जिले में चंचल सब डिवीजन मुख्यालय का चहुंमुखी विकास किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : पश्चिमी बंगाल के मालदा जिले में चंचल एक ऐसा नया अनुमंडल मुख्यालय है जहां रेलवे और स्वास्थ्य संबंधी अवसंरचना नहीं है। यह उत्तरी मालदा के क्रियाकलापों का मुख्य केन्द्र है। बाढ़ के दौरान इस अनुमंडल मुख्यालय के आसपास के क्षेत्र अत्यधिक प्रभावित होते हैं। समस्त उत्तरी मालदा में उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, चंचल में एक इंजीनियरिंग कालेज और एक आधुनिक अस्पताल जिसमें हृदय और गुर्दे की शल्य चिकित्सा और उपचार तथा शिशु चिकित्सा की सुविधा हो, खोले जाने की तत्काल आवश्यकता है। मैं योजना मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह चंचल सहित उत्तरी मालदा के इंजीनियरिंग कालेज, स्वास्थ्य, रेल अवसंरचना और खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम के स्थानीय मुद्दों पर उच्च प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दे। इसलिए, पश्चिमी बंगाल के 10वीं योजना संबंधी दस्तावेज में चंचल अनुमंडल मुख्यालय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। योजना मंत्रालय को पश्चिमी बंगाल की सरकार के साथ यह मुददा भी तत्काल उठाना चाहिए।

(आठ) अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को बैंकों से निर्बाध ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री इकबाल अहमद सरडगी (गुलबर्गा) : सरकार ने काफी समय पहले 1996 में अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को बैंक द्वारा वित्त प्रदान करने के संबंध में नीतिगत निर्णय लिया है और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से यह अपेक्षा की गई थी कि वह बैंकों को ऋण प्रदान करने में सहायता करेगा और इस प्रयोजनार्थ अल्पसंख्यक बहुल करीब 44 जिलों की पहचान की गई थी।

महोदय, रिपोर्टों के अनुसार, आरंभ में बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार ऋण नहीं दिया लेकिन ऋण भुगतान में चूक के मामले सामने आने पर वे डर गये। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा अल्पसंख्यकों को कम ऋण प्रदान करने को गंभीरता से लिया और फरवरी, 2002 में यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार अल्पसंख्यकों को ऋण प्रवाह में वृद्धि की जाये, एक पत्र भी लिखा।

महोदय, सरकार ने अल्पसंख्यकों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार लाने के लिए उन्हें ऋण प्रदान करने का निर्णय लिया है। तथापि, यह देखा गया कि कई लोगों को जो अनपढ़ भी थे औपचारिक बैंकिंग प्रणाली की पूरी जानकारी नहीं थी। अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा बैंक की सहायता से शुरू किए गए आर्थिक कार्यों के लिए अल्पसंख्यक लोगों को आदानों की आपूर्ति, प्रौद्योगिकी और विपणन सहायता में काफी कठिनाइयां आ रही हैं।

इसलिए, यह आवश्यक है कि सरकार सभी बैंकों से अल्पसंख्यकों को अविलंब ऋण प्रदान करने का आग्रह करे और उन बैंकों के खिलाफ कार्यवाही करे जो अल्पसंख्यकों को ऋण प्रदान करने में असफल रहे हैं।

(नौ) बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में टी. वी. टॉवर स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगुसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के काफी इलाकों में अभी भी टेलीविजन की सुविधा लोगों को ठीक से नहीं मिल पाती है क्योंकि टी. वी. टॉवर सभी जिला मुख्यालयों पर उपलब्ध नहीं है। टी. वी. संचार का एक सशक्त माध्यम है। अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर टी.वी. टॉवर की स्थापना करायी जाये, जिससे इसका लाभ सभी लोगों को मिल सके।

मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाकर शीघ्र ही बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में टी.वी. टॉवर स्थापित कराने का आग्रह करता हूं।

(दस) कर्नाटक के पदुबिद्री में एक विशेष आर्थिक जोन स्थापित किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री विनय कुमार सोराके (उदुपी) : सरकार ने अपनी नई आयात/निर्यात नीति के विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) की स्थापना की घोषणा की है। मैं कर्नाटक के उदुपी जिले में पदुबिदरी में एस ई जेड की स्थापना हेतु विचाराधीन प्रस्ताव को देखते हुए की गई घोषणा का स्वागत करता हूं।

नया प्रस्तावित विशेष आर्थिक जोन कृषि और बागान उत्पादों का उत्पादक करने वाले व्यापक पश्य प्रदेश की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। विशेष आर्थिक जोन के भीतर एक सूचना प्रौद्योगिकी उन्मुख परिसर की स्थापना की भी गुंजाइश है।

यहां तटीय विनियमन जोन संबंधी मार्ग निदेश पहले से ही प्रचलन में हैं। विशेष आर्थिक जोन संबंधी नई नीति में केन्द्र ने पदुबिदरी में विशेष आर्थिक जोन के कार्यकरण में बाधा न डालकर, जहां कहीं आवश्यक हुआ, तटीय विनियमन जोन संबंधी मार्गनिदेशों में छूट देने का आश्वासन दिया है।

मैं वाणिज्य मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि वह चालू वर्ष के बजट में आवश्यक आबंटन करके पदुबिदरी में विशेष आर्थिक जोन के प्रस्ताव पर विचार करे।

(ग्यारह) ऋण राहत योजना का लाभ 1989 के भागलपुर दंगा प्रभावितों को दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सुबोध राय (भागलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1984 के भीषण दंगे की तरह ही वर्ष 1989 में भागलपुर बिहार सहित देश के विभिन्न भागों में अत्यंत ही हृदय विदारक दंगों ने हजारों पुरुष–महिलाओं और बच्चों को अकाल मृत्यु का शिकार बनाया और घर, मकान एवं अन्य सामानों सहित करोड़ों रुपयों की क्षति हुई है। इन दंगों के भयावह और व्यापक स्वरूप ने सभी शांति प्रेमी एवं मानवीय मूल्यों में विश्वास रखने वाले लोगों को झकझोरने का काम किया था, किंतु "भारत सरकार द्वारा दंगा पीड़ित बैंक ऋण उधारकर्त्ताओं के लिए ऋण राहत योजना" के अंतर्गत भागलपुर के दंगा पीड़ितों को समुचित राहत प्रदान नहीं की गयी है और बैंकों द्वारा जो ऋण उन्हें उपलब्ध कराया गया है, उसे वसूलने के लिए सर्टिफिकेट एवं वारंट जारी कर दिया गया है।

अतएव मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि 1984 के दंगा पीड़ित उधारकर्ताओं के लिए "ऋण राहत योजना" के तर्ज पर 1989 के भागलपुर दंगा प्रभावितों को लाभ दिया जाये और भागलपुर के प्रभावित उधारकर्ताओं के विरुद्ध जारी वारंट वापस लिया जाये।

(बारह) विशाखापत्तनम विमानपत्तन का अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के रूप में उन्नयन किए जाने की आवश्यकता

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम) : आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकार विशाखापत्तनम में एक अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का विकास करने की इच्छुक है। यह राज्य में पर्यटन के विकास और साथ ही हार्डवेयर सहित ऐसे उद्योगों के संवर्द्धन जिनके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने के लिए अत्याधुनिक सुप्रचालन पद्धति की आवश्यकता है, के लिए भी आवश्यक है।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि विशाखापत्तनम विमानपत्तन पर यथाशीघ्र आवश्यक सुधार किये जाये।

(तेरह) नेपाल से आने वाली नदियों से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बार-बार आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए समुचित उपाय किए जाने की आवश्यकता

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : उपाध्यक्ष महोदय, नेपाल से भारत में प्रवेश करने वाली नदियों के कारण उ.प्र. नेपाल सीमा पर गण्डक, वघेला, महाव, रोहिन एंव राप्ती नदियों की प्रलयकारी बाढ़ से पूर्वी उ. प्र. के कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, देवरिया, जनपद के लाखों लोगों को प्रतिवर्ष जन–धन की हानि उठानी पड़ रही है। गत वर्ष जिन स्थानों पर रोहिन, राती की बाढ़ से बांध टूटे उन्हें बचाने के लिए अभी तक कोई इंतजाम नहीं किया गया है।

भारत सरकार से अनुरोध हे कि वह एक केन्द्रीय दल भेज कर नेपाल से भारत में प्रवेश करने वाली उपरोक्त नदियों की वर्तमान प्रकृति का अवलोकन करके बाढ़ बचाव के समुचित प्रबंध वर्षाकाल प्रारंभ होने से पूर्व करें।

(चौदह) पूर्वी भारत के लिए विभिन्न समय जोन शुरू किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डॉ. नीतिश सेनगुप्ता (कोंटाई) : कुछ समाचार पत्रों के अनुसार, भारत सरकार पूर्वी भारत के लिए एक अलग 'टाइम जोन' की शुरूआत करने पर विचार कर रही है। यदि यह सच है, तो यह कदम सराहनीय है। जिससे दिन का पूर्णतः सदुपयोग हो सकेगा और कई पूर्वी राज्यों में बिजली पर अत्यधिक दबाव से बचा जा सकेगा। वस्तुतः, हमारी आजादी से पहले तक पूर्वी भारत में एक पृथक टाइम जोन था। वह भारतीय मानक समय से आगे हुआ करता था। लेकिन आजादी के तुरंत बाद यह प्रणाली समाप्त कर दी गई। यह वास्तव में उल्टी बात है कि कोहिमा और मुम्बई के बीच सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में डेढ़ घंटे का अंतर है। यदि पूर्वी भारत में एक अलग टाइम जोन शुरू किया जाता है, तो पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों के लोग काफी पहले काम शुरू कर सकते हैं और सूर्यास्त से काफी पहले अपने कार्यालय भी बंद कर सकते हैं। इसलिए, सरकार को पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के लिए अलग टाइम जोन की अविलंब शुरूआत करनी चाहिए।

(पन्द्रह) महाराष्ट्र के शोलापुर जिले में पंढरपुर में विट्ठल-रूक्मणी मंदिर स्थित होने के कारण उसे तीर्थ स्थल घोषित किए जाने और उसके विकास के लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : यह मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र– पंढरपुर (महाराष्ट्र) में तीर्थस्थल के विकास के संबंध में है। महाराष्ट्र के शोलापुर जिले में पंढरपुर क्षेत्र चन्द्रभाग नदी की गोद में एक शांत स्थान पर स्थित है जिसके पास ही विट्ठल रूक्मिणी का मंदिर है।

विट्ठल रूक्मिणी के मंदिर के दर्शन करने के लिए देश–विदेश से लाखों तीर्थयात्री आते हैं। तथापि, इन तीर्थयात्रियों को आवास, स्वच्छता आदि की उचित व्यवस्था न होने के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस स्थान का एक तीर्थ स्थल के रूप में विकास करने से तीर्थयात्रियों और सरकार की राजस्व आय, दोनों को ही लाभ मिलेगा।

हालांकि, यह पता चला है कि पंढरपुर केन्द्र सरकार के तीर्थ स्थलों की सूची में शामिल नहीं है और इसलिए तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं का ध्यान रखने वाला कोई प्राधिकरण नहीं है। अतः, यह अनुरोध है कि आवश्यक कदम उठाये जायें ताकि पंढरपुर को केन्द्र सरकार के तीर्थ स्थलों की सूची में सूचीबद्ध किया जा सके और जनहित में इस तीर्थस्थल के विकास के लिए 50 करोड़ रुपये आबंटित किए जायें।

....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बारी–बारी से सुनूंगा।

....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपने स्थान पर वापस जाइये।

....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभा की कार्यवाही चलाने दें।

....(*व्यवधान*)

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व) : महोदय, यह 'शून्यकाल' नहीं है। हमें सभा का कार्य आरंभ करना चाहिए। ....(*व्यवधान*) हम गुजरात की स्थिति पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं। ....(*व्यवधान*) यदि वे गुजरात पर चर्चा करना चाहते हैं तो हम अफरोज के मामले पर चर्चा करते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने टाडा मामले से उसे कैसे और क्यों रिहा किया। ....(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मेरी बात सुनिये।

....(*व्यवधान*)

अपराह्न 2.05 बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल, 16 अप्रैल, 2002 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.05 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 16 अप्रैल 2002/26 चैत्र, 1924 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशि
और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली–110006 द्वारा मुद्रित।